प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 ज्योति सिंह द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध, " सामाजिक गतिशीलता:- एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, " मेरे निर्देशन में किया गया है । ये बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झांसी के शोध अध्यादेश के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है ।

यह शोध प्रबन्ध उन्हीं के अनुसन्धान परिश्रम और अध्ययन का परिणाम है तथा इस योग्य है कि समाजशास्त्र विषय में पी0एच0डी0 उपाधि हेतु परीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाये । इस शोध प्रबन्ध का कोई भी अंश अथवा समग्र किसी अन्य विश्व विद्यालय की शोध उपाधि के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा यह पूर्ण रूपेण मौलिक कृति है ।

दिनांक
9-3-89

शोध निर्देशक
डा0 गार्गी
प्राचार्या
आर्य कन्या महाविद्यालय
सीपरी बाजार, झांसी

प्राक्कथन

भारतीय समाज में ग्रामों का विशेष स्थान है । भारतीय सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना ग्रामों से ही बनी है । भारतीय संस्कृति को चिरकाल से सुरक्षित रखने और यहां की सभ्यता को अक्षुण्ण बनाये रखने में ग्रामों की भूमिका सर्वविदित रही है । इसीलिये भारत का वर्तमान या भविष्य इस देश के ग्रामीण समुदायों का ही वर्तमान और भविष्य है । भारतीय ग्राम अपेक्षाकृत एक परिपूर्ण इकाई होता है । ग्रामीण अपनी आवश्यकता पूर्ति की अधिकांश वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं । इसके लिये बाहर जाने की आवश्यकता कम होती है । एक प्रकार से ग्राम पूर्णतया आत्मनिर्भर होते हैं । वर्तमान समय में गांव की जनसंख्या औद्योगीकरण का प्रभाव ,मशीनों का प्रयोग तथा यातायात के साधनों का विकास होने से ग्रामों की गतिशीलता बढ़ी है ।परिणाम स्वरूप ग्रामों ने अपने प्राचीन रूप को त्याग दिया । ग्रामीणों के आचार-विचार तथा जीवन शैली में परिवर्तन आया । सुसंगठित ग्रामों में अव्यवस्था आने लगी और विघटन उत्पन्न होने लगा । इसीलिये वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों का शोध अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक हो गया । डा0देसाई ने ग्रामीण अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ,"स्वतंत्रता के पश्चात अब ग्रामीण सामाजिक संगठन , ग्रामीण संरचना ,प्रकार्य एवं उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक हो गया है ।" प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों की गतिशीलता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । शोध विवरण की स्पष्टता के लिये शोध विषय से सम्बन्धित समस्यायें निर्मित की गयी हैं । शोध कार्य को प्रमुख रूप से तीन खण्डों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है । प्रथम खण्ड में विषय का परिचय एवं शोध प्रारूप का विवेचन किया गया है । द्वितीय खण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की वैयक्तिक पृष्ठभूमि , पारिवारिक संरचना ,वैवाहिक पृष्ठभूमि ,व्यक्तित्व को बदलते मूल्य समय के साथ जागरूकता तथा परिवर्तित होते प्रतिमानों के साथ परिवर्तित मनोवृत्तियों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है । तृतीय या अन्तिम खण्ड में अध्ययन के निष्कर्ष व सामान्यीकरण को प्रस्तुत किया गया है ।

वर्तमान शोध कार्य डा० गार्गी प्राचार्या आर्य कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय झांसी एवं वरिष्ठ समाजशास्त्री बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झांसी के सफल निर्देशन में किया गया है। वर्तमान शोध कार्य के प्रारम्भ से अन्तिम चरण तक डा० गार्गी का विद्वता व सहयोग पूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण शोध कार्य में उन्होंने जो सहानुभूति पूर्ण एवं स्थायी संचारी भाव की भूमिका प्रस्तुत की उसके प्रति शाब्दिक आभार मात्र औपचारिकता ही होगी।

वर्तमान शोध प्रबन्ध में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी की दृष्टि से डा० अरुण कुमार शुक्ला, समाजशास्त्री के प्रयासों को मैं जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकती। डा० शुक्ला ने शोध प्रबन्ध की सम्पूर्णता हेतु जो अमूल्य तथा सारगर्भित सुझाव दिये उसके लिये मैं जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगी।

वर्तमान शोध कार्य की रूप रेखा के निर्माण करने में विभिन्न समाजशास्त्रियों का जो रचनात्मक सुझाव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं उनके अभाव में शोध प्रबन्ध वर्तमान संरचना प्राप्त करने में असमर्थ होता। इन समाजशास्त्रियों में श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल, प्रवक्ता आर्य कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय झांसी, श्रीमती मंजु कुलश्रेष्ठ, प्रवक्ता, आर्य कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय झांसी, डा० एम०के० गीरहा, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, सागर विश्व विद्यालय, सागर, डा० ओउम प्रकाश अवस्थी अध्यक्ष, हिन्दी विभाग महात्मा गांधी महाविद्यालय फतेहपुर ने अपना अमूल्य समय देकर जो सहयोग प्रदान किया उसके लिये मैं उनकी कृतज्ञ हूँ।

शोध प्रबन्ध की विषयवस्तु, अध्ययन पद्धतियों एवं तथ्यों के विश्लेषण के सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तकालयों से सामग्री एकत्र की गयी है इस हेतु मैं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, डा० हरि सिंह, गौर विश्व-विद्यालय सागर, ग्वालियर विश्वविद्यालय, ग्वालियर, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्व विद्यालय लखनऊ के पुस्तकालया-ध्यक्षों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

मैं जनपद फतेहपुर के उन व्यक्तियों तथा ग्रामीण उत्तरदाताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर तथ्यों के संकलन तथा अध्ययन के निमित्त आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करने में निरन्तर सहयोग प्रदान किया । मैं उनकी भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य के निर्माण में अतीव सहयोग प्रदान किया ।

शोध कार्य को पूर्णता की दिशा प्रदान करने के लिये श्री कृष्णचन्द्र शर्मा तथा माँ तुल्य श्रीमती सरिता शर्मा के अपनत्व व सौहार्दय पूर्ण सहयोग के लिये मैं ऋणी हूँ। इस सहयोग के अभाव में शोधकार्य पूर्ण करने के लिये व्यक्तिगत रूप से मुझे अधिक कठिनाई होती । मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस अकथनीय सहयोग के लिये अपना आभार शब्दों में व्यक्त करने में आजीवन असमर्थ रहूँगी ।

मेरा यह दायित्व होता है कि मैं पिता श्री प्रेम सिंह तथा माँ श्रीमती सुशीला सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करूँ । जिनके आशीर्वाद के अभाव में शोध कार्य निःसन्देह रूप से पूर्ण नहीं हो सकता था जो कि बहुत समय से मेरे मन में इस महत्वकांक्षा को प्रेरित करते रहे । मैं उनके प्रोत्साहन तथा रचनात्मक दृष्टि से प्राप्त सहयोग से ही शोध कार्य पूर्ण कर सकी ।

अन्त में मैं श्री शाहिदहुसैन की आभारी हूँ जिनके परिश्रम से वर्तमान शोध प्रबन्ध का टंकण पूर्ण हो सका ।

ज्योति सिंह

ज्योति सिंह

विषय- सूची

सारणी सूची

- - - - -

चित्र सूची

चित्रशीर्षक		पृष्ठ संख्या

- - - - - -

प्रथम खण्ड

प्रस्तावना

प्रस्तावना :-
= = = = = =

आज मनुष्य सभ्यता की जिस चोटी पर खड़ा है उसका कारण है मनुष्य का सदैव से परिवर्तनशील रहना । परिवर्तन ही गतिशीलता लाती है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है । चूँकि समाज भी उसी प्रकृति का अंग है अतः किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो कि पूर्णतया स्थिर हो । हाँ यह सत्य है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती कोई समाज द्रुतगति से गतिशील है तो कोई समाज मन्द गति से । " समाज की गतिशीलता का अर्थ है कि किसी एक सामाजिक समूह का दूसरे सामाजिक समूह में जाना ।" वर्तमान अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्रामीण समाज की गतिशीलता ही है ।

सभ्यता के प्रारम्भिक काल का भी इतिहास यही रहा कि मनुष्य का अस्तित्व तभी हुआ जब वह खानाबदोशों का जीवन त्याग कर एक स्थान पर बस गया । यहीं से विवाह की संस्था का जन्म हुआ । जब दो व्यक्तियों ने एक साथ रहना सीखा तो परिवार की संस्था का जन्म हुआ । उद्विकास की प्रक्रिया में इसी के बाद ग्रामों का भी जन्म हुआ । इस अर्थ में गांव एक स्थायी जीवन का परिचायक है लेकिन गांव का स्वरूप वास्तव में उस समय स्पष्ट हुआ जब मानव को कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ और वह जमीन के साथ बंध गया । जब गांव बना तो मानव की संस्कृति को एक निश्चित और स्थिर आधार प्राप्त हुआ- मानव का मानवीय जीवन जाग उठा । इस प्रकार मानव संस्कृति के इतिहास ग्राम की प्रारम्भिक इकाई हैं ।

प्राचीन काल से ग्राम भारतीय समाज व्यवस्था का एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण घटक रहा है । यहाँ के शास्त्रों

और ग्रन्थों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है । उदाहरण के लिये ऋग्वेद के अनुसार [जिसे सामान्यतः ईसा पूर्व दो हजार वर्ष के आस-पास का माना जाता है] समाज का विकास आरोही श्रंखलाओं के रूप में हुआ जिसमें प्रारम्भ का एकक गृह अथवा कुल था और उसके ऊपर आगे चलकर ग्राम, विश जन तथा राष्ट्र के एकक थे । ग्राम की संज्ञा जो अभी भारत में गांवों के लिए प्रयुक्त होती है, का अभिप्राय उन अनेक परिवारों के समूह से होता है जो एक स्थान पर निवास करते थे ।

"भारत की आत्मा ग्राम है।" इस वक्तव्य की वास्तविकता सन् 1981 की जनगणना से स्पष्ट हो जाती है । 1981 के अनुसार भारत की आबादी 68 करोड़ 40 लाख है जिसमें से लगभग 80% लोग गांव में रहते हैं । यदि गांव को भारतीय समाज व्यवस्था का दर्पण कहा जाये तो अनुचित न होगा । राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि " यदि आपको भारत के दर्शन करना हैं तो गांवों में जाईये भारतीय अर्थ व्यवस्था का आधार गांव ही हैं । गांव भारत की आत्मा हैं । हमारी संस्कृति के केन्द्र बिन्दु हैं तथा भारत के विकास की संभावनायें गांवों में ही निहित हैं । "

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत का प्रत्येक गांव राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पूर्णतया आत्म निर्भर था । प्रत्येक गांव ऐक गणतंत्र था । ग्राम पंचायतें झगड़ों का निपटारा करती थीं । गांव आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर थे । इस प्रकार गांव का सम्बन्ध शहर से नहीं के बराबर था । फलस्वरूप गांव में अज्ञानता , अशिक्षा , अन्ध विश्वास तथा रूढ़ियों आदि की जड़ें मजबूत होती गयीं

और ग्रामीण जनता राजनैतिक उथल पुथल तथा बाह्यपरिवर्तनों से अनभिज्ञ बनी रही और इसी अनभिज्ञता के अंधकार में विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया जिससे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश की चिड़िया उड़ गयी और पिंजरा सिसकता हुआ शोभा रह गया जो आज भी आंसू बहा रहा है। वर्तमान समय में यह ज्ञात करना अति आवश्यक है कि जो भारत गांवोंका देश है और कृषि जिसकी आत्मा है उसके ग्रामीण क्षेत्र कितने विकसित व गतिशील हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भौतिक सभ्यता, आधुनिकीकरण व यंत्रीकरण की दौड़ में उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं जोकि इस सम्पूर्ण इमारत की नींव हैं। हम ग्रामीण समाज के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ग्रामों की गतिशीलता ही सम्पूर्ण भारत की गतिशीलता है। अतः वर्तमान शोध विषय के लिए इस परिकल्पना को आधार बनाया गया है कि ग्रामों के स्वरूप में कितना परिवर्तन आया है। ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पहलू आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व सामुदायिक क्षेत्रों में गतिशीलता का क्या स्तर है।

ग्राम समुदाय का उदय केवल सभ्यता और कृषि के प्रारम्भ को ही नहीं प्रदर्शित करता वरन् एक सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात भी दर्शाता है जिससे सम्मिलित सुरक्षा की दशाओं के अन्तर्गत निजी परिवार तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता का विकास हुआ है। गांव का अभ्युदय विभिन्न ऐतिहासिक कालों में देखा जा सकता है। रामायण और महाभारत में दो प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है एक घोष (छोटे गांव) और दूसरा ग्राम (बड़े गांव)। गांव का नेता ग्रामणी कहलाता था जो युद्ध काल में गांव नेतृत्व तथा शान्ति के समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों एवं उत्सवों

का सभापतित्व करता था । ग्रामवासी मुख्यतः खेती करते थे । मनु ने गांव के अधिकारी को " ग्रामिक " की संज्ञा दी है । दस गांवों को मिलाकर एक अधिकारी "दाशी" तथा उसके ऊपर विशान्ती [बीस गांवों का अधिकारी] होता था । सौ गांवों का अधिकारी शाती तथा हजार गांव का मुखिया सहस्र ग्रामाधिपति कहा जाता था । गांव के सभी मामलों के लिए ग्रामिक उत्तरदायी होता था । प्रत्येक गांव में पंचायतें थीं । शासन व्यवस्था गणराज्य के सिद्धान्तों पर आधारित थी । इनका प्रधान ग्रामीणी अपनी सहायता के लिए गांव के बड़े बूढ़ों को पंचायत में रखता था। आजकल की तरह चुनाव की प्रथा नहीं थी ।

बौद्धकाल में भी सभ्यता और संस्कृति के आधार गांव ही थे । गांव पास-पास होते थे । बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उस समय के औसत गांव में लगभग 1000 परिवार होते थे । हर गांव का अलग-अलग मुख्य द्वार होता था । गांव के चारों ओर खेत चरागाह आदि होते थे । जब गांव की जनसंख्या बढ़ती थी तथा कृषि योग्य भूमि कम पड़ने लगती थी तो शेष भूमि को भी काम में लाया जाता था । इस काल में खेती करने वाली भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता था किन्तु कोई क्रय विक्रय नहीं कर सकता था । कृषि प्रणाली नियोजित थी । गांव का मुखिया सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी था । खेतों में पानी देने के लिए नाली आदि सब मिलजुल कर बनाते थे, चरागाह सार्वजनिक थे, राजा और प्रजा सभी के मवेशी एक साथ चर सकते थे । मुखिया का स्थान धीरे-धीरे वंशानुगत होता गया था । एक परिवार का जो सदस्य मुखिया होता था वह आजीवन उसी पद पर बना रहता था उसकी मृत्यु के बाद जो व्यक्ति उसके परिवार की जिम्मेदारी संभालता था वही मुखिया भी होजाता था । गांव की शासन व्यवस्था एवं देखभाल के लिए पंचायतें ही उत्तरदायी थीं । मौर्यकालीन कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसमें ग्राम व्यवस्था एवं प्रशासन का रूप दिया हुआ है । उस समय भौगोलिक आधार से गांव की सीमा निर्धारित होती थी । साधारणतः गांव में अधिक दूरी नहीं होती थी । आवश्यकता पड़ने पर पास-पड़ोस के सभी गांव इकट्ठा हो जाते थे । तथा उनमें सहयोग एवं परस्पराश्रय की भावना प्रबल थी ।

मध्यकाल मुस्लिम शासकों के शासन का युग था । इन शासकों के समय आवागमन के साधन अधिक विकसित नहीं हो पाये थे । अतः इनका गांवों से बहुत कम सम्पर्क था । इस समय गांव स्वावलम्बी हो चुके थे सभी आवश्यकतायें लगभग पूरी हो जाती थीं । कृषि गांव का मुख्य पेशा था । अन्य पेशे गांव की जातियां अपने परम्परा के अनुसार करती थीं क्योंकि जातियों के स्तर के अनुसार उनके पेशे बंटे हुए थे । पुत्र पिता के पेशे को जन्म से सीखने का प्रयास करता था और पिता की मृत्यु के पश्चात वह उसी कार्य को अपनाता था तथा समाज के लोग उसे वही स्थान देते थे जो उसके पिता को प्राप्त था । इस प्रकार व्यवसाय के चुनाव में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी । शादी, विवाह , जन्म, मृत्यु आदि विशेष अवसरों पर लोग उन्हें बुलाते थे और प्रथा के अनुसार पारश्रमिक देते थे अधिकांशतः अनाज देने की प्रथा थी । गांव की सम्पत्ति की रक्षा के लिए चौकीदार की व्यवस्था थी जो सभी मामलों की जानकारी रखता था । जमीन संबंधी सारा लेखा पटवारी के पास होता था । मुसलमान शासकों ने पंचायतों के परम्परागत स्वरूप पर विशेष आघात नहीं किया । कतिपय शासकों को इस सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप न करने का आदेश था । इन शासकों ने जागीरदारी प्रथा चलायी । जागीरदार पूरे जागीर की देखभाल करता था तथा मालगुजारी वसूल करके बादशाह को भेंट करता था । इस समय पंचायतों का कार्य केवल सामाजिक कार्य तक सीमित था । इसके अतिरिक्त ग्रामीण समुदायों के सामाजिक रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।

अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारतीय ग्राम व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ । कृषि गांवों का मुख्य उद्यम था जिसके सहारे जीवन निर्वाह तथा अन्य आवश्यकतायें पूरी हो जाया करती थीं । किन्तु अंग्रेजों ने खेती के बुनियादी दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों को बदलने का प्रयास किया । इससे खेती को बल दिया जाने लगा जिससे पैदावार को विदेशी मंडियों में व्यापार के लिए भेजा जा सके । इस प्रकार खेती व्यापार की ओर उन्मुख हुई । उस समय ब्रिटिश सरकार की नीति समस्त शासन का केन्द्रीकरण करने की थी । इसका सर्वप्रथम प्रभाव ग्रामीण जीवन पर यह पड़ा कि

ग्रामीण गणराज्य का अन्त होने लगा । अंग्रेजों के द्वारा जो नये नये शासन अधिकारी नियुक्त किये गये उनके कार्यों के फलस्वरूप गांव पंचायतों का महत्व और अधिकार दिन प्रतिदिन घटता चला गया । गांव की जनसंख्या बढ़ी, औद्योगीकरण का प्रभाव पड़ा यातायात के साधनों का विकास हुआ तथा गतिशीलता बढ़ी । मशीनों का प्रयोग बढ़ा । परिणाम स्वरूप कस्बों का व्यापार दुर्बल होने लगा तथा मिलों के कपड़े गांव तक पहुँचे इससे कुछ ऐसी मनोवृत्ति को बल मिला कि लोग इन कपड़ों को सभ्यता का परिचायक समझने लगे, और उन्हें धारण करने में गौरव का अनुभव करने लगे । गांव के असंख्य कुशल कलाकार बेकार हो गये । उनके सामने जीविका निर्वाह का प्रश्न आ गया तथा उन्हें विवश होकर गांव छोड़कर शहर आना पड़ा । इस प्रकार शहर और गांव से सम्पर्क बढ़ने लगा तथा इन दोनों के संस्कृतियों एवं आचार विचार के पारस्पर्य के फलस्वरूप जातिगत पेशों को क्रमशः हास होने लगा । पेशों से सम्बन्धित बन्धन शिथिल पड़ने लगे । इससे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, सामाजिक मूल्यों में परिवर्धन हुआ तथा व्यवसाय चयन में व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वतंत्र हुआ ।

अंग्रेजी राज्य में भारतीय गांव में भूमि अधिकार पद्धति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ फलस्वरूप व्यक्ति वादी विचारों को प्रोत्साहन मिला। वैयक्तिक सम्पत्ति की भावना बढ़ी । इसका सबसे गम्भीर प्रभाव भारतीय संयुक्त परिवारों पर पड़ा । संयुक्त परिवारों के ढांचे में शिथिलता दृष्टिगोचर होने लगी तथा लोग एकांकी परिवार की ओर उन्मुख हुए । अतः इस काल में कृषि का यंत्रीकरण, व्यक्तिवाद का प्रसार, मुद्रा का अधिक प्रचलन तथा महत्व आदि अन्य कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी ग्रामीण समुदाय में हुए ।

जब भारत की राजनीति में राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रवेश हुआ तो उन्होंने ग्रामीण पुर्ननिमार्ण योजना तथा ग्राम उद्धार आन्दोलन को राजनैतिक या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक अनिवार्य अंग बनाया । उनका कथन कि " स्वतंत्रता नीचे से आरम्भ होनी चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणराज्य अथवा पंचायत का राज्य होगा । उसके पास पूरी सत्ता तथा

ताकत होगी । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना होगा अपनी आवश्यकताऐं स्वंय पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना सारा प्रबन्ध स्वंय चला सके यहाँ तक कि वह सम्पूर्ण संसार के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वंय कर सके।" गांधी जी के इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांव के विकास को राष्ट्रीय विकास का एक अंग मान लिया गया । लेकिन आज भी भारतीय ग्राम वास्तव में बहुत कुछ वैसे ही हैं जैसे कि दो चार पीढ़ी पहले । पंचवर्षीय योजनाओं व सरकारी प्रयत्नों से जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वे अधिकतर ऊपरी हैं और विशेषकर बड़े गांव से सम्बन्धित हैं । आज भी गांवों में अधिकतर मकान कच्चे हैं यातायात व संचार के साधनों की सुविधायें अधिकतर छोटे गांवों को प्राप्त नहीं हैं, अच्छी सड़कों, अस्पतालों, डाक्टरों का आज भी नितान्त अभाव है साथ ही कितने ग्रामीण आज भी जाति तथा धर्म संबंधी कितने अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं । वे पुराने ढंग से खेती करते हैं और अज्ञानता तथा निर्धनता से पीड़ित हैं । यह है आज के ग्रामीण भारत का परिवर्तित स्वरूप ।

ग्रामीण जनसंख्या प्रक्रियाओं संरचना एवं घटनाओं पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करके उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली इस विज्ञान का विकास बहुत पहले नहीं अभी हुआ है । इसका अर्थ ये नहीं है कि ग्रामीण समाज का अध्ययन पहले हुआ ही नहीं । भूतकालीन विद्वानों ने ग्रामीण समाज के विषय में काफी कुछ लिखा है जिसका विवरण सोरोकिन, जिमर मैन और गाल्पिन द्वारा सम्पादित पुस्तक "सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोश्योलोजी" के प्रथम भाग में मिलता परन्तु उन ग्रामीण समाज के अध्ययनों को ग्रामीण समाजशास्त्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह अध्ययन वैज्ञानिकता नहीं लिए हुए हैं । वास्तव में ग्रामीण समाजशास्त्र का एक वैज्ञानिक एवं आधुनिक रूप में अध्ययन 19वीं शताब्दी के मध्य और 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही प्रारम्भ हुआ है इस समय औद्योगीकरण और पूँजीवाद का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर निरन्तर पड़ रहा था अतएव अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने अपने अपने अध्ययन प्रारम्भ किए । मैन, सन्डन, बेडन पावेल और स्लाते इत्यादि आधुनिक विद्वानों ने ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया ।

धीरे धीरे समाज वैज्ञानिकों और क्षेत्र शोधकों की रुचि इस नयी धारा की तरफ बढ़ने लगी और शोध उपकरणों में सुधार हुआ । उस समय के समाज वैज्ञानिक रार्बट रैडफील्ड , जानगिलिन ,सोलटैक्स तथा राल्फ बील्स आदि की रचनायें, सिद्धान्त एवं पद्धति शास्त्र में हुए नये विकासों का प्रतिनिधित्व करती हैं । रार्बट रेड फील्ड की "तेपाज्तलाः ए मेक्सिकन विलेज" से आस्कर ल्युइस की" लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेजः तेपोज्तलां रीस्टीज तक सामाजिक मानव विज्ञान की इस शाखा ने काफी दूरी तय की है । रैडफील्ड की पुस्तक से एक नये युग का उदय हुआ जो संभावनाओं से भरा पूरा था ल्युइस की रचना इस युग की परिपक्वता की पर्याप्त परिचायक है । मध्य अमेरिका में इस समय तक कई उपयोगी अध्ययन हो चुके थे विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण शोधें हुई । पूर्व के कृषक समुदायों के अध्ययनों को ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही देशों के विद्वानों से प्रोत्साहन और सहायता मिली । श्री एफ0 स्टुअर्ट चैपिन ने अपनी रचना रुरल स्ट्रक्चर इन रुरल लाईफ ग्रामीण सामाजिक संगठन के स्वरूप व ग्रामीण समाज के अर्न्तगत कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं व उनके परिणामों की व्याख्या की है । श्री हैराल्ड एफ0ई0पीके ने इन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल साइंस भाग 15 में लिखे द विलेज कम्युनिटी में ग्रामीण समुदाय की विवेचना की है । उनके अनुसार तीन प्रकार के ग्रामीण समुदाय हैं । प्रथम -स्थानान्तरित कृषि ग्राम समुदाय - ये वे समुदाय हैं जहां की जनसंख्या एक निश्चित स्थान पर कृषि नहीं करती बल्कि स्थान बदलती रहती है । द्वितीय अर्द्ध स्थायी ग्राम समुदाय- जहां जनसंख्या स्थायी रूप से निवास/नहीं करती । एक स्थान पर कुछ समय रहने के पश्चात स्थान बदल देती है । तृतीय- स्थायी कृषक ग्राम जहां लोग आवास का परिवर्तन नहीं करते हैं एक विशेष स्थान पर स्थायी निवास करते हैं । उनके अनुसार ग्राम समुदाय परस्पर सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित उन व्यक्तियों का समूह है जो एक अकेले परिवार की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं । जो एक बहुत बड़े गृह अथवा परस्पर निकट स्थित गृहों में कभी अनियमित रूप से तथा कभी नियमित रूप से एक गली में रहता है , तथा मूलतः अनेक कृषि योग्य खेतों में सामान्य रूप से खेती करता है , मैदानी भूमि को आपस में बांट लेता है तथा आस पास की बेकार भूमि पर पशु चराता है जिसपर निकटवर्ती/समुदायों की सीमाओं तक वह अपने

अधिकार का दावा करता है ।[1] लघु समुदाय की अवधारणा राबर्ट रेड फील्ड की देन है आपने अपनी पुस्तक " द लिटिल कम्युनिटी में लिखा है कि " लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है । भारत के ग्रामों को अधिकांशतः लघु समुदाय कहा जाता है।[2] श्री इरविन टी०सैण्डरस के अनुसार, "ग्रामीण समाज के सामुदायिक जीवन में विभिन्न परिवारों के वृहत समूहों, ग्रामीण संगठनों और संस्थात्मक जटिलताओं के रूप में प्रतिबिम्बित होता है । " ग्रामीण समाज में व्यक्ति का भूमि से सम्बन्ध , सामाजिक स्तरीकरण, ग्रामीण परिवार परिवारवाद, परिवार के बदलते स्वरूप , धर्म, सामाजिक मूल्यों के बदलते प्रतिमान, नव युवकों के लिए शिक्षा , राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा तथा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन आदि पहलुओं पर विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है । इसी प्रकार श्री टी०लिन स्मिथ की " दि सोश्योलाजी आफ रूरल लाईफ " लारी नेल्सन की "रूरल सोशियोलाजी डायनामिक्स एण्ड हारीजन्स"आदि ने ग्रामीण समाजशास्त्र को नई दिशा प्रदान की ।

भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी ग्रामीण जीवन और उनकी समस्याओं पर अपना ध्यान तीव्र उत्कंठा के साथ केन्द्रित किया । भारतीय समाजशास्त्रियों में श्री श्यामचरण दुबे [1945] का विशेष योगदान है । इनकी एक पुस्तक " ए इण्डियन विलेज" में हैदाराबाद के तैलंगाना क्षेत्र में शामीरपेट गांव का अध्ययन किया गया है । इस पुस्तक में शामीरपेट गांव की स्थिति , जातियाँ, सामाजिक गठन, अर्थ व्यवस्था , धार्मिक गतिविधियाँ , पारिवारिक सम्बन्ध सूत्र, जीवन स्तर , सामुदायिक जीवन तथा ग्राम के बदलते स्वरूप का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । श्री दुबे की दूसरी कृति " इण्डियन चैंजिंग विलेज " में ग्राम की

1. H.J.Peake,"Rural community,Encyclopedia of social science Vol.XV," P- 254
2. Robert Redfield," The little community," p-3
3. Irwin.T.Sanders," Rural sociology" p-3

आर्थिक , सामाजिक, राजनैतिक ,धार्मिक व सांस्कृतिक इकाइयों में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तित स्वरूप का विवरण दिया गया है । जोकि आज के भारतीय समाज का प्रतिबिम्ब हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है । श्री ए0आर0देसाई की पुस्तक "रूरल सोशियोलाजी इन इण्डिया के अध्याय: "द चेन्जिंग पावर स्ट्रक्चर आफ विलेज कम्युनिटी -ए केस स्टडी आफ सिक्स विलेज इन इस्टर्न यू0पी0" में गांवों में सर्व प्रथम देशी शासन व्यवस्था, उन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं तथा उनका क्या स्वरूप है का वर्णन है । श्री टी0आर0 मदान [1959] की इण्डियन डेवलपिंग विलेज " में भारतीय ग्रामीणों समुदायों का विकास,सामुदायिक विकास कार्य क्रम, ग्रामीणों के विकास के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं आदि की विवेचना की गयी है । श्री मदान की पुस्तक"चेन्जिंग पैटर्न आफ इण्डियन विलेजेज़ में ब्रिटिश काल के पहले भारतीय गांव के स्वरूप तथा ब्रिटिश काल के बाद उनकी सामाजिक संरचना के परिवर्तित स्वरूप की विवेचना की है । साथ ही ग्रामीणों के सामुदायिक विकास के लिए किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए आदि का विस्तृत वर्णन है ।

श्री आई0पी0देसाई ने अपनी कृति"हिस्ट्री आफ रूरल डेवलपमेंट इन इण्डिया " को दो भागों में प्रस्तुत किया है । प्रथम भाग 1952 तथा दूसरा भाग 1964 में प्रकाशित हुआ । इसमें इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के गांव की दशा की इतिहास तथा उनकी सामाजिक व राजनैतिक गतिशीलता को प्रस्तुत किया है । श्री जी0के0करान्थ की पुस्तक "रूरल यूथ" कर्नाटक के गांव से सम्बन्धित एक सामाजिक अध्ययनहै इस पुस्तक में राजापुर में ग्रामीण युवा व विभिन्न जातियों , युवाओं का परिवार से सम्बन्ध , युवाओं की शिक्षा व रोजगार से सम्बन्ध, युवाओं का राजनीति व अलगाव वाद से सम्बन्ध , युवाओं को खाली समय की क्रियाओं आदि की सांख्यकीय रूप से विवेचना की गई। श्री मुन्ताज अली खान व नूर आयशा की पुस्तक "स्टेटस आफ रूरल वूमैन इन इण्डिया में ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति की विवेचना की गयी है । उनकी शिक्षा का व आर्थिक स्तर क्या है, उनका सामाजिक संस्थाओं के प्रति क्या योगदान है - इसका चित्रण इस पुस्तक में किया गया है । इसमें कर्नाटक की ग्रामीण स्त्रियों पर अध्ययनकरके भारत की ग्रामीण स्त्रियों का चित्र खींचा है । श्री एम0के0पाण्ड

की कृति "सोशल लाईफ इन रूरल इण्डिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के गांवों के सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है । श्री पी०ए०सोरोकिन ने अपनी कृति" सोशल एण्ड कलचरल मोबेलिटी" में गतिशीलता के सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूपों को स्पष्ट किया है तथा उनके परस्पर सम्बन्धों को दर्शाते हुए एक गतिशीलता का दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ता है की व्याख्या प्रस्तुत की है ।

श्री जे०बी० चिताम्बर ने अपनी पुस्तक "इन्ट्रोडक्ट्री आफ रूरल सोशियोलाजी में सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके समतल , उर्ध्व व भौगोलिक स्वरूपों का भी स्पष्टीकरण किया है । उनके अनुसार" किसी व्यक्ति व समूह का समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना सामाजिक गतिशीलता है [4] । श्री शम्भू रत्न त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक "समाज शास्त्रीय विश्व कोश में " ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता का संक्षिप्त चित्रण किया है । इसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की गतिशीलता व नगरीय क्षेत्रों में गतिशीलता का तुलनात्मक स्वरूप भी प्रस्तुत किया । इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में गतिशीलता अधिक होती है।[5] श्री आशीष बोस ने भारतीय ग्रामीण जनसंख्या में प्रवासीय गतिशीलता की सांख्यकीय विवेचना प्रस्तुत की है । इनके अध्ययनसे स्पष्ट है कि "भारत में गतिशीलता का सबसे अधिक प्रवाह गांव से गांव की ओर हुआ है । उसमें भी स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक है जिसका कारण विवाह होने पर स्त्रियों द्वारा अपने मूल गांव को छोड़कर दूसरे गांव की सदस्यता ग्रहण करना है जहां तक गांव से नगर की ओर जनसंख्या के प्रवाह का प्रश्न है तो यह प्रतिशत पहले की तुलना में अधिक है इसका प्रमुख कारण भारत में औद्योगीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होना । शिक्षा व रोजगार के कारण भी ग्रामीण युवकों का एक बहुत बड़ा भाग गांवों से नगर की ओर प्रवास करता है । यद्यपि यह प्रवास अस्थायी होता है ।"[6]

4. J.B.Chitamber," Introductory of rural sociology."p-243
5. श्री शम्भूरत्न त्रिपाठी,"समाजशास्त्रीय विश्वकोश"
6. श्री आशीष बोस,"भारतीय ग्रामीण जनसंख्या में प्रवासीय गतिशीलता पृ- 27।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक , धार्मिक पहलुओं की गतिशीलता को समाजशास्त्रीय अर्थों में मुल्यांकित करना इस लिए भी उपयोगी होगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जिस प्रकार भारत एवं विकासशील देशों में गिना जाता है उस प्रकार उसकी ग्रामीण समाज व्यवस्था में समय के अनुसार गति-शीलता का स्तर क्या है ।

सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा से यह तात्पर्य है कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे अधिक गतिशील है वास्तव में हमारे सामाजिक जीवन का रूप बहुत कुछ उन जिज्ञासाओं और महत्वकांक्षाओं से प्रभावित होता है जो व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सन्तुष्ट नहीं रहने देती । जैसा कि पार्क और बर्गेस का कथन है कि "समाज उन व्यक्तियों से बना है जो स्थानीय रूप से एक दूसरे से पृथक हैं अनेक भू भागों में फैले हुए हैं और जिनमें स्वतंत्र रूप से गतिशील रहने की क्षमता है।"[7] । यह शब्द स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति और स्वयं समाज को ही गतिशीलता की धारणा से पृथक नहीं समझा जा सकता । सामाजिक गतिशीलता समकालीन समाज की एक सर्व व्यापी विशेषता है ।

Encyclopedia ofsocial Scie. के अनुसार ,"Social mobility is movement of individuals or gropps from one social position to another & the circulation of cultural objects values and traits among individual and gropps."

"किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना सामाजिक गतिशीलता है और व्यक्ति या समूह के बीच सांस्कृतिक विषय मुल्य व चिन्ह [लक्षण] का प्रवाह ।"

J.B. Chitamber के अनुसार ,"Social mobility refers to the movement from one social group to another ,occupational mobility from one occupation to another and territerial mobility from rural to urban areas from urban to rual areas or within the rural or urban areas.

7. Park & Burgess,"Introduction to the science of sociology p- 508
8. J.B. Chitamber,"Introductory of rural sociology "p-133

सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के अर्थ और प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है" गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन का उत्पन्न हो जाना है जिसमें नवीन सम्पर्क और प्रेरणायें उत्पन्न हों । इस प्रकार गतिशीलता को नवीन मानसिक सम्पर्कों से सम्बन्धित स्थानीय परिवर्तन कह कर परिभाषित किया जा सकता है [9]। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता नहीं कह सकते हैं जिसमें भौतिक संचालन के साथ ही व्यक्तियों की प्रेरणाओं में भी परिवर्तन हो और व्यक्ति इन प्रेरणाओं के अनुसार कुछ अनुक्रियायें भी करते हों । कहने कातात्पर्य यह है कि गतिशीलता का अर्थ मानसिक और भौतिक दोनों तरह के परिवर्तन से है । उदाहरण के लिए नये विचार, नवीन अनुभव, नयी स्थितियां, नवीन सम्पर्क और संचार सामाजिक गतिशीलता का निमार्ण करने वाले प्रमुख तथ्य हैं । बाह्य रूप से मानसिक और भौतिक गतिशीलता एक दूसरे से भिन्न प्रकृति की मालूम होती हैं लेकिन वास्तव में यह एक स्थिति के दो पक्ष हैं उदाहरण के लिये हम यह सोच भी नहीं सकते कि भौतिक रूप से व्यक्ति एक से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते रहने के बाद भी मानसिक रूप से नवीन अनुभवों को एकत्रित न करें । यही कारण है कि एक गतिशील समाज की अधिकांश विशेषतायें एक स्थिर समाज से भिन्न होती हैं ।

सामाजिक गतिशीलता को कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर स्पष्ट किया है । सोरोकिन के अनुसार "सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मुल्य का संक्रमण होना है जो मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित अथवा संशोधित होता है । " इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्ति अथवा किन्हीं भी सामाजिक तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन होना है । यह स्थिति पहले से अच्छी हो जाय अथवा बुरी .उच्च हो जाये या निम्न, दोनों स्थितियों में यह सामाजिक गतिशीलता का [illegible] उदाहरण है । उदाहरण के लिए" यदि कुछ समय बाद व्यक्ति के वैवाहिक

9. P.Sorokin," Social & cultural dynamics" p-

अथवा पारिवारिक जीवन, सन्तानों की संख्या, शैक्षणिक उपलब्धियों, रोजगार की स्थिति, वर्गीय स्थिति, आय के स्तर , स्वास्थ्य की दशाओं, धार्मिक गठबन्धनों अथवा स्वामित्व के क्षेत्र में स्थिति सम्बन्धी परिवर्तन हो जाये तब ऐसे व्यक्तियों को हम परिभाषित रूप से गतिशील प्राणी कहेंगे " एक ही समाज में जब बड़ी संख्या में व्यक्ति अपनी स्थिति में परिवर्तन की स्थिति महसूस करते हैं तब इसी दशा को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं ।"

वास्तव में सामाजिक गतिशीलता की धारणा और गतिशील समूह में अभियोजन की समस्या ने अनेक छोटी बड़ी समस्याओं को जन्म दिया है अतः सामाजिक गतिशीलता की धारणा को स्पष्ट करने के लिए इसके स्वरूपों का स्पष्टीकरण अति आवश्यक है विभिन्न आधारों पर सामाजिक गतिशीलता के यद्यपि अनेक स्वरूपों का उल्लेख किया जाता है लेकिन वास्तव में सामाजिक गतिशीलता के दो स्वरूप ही आधारभूत हैं ।

1. उदग्र गतिशीलता (Vertical mobility)
2. समतल गतिशीलता (Horizontal mobility)

"समतल अथवा क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ "किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का समान परिस्थितियों से सम्बन्धित एक ही सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में स्थानान्तरित होना" इसका अर्थ है कि समतल गतिशीलता केवल उस स्थिति को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यक्ति अथवा किसी अन्य वस्तु की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता . केवल उसका बाह्य रूप कुछ सीमा तक बदल जाता है । उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म के अन्तर्गत हम सनातन धर्म को छोड़कर आर्य समाज के सदस्य बन जायें, एक स्थान की नागरिकता छोड़कर दूसरे स्थान के नागरिक बन जायें, विवाह विच्छेद अथवा पुनर्विवाह के द्वारा एक परिवार को छोड़कर नये परिवार के सदस्य बन जायें, एक ही व्यवसायिक स्थिति में रहते हुए एक फैक्ट्री में काम करना छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में काम करने लगें अथवा एक राजनैतिक दल की सदस्यता के स्थान पर

उसी स्थिति के किसी दूसरे राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तब ये स्थितियाँ समतल गतिशीलता के उदाहरण होंगी । इनमें स्थान परिवर्तन हुआ है लेकिन स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ है ।

समतल गतिशीलता के उपर्युक्त अर्थ से स्पष्ट होता है कि एक समतल गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता वाले समाज का रूप अत्याधिक बन्द बेलोच (rigid) और अचल होगा ही साथ ही उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार प्रवेश नहीं कर सकेगा । इसका अर्थ है कि ऐसे समाज में सदस्य न तो ऊपर की ओर जा सकते हैं और न ही नीचे की ओर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म से ही एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति आजीवन उसी स्थिति समूह का सदस्य बना रहता है ऐसे समाज में इस प्रकार के साधनों की सम्भावना बहुत कम रहती है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने समूह की स्थिति में उन्नयन ( ) कर सके । पश्चिमी समाजों की प्रकृति खुली हुई लोचदार और परिवर्तनशील होने के कारण समतल गतिशीलता का महत्व उनके समाजों में बहुत कम है । समतल गतिशीलता के किसी भी विवेचन में भारतीय जाति व्यवस्था एक अपरिहार्य व्यवस्था है जिसके बिना गतिशीलता के इस रूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता । भारतीय समाज में इतने अधिक परिवर्तन हो जाने के बाद भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में ऊपर या नीचे की ओर कोई परिवर्तन नहीं होता व्यक्ति आर्थिक रूप से कितने ही उन्नति क्यों न कर ले लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति उसकी जाति के अनुसार निर्धारित होती है । जाति व्यवस्था ने व्यवसाय खानपान,सामाजिक सम्पर्क और विवाह पर भी इतने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं कि व्यक्ति अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता ।

सामाजिक गतिशीलता के दूसरे स्वरूप को हम उदग्र या शीर्ष गतिशीलता कहते हैं । सोरोकिन के अनुसार, उदग्र गतिशीलता का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति में संक्रमण करना है ।* इस प्रकार उदग्र गतिशीलता का रूप समतल गतिशीलता से बिलकुल भिन्न है । समतल गतिशीलता के पिछले विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके अन्तर्गत गतिशीलता के बाद

भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता । केवल स्थान अथवा सम्बन्ध बदल जाते हैं इसके विपरीत जैसा कि उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है गतिशीलता को हम तभी उदग्र कहते हैं जब कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी बदल जाये इसी आधार पर इलियट व मेरिल ने उदग्र गतिशीलता को वर्गीय संरचना में ऊपर और नीचे होने वाला परिवर्तन कहा है ।"[10]

उदग्र गतिशीलता को दिशा की दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है ।

(क) आरोही उदग्र गतिशीलता

(ख) अवरोही उदग्र गतिशीलता

समाज में पाये जाने वाले स्तरीकरण की प्रकृति के आधार पर आर्थिक, राजनैतिक और व्यवसायिक गतिशीलता या तो ऊपर की ओर होती है अथवा नीचे की ओर (प्रथम स्थिति को आरोही गतिशीलता कहते हैं और दूसरी स्थिति को अवरोही गतिशीलता) आरोही उदग्र गतिशीलता भी प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है - प्रथम- तो वह जिसमें उच्च स्थिति वाले समूह की स्थिति में बिना कोई ह्रास हुये ही व्यक्ति अपनी कमियों के कारण ही निम्न स्थिति के समूह में जाने को विवश हो जाता है और दूसरी वह है जिसमें सम्पूर्ण समूह का ही पतन हो जाता है और उस समूह का सदस्य होने के नाते व्यक्ति की स्थिति निम्न हो जाती है । पहली स्थिति की तुलना में ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जो जहाज से समुद्र में गिर गया हो और दूसरी स्थिति स्वयं जहाज के डूबने से उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करती है ।

वैयक्तिक कमियों के कारण किसी व्यक्ति का निम्न स्थिति में चले जाना अथवा वैयक्तिक क्षमताओं के कारण उच्च स्थिति प्राप्त कर लेना अपेक्षाकृत रूप से एक साधारण बात है जो हमें जीवन के प्रत्येक पग पर दिखायी देती है लेकिन अपने समूह की स्थिति को ही उच्च बना देना अथवा

10. Iliet & Merril, "Social disorganization." p-567

सम्पूर्ण समूह की स्थिति में ह्रास हो जाना एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में सभी समाज सतर्क रहते हैं इसके उपरान्त भी प्रत्येक समाज में किसी न किसी समय पर दोनों स्थितियां विद्यमान रहती हैं ।

भारत में जाति व्यवस्था के इतिहास से पता चलता है कि पिछले 2500 वर्षों में ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च नहीं रही है । व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से निश्चित होने लगी है । इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण क्षत्रिय समूह की स्थिति उच्च हुई । (अवरोही उदग्र गतिशीलता) और सम्पूर्ण ब्राह्मण समाज की स्थिति में ह्रास हुआ । (आरोही उदग्र गतिशीलता)

उदग्र सामाजिक, गतिशीलता

आरोही		अवरोही	
वैयक्तिक आरोह	एक नवीन समूह का निर्माण और उन्नयन	वैयक्तिक ह्रास	सम्पूर्ण समूह का ह्रास अथवा समाप्ति

1. ऐसा समाज बहुत कठिनता से ही मिलेगा जिसमें सभी स्थिति समूह पूर्णतया बन्द हो तथा जिसमें आर्थिक, राजनैतिक और व्यवसायिक उदग्र गतिशीलता न पायी जाती हो ।

2. ऐसा कोई समाज नहीं मिलेगा जिसमें उदग्र गतिशीलता पूर्णतया स्वतंत्र हो और एक स्थिति समूह से दूसरे में संक्रमण करने का कोई प्रतिरोध न किया जाता हो । यदि उदग्र गतिशीलता पूर्णतया स्वतंत्र हो जाये तब समाज में कोई स्तरीकरण रहेगा ही नहीं । वास्तव में प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था अवश्य होती है जिसमें गेहूं छानने की छलनी के समान कुछ दानों को ऊपर रहने दिया जाता है और शेष दाने नीचे गिर पड़ते हैं । केवल अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति में ही विभिन्न सामाजिक स्तर छिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन व्यवस्था के समय में प्रत्येक स्थिति समूह दूसरे से अपनी दूरी बनाये रखता है और इस प्रकार स्वतंत्र संक्रमण का विरोध करता है यदि कोई व्यक्ति अपनी कुशलता और योग्यता से निम्न स्तर से उच्च स्तर में आ भी जाये तो वह भी बाद में

अन्य व्यक्तियों को अपने स्तर में आने से रोकता है ।

3. विभिन्न समाजों में उदग्र गतिशीलता की तीव्रता और सामान्य प्रकृति भिन्न होती है प्रत्येक समाज की दार्शनिक, परम्परागत और भौतिक विशेषतायें भिन्न भिन्न होने के कारण उनके बीच उदग्र गतिशीलता की तीव्रता भिन्न होती है ।

4. आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता की तीव्रता और सामान्य प्रकृति में समय समय पर एक ही समाज के अन्तर्गत उतार चढ़ाव होता रहता है । प्रत्येक समाज अथवा सामाजिक समूह के इतिहास में ऐसे अवसर अवश्य होते हैं जबकि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों दृष्टि कोण से कभी तो उदग्र गतिशीलता में वृद्धि होने लगती है और कभी ह्रास होता है । प्रत्येक समाज क्रान्ति के दौर से अवश्य गुजरा होता है और उस अवधि में उदग्र गतिशीलता शान्ति की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र होती है ।

5. उदग्र गतिशीलता के क्षेत्र में इसकी तीव्रता अथवा सामान्यता में होने वाली वृद्धि और ह्रास के बारे में कोई निश्चित व स्थायी प्रवृति नहीं बतायी जा सकती । अधिक से अधिक यह किसी देश अथवा समाज के इतिहास से सम्बन्धित होती है वास्तव में गतिशीलता एक प्रवृति हीन परिवर्तन है क्योंकि जो कारक गतिशीलता उत्पन्न करते हैं उनके प्रभाव का कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता । यह आवश्यक नहीं है कि वैधानिक और धार्मिक नियंत्रण शिथिल हो जाने पर गतिशीलता बढ़ जाये । हो सकता है कि इस दशा में नियंत्रण के अन्य साधन क्रियाशील हो जाये ।

ग्रामीण क्षेत्रोंमें गतिशीलता :- श्री सोरोकिन और जिमर मैन के अनुसार- "ग्रामीण समुदाय एक बाल्टी में भरे शान्त स्थिर जल की तरह है और नगरीय समाज एक केतली में खौलते हुए पानी की तरह है । ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने सामाजिक पद से बड़ी मजबूती से चिपके रहते हैं । नगरीयक्षेत्रों समाज में वह बहुत जल्दी जल्दी और बड़ी आसानी से एक पद छोड़ कर दूसरे में चले जाते हैं एक की अभिलक्षक विशेषता है स्थिरता । दूसरे की अभिलक्षक विशेषता है परिवर्तन शीलता[11] ।

11. P.A. Sorokin, & Zimmerman, "Principle of rural sociology." p-44

गांव में जीविका का साधन कृषि होता है कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो गतिशीलता में संभव नहीं है अधिकांश किसान पीढ़ियों से उसी भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं उनके घर भी स्थायी और निजी होते हैं । वे घरों को सरलता पूर्वक बदलते नहीं हैं । गांव में पुरखों की देहरी का विशेष महत्व होता है पुरखों की देहरी छोड़ना बड़ा बुरा समझा जाता है । इन कारणों से गांव के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते नहीं हैं । इसी कारण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है । नगरों में यह बात नहीं होती । वे अपनी सुविधा के अनुसार अपने व्यवसाय बदल लेते हैं । अधिकांश व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है । अतः नगरों में व्यक्ति एक समाज से दूसरे समाज में बहुत अधिक जाते हैं । नगरों में राजनीति, धर्म, शिक्षा तथा व्यापक क्षेत्र आदि अनेक कारणों से सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है । गांव में इन सब बातों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है । लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्णतया एक स्थिर, अचेतन और अपरिवर्तनशील समाज हो " । परिवर्तन एक स्थायी घटना है । इसका चक्र सदैव चलता रहता है । संसार का कोई भाग ऐसा नहीं होगा जहां यह प्रक्रिया न पायी जाती हो । समूह, समाज, समुदाय, जाति व वर्ग इत्यादि सभी परिवर्तनशील हैं यही प्रक्रिया एक क्षण भी विश्राम नहीं करती । परिवर्तन के अन्तर्गत तीन तत्व आते हैं -(1) वस्तु (2)समय एवं (3) भिन्नता । इन तीनों तत्वों के आधार पर विद्वानों ने परिवर्तन का अर्थ किसी भी (वस्तु) के "समय" के अनुसार भिन्न भिन्न होने से लगाया है । समाज भी एक वस्तु है जो "समय" के अनुसार भिन्न-भिन्न होती आई है अतएव सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है ।" समाज चाहे ग्रामीण हो या नगरीय अच्छा हो या बुरा, उच्च हो या निम्न इसमें परिवर्तन अवश्य होते रहते हैं । और जिस समाज में परिवर्तन हो वह गतिशील न हो ऐसा सम्भव नहीं । हाँ यह निश्चित है कि यह गतिशीलता कछुए की गति से हो या खरगोश की गति से । गांव में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें गतिशीलता बहुत कम या नाममात्र की होती है कुछ वर्ग अवश्य

ऐसे होते हैं जिनमें गतिशीलता कुछ अधिक होती है उदाहरण- नाई, धोबी, चमार, मेहतर आदि लोगों में गतिशीलता अधिक होती है ।

वास्तव में गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप है । गतिशीलता का तात्पर्य यह नहीं होता कि इससे समाज निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है बल्कि अनेक दशाओं में सामाजिक गतिशीलता विभिन्न प्रकार के तनावों में वृद्धि करके सामाजिक जीवन को विघटित भी करती है । इसके पश्चात भी सामाजिक गतिशीलता को वर्तमान समाजों की एक अनिवार्य विशेषता कहा जा सकता है ।

भारत के राजनैतिक और आर्थिक पतन के पूर्व ग्राम संस्था अत्यन्त प्रभावशाली सैद्धान्त और समृद्धशाली संस्था थी, परन्तु क्रमशः भारतीय ग्राम संस्था का ह्रास हो गया । भारतीय ग्राम अधिकांश में स्वावलम्बी था । प्रत्येक किसान परिवार खाने की वस्तुयें स्वंय उत्पन्न कर लेता था । प्रत्येक गांव में बढ़ई, लुहार, जुलाहा, कुम्हार, चमार, सुनार, तेली रहते थे जो कि गांव वालों को आवश्यक वस्तुएँ बनाकर देते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में भंगी, नाई, दाई, धोबी इत्यादि रहते थे जो गांव की सेवा करते थे । प्रत्येक गांव में एक पंडित या पुरोहित रहता था जोकि शिक्षा, धार्मिक कृत्य, ज्योतिष तथा मंदिर की पूजा करता था । गांव का साहूकार या महाजन व्यापार और लेन देन करता था । गांव की एक पंचायत होती थी जो गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन का नियंत्रण करती थी और न्याय देती थी। पंचायत का गांव में ऐसा प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन नही कर सकता था और न कोई किसी का शोषण ही कर सकता था । साहूकार या व्यापारी मनमानी नहीं कर सकता था और न ग्राम वासियों का आज की तरह शोषण ही कर सकता था प्रत्येक सेवक तथा कारीगर को अनाज के रूप में वेतन नियत था जो उन्हें अपनी सेवा के बदले फसल कटने पर प्रत्येक किसान परिवार से प्राप्त होता था । प्रत्येक गांव में एक मुखिया या पटेल होता था जो

गांव के किसानों से राज्य कर (मालगुजारी) उगाहता था और राज्य के खजाने में जमा कर देता था तथा गांव का शासन सत्ता से सम्बन्ध स्थापित रखता था। व्यापारी उस गांव की अतिरिक्त वस्तुओं को मेलों मंडियों तथा अन्य स्थानों में ले जाता था और उन थोड़ी सी वस्तुओं को जिनकी गांव को आवश्यकता होती थी लाकर बेचता था। इस प्रकार गांव एक स्वावलम्बी संस्था थी उसमें खेती, उद्योग धन्धों और वाणिज्य का एक सुन्दर समन्वय स्थापित था। सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भी ग्राम संस्था अधिकांश में स्वावलम्बी, सबल और तेजवान थी।

परन्तु देश के पराधीन होने के साथ साथ यहां देश का आर्थिक पतन हुआ वहां ग्राम संस्था का ह्रास होने लगा अंग्रेजों की घातक अर्थ नीति के कारण जब देश के उद्योग धन्धों का ह्रास हुआ तो करोड़ों कारीगर बेकार हो गये और उनके लिये सिवाय इसके कि वे भी खेती करें और कोई चारा नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि खेती और उद्योग धन्धों का जो संतुलन स्थापित था वह बिगड़ गया। देश के आर्थिक जीवन में खेती की प्रधानता हो गयी। भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया। एक तो जो करोड़ों व्यक्ति उद्योग धन्धों में लगे हुए थे वे खेती करने लगे दूसरे जनसंख्या की वृद्धि का भार खेती पर ही पड़ा। देश में भूमि की कमी हो गयी। इसके दो परिणाम हुए एक तो भू-स्वामी मनमानी लगान लेने लगे व किसानों का शोषण करने लगे और दूसरे भूमि का बटवारा होने के कारण प्रत्येक किसान के पास आर्थिक जोत से बहुत कम भूमि रह गई। व जो थोड़ी भूमि किसानों के पास रह गयी उनमें खेत बहुत छोटे और बिखरे हो गये। इस प्रकार के छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों पर खेती लाभ दायक धंधा नहीं रही। खेती की अवनति हुई और किसान ऋण ग्रस्त हो गया। उसकी दशा दयनीय हो गयी।

पहले भूमि पर किसान का स्वामित्व था । वह भूमि जोतता था और उपज का छटवां भाग राज्य को दे देता था । अंग्रेजों को अपने शासन को दृढ़ बनाने के लिए भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया वादी वर्ग चाहिये था जो कि सदैव विदेशी शासन का समर्थन करता रहे । अस्तु उन्होंने देश में एक जमींदारों का वर्ग खड़ा कर दिया । किसानों का अपनी भूमि पर से स्वामित्व जाता रहा और वह जमींदारों के आसामी बन गये । भूमि का देश में अकाल तो था ही जमींदारों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया और किसानों से मनमाना लगान नजराना और बेगार लेने लगे । किसानों का अनवरत शोषण करना ही जमींदार का एक मात्र कार्य हो गया ।

अंग्रेजी शासन ने पंचायतों को भी नष्ट कर दिया । सारा कार्य अदालत द्वारा होने लगा । पंचायत का ह्रास होने से गांव की मर्यादा टूटने लगी । साहूकार अब मनमाने ढंग से लेन-देन करने लगा । वह जो चाहता सूद लेता और अनेक प्रकार से ग्राम वासियों का शोषण करने लगा । परिणाम यह हुआ कि किसानों तथा अन्य ग्रामवासियों की स्थिति दयनीय हो गयी । वे निर्धन, ऋणी और निस्सहाय बन गये । गांवों का शोषण होनेलगा ।

भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार होने के कारण छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्या उत्पन्न हो गयी तथा निर्धनता के कारण पूंजी के अभाव में खेती की दशा बिगड़ती गयी जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति दयनीय होती गयी । उधर भूमि की कमी के कारण लगान और जमींदारों का शोषण बढ़ता गया । ग्राम संस्था ऐसी निर्जीव और निस्तेज हो गयी कि जो भी कोई कुछ शिक्षित हो जाता, तनिक धन एकत्रित कर लेता अथवा महत्वकांक्षी होता वह गांव छोड़कर शहर में जाकर बस जाता । इस प्रकार गांव से मस्तिष्क, पौरूष और पूंजी बाहर जाने लगी । राज्य भी अपनी आय का अधिकांश भाग गांवों से वसूल करके शहरों पर व्यय करने लगा । अतएव गांव का और भी शीघ्रता से पतन होने लगा ।

पूंजी , पोषण तथा मस्तिष्क का निरन्तर निष्कासन होने के कारण गांवों में रूढ़िवादिता , कुरीतियों , कलह , ईर्ष्या का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय ग्राम संस्था अत्यन्त पतनोन्मुखी संस्था थी और स्वतंत्र भारत के लिये यह एक भयंकर चुनौती थी कि वह इस संस्था को किस प्रकार सोज और समृद्धशाली बनावे ।

आज हमारे गांव में जो शिक्षित, महत्वाकांक्षी, साहसी और पुरूषार्थी व्यक्ति नहीं रहना चाहते । उसका एक मात्र कारण यह है कि वहां यथेष्ट आय के साधन ,ऊंचे दर्जे का सामाजिक जीवन, शिक्षा , मनोरंजन ,सड़क,डाक ,रेल ,तार, चिकित्सा की सुविधाओं इत्यादि का अभाव है । यही कारण है कि कुशाग्र बुद्धि,महत्वकांक्षी, पुरूषार्थी , साहसी और धनी व्यक्ति गांव छोड़कर शहरों की ओर दौड़ रहे हैं । जब तक इस अबाध प्रवाह को नहीं रोकते तब तक गांव की उन्नति होना सम्भव नहीं है । इस प्रवाह को रोकने के लिये हमें गांवों में यथेष्ट आय के साधन उपलब्ध करने होंगे तथा शिक्षा चिकित्सा , मनोरंजन , सड़कें,डाक,तार इत्यादि की सुविधायें प्रदान करनी होंगी तभी गांवों की उननति हो सकेगी ।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की समस्याओं को स्पष्ट किया जा सकता है । मोटे तौर पर गांव में नीचे लिखी समस्यायें मुख्य हैं :-

1. गांवों वालों का पूर्ण निराशावादी दृष्टिकोण । गांव वाले इस बात का विश्वास ही नहीं करते कि उसकी दशा सुधर सकती है । अस्तु वह अपनी दशा सुधारने का स्वंय प्रयत्न नहीं करता ।
2. खेती की हीन दशा और अलाभकारी खेती ।
3. गांवों में सफाई का अभाव, रोगों की बाहुलता तथा चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव तथा स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी न होना ।
4. गांव में शिक्षा सुविधाओं की कमी ।

5. गांव में मनोरंजन तथा खेलकूद के साधनों का अभाव तथा घरों को अधिक आकर्षित बनाने की समस्या ।

6. पशुओं की नस्ल का खराब होना तथा उनकी उन्नति की समस्या ।

7. गांवों में मुकद्मेबाजी, ईर्ष्या, द्वेष की बाहुलता की समस्या

8. ग्रामीण ऋण की समस्या ।

9. गांवों में धन्धों की कमी और आय के साधनों का न होना

10. अब गांवों में आवागमन के साधनों का अभाव ।

11. गांवों में प्रचलित रूढ़ियों, कुरीतियों तथा अन्धविश्वास की समस्या ।

12. गांवों में खेत मजदूरों तथा बेकारी की समस्या ।

अतः ग्रामवासियों का इतनी अधिक समस्याओं के बोझ तले दबे होने के कारण वे इतने अधिक निराशावादी और भाग्यवादी बन गये हैं कि उनको चाहे कितना कहा जावे उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दशा में सुधार हो सकता है । यही कारण है कि जब उनसे नवीन सुधार को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है तो वे इच्छापूर्वक उसे कभी स्वीकार नहीं करते । यदि ग्रामीण चेचक का टीका लगवाता है तो इस कारण नहीं कि उसका विश्वास है, कि वह लाभदायक है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के भय से अथवा सरकार को प्रसन्न करने के लिए वह ऐसा करता है । सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाती है परन्तु वह उनका लाभ नहीं उठाता । कृषि विभाग उसे खेती के नये तरीके बताता है तो वह उस तरीके को स्वीकार करने में हिचकिचाता है । किसी किसी गांव में यह दिखलाई पड़ता है कि मानों किसानों ने सफाई, घरों में हवा और रोशनी की व्यवस्था, खाद के गड्ढे बनाना तथा अन्य सुधारों को अपना लिया है किन्तु वास्तविक बात यह है कि यह सब सरकारी अफसरों के भय से अथवा उनको प्रसन्न करने के लिये किया जाता है । यदि सरकारी कर्मचारियों का ध्यान उधर से हट जावे तो पुनः गांव अपनी पुरानी दशा में पहुँच जाता है इसका मुख्य कारण है कि ग्रामवासियों के हृदय

अपने तथा अपने गांव की दशा सुधारने की तीव्र इच्छा जागृति नहीं होती है वह जो कुछ करता है बाहरी दिखावे से करता है।

प्रश्न यह है कि ग्रामवासी इतना अधिक निराशावादी क्यों है ? क्यों वह अपने सुख, स्वास्थ्य और उन्नति के प्रति इतना उदासीन है ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये हमें ग्रामवासियों की वास्तविक स्थिति को समझना होगा। वह शताब्दियों से दुर्दिन, रोग, अत्याचार, शोषण और हद दर्जे की निर्धनता के शिकार होते रहे हैं प्रकृति ऐसी चंचल और अस्थिर है कि खेती का पेशा बिल्कुल अनिश्चित बन गया है। किसान चाहे जितनी महनत करे, चाहे जितनी सावधानी से खेतों को जोते, बोये किन्तु वर्षा के कम होने से अथवा, अत्याधिक वर्षा होनेसे, टिड्डियों तथा अन्य फसलों के रोगों से, ओलों और तुषार से तथा अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों से उसकी खेती नष्ट हो सकती है किसान इस प्राकृतिक आक्रमण से रक्षा करने में असमर्थ रहता है, यही नहीं शताब्दियों से वह और उसके पशु भयंकर रोगों के शिकार होते आ रहे हैं। जहाँ पशुओं की बीमारी फैली लाखों की संख्या में पशु मरने लगते हैं और यही दशा मनुष्यों की होती है।

यही नहीं किसान कर्ज के बोझ से इतना अधिक दबा रहता है कि वह जो अपने खेत में पैदा करता है उसका बहुत बड़ा भाग महाजन के पास चला जाता है, जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पूर्व उसे जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था उसको भिन्न-भिन्न प्रकार से बेगार देनी पड़ती थी। यही नहीं पुलिस, तहसील तथा अन्य विभागों के कर्मचारी आज भी उससे रिश्वत लेते हैं और उसका शोषण करते हैं। उसकी आय बहुत कम है और वह अत्यन्त निर्धनता का जीवन व्यतीत करता है। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण ग्रामवासी नितान्त निराशावादी और भाग्यवादी बन गया है।

यही कारण है कि ग्रामवासियों के जीवन का सिद्धान्त यह बन गया है कि वर्तमान को देखो भविष्य की चिन्ता न करो ।" क्योंकि भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता । ग्रामवासियों को भाग्यवादी से पुरुषार्थी औरनिराशावादी से आशावादी कैसे बनाया जाये । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि जब तक ग्रामवासी यह विश्वास नहीं करने लगते कि उनकी गिरी हुई दशा में सुधार होना सम्भव है, और अपनी दशा सुधारने के लिए उनमें उत्कृष्ट लालसा उत्पन्न नहीं होती तब तक गांवों का सुधार सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस शोध कार्य का महत्व उन क्षेत्रों के लिए अधिक हैं जो कृषि व ग्रामीण बाहुल्यता प्रधान है । इस तथ्य को सर्व प्रथम ध्यान में रखकर ग्रामीण बाहुल्यता प्रधान जनपद फतेहपुर , का चुनाव किया गया । यह जनपद ग्रामीण प्रधान होने के साथ-साथ जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा है । अतः इस संदर्भ में यह निश्चित किया कि जनपद फतेहपुर की ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में शोध कार्य किया जाये । वर्तमान शोध विषय सामाजिक गतिशीलता -एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में)" का चयन समाज शास्त्रीय दृष्टि से तर्क संगत व सामयिक है । इस अध्ययनसे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस जनपद के पिछड़े ग्रामीणों में अपनी समस्याओं के प्रति कितनी चेतना है । ग्रामीणों का अपने पिछड़े पन के प्रति क्या दृष्टिकोण है । वर्तमान शोध प्रबन्ध द्वारा उन कारकों पर प्रकाश पड़ेगा जो ग्रामीण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं तथा इन क्षेत्रों में किन सुधारों की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में ग्राम विकास सम्बन्धी जो भी सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनका इन ग्रामीण पर प्रभाव दृष्टिगत क्यों नहीं है ।

वर्तमान शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं ।
प्रथम- उद्देश्य ग्रामीण समाज की सामाजिक व्यवस्था पर परिवर्तनशील युग के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययनका उद्देश्य ग्रामीणों के निराशावादी दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करना तथा उनका अपनी समस्याओं के प्रति कितनी जागरूकता है, का अध्ययन करना है ।
श्री जे०बी०चितम्बर ने ग्रामीण अध्ययन के उद्देश्य के सम्बन्ध में लिखा है कि " ग्रामीण समाज के अध्ययन से चूँकि व्यक्ति स्वयं के एवं स्वयं के सामाजिक स्वभाव को जान जाता है" अतः अपना सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों के साथ पहचान जाता है । इस प्रकार का अध्ययन व्यक्ति के दृष्टिकोण को आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं नियम सुलभता में परिवर्तित कर देता है और उसे चुनाव करने में गहराई प्रदान करता है । (12)

वर्तमान समाज शास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुनिश्चित जीवन प्रदान करने में कौन से तत्व बाधक हैं, का अध्ययन करना है क्योंकि किसी भी समाज का विकास उस समाज के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है ।
प्रो० बी०के०आर०वी० राय के अनुसार " विकास का लक्ष्य मानव जीवन के गुण स्तर में सुधार करना तथा इसके न्यूनतम स्तर को जनसंख्या के सभी वर्गों में उपलब्ध कराना है । अतः हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम ग्रामीण जनता को समझें उसकी आवश्यकताओं और नव स्थिति का ज्ञान प्राप्त करें तथा ग्रामीण समाजकी समस्याओं के निदान में समाजशास्त्रीय योग के मूल्य को स्वीकार करें ।

12. J. B. Chitambar, "Introductory Rural Sociology. P-

वर्तमान शोध कार्य में यह देखने का प्रयास किया गया है कि फतेहपुर जनपद के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण पारिवारिक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में गतिशीलता का स्तर क्या है । वर्तमान शोध प्रबन्ध के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :-

1. पारिवारिक गतिशीलता -परिवार के बदलते स्वरूप
2. आर्थिक गतिशीलता - औद्योगीकरण व यंत्रीकरण का प्रभाव
3. शैक्षणिक गतिशीलता-शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता
4. राजनैतिक गतिशीलता -राजनैतिक जागरूकता
5. सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक विसंगतियां

अध्याय 1

अध्ययन - पद्धति

अध्ययन पद्धति :-

वर्तमान शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और इस शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिशीलता का विश्लेषण करना है। अतः शोध विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर उपर्युक्त पद्धति तथा उपकरणों की सहायता से सूचनायें व आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में कॉम्ट तथा दुर्खीम जैसे प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्रियों के कारण समाजशास्त्रीय कृतियों की वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया जाने लगा है। किसी भी विषय की वैज्ञानिकता का प्रमुख आधार उसकी अध्ययन पद्धति है दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि पद्धति के आधार पर ही विषय की प्रकृति का निर्धारण होता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान तथा कृति को अधिकतम वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये अध्ययन में अपनायी गयी पद्धति का विशेष महत्व है। स्वीट्जिलम्यार नेट लिखते हैं कि," अनुसंधान कार्य विधि का (मैथडोलाजी) सम्बन्ध उन प्रक्रियाओं तथा तकनीकों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन में किया जाता है।" अवलोकन की प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति का केन्द्र बिन्दु है। डारनियर के अनुसार निम्न दो प्रश्नों का तार्किक उत्तर अध्ययन पद्धति को विज्ञान का स्तर प्रदान करने के लिये आवश्यक है।" प्रथम यह अध्ययन विषय या समस्या क्या है तथा उसे किस प्रकार मापा जा सकता है। अन्वेषक द्वारा इन प्रश्नों का तर्क संगत निष्कर्ष ही उसकी पद्धति का स्वरूप है।"

प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्रियों की विषय वस्तु अत्याधिक जटिल होती है। घटनाओं पर पाये जाने वाले तथ्य की खोज तथा व्यवहार निर्धारण में उनकी वास्तविक भूमिका का ज्ञान समाजशास्त्रीय अन्वेषक का केन्द्र होता है। विषय वस्तु की जटिलता के कारण घटनाओं की खोज एक अत्यंत जटिल कार्य है। वास्तविक धरातल पर कोई भी सामाजिक घटना एक दम स्वतंत्र नहीं होता। प्रत्येक सामाजिक घटना अपने परिवेश के अन्य घटनाओं से विभिन्न रूप से जुड़ा होता है। अतः किसी सामाजिक घटना के अध्ययन में

उस कटार्थ विशेष पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के बिना निष्कर्ष प्रतिपादित नहीं किये जा सकते । सामाजिक कटार्थ की अंतः सम्बद्धता के बारे में "कोहेन का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि "सामाजिक घटना के तथ्य, अधिकांश रूप उस वृहत सामाजिक घटना से प्राप्त करते हैं । जिसका वह अंग या भाग होता है । अनुसंधान तथा मौलिक चिन्तन मनन के कारण समाजशास्त्रीय जगत में प्रतिष्ठित उपरोक्त उल्लेखित विद्वानों के विचारों से एक मात्र बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक कटार्थ बहुत जटिल तथा अंतः सम्बन्धित होता है । अतः अपनी अध्ययन सामग्री की प्रकृति व अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्वंय के अध्ययन के लिये उपयुक्त विधि तथा तकनीकी उपकरणों का चयन करना चाहिये । प्रस्तुत अध्ययन में विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर उपरोक्त उल्लेखित समाजशास्त्रीय मान्यताओं के परिपेक्ष्य में उपयुक्त विधि , अध्ययन पद्धति एवं तकनीकी प्रविधियों का आश्रय लिया गया है ।

1. शोध क्षेत्र का परिचय :-

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र कार्य हेतु जनपद फतेहपुर लिया गया है । फतेहपुर एक ग्रामीण बाहुल्य प्रधान जनपद है । इस जनपद का ऐतिहासिक भौगोलिक व सामाजिक परिचय निम्न लिखित है ।

[क] भौगोलिक स्थिति:-[13]

जनपद फतेहपुर उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के दक्षिणपूर्व में 122 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा इलाहाबाद मण्डल के पांच जनपदों में से एक है । प्रदेशकी दोनों ही पावन नदियां गंगा एवं यमुना जनपद की उत्तरी और दक्षिणी सीमायें बनाती हुई प्रतीत होती है । उत्तर-पश्चिम में कानपुर , दक्षिण-पूर्व में इलाहाबाद ,उत्तर में उन्नाव रायबरेली , प्रतापगढ़ तथा दक्षिण में हमीरपुर एवं बांदा जनपद स्थित हैं । क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में इस जनपद का 44 वां स्थान है । रेलों में उत्तरी रेलवे की मुख्य शाखा दिल्ली-हावड़ा लाईन तथा सड़कों में

13." समय की शिला पर - - - - - फतेहपुर 1986" पृ0-2

भारत वर्ष में जनपद फतेहपुर की स्थिति

जनपद फतेहपुर का मानचित्र

देश की प्रमुख सड़क शेरशाह सूरी मार्ग जनपद के मध्य से गुजरती है । ऐतिहासिक मुगल रोड भी कोड़ा जहानाबाद से खजुहा-बिन्दकी -फतेहपुर हथगांव होते हुये खागा को मिलाती है । इस जनपद की जलवायु पड़ोसी जनपद इलाहाबाद तथा कानपुर की भांति है । जनपद का पश्चिमी अर्द्धभाग शेष भागों की अपेक्षा अधिक ठंडा है । जनपद के दक्षिणी भाग की जलवायु लगभग बांदा और हमीरपुर के समान है जनपद का उच्चतम तापमान 43.7डिग्री तथा न्यूनतम 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। वर्षा सामान्यतः 984 मि0मी0 वर्षा होती है । किन्तु वर्ष 1978 में सर्वाधिक 1086 मि0मी0 वर्षा रिकार्ड की गयी थी ।

जिला निर्माण के एक शताब्दी बाद तक फतेहपुर जनपद खागा, फतेहपुर , गाजीपुर और खजुहा कुल चार तहसीलों में विभाजित था किन्तु प्रशासनिक कारणवश सन् 1972 में तहसील गाजीपुर को फतेहपुर एवं खजुहा में मिला दिया गया । सन् 1958 ई0 में खजुहा तहसील के स्थान पर बिन्दकी को तहसील मुख्यालय बनाया गया । तब से फतेहपुर तीन तहसीलों फतेहपुर, बिन्दकी एवं खागा में विभाजित है । पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद से फतेहपुर को 13 विकास खण्डों में विभाजित किया गया जो आज भी कार्यरत हैं तेलियानी, मलवा, खजुहा, देवमई, अमौली, बहुआ, असोथर ,विजईपुर ,धाता, ऐरायां, हथगांव ,हंसवा एवं मिटौरा जनपद विकास खण्ड के मुख्यालय हैं ।

(ख) जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

गंगा यमुना नदियों के मध्य और 25°-26, 26°-16 उत्तरी 80°-14 से 81-20° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित फतेहपुर जनपद का निर्माण एक सौ बासठ वर्ष पूर्व 10 नवम्बर 1826 में हुआ था । सबसे पहले ऐतिहासिक अभिलेख ("कैफियत आम मकतबा मुतालका तहसीलदारी फतेहपुर 1844) में इसकी सीमा निर्धारण का उल्लेख मिलता है-" उत्तर दरियाये गंग व अमलदारी शाहे अवध, दक्खिन दरियाये जमन व भजये, बांदा व हमीरपुर जिला कानपुर पूरब सरहद इलाहाबाद । अर्ज इस जिले का

बहज्य रविशा अफतहरीह कहीं कम कहीं ज्यादा व तुल में जोता दक्खिन को निकलता है।" इस क्षेत्र को इतिहास में "अंतर्वेद" के नाम से पुकारा जाता था। अनेक प्रकार के पौराणिक किम्वदन्तियां, आख्यान और मिथक अन्य स्थानों की तरह यहां से भी जुड़े हैं। इस क्षेत्र के आसपास से पुरातत्ववेत्ताओं ने सभ्यता के बहुत ही प्राचीन स्थानों की खोज की है और इसे मध्य देश की संज्ञा प्रदान की गयी है। इन अनुसन्धानों में कहीं पर ताम्रयुग तथा कहीं-कहीं पाषाण युग के चिन्ह भी मिले हैं। वैदिक सभ्यता के अवशेषों और उन स्थानों की चर्चा करते हुए जहां कि इस सभ्यता की सम्भावनायें हैं," जनरल कनिंघम ने असनी और मिटौरा का उल्लेख किया है और ऐसे प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भी असनी आया था। बौद्ध साहित्य में जिन सोलह जनपदों का उल्लेख मिलता है उसमें फतेहपुर की धरती को वत्स जनपद में सम्मिलित किया गया है और इसके साथ ही 800 ई0 पूर्व के चिन्ह रेह में प्राप्त हुए हैं, जो यमुना के उत्तरी तट पर स्थित है। बौद्ध जैन काल के पश्चात मौर्य कालीन, नंद वंशीय शुंग काल के तथा कुषाण काल के चिन्ह भी इस जनपद से प्राप्त शिलालेखों, सिक्कों, मृदभाण्डों और पत्थर इत्यादि की खुदाइयों के द्वारा प्राप्त हुये हैं, गुप्त कालीन बहुत से ईंटों के मन्दिर तो आज भी जीर्ण अवस्था में तिन्दुली, कुरारी, सरहन, बुजुर्ग, धमना, बुर्द आदि स्थानों में स्थित हैं। चन्द्र गुप्त द्वितीय के समय की स्वर्ण मुद्रायें बिजौली से प्राप्त हुई थीं और असनी के किले में जो ईंटें मिली थीं वह भी गुप्तकालीन ही हैं। राजपूत कालीन अवशेष के रूप में बाजुर भंजदेव के नाम की गुहा-गुहा के आधार पर बदलता खजुहा आज भी विद्यमान है। प्रतिहारों और उनके समकालीन भार शिव नागाओं के समय का प्रतीत होता है। हथगांव में जयचन्द के समय का हाथीखाना है, गुलाम वंश के अवशेष कोट, कुटिया आदि गांव से प्राप्त हुए। इस्लामी शासकों के समय में यह अंतर्वेद क्षेत्र कभी दिल्ली, कभी कन्नौज और कभी जौनपुर

के सूबेदारों के आधिपत्य में रहा । मुगलकाल में अरगल का उद्भाव हुआ और परगना कड़ा की सरहद में फतेहपुर आ गया । उस समय में मुगल रोड का इसी जनपद से निकलना बाबरनामा में कोरीकनक (कुरहरे), हसवा (असवा), मण्डासराय (सराय मुण्डा) तथा डलमऊ (दलमऊ) आदि आदि स्थानों में पड़ाव डालना खजुहा में अकबर का रुकना और शुकों का कुतुहाबादी कहलाना, औरंगजेब-शुजा का युद्ध (खजुहा) फर्रुखसियर और सैफुद्दीन का युद्ध और फिर मुलाका (संधि) में समझौता कोड़ा में सूबेदार का असोथर के अरारु सिंह द्वारा वध तथा असोथर और गाजीपुर में भगवन्त राय खीची और शाआदत खां के बीच युद्ध इस जनपद की ऐतिहासिकता को समृद्ध करती है । राजा भगवन्त राय खीची के बाद यह क्षेत्र पुनः अवध के नवाबों के हाथ में चला गया । बक्सर के युद्ध में मीरकासिम, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला की अंग्रेजों से पराजय हुई । इसी संधि में शाह आलम को यह क्षेत्र मिला और इस प्रकार (1801) तक यह सूबा अवध का हिस्सा रहा । जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी और अवध के नवाब के बीच संधि हुई तो यह क्षेत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हिस्से में पड़ा । कानपुर और इलाहाबाद के बीच एक अतिरिक्त परगने के रूप में 1814 में इसे परगना का दर्जा मिला और इसका मुख्यालय भिटौरा में बनाया गया । इन्हीं दोनों जिलों के बीच स्थापित यह उप मुख्यालय (1826) में एक स्वतंत्र जिले के रूप में राजनीतिक नक्शे में आया । जनपद फतेहपुर की वर्तमान स्थिति संलग्न सारणियों में प्रदर्शित की गयी है ।

2. तथ्य संकलन की पद्धतियां :-

वर्तमान शोध विषय की वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिये तथ्य संकलन की पद्धतियों का चुनाव विषय के अनुरूप ही किया गया है ।" समाज विज्ञान में वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है न कि काल्पनिक घोड़े दौड़ाकर अथवा न ही दार्शनिक विचारों का सहारा लेकर किसी क्रमबद्ध और प्रयोग सिद्ध निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है । ऐसे अध्यापन तत्व भी हो सकते हैं

एक दृष्टि में - जनपद फतेहपुर की वर्तमान स्थिति

जनसंख्या एवं क्षेत्रफल

तालिका संख्या -1 जनपद में प्रति 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	योग	पुरुष	प्रतिशत में	स्त्री	प्रतिशत में	ग्रामीण	प्रतिशत में	नगरीय	प्रतिशत में
1961	10,72,940	5,60,474	52.24%	5,12,466	47.76%	10,30,183	96.01%	42,757	3.99%
1971	12,78,254	6,72,491	52.61%	6,05,763	47.39%	12,06,346	94.37%	71,908	5.63%
1981	15,72,421	8,29,389	52.74%	7,43,032	47.25%	14,31,129	91.01%	1,41,292	8.98%

सारणी संख्या (2) जनपद में प्रमुख धर्मों के अनुसार जनसंख्या 1981 [15]

प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या					
	कुल	प्रतिशत में	ग्रामीण	प्रतिशत में	नगरीय	प्रतिशत में
हिन्दू	13,69,249	87.08%	12,73,446	93.0%	95,803	6.99%
मुस्लिम	2,02,243	12.86%	1,57,569	77.91%	44,674	22.09%
ईसाई	811	0.05%	111	13.69%	700	86.31%
सिक्ख	88	0.01%	1	1.14%	87	98.86%
अन्य	30	0.001%	2	6.67%	28	93.33%

सारणी संख्या [3] जनपद में भूमि की उपयोगिता [16]

[अ] क्षेत्रफल - 4,152 वर्ग कि0मी0 [ब] कृषि योग्य - 2,98,375 हेक्टे0 [स] सिंचित-1,82,657हेक्टे0

वर्ष	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	वन	कृषि योग्य भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि
1982-83	421106	4864	16487	20549	13744	16588
1983-84	420887	4864	15962	19318	14411	15632
1984-85	422776	6046	15572	19806	15296	14581

16" सांख्यकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर 1986" पृ0 16

तालिका संख्या (3) क्रमशः

वर्ष	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गयी भूमि	चारागाह	उद्यानों वृक्षों का क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	सकल क्षेत्रफल
1982-83	44229	3407	6383	295055	933118	388373
1983-84	43179	3176	5970	298375	115396	473771
1984-85	43461	3143	5853	299018	94732	393750

(ब) ग्रामों की संख्या-1,349

(स) ग्राम पंचायतों की संख्या - 132

(द) तहसीलों की संख्या - 3 (फतेहपुर , खागा, बिन्दकी)

(य) विकास खण्डों की संख्या - 13

(र) नगर पालिकायें -2 (फतेहपुर , बिन्दकी)

(ल) टाउन एरिया -4 (खागा , किशनपुर, बहुआ, जहानाबाद)

(ख) कृषि उत्पादन -

- - - - - - - -

(अ) प्रमुख उपज - गेहूँ, धान, जौ, चना, ज्वार , बाजरा, अरहर आदि

(ब) कुल अन्नोत्पादन - 5,38,144 मी0 टन

(स) प्रमुख उपजों का उत्पादन (प्रति हेक्टेयर)

गेहूँ 19.98 कु0

धान 14.39 कु0

जौ 13.12 कु0

चना 09.73 कु0

ज्वार 07.88 कु0

बाजरा 06.91 कु0

अरहर 25.61 कु0

1. उर्वरक की खपत - 63.70 कि0ग्रा0 (प्रति हेक्टेयर)

सारणी संख्या {4} प्रमुख सिंचाई स्त्रोत व उनकी संख्या

वर्ष	नहरों की लं0कि0मी0	राजकीय नलकूप	निजी	रहट	सिंचाई	
			पक्के कूप संख्या	रहट संख्या	पम्पसैट संख्या	
					भूस्तरीय स्त्रोतोंपर लगे	बोरिंग पर लगे
1983-84	1445	294	15526	158	2048	2673
1984-85	1453	353	15542	158	2503	3600
1985-86	1553	391	15550	158	3044	4704

17" सांख्यकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर 1986" पृ0 35

सारणी संख्या [5]   जनपद में मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें [18]

वर्ष	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल		माध्यमिक विद्यालय		महाविद्यालय	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका
1983-84	988	234	58	74	5	2	-
1984-85	1006	252	60	74	5	2	-
1985-86	1007	268	60	75	5	2	-

18"सांख्यकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर 1986" पृ0 57

तालिका संख्या (6) जनपद में मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान [19]

वर्ष	प्राविधिक शिक्षा संस्थान (पॉलीटेक्निक)	औद्योगिक शिक्षा संस्थान	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
1983-84	1	2	3
1984-85	1	2	3
1985-86	1	2	3

19" सांख्यकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर 1986" पृ0 61

सारणी संख्या (7) क्षेत्र व लिंग के आधार पर साक्षरता[20]

वर्ष	साक्षरता					
	कुल साक्षरता	प्रतिशत में	पुरुष	प्रतिशत में	स्त्री	प्रतिशत में
1961	1,78,866	16.60%	1,51,949	27.10%	26,917	5.20%
1971	2,67,138	20.86%	2,13,248	31.71%	58,890	8.87%
1981	4,08,435	25.97%	3,15,728	38.07%	92,707	12.48%
ग्रामीण			2,77,647	36.82%	71,868	10.61%
नगरीय			38,081	50.52%	20,839	31.62%

20) सांख्यकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर 1986" पृ0 17

7. चिकित्सा :-

(अ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या -13

(क) एलोपैथिक -30 (ख) होम्योपैथिक -6 (ग) आयुर्वेदिक -17

(घ) यूनानी -4

(ब) पशु चिकित्सा केन्द्रों की संख्या -38

8. मत्स्य वन एवं सहकारिता :-

(क) मत्स्य पालन तालाबों की संख्या - 3044

(ख) वन क्षेत्र - 7064 हेक्टेयर

(ग) नर्सरी क्षेत्र (उद्यान) - 85 एकड़

(घ) सहकारी समितियों की संख्या - 120

(ङ) सहकारी बैंकों की संख्या - 27

(च) शीत गृहों की संख्या - 04

(क) कृषि विभाग - 1

(ख) व्यक्तिगत - 3

(सांख्यिकीय पत्रिका 1981)

§4§ उद्योग :-

§अ§प्रमुख उद्योग - चावल मिलें, दाल मिलें, स्टील ट्यूब, डिटरजेंट, साबुन, ईंट भट्ठा आदि ।

§ब§प्रमुख हस्तशिल्प-कोड़ा§चाबुक§ पीतल के कलशे, चमड़े के जूते ।

§5§ विविध -

§अ§ सड़कों की लम्बाई -1133 कि०मी०

§क§सार्वजनिक निमार्ण विभाग-801 कि०मी०

§ख§ग्रामीण सड़कें - 332 कि०मी०

§ब§ शुद्ध पेय जल उपलब्ध गांव - 1349

§स§ विद्युतीकरण गांवों की संख्या- 829

§द§ विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां - 465

§ई§ सम्पर्क मार्गों से पक्की सड़कों से जुड़े गांव - 249

और काल्पनिक भी अर्थात ऐसे निष्कर्षों का सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है । अतः अध्ययन की निश्चितता व स्पष्टता के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है "वैज्ञानिक पद्धति" वह प्रशस्त पथ है जिस पर चलकर सत्य के द्वार पर पहुँचा जा सकता है । आजकल जहाँ बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण तकनीकी पर आधारित क्षेत्रव्यापी अध्ययन भविष्यवाणी करने और नीति निर्धारण के लिये लाभप्रद है वहीं सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन की अपनी निजी उपादेयता है वे आंतरिक ग्रामीण सामाजिक ढाँचे के कई वर्गों के बीच सम्बन्ध प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार ग्रामीण अर्थ व्यवस्था तथा समाज के अन्तर्गत बेहतर अर्न्तदृष्टि प्रदान करते हैं और अतः इस अध्ययन में पूरे समुदाय के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने के अपेक्षा फतेहपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ प्रभावकारी सम्पर्क स्थापित किया गया है जिस प्रकार बाजार में गेहूँ खरीदते समय व्यक्ति पूरी बोरी के एक-एक दाने का परीक्षण नहीं करता बल्कि मुट्ठी भर दानों की जाँच करके पूरी बोरी का मूल्यांकन कर लेता है । परन्तु इस मुट्ठी भर दानों को लेने में वह सावधानी बरतता है । बोरी के ऊपर से हिलोर कर मुट्ठी भर लेता है ताकि दुकानदार द्वारा ऊपर ही सजाया हुआ माल हाथ न लगे क्योंकि वह माल सम्पूर्ण माल का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । जनपद फतेहपुर में 1349 गांव हैं और प्रत्येक गांव से सम्पर्क करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था अतः जनपद फतेहपुर की तीनों तहसीलों से एक-एक ग्राम चुना गया । परन्तु इन ग्रामों का चुनाव करते समय मूल प्रश्न यह था कि क्या ये चयन प्रतिनिध्यात्मक है । इस समस्या के समाधान के लिये शोध अध्ययन की विषय वस्तु की समग्र इकाईयों को परिभाषित किया गया जिससे उस सम्बन्ध में कोई भ्रान्त धारणा न रह जाये । इसके पश्चात उन पहलुओं का विश्लेषण किया गया जिनसे निष्कर्षों की प्राप्ति होनी थी । अतः उपरोक्त पद्धति में आने वाली समस्या की सम्भावना की जानकारी के लिये इस क्षेत्र में एक परीक्षण किया गया ।

पूर्व परीक्षण ने इन स्रोतों के प्रति संकेत कर दिया जिनका कि संकलन बेकार व अनुपयोगी था । इस तरह से प्रतिनिध्यात्मक चयन के द्वारा ही हम विषय की गहनता तक पहुँच सके ।

ग्रामों के चुनाव के पश्चात उत्तरदाताओं का चुनाव " दैव निर्देशन के " नियमित अंकन प्रणाली " द्वारा किया गया । इसके लिए चुने गये ग्रामों में एक तरफ से प्रत्येक दसवां घर चुना गया । इस तरह से 400 उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया । उत्तरदाताओं के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखा गया इसकी विवेचना " उत्तरदाताओं का परिचय" नामक शीर्षक के अन्तर्गत की गयी है । उत्तरदाताओं से वास्तविक तथ्यों , सूचनाओं व आंकड़ों के संकलन के लिये निम्न प्रविधियों का उपयोग किया गया ।

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित व बहुत कम पढ़े लिखे हैं । इन अशिक्षित व अनपढ़ ग्रामीणों से शोध विषय से सम्बन्धित जानकारी के लिये साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया गया । साथ ही पूर्वगामी परीक्षण द्वारा यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नावली में कई शब्द ऐसे हैं जिनका ग्रामीणों के समक्ष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । उदाहरण - संयुक्त, एकांकी, कुरीति, अन्तर्जातीय आदि शब्दों का अर्थ उन्हें नहीं ज्ञात था तथा प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों के उत्तर वे अपने ढंग से समझकर देते थे जिससे विषय वस्तु अध्ययन लक्ष्य से हट जाती थी । अतः इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु साक्षात्कार -अनुसूची का प्रयोग किया गया ।

ग्रामीणों के विचारों , भावनाओं , अनुभवों ,आन्तरिक जीवन तथा उनकी मनः स्थिति की जानकारी के लिये साक्षात्कार प्रविधि को अपनाया गया । साक्षात्कार प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के बीच बात-चीत की सामान्य प्रक्रिया नहीं है बल्कि चहरे के भावों

मानसिक उद्वेगों एवं कभी-कभी अचेतन मस्तिष्क में पड़ी हुई घटनाओं की मीमांसा समझने का एक समाजशास्त्रीय अंग है । साक्षात्कार को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिये महज एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं रखा गया अपितु विषय की उपयुक्तता एवं उत्तरदाता की सुविधा जनक मानसिक परिस्थितियों का भी माप दण्ड रखा गया। साथ ही उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों को उचित स्थान दिया गया है ।

जीवन संस्कार , ग्रामीणों की दिनचर्या, धार्मिक क्रियाकलाप, देवी देवताओं की पूजा आराधना जैसे तथ्यों के बारे में जानकारी अनुसूची या साक्षात्कार से नहीं मिल पाती हैअतः इनका अध्ययन अवलोकन पद्धति द्वारा किया गया एवं इसका दैनिक अंकन डायरी में किया गया है । इस क्षेत्र में कुछ विशेष रीति-रिवाज व विधि विधान की एक विशिष्ट व्यवस्था है सामान्यतः पूछताछ से रीति रिवाज तथा पूजा आराधना सम्बन्धी तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाते क्योंकि सूचनादाता शब्दाभाव के कारण चाहकर भी व्यक्त नहीं कर पाता । अवलोकन पद्धति इन अस्पष्टताओं को दूर करने में काफी सहायक रही है । अवलोकन पद्धति द्वारा एकत्र किये गये तथ्यों की पुष्टि साक्षात्कार एवं उसके विश्लेषण से की गयी । इस अध्ययन में दो प्रकार की अवलोकन पद्धतियों का आश्रय लिया गया है । एक- अनियंत्रित असहभागी तथा अनियंत्रित अर्द्ध सहभागी अवलोकन । विगत दो वर्षों से क्षेत्र कार्य के तहत उनके साथ जुड़े रहने के कारण उनसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था । इस क्षेत्र में कभी कभी मैं लगातार दो-दो महीने तक रही । इस घनिष्ठता के कारण वे मुझे अपने समाज का अंग समझने लगे और बिना किसी आपत्ति के अपने सांस्कृतिक कार्यों तथा अनुष्ठानों में वे मुझे सम्मलित किया करते थे । उनके समीप रहकर उनके रीति रिवाज तथा क्रिया कलापों का मैं अवलोकन किया करती

थी । शुरू-शुरू में तो उनका रुख बड़ा ही ठंडा था । क्योंकि एक तो मैं लड़की थी दूसरे ही अध्ययन के लिये उनके ग्राम में बिना किसी झिझक व परदे के गयी थी । उनके लिये एक लड़की को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होना अकल्पनीय था । लेकिन साथ-साथ रहते हुये मैंने उनके विश्वास को प्राप्त कर लिया था । वे मुझे अपना ही हिस्सा समझने लगे । और मुझे सहयोग प्रदान करने लगे थे । इस कारण उनकी मनोवृति, क्रिया कलापों, रीति रिवाजों के बारे में मुझे वे जानकारियां प्राप्त हुई जिनसे मैं सर्वथा अनभिज्ञ थी । ग्रामीण परिवारों के साथ मेरे प्रगाढ़ सम्बन्धों के उपरान्त भी सूचनायें एकत्र करने में इन सम्बन्धों से उत्पन्न भावनाओं को कभी आड़े आने नहीं दी । सूचना एकत्र करने के अंतराल में अपने ध्येय तथा समाजशास्त्रीय मान्यताओं के प्रति पूर्ण सजग रही तथा एक अन्वेषक के भूमिका के प्रति सचेत रहते हुये निरपेक्ष तथा तटस्थ हो कर सूचनायें एकत्रित करती रहीं ।

मेरी तटस्थ वृत्ति के कारण विवाद के विपरीत पक्षकार मुझ पर समान विश्वास करते थे । स्त्रियां तो अपनी कई समस्याओं व घरेलू लड़ाइयों का निपटारा करने को कहती हैं जिससे मुझे उनकी आन्तरिक मनोदशा व मनोवृत्तियों की भी जानकारी हुई । जाति पंचायतों व ग्रामीण पंचायतों में भी भाग लेने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ । इस तरह से अवलोकन पद्धति के द्वारा अनुसंधान सम्बन्धी कई पहलू प्रकाश में आये जिन्होंने अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान की । वैसे भी प्रो० गुड तथा हॉट के अनुसार-" विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है फिर सत्यापन के लिये अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है[21] ।"

कई सूचनायें मुझे सामूहिक चर्चाओं द्वारा प्राप्त हुई। एक तथ्य, पद, या स्थिति चेतना के कारण ग्रामीण अपने रीतिरिवाज या जीवन संस्कार सम्बन्धी कुछ बातों को बताने में संकोच का अनुभव करते थे । सामूहिक चर्चायें ऐसे तथ्यों को स्पष्ट करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई ।

21. W.J.Goode and P.K.Hatt, "Methods in social research p.112

कुये पर पानी भरती हुई , तालाबों पर स्नान करती हुई स्त्रियाँ व रात्रि में चौपाल या कौड़ा (अलाव) के पास बैठे दो-चार व्यक्तियों के सामूहिक वार्तालाप के बीच में मैं पहुँच जाती थी और उनके वार्तालाप में भाग लेने लगती थी । उसी सामूहिक वार्तालाप में बातों-बातों में विषय से सम्बन्धित प्रश्नों को छेड़ देती । उस प्रश्न पर उनकी चर्चा होने लगती और चर्चा द्वारा वास्तविक तथ्य उभर कर सामने आ जाते थे । व्यक्तिगत साक्षात्कार से जिस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था । उसका उत्तर इस प्रकार की चर्चा से उपलब्ध हो जाता था ।

शोध विषय से सम्बन्धित तथ्यों के एकत्रीकरण के सम्बन्ध में किसी भी शोधकर्ता के लिये इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये कि उसे सूचना की प्राप्ति किन स्त्रोतों से होगी । सम्बन्धित साहित्य की विवेचना से स्पष्ट है कि शोध विषय हेतु उपयोगी सूचनायें तीन प्रमुख स्त्रोतों से प्राप्त की जा सकती हैं ।

(क) ऐतिहासिक स्त्रोत (ख) क्षेत्रीय स्त्रोत (ग) सरकारी स्त्रोत

इस क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र से सम्बन्धित कई प्रलेख, प्रमाण, ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवन इतिहास तथा प्रकाशित आंकड़ों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई । क्षेत्रीय स्त्रोत के अन्तर्गत प्रथम तो जीवित व्यक्तियों से विशिष्ट सूचनायें प्राप्त की गयीं । दूसरे उनके क्रियाकलाप, व्यवहारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया । सरकारी स्त्रोत के अन्तर्गत सरकारी संस्थानों, कार्यकलापों से प्राप्त रिकार्ड ग्रामीण योजनाओं, सांख्यकीय पत्रिकाओं, प्रकाशित आंकड़ों तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी ।

तत्पश्चात सम्पूर्ण सूचना स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी द्वारा शोध विषय के अन्तर्गत विषयवस्तु का विश्लेषण करके उसे स्पष्ट किया गया है । अवलोकन , साक्षात्कार तथा अनुसूची द्वारा

उत्तरदाताओं से प्राप्त दृष्टिकोणों से संकलित तथ्यों को सत्यापित किया गया है ।

(3) तथ्यों का प्रस्तुतीकरण व विश्लेषण :-

इस सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य तथ्यों का उनके यथार्थ रूप में संकलन करना तथा उसके आधार पर उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करना है । श्री पी0वी0 यंग के अनुसार "वैज्ञानिक विश्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व रहस्योद्घाटक और कुछ भी हैं । यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को सम्पूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रगट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्यायें प्रस्तुत की जा सकती हैं ।"[22]

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये जो तथ्य संकलित किये गये हैं उनका मुख्य आधार हैं साक्षात्कार व अनुसूची का उपयोग । जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 400 ग्रामीण उत्तर दाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी है । इन व्यक्तियों से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन का आधार बनाया गया है ।

साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से ग्रामीणों की पारिवारिक आर्थिक, वैवाहिक, शैक्षणिक राजनैतिक तथा उनके अन्य कैसी सामाजिक विसंगतियों के बारे में जानकारी ज्ञात की गयी है । ग्रामीण के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित कई विचारशील पहलुओं पर उनके दृष्टिकोण क्या हैं । इस सम्बन्ध में जानकारी साक्षात्कार व सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से ली गयी है । उत्तरदाताओं के विचारों को मुख्य तीन आधारों पर स्पष्ट किया गया है ।

प्रथम - लिंग

द्वितीय - उम्र

तृतीय - शिक्षा

22. P.V. Young, "Scientific social surveys and research," p-10

प्रस्तुत शोध अध्ययन में लिंग को उत्तरदाताओं के वर्गीकरण का आधार इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में लड़कों व लड़कियों की परवरिश दो भिन्न वातावरणों में की जाती है।अतः दोनों के विचारों में अन्तर होना स्वाभाविक है। इसलिए एक समाज, एक क्षेत्र में रहने वाले स्त्री व पुरूष उत्तरदाताओं का एक समस्या पर, उनके विचारों में क्या अन्तर हो सकता है इसकी जानकारी के लिए लिंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है।

उत्तरदाताओं को उम्र के आधार पर इसलिए वर्गीकृत किया गया है जिससे नवयुवक वर्ग तथा बुजुर्ग वर्ग के विचारों में अन्तर स्पष्ट हो सके। अर्थात आयु केअन्तर के आधार पर व्यक्ति के विचारों में अन्तर की जानकारी प्राप्त की गयी।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के आधार पर उनको इसलिए वर्गीकृत किया गया है जिससे शिक्षित व अशिक्षित उत्तरदाताओं के विचारों के अन्तर का तुलनात्मक अध्ययन हो सके। अतः स्पष्ट है कि लिंग, आयु व शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं के विचारों के अन्तर को स्पष्ट किया गया है जिससे विभिन्न आधारों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

सूचनाओं के स्पष्टीकरण के लिए तथ्यों को तालिकाओं, ग्राफ व चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार एकत्र सम्पूर्ण जानकारी को समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है तथा प्रतिशत प्रणाली द्वारा तथ्यों को स्पष्ट प्रस्तुत किया गया है।

(4) वर्तमान शोध कार्य का पूर्वानुमानित उपयोग :-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की उपयोगिता श्री दुबे के विचारों से स्पष्ट होगी। उनके अनुसार, "भारतवर्ष में जहां जीवन के ढंग और विचार इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होते जा रहे हैं। हमें ग्रामीण तथा नागरिक दोनों क्षेत्रों को, देश की विभिन्न सांस्कृतिक सीमाओं में अधिक संख्या में सामुदायिक अध्ययन की आवश्यकता है[23]।

23.S.C.Dube,"Indian Village,p-

इस शोध अध्ययन के द्वारा पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों की गतिशीलता का स्पष्टीकरण किया गया है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विकास के क्षैतिज व उर्ध्व धरातल पर ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है । इस शोध कार्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक सीमा में व्याप्त परम्पराओं कार्य-विधियों एवं इनके प्रभाव पर प्रकाश पड़ेगा । इस सम्बन्ध में यह कहना तर्क संगत होगा कि ग्रामीण जीवन का परिवर्तित सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ किस प्रकार का तारतम्य है एवं इनके सापेक्ष में ऐसे कौन से कारक हैं जिनको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सन्तुलित करते हुये आदर्श ग्रामीण समाज की स्थापना की जा सके । प्रस्तुत अध्ययन जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की विवेचना करता तथा उन कारणों को भी दृष्टिगत करता है जो कि इस क्षेत्र की प्रगति में बाधक हैं । फतेहपुर जैसे ग्रामीण बाहुल्य प्रधान क्षेत्र में चेतना, जागरूकता व गतिशीलता किस प्रकार लाई जा सकती है । इन कारकों को भी यह अध्ययन स्पष्ट करता है ।

§5§ वर्तमान शोध अध्ययन की सीमायें :-

वर्तमान शोध रचना की ग्रामीण सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगिता होने के बाद भी इसकी कुछ सीमायें हैं । वर्तमान शोध कार्य के अन्तर्गत सीमायें क्यों उत्पन्न हुई इस सम्बन्ध में भी कारकों का उल्लेख किया गया है ।

शोध कार्य को वास्तविकता के धरातल पर लाने के लिये कुछ ऐसे भी तथ्य एकत्रित करने थे जो उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित थे इस तरह के तथ्य विशेषकर परिवार, विवाह, व्यवसाय, आय तथा उन सामाजिक प्रसंगों पर उनके विचारों से सम्बन्धित थे जिनके संबंध में उनका आशंकित होना स्वाभाविक था । विशेषकर इस क्षेत्र के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षितों की संख्या नगण्य थी । ऐसे में किसी भी विषय पर पूछ ताछ करने वाले के प्रति आंशकित होना बिल्कुल स्वाभाविक था । इस अध्ययन कार्य में दूसरी बाधा यह भी थी कि कुछ उत्तरदाताओं से

समाज की ज्वलन्त समस्याओं पर पूछने पर वे उसके विरोध में अपना मत प्रकट करते थे। लेकिन जब वही बात उनपर लागू करके पूछी जाती तो उसके समर्थन में अपना मत प्रस्तुत करते। ऐसे में उनके दृष्टिकोण ज्ञात करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था। अतः ऐसी परिस्थितियोंमें तथ्यों के संकलन में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। साथ ही ऐसे उत्तरदाताओं से उन प्रश्नों पर संक्षिप्त वार्तालाप, सामूहिक चर्चा, उनकी गतिविधियों के अवलोकन तथा उन उत्तरों के कारणों की जानकारी द्वारा उत्तरदाताओं के वास्तविक दृष्टिकोण का ज्ञान हुआ। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में यह प्रयास किया गया कि इन आधारों से प्राप्त सम्पूर्ण सूचनाओं द्वारा वास्तविकता प्राप्त की जाये। जिससे वर्तमान शोध अध्ययन को ग्रामीण समाज शास्त्र की दिशा में एक सैद्धान्तिक स्वरूप प्राप्त हो सके।

§6§ उत्तरदाताओं का वर्गीकरण :-

उत्तर दाताओं के चयन को प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिये उनके चुनाव में विशेष सावधानी रखी गयी जिससे अध्ययन का कोई भी पहलू छूट न जाये। सूचनादाताओं का वर्गीकरण व उनसे सम्बन्धित तथ्यों व सूचनाओं का स्पष्टीकरण निम्न तालिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर की सम्पूर्ण जनसंख्या का 87.08% हिन्दू हैं जिनमें 92.99% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अतः 400 उत्तरदाताओं में से 350 अर्थात 87.5% हिन्दू उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले कुल 12.86 % मुस्लिम में से 78.89% मुस्लिम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसलिये 12.5% मुस्लिम उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया है। ईसाई व सिक्ख सम्प्रदाय क्रमशः कुल जनसंख्या का मात्र .05% व .01% थे जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सिक्ख व ईसाइयों की संख्या का प्रतिशत नगण्य था। इस कारण सिक्ख व ईसाई सम्प्रदाय के व्यक्तियों का चुनाव न हो सका और कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखते हुए मात्र 87.5% हिन्दू व 12.5% मुस्लिम उत्तरदाताओं का चुनाव किया गया है। सारणी संख्या 9 में हिन्दू उत्तरदाताओं को उनकी चार प्रमुख जातियों के आधार

सारणी संख्या §8§ सम्प्रदाय के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	सम्प्रदाय	जनसंख्या	प्रतिशत में
1.	हिन्दू	350	87.9%
2.	मुस्लिम	50	12.9%

सारणी संख्या {9} जाति के आधार पर वर्गीकरण

प्रमुख हिन्दू जातियाँ	संख्या	प्रतिशत में
ब्राह्मण	85	24.28%
क्षत्रीय	90	25.71%
वैश्य	85	24.28%
शूद्र	90	25.71%

सारणी संख्या (10) लिंग के आधार पर वर्गीकरण

लिंग	संख्या	प्रतिशत में
पुरुष	300	75%
स्त्री	100	25%

सारणी संख्या (11) आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु	संख्या	प्रतिशत में
0-20	73	18.25%
20-40	135	33.75%
40-60	128	32.00%
60-80	64	16.00%

सारणी संख्या (12) वैवाहिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण

वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत में
अविवाहित	20	05%
विवाहित	325	81.25%
विधवा	25	6.25%
विधुर	25	6.25%
छोड़ दिया	05	1.25%

सारणी संख्या (13) शैक्षणिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत में
अशिक्षित	196	49.00%
प्राइमरी	82	20.50%
मिडिल	71	17.75%
हाई स्कूल	10	2.50%
इण्टरमीडिएट	14	3.50%
स्नातक	06	1.50%
परास्नातक	07	1.75%

सारणी संख्या {14} व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत में
खेती	160	48.48%
मजदूरी	45	13.63%
पारम्परिक पेशा	82	24.84%
अर्धसरकारी नौकरी	16	4.84%
सरकारी नौकरी	08	2.42%
प्राइवेट नौकरी	04	1.21%
खेती व नौकरी दोनों	10	3.03%
खेती व पारम्परिक पेशा दोनों	05	1.51%

पर वर्गीकृत किया गया है इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा वैश्य उत्तरदाता 24.28% हैं जबकि क्षत्रीय व शूद्र उत्तरदाता 25.7% हैं ।

सारणी संख्या 10 से स्पष्ट है कि स्त्री उत्तरदाताओं की अपेक्षा पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है । इसमें 75% पुरुष 25% स्त्री उत्तरदाता हैं । इसके विस्तृत विवरण के आधार पर 300 पुरुष उत्तरदाताओं में 260 हिन्दू सम्प्रदाय के व 40 मुस्लिम सम्प्रदाय के हैं जबकि 100 स्त्री उत्तरदाताओं में 90 हिन्दू व 10 मुस्लिम सम्प्रदाय की हैं । सारणी संख्या 11 से स्पष्ट है कि 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है 0 से 20 वर्ष के उम्र के 18.25 % उत्तरदाता, 20 से 40 वर्ष तक की उम्र के 33.75 % उत्तरदाता, 40 से 60 वर्ष की उम्र के 32% उत्तरदाता तथा 60 से 80 वर्ष के उम्र के 16% उत्तरदाता हैं ।

सारणी संख्या 12 में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसके अनुसार 5% प्रतिशत अविवाहित, 81.25% विवाहित, 6.25% विधवा, 6.25% विधुर तथा 1.25 % ऐसे उत्तरदाता थे जिनके पति या पत्नी ने उनको छोड़ दिया है । इस संख्या से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन है ।

सारणी संख्या 13 में उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति का वर्गीकरण है । इसके अनुसार 49% अशिक्षित, 20.50% प्राइमरी, 17.75% मिडिल, 2.50% हाई स्कूल, 3.50% इण्टरमीडिएट, 1.50% स्नातक, 1.75% परास्नातक उत्तरदाता थे । इस तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता अशिक्षित हैं जबकि उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या नगण्य है ।

सारणी संख्या 14 से स्पष्ट है कि खेती व परम्परागत व्यवसाय में कार्यरत सदस्यों की संख्या अधिक है । उत्तरदाताओं में 48.48% मात्र खेती व 24.84% मात्र परम्परागत व्यवसाय करते हैं । 13.63% उत्तरदाता मजदूरी करते हैं इनमें से कुछ किसी खेत पर मजदूरी या पूरे वर्ष खेत लेकर खेती करते हैं । उत्तरदाताओं में 2.42 % सरकारी व 4.84% अर्द्ध सरकारी नौकरी करते हैं । 3.03% उत्तरदाता नौकरी व खेती दोनों करते हैं ।

वार्षिक आय	संख्या	प्रतिशत में
3000/- रु० से कम	67	20.30%
3000/-रु० से 6000/-	110	33.33%
6000/-रु० से 9000/-	72	21.81%
9000/-रु० से 12000/- तक	55	16.66%
12000/-रु०से 15000/- तक	1५	4.24%
15000/-रु०से 18000/- तक	03	0.90%
18000/-रु०से 20000/- तक	02	0.60%
20000/- से 24000/- तक	03	0.90%
24000/- से 28000/- तक	02	0.60%
27000/- से 30000/- तक	01	0.30%
30000/- से अधिक	01	0.30%

सारणी संख्या 15 से स्पष्ट है कि 53.63% उत्तरदाता ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 500/- से भी कम है, 38.47% व्यक्तियों की मासिक आय 1000/- है, मात्र 5% व्यक्तियों की मासिक आय 1500/- तथा 2% की 2000/- व 1% व्यक्तियों की मासिक आय 2000/- से ऊपर है । तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में उच्च शैक्षिक आर्थिक स्तर वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत कम है ।

इस तरह फतेहपुर जनपद के 400 उत्तरदाताओं पर किये गये अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर अपेक्षित मात्रा में नहीं है तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अधिकांश उत्तरदाता पिछड़े हुए हैं ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत समाज से सम्बन्धित विभिन्न समाज शास्त्रीय व्याख्याओं को संकलित किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वर्तमान समय के साथ ग्रामीण समुदायों का कितना सम्बन्ध है तथा ग्रामीणों में गतिशीलता का स्तर क्या है । वर्तमान समय में इस शोध विषय की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में कोई अन्य रचना प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस संदर्भ में यह अध्ययन मौलिकता व स्पष्टता लिये हुए है । ग्रामीण समाज शास्त्र क्योंकि नव स्थापित शास्त्र है । अतः इस तरह के क्षेत्रीय अध्ययन इसके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । अतः इस तरह ग्रामीण समाज शास्त्र की श्रृंखला में वर्तमान शोधकार्य को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

63अ

एक ग्राम के भीतरी भाग का दृश्य

द्वितीय खण्ड

१ पारिवारिक गतिशीलता
२ आर्थिक गतिशीलता
३ शैक्षणिक गतिशीलता
४ राजनैतिक गतिशीलता
५ सामाजिक विसंगतियाँ और
सामाजिक गतिशीलता

अध्याय २

पारिवारिक गतिशीलता

[परिवार के बदलते स्वरूप]

पारिवारिक गतिशीलता:- परिवार के बदलते स्वरूप

सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि परिवार समाजरूपी भवन की नींव का मुख्य पत्थर है। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी कठिन प्रतीत होती है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। मैकाईवर और पेज का कथन है कि," समाज में परिवार ही अत्याधिक महत्वपूर्ण समूह है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्व व्यापी सामाजिक संस्था है।"[24] संस्कृति के सभी स्तरों में चाहे उन्नत कहा जाये या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। कूले के अनुसार, " परिवार एक प्राथमिक समूह है और इस प्राथमिक समूह में ही बच्चों के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। अतः सामाजिक तथा व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से परिवार समाज की एक मौलिक और आधार भूत इकाई है।[25]" परिवार मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरन्तरता बनाये रखने का प्रमुख साधन है। मृत्यु और अमृत्व इन दोनों विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है। मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है। इसके लिये उसने अनन्त काल से अनेक उपाय किये हैं। जड़ी-बूटियों, रसायनों और अमृत की खोज के अनेक परीक्षण भी किये हैं। किन्तु परिवार के अतिरिक्त इसका अन्य कोई हल नहीं खोज पाया है। विवाह द्वारा व्यक्ति का निर्माण कर सन्तानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है।

24. R.M.Maciver and C.H.Page, "Society" p-238

25. Charles cooley, " Social organization, " p-

मनुष्य को जहाँ एकतरफ अपनी मृत्यु का दुख है तो दूसरी तरफ संतोष भी है कि वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनन्त काल तक जीवित रहेगा । स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं ,नदी के दो तटों के समान हैं । जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है । परिवार नये प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु से रिक्त होने वाले स्थान को भरता है तथा समाज की निरन्तरता को बनाये रखता है । यही कारण है कि परिवार मानव के साथ प्रारम्भ से ही है । मैलिनॉस्की जी0 कहते हैं कि ," परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है । "[26] परिवार के कुछ अन्य पहलुओं की ओर संकेत करते हुए श्री बर्गेस तथा लॉक ने लिखा है कि ," एक परिवार विवाह , रक्त सम्बन्ध या गोद लेने के बन्धनों से सम्बद्ध व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक गृहस्थी का निमार्ण करते हैं और जो एक दूसरे के साथ अन्तः क्रिया और अन्तः सन्देश करते हुए पति-पत्नी, माता-पिता, लड़के-लड़की और भाई-बहन के रूप में अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं । और एक सामान्य संस्कृति को बनाते व उसकी रक्षा करते हैं ।"[27] इस तरह से परिवार भावात्मक धार्मिकता का वातावरण प्रदान कर बच्चे के समुचित पालन - पोषण , समाजीकरण और शिक्षण में योग देता है । यही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक , धार्मिक ,आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है ।

वर्तमान शोध अध्ययन में जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों का आज के परिवेश के अनुसार बदलते स्वरूप का अध्ययन किया गया है । सर्वप्रथम इस जनपद के ग्रामीण परिवारों के परम्परागत स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । इस जनपद के ग्रामीण परिवारों का परम्परागत स्वरूप मुख्यतः संयुक्त या विस्तृत परिवार ही है । जिसमें कि साधारणतया पति-पत्नी ,बच्चे , अविवाहित लड़के लड़कियाँ और बहुयें रहती हैं । इस प्रकार के परिवारों में

26.Malinowsk,"Magic science and Religion and other essays,"

27.E.W.Burgess and H.J.Locke,"The family from institution to companionship," p-8

अविवाहित बहनें, भाइयों, विवाहित भाई व उनकी बहुओं का एक जमघट होता है। परन्तु ग्रामीण परिवार का आकार इससे बड़ा भी है और छोटा भी। फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि, यहाँ के ग्रामीण परिवारों का संयुक्त रूप अत्यन्त प्राचीन है। यहाँ परिवार का संचालक तथा सम्पत्ति की देख रेख करने वाला परिवार का सबसे बड़ा पुरूष होता है। उसे कर्ता कहते हैं। यह पद प्रायः पिता को प्राप्त होता है और उसके न होने पर बड़ा भाई या परिवार का अन्य कोई बड़ा पुरूष इस पद को संभालता है। यह स्थिति पितृ सत्तात्मक परिवारों में देखने को मिलती है किन्तु कहीं कहीं मातृ सत्तात्मक परिवार भी देखने को मिले हैं। जहाँ परिवार से सम्बन्धित कार्यों का संचालन व सम्पत्ति की देख रेख का कार्य माता या परिवार की किसी स्त्री द्वारा ही किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण परिवार मातृ सत्तात्मक हों या पितृ सत्तात्मक दोनों ही स्थिति में सभी स्त्री पुरूष, बाल बच्चे, अधिकांशतः कृषि कार्य में ही लगे होते हैं। सम्भवतः उन्हें अलग,अलग परिवार बसाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती क्योंकि कृषि का कार्य अर्थात भूमि न केवल परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ बांध कर रखती है अपितु उनके भरण पोषण की भी व्यवस्था करती है। इसलिये एक ग्रामीण परिवार की अटूट निरंतरता अनेक पीढ़ियों तक बनी रहती है। एक ग्रामीण संयुक्त परिवार में न केवल पिता के पक्ष के अपितु माता के पक्ष के नाते रिश्तेदार भी रह सकते हैं। जैसा कि श्यामाचरण दुबे के रेखा चित्र में संबद्ध परिवारों और निकट संबन्धियों को दर्शाया गया है।"[28]

28 श्यामाचरण दुबे," एक भारतीय ग्राम" पृ0 133

संबद्ध परिवारों और निकट संबंधियों को दर्शाने वाला रेखाचित्र

रेखा चित्र में रेखायें उन सम्बन्धियों की ओर इंगित करती हैं जो संयुक्त परिवारों से ही हैं और बिन्दु रेखा निकट सम्बन्धियों की सूचक हैं । केवल अविवाहित लड़कियां ही परिवार की सदस्य होती हैं । रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि एक परम्परागत ग्रामीण परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य साथ-साथ रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि ," न केवल मातृ , पिता व उनके बच्चे, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य सम्पत्ति पर पलते हैं , अपितु कभी-कभी परिवार में अनेकों पीढ़ियों तक की सन्तानें पूर्वज तथा समांतर रिश्ते दार भी सम्मिलित रहते हैं ।" ऐसे परिवारों की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है । प्रथम-, तो सामान्य पैतृकता एवं सम्पत्ति, दूसरा- सामान्य निवास एवं रसोई । प्रथम विशेषता का तात्पर्य यह है कि परम्परागत ग्रामीण परिवार में सामान्यतः एक ही पू र्वज की तीन-चार पीढ़ियों की सन्तानें रहती हैं । यद्यपि माता और पिता दोनों ही के नाते रिश्तेदारों का समावेश होना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है । अतः सामान्य पूर्वज की विशेषता उतनी उल्लेखनीय नहीं है जितनी की परिवार में सामान्य सम्पत्ति व आय का होना । परिवार के सभी कार्य करने योग्य सदस्य काम करते हैं और जो कुछ भी आय होती है उससे सभी का पालन पोषण होता है । परिवार की एक सामान्य सम्पत्ति होती है जिससे सभी को लाभ उठाने का अधिकार होता है । परम्परागत रूप में पिता की मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना लोग पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि उससे सम्पत्ति की उपयोगिता सभी के लिये घट जाती है । इसीलिये सामूहिक उत्पादन व उपभोग को ही अधिक पसन्द किया जाता है । केवल इतना ही नहीं परिवार में रहना तथा एक रसोई में पके भोजन को खाना इन ग्रामीण परिवारों की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है । मकान एक और रसोई एक यह है ग्रामीण पारिवारिक जीवन के सामूहिक रूप का एक महत्वपूर्ण अंग ।

जनपद फतेहपुर के ग्रामीण समाज पर परिवारवाद या परिवार, की छाप हमें सुस्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। परिवारात्मकता एक ऐसी स्थिति है जिसके अन्तर्गत सभी सामाजिक समूहों तथा संस्थाओं में परिवार को ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ समझा जाता है। व्यक्ति अपने निजी हितों की अपेक्षा परिवार के हितों को प्रधान मानता है। सोरोकिन तथा जिमर मैन का कथन है कि, " प्रत्येक कृषि प्रधान समाज के सामाजिक और राजनैतिक संगठन पर परिवार की स्पष्ट छाप अंकित रहती है। परिवारात्मकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बर्गेस तथा लॉक का कथन है कि, " सामान्य रूप से परिवारात्मकता तथा परिवार वाद का अर्थ है कि व्यक्तिगत सदस्यों के हितों को गौण मानते हुए परिवार के कल्याण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार करना।"[29] सोरोकिन, जिमर मैन तथा गाल्पिन ने लिखा है कि, " अन्य सभी सामाजिक संस्थायें तथा आधारभूत सामाजिक सम्बन्ध ग्रामीण पारिवारिक सम्बन्धों के प्रतिमानों के अनुसार ही निर्मित होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार उनके स्वरूपों का निर्धारण होता है। इस प्रकार के सामाजिक संगठन को अभिव्यक्त करने के लिये ही परिवारात्मकता शब्द का प्रयोग किया गया है। "[30]

अतः स्पष्ट है कि इस समाज का प्रत्येक पक्ष परिवार से सम्बन्धित और उसी के द्वारा नियंत्रित होता है और भी स्पष्ट रूप में इस समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति का नहीं अपितु परिवार का ही महत्व होता है। गाँव में शहर की भाँति व्यक्ति के आधार पर परिवार का परिचय नहीं अपितु परिवार के आधार पर व्यक्ति का परिचय निर्धारित होता है। केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था व संगठन में

29. E.W.Burgess and H.J.Locke, "The family from institution to companionship," p-64

30. Sorokin, Zimmerman and Galpin, "Systematic source book in rural sociology Vol.III," p-41

परिवार के प्रभावों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है । इसी की चर्चा करते हुए सर्वश्री सोरोकिन, जिमरमैन तथा गॉलपिन ने लिखा है कि, " चूंकि परिवार ग्रामीण सामाजिक संस्था की मौलिक संस्था रहा है इसलिए यह आशा करना स्वाभाविक है कि ग्रामीण परिवार की विशेषताओं का प्रभाव कृषि समूह के समग्र सामाजिक संगठन पर पड़ा है । दूसरे शब्दों में अन्य सभी सामाजिक, संस्थायें और मौलिक सामाजिक सम्बन्ध ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों के प्रतिमानों द्वारा तथा उनके ही अनुसार प्रतिरूपित हुये हैं । इस प्रकार के सामाजिक संगठनों को सम्बोधित करने के लिए परिवारात्मकता एक अत्यन्त मौलिक एवं महत्वपूर्ण लक्षण है । "[30]

उपरोक्त विवरण से जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों की दो मुख्य विशेषतायें स्पष्ट होती हैं । प्रथम- परिवारों का विस्तृत व संयुक्त रूप । दूसरा- इन परिवारों पर परिवारात्मकता का छाप । इन विशेषताओं में वर्तमान समय के अनुसार विभिन्न परिवर्तन हुए हैं । इस कारण वर्तमान अध्ययनमें इन परिवर्तनों का ग्रामीण पारिवारिक व्यवस्था पर पड़े प्रभावों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । साथ ही ग्रामीण परिवार के परम्परागत स्वरूप व उसके मौलिक कार्यों का उल्लेख करते हुए यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण परिवार संगठन की ओर अग्रसर है या विघटन की ओर ।

सर्व प्रथम प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण परिवारों की अन्य विशेषताओं की पुष्टि उत्तरदाताओं के पारिवारिक गठन के आधार पर की गयी है । आयु तथा शिक्षा के आधार पर ग्रामीणों का पारिवारिक स्थिति के विषय में संलग्न सारणियों तथा उनके विवेचन द्वारा जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है ।

31. Sorokin, Zimmerman and Galpin, "Systematic source Book in rural sociology, Vol.III," p-41

तालिका संख्या (16) उत्तर दाताओं के परिवार के प्रकार

संयुक्त परिवार		एकांकी परिवार	
आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
292	73	108	27

सारणी संख्या (17) उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या

सदस्यों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
0-2	5	1.25
2-4	15	3.75
4-6	20	5.00
6-8	45	11.25
8-10	57	14.25
10-12	64	16.00
12-14	84	21.00
14-16	45	11.00
16-18	25	6.25
18-20	30	7.50
20 से अधिक	10	2.50

सारणी संख्या (18) उत्तरदाताओं के परिवार में वैवाहिक उम्र

वैवाहिक उम्र		आवृत्ति	प्रतिशत
लड़की की	लड़के की		
14 वर्ष	16 वर्ष	90	22.5%
18वर्ष	20 वर्ष	200	50.0%
22 वर्ष	24 वर्ष	110	27.0

सारणी संख्या (16) से स्पष्ट है कि 400 उत्तरदाताओं में से 73% संयुक्त परिवार में व 27% एकाकी परिवार में निवास करते हैं । उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्राम में एकाकी परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार का आधिक्य है ।

सारणी संख्या (17) में यह दर्शाया गया है कि उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है । उक्त तथ्यों के अनुसार 21% परिवार ऐसे थे जिनमें सदस्यों की संख्या 12 से 14 तक थी । 16% परिवारों में सदस्यों की संख्या 10 तक थी । जबकि मात्र 1.25% परिवारों में सदस्यों की संख्या 2, 3.75% परिवारों में सदस्य संख्या 2 से 4 तक तथा 5% परिवारों में सदस्यों की संख्या 4 से 6 तक थी । 2.5% परिवारों में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक तथा 6.25% परिवारों में सदस्यों की संख्या 16 से 18 तक थी । अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में ऐसे परिवारों की संख्या कम है जिनमें दो चार ही सदस्य हों या अठारह -बीस सदस्य हों । इस क्षेत्र में 8 से 10 सदस्यों वाले परिवारों का आधिक्य है । इन परिवारों में दादा-दादी, बहू-बेटे व उनके बच्चे रहते हैं । जबकि 15-16 सदस्यों वाले परिवारों में दादा-दादी ,बहू-बेटे ,ताऊ-ताई , चाचा-चाची उन सबके बच्चे , अविवाहित बहनें व भाई सभी रहते हैं ।

सारणी संख्या (18) में उत्तरदाताओं के परिवार में लड़के-लड़की की वैवाहिक उम्र को प्रदर्शित किया गया है । उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 22.5% उत्तरदाताओं के परिवार में लड़के व लड़की की वैवाहिक उम्र क्रमशः 16 वर्ष तथा 14 वर्ष है । 50% उत्तरदाताओं के यहाँ वैवाहिक उम्र क्रमशः 20वर्ष व 18 वर्ष है जबकि मात्र 27.5% परिवारों में लड़के व लड़की की वैवाहिक उम्र 24 वर्ष व 22 वर्ष है । इससे स्पष्ट है कि कुछ ग्रामीण परिवारों में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है । उन परिवारों में लड़की का विवाह 18वर्ष तक की तथा लड़के का विवाह 24 वर्ष तक की उम्र में किया जाता है । परन्तु अधिकांश ग्रामीण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह हो जाता है ।

सारणी संख्या (19) उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह की उपयुक्त उम्र

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

उपयुक्त वैवाहिक उम्र		पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
लड़कों की	लड़के की	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
14वर्ष	17वर्ष	27.93%	66.11%	20%	80%
		(50)	(80)	(5)	(60)
18वर्ष	20वर्ष	60.89%	27.27%	60%	20%
		(109)	(33)	(15)	(15)
21वर्ष	24वर्ष	11.17%	6.61%	20%	-
		(20)	(8)	(5)	

सारणी संख्या (19) उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह की उपयुक्त उम्र

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	वैवाहिकउम्र	पुरूष उत्तरदाता			स्त्री उत्तरदाता		
	लड़के की लड़की की	16 वर्ष 14 वर्ष	20 वर्ष 18 वर्ष	24 वर्ष 21 वर्ष	16 वर्ष 14 वर्ष	20 वर्ष 18 वर्ष	24 वर्ष 22 वर्ष
0-20		10%	20%	70%	21.73%	60.86%	17.39%
		(5)	(10)	(35)	(5)	(14)	(4)
20-40		10%	30%	60%	57.14%	37.14%	5.71%
		(10)	(30)	(60)	(20)	(13)	(2)
40-60		40%	48%	12%	71.42%	28.57%	-
		(40)	(48)	(12)	(20)	(8)	
60-80		64%	30%	6%	100%	-	-
		(32)	(15)	(3)	(14)		

उक्त सारणी में उत्तरदाताओं के मतानुसार वर्तमान समय में लड़के लड़की की उपयुक्त वैवाहिक उम्र का वर्गीकरण किया गया है । उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार लड़की को 14 वर्ष, लड़के को 17 वर्ष की उम्र को 27.93% शिक्षित 66.11% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाता तथा 20% शिक्षित व 80% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने विवाह के लिये उपयुक्त बताया है । विवाह के लिए लड़की की 18 वर्ष तथा लड़के की 20 वर्ष की उम्र को 60.89% शिक्षित 27.27% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं, 60% शिक्षित, 20% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने उचित बताया । जबकि लड़की की 21 वर्ष तथा लड़के की 24 वर्ष की उम्र को 11.17% शिक्षित व 6.61 % अशिक्षित पुरूष उत्तरदाता तथा 20% शिक्षित उत्तरदाताओं ने विवाह के लिए उपयुक्त बताया । आंकड़ों से यह स्पष्ट है, अशिक्षित उत्तरदाताओं लड़के लड़की को क्रमशः 14 वर्ष तथा 17 वर्ष की उम्र को उचित बताया । जबकि शिक्षित उत्तरदाताओं ने लड़की व लड़के की क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष की उम्र को उपयुक्त बताया । लिंग के आधार पर पुरूष उत्तरदाताओं अपेक्षा स्त्री उत्तरदाताओं में विवाह की उम्र 14 वर्ष तथा 17 वर्ष बताने वालों का प्रतिशत अधिक रहा । अर्थात स्त्रियां पुरूषों की अपेक्षा कम उम्र को ही विवाह के लिए उपयुक्त बताया है । इस सन्दर्भ में आयु के आधार पर भी उत्तरदाताओं के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है । उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कम उम्र के उत्तर-दाताओं ने तो लड़की को 18 वर्ष तथा लड़के की 20 वर्ष की उम्र को विवाह के लिए उचित बताया । जबकि अधिक उम्र के अर्थात 40 से 60 वर्ष की उम्र वाले उत्तरदाताओं ने लड़की को 14 वर्ष तथा लड़के को 16 वर्ष की उम्र को विवाह के लिए उपयुक्त बताया है । इससे स्पष्ट है कि लड़के लड़की क्रमशः 16 वर्ष व 14 वर्ष का उम्र को उपयुक्त बताने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तत्पश्चात 20 वर्ष तथा 18 वर्ष तथाअन्त में 24 वर्ष तथा 22 वर्ष की उम्र को विवाह के लिये उपयुक्त माना है ।

इस जनपद में परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है या व्यक्ति को, इस वक्तव्य को विवाह संस्था के आधार पर स्पष्ट किया गया है ।

7731

ग्रामीण नववधू

तालिका संख्या (20) विवाह के समय सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य गुण

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

ध्यान देने योग्य गुण	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
परिवार या खानदान	38.19% (10)	33.51 (60)	60% (15)	56.66% (50)
योग्यता	31.28% (56)	21.48% (26)	16% (4)	13.33% (10)
रंगरूप	22.34% (40)	11.17% (20)	16% (4)	6.66% (5)
आर्थिक स्थिति	11.17% (20)	8.3% (15)	2% (8)	3.33% (10)

सारणी संख्या (20) विवाह के समय सर्वप्रथम ध्यान देने योग गुण

(ब) आयु के आधार पर

आयु समूह	परिवार/खानदान	योग्यतायें	रंगरूप	आर्थिक स्थिति
0-20	34.24% (25)	24.65% (18)	34.25% (25)	84% (5)
20-40	44.44% (60)	23.70% (32)	22.22% (30)	9.62% (13)
40-60	58.59% (75)	19.53% (25)	14.06% (10)	7.81% (10)
60-80	78.12% (50)	14.06% (9)	=	7.81% (5)

इस क्षेत्र में वैवाहिक सम्बन्धों की स्थापना के समय किन-किन विशेषताओं को अधिक महत्व देते हैं । इस सम्बन्ध में आंकड़े सारणी संख्या ||20|| में प्रदर्शित किये गये हैं । आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 35.19% शिक्षित, 33.51% अशिक्षित तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 60% शिक्षित व 56.66% अशिक्षित को ही प्राथमिकता दी है । तत्पश्चात योग्यताओं आर्थिक स्थिति व रंग रूप को स्थान दिया है ।उत्तरदाताओं की उम्र के आधार पर 0-20 वर्ष तक की उम्र वाले 34.24% ,20-40 वर्ष तक की उम्र वाले 44.44%, 40-60 वर्ष तक की उम्र वाले 58.59 % व 60-80 वर्ष तक की उम्र वाले 78.12% उत्तरदाताओं ने लड़के या लड़की के परिवार व खानदान को अधिक महत्व दिया है । अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में परिवार की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है । व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत कुछ उसके परिवार पर ही निर्भर करती है । किसी भी व्यक्ति का परिचय साधारणतयः "अमुक परिवार का लड़का है या लड़की है" कह कर दिया जाता है । जैसा कि सारणी संख्या ||20|| से स्पष्ट है कि सामाजिक , सम्बन्ध स्थापित करने का आधार परिवार ही होता है । इसी कारण यहाँ सामाजिक सम्बन्ध केवल व्यक्ति तक ही सीमित न रह कर परिवार तक विस्तृत हो जाते हैं ।

वैवाहिक सम्बन्धों की स्थापना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए ।

1. जीवन साथी चुनाव के सम्बन्ध में क्या लड़के-लड़की के निर्णय को माना जाताहै
2. क्या लड़का व लड़की प्रत्यक्ष रूप से देख कर विवाह तय किया जाता है ।
3. यदि हां तो देखने का कार्य कौन करता है । बड़े बूढ़े /लड़का व लड़की स्वंय/ कोई नहीं ।
4. आपके अनुसार लड़का लड़की देखना /दिखाना उचित है या अनुचित ।

प्रथम प्रश्न के उत्तर में 78.5% उत्तरदाताओं ने कहा कि विवाह के मामले में लड़के लड़की के निर्णय को नहीं माना जाता है । 21.5%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने से पहले इस सम्बन्ध में मात्र लड़के से पूछा जाता है और कभी उनके निर्णय को माना भी जाता है ।

दूसरे प्रश्न के उत्तर में 30% उत्तरदाताओं के अनुसार लड़का-लड़की देखकर विवाह तय किया जाता है व 70% उत्तरदाताओं के यहां लड़का-लड़की बिना देखे विवाह तय होते हैं । प्रश्न संख्या-3 के अनुसार 83.93%उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके यहां देखने दिखाने का कार्य बड़े बूढ़े करते हैं । वह भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है । मात्र 16.07% उत्तरदाताओं के यहां लड़का या लड़की स्वंय एक दूसरे को देखते या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं ।

चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में 70.75% उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़का व लड़की देखने व दिखाने का कार्य अनुचित है क्योंकि इसमें स्त्री व पुरूष के बीच कोई परदा नहीं रह जाता है । इस सम्बन्ध में 29.25% उत्तरदाताओं ने देखने व दिखाने की प्रथा को उचित बताया ।

अतः स्पष्ट है कि बड़े बूढ़ों की इच्छा के सामने विवाह करने वाले पक्ष को सदैव झुकना पड़ता है विवाह के मामले में लड़की की राय तो शायद ही कभी ली जाती हो । वैवाहिक सम्बन्धों में परिवार के इस महत्व के कारण इस जनपद में शीघ्र व बाल विवाह अधिक होते हैं । जबकि विधवा और अर्न्तजातीय विवाह न के समान होते हैं । विवाह के पश्चात विवाहित दम्पत्ति तथा उनके बच्चों का समस्त उत्तरदायित्व परिवार ही अपने ऊपर ले लेता है परन्तु नवयुवकों तथा बुजुर्गों के विचारों में अन्तर है । नवयुवक वर्ग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि विवाह जैसी संस्था के नियमन के समय परिवार को महत्व देने की अपेक्षा लड़के व लड़की के गुणों व उनकी योग्यताओं पर ध्यान देना अधिक उचित है परन्तु वे इस विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाये हैं । क्योंकि गांव में अधिकतर परिवार संयुक्त हैं जहां बुजुर्गों की ही बात को प्रमुखता दी जाती है । ऐसे में बुजुर्गों के विरोध में सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते हैं ।

परिवार एकक के भीतर बुजुर्ग पुरूष को ही परिवार का मुखिया माना जाता है । बुजुर्ग स्त्री को परिवार में दूसरा व परिवार के अन्य सदस्यों को तीसरा स्थान प्राप्त होता है । परिवार के मुखिया के सम्बन्ध में 51.35%उत्तरदाताओं ने बुजुर्ग पुरूष को अपने परिवार का मुखिया बताया है ।

बुजुर्ग पुरुष चूंकि वृद्ध व परिवार में सबसे बड़े होते हैं इसलिये नाममात्र को ही परिवार का मुखिया कहलाते हैं । बुजुर्ग पुरुष के हाथ में परिवार की बागडोर तभी तक रहती है जब तक वे कृषि कार्य, परिवार से सम्बन्धित कोई विशेष कर्म या धनोपार्जन की क्षमता रखते हैं । अन्यथा परिवार का मुखिया धनोपार्जन करने वाला व्यक्ति ही होता है । बुजुर्ग स्त्री को भी परिवार में दूसरा स्थान तभी तक प्राप्त रहता है जब तक उसका पति जीवित है अन्यथा वे भी नाम मात्र के लिये परिवार के मुखिया रह जाती हैं । किन्हीं किन्हीं परिवारों में इनसे पारिवारिक, सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्धों में सलाह तो ली जाती है लेकिन उनका निर्णय अन्तिम स्वरूप नहीं रहता । परिवार में सबसे अधिक बात किसकी मानी जाती है । इस प्रश्न के उत्तर में 61.82% उत्तरदाताओं ने कहा धनोपार्जक पुरुष की, 36.36% के अनुसार बुजुर्ग पुरुष की तथा 1.82% उत्तरदाताओं के अनुसार बुजुर्ग स्त्री की परिवार में अधिक बात मानी जाती है । अर्थात जिन परिवारों में पुरुषों का आधिपत्य था वहां यह पाया गया कि उनका परिवार के आर्थिक स्त्रोतों पर पूर्ण रूप से अधिकार था।

इस जनपद के ग्रामीण परिवारों में स्त्री व पुरुष के कार्य क्षेत्र अलग-अलग बंटे हुए हैं । पुरुषों का घरेलू कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है और स्त्रियों का बाहरी क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । 86.5% उत्तरदाताओं ने पुरुषों का कार्य धन कमाना और 83.5% उत्तरदाताओं ने स्त्रियों का कार्य घरेलू कार्य व धन कमाना बताया । स्त्रियों द्वारा धन कमाने का कार्य अधिकांशतः निर्धन व निम्न जातियों की स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है । ये स्त्रियां घरेलू व बाहरी दोनों क्षेत्रों में कार्य करती हैं ऐसा वह निर्धनता की वजह से करती हैं न कि स्त्रियों के बाहरी कार्यक्षेत्र में आने की वजह से । उच्चजाति उच्च व सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर की चहारदीवारी तक ही सीमित है । वैसे भी ग्रामीणों का स्त्रियों द्वारा बाहरी क्षेत्र में पदार्पण अनुचित लगता है परन्तु अब इस धारणा में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है । गांव में सरकार द्वारा खोले गये आंगन बाड़ी प्रौढ़ शिक्षा व छोटे मोटे अन्य केन्द्र जो कि गांव में ही स्थित हैं, में स्त्रियां जाने लगी हैं लेकिन स्त्रियों का गांव से बाहर जाना वे अब भी अनुचित समझते हैं । अभी कुछ ही परिवारों की स्त्रियों ने घर से बाहर

सारणी संख्या (23) बच्चों पर ध्यान रखने का कर्तव्य

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

बच्चों पर ध्यान रखने वाले सदस्य	पुरुष		स्त्री	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
पिता	16.75% (30)	4.95% (6)	12% (3)	10.67% (8)
माता	25.13% (45)	66.11% (80)	32% (8)	80% (60)
मातापितादोनों	55.86% (100)	12.39% (15)	60% (15)	-
परिवार का मुखिया	2.23% (4)	2.39% (15)	-	2.67 (2)
किसी का भी नहीं	-	2.04% (5)	-	6.67% (5)

सारणी संख्या (22) बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध में मत	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
बच्चों पर अलग से विशेष ध्यान देना चाहिये	83.80% (150)	8.26% (10)	80% (20)	30.67% (23)
परिवार में रहते हुए अपने आप व्यक्तित्व का विकास	16.20% (29)	91.74% (11)	20% (5)	69.33% (52)

सारणी संख्या (22) बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	बच्चों पर विशेष ध्यान देना	अपने आप व्यक्तित्व का विकास	बच्चों पर विशेष ध्यान देना	अपने आप व्यक्तित्व का विकास
0-20	60% (30)	40% (20)	78.26% (18)	21.74% (5)
20-40	68% (68)	32% (32)	42.86% (15)	57.14% (20)
40-60	48% (48)	52% (52)	28.57% (8)	71.43% (20)
60-80	28% (14)	72% (36)	14.28% (2)	85.71% (12)

कदम निकाला है । ग्रामवासी उनका विरोध करते हैं ।

सारणी संख्या[21] में जनपद फतेहपुर के ग्राम्य समुदाय में बच्चों की आवश्यकता ,इच्छा ,आकांक्षा व उनके विकास से सम्बन्धित बातों का ध्यान रखने सम्बन्धी कर्तव्यों का वर्गीकरण किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि 55.86% शिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं ने व 60% शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने बच्चों की जिम्मेदारी का कर्तव्य भार माता-पिता दोनों को सौंपा है जबकि 6.11% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाता व 80% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने यह कर्तव्य माता को सौंपा है । ग्रामीणों में अधिकांशतः बच्चों के विकास के सम्बन्ध में ध्यान रखना परिवार के मुखिया का कर्तव्य समझा जाता है । चूंकि इस क्षेत्र में संयुक्त परिवारों का आधिक्य है इसलिये उनकी स्पष्ट छाप भी हमें देखने को मिलती है जैसा कि संयुक्त परिवार में बच्चों की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया पर होती है । इसी तरह आज भी लोग बच्चों की जिम्मेदारी उसके माता पिता की न समझ कर परिवार की समझते हैं जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार का संतुलित स्वरूप न होने के कारण बच्चों पर ध्यान न तो माता पिता देते हैं न ही परिवार का मुखिया । लेकिन जैसा कि सारणी संख्या[22] से स्पष्ट है कि शिक्षा द्वारा लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है अर्थात जो व्यक्ति शिक्षित है वे यह सोचते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिये उन पर अलग से विशेष ध्यान देना आवश्यक है । सारणी में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार 83.80% शिक्षित व 8.26% अशिक्षित पुरूष तथा 80% शिक्षित व 30.67 % अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार बच्चों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । उम्र के आधार पर भी विचारों में अन्तर है । 20 से 40 वर्ष की उम्र के उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है । जबकि 40 से 80 वर्ष की उम्र के उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है ।

सारणी संख्या [23] में आज के परिवेश में आर्थिक स्तर

सारणी संख्या (23) आज के परिवेश में आर्थिक स्तर ठीक रखने के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व विवाह के आधार पर

आर्थिक स्तर ठीक रखने के सम्बन्ध में मत	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
पति पत्नी दोनों को नौकरी / व्यवसाय करना चाहिये	34.08% (61)	16.53% (20)	20% (5)	6.66% (5)
मात्र पति को परिवार के लिए कमाना चाहिये	65.92% (118)	83.47% (101)	80% (20)	93.33% (70)

सारणी संख्या (23) आज के परिवेश में आर्थिक स्तर ठीक रखने के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	पति पत्नीदोनों को नौकरी/व्यवसाय करना चाहिये	मात्र पति को परिवार के लिये कमाना चाहिये	पति पत्नी दोनों को नौकरी/व्यवसाय करना चाहिये ।	मात्र पति को ही परिवार के लिये कमाना चाहिये ।
0-20	48% (24)	52% (26)	73.91% (17)	26.09% (6)
20-40	40% (40)	60% (60)	28.57% (10)	71.43% (25)
40-60	25% (25)	75% (75)	14.28% (4)	85.71% (24)
60-80	8% (4)	92% (46)	-	100% (14)

ठीक रखने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत का वर्गीकरण किया गया है । पुरूष उत्तरदाताओं में 40.78% शिक्षित, 16.53% अशिक्षित तथा स्त्री उत्तरदाताओं में से 80% उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक स्तर ठीक रखने के लिये यदि अवसर मिले तो पति-पत्नी दोनों को नौकरी या व्यवसाय करना चाहिये । जबकि 59.22% शिक्षित 83.47% अशिक्षित पुरूष 20% शिक्षित स्त्री व 100% अशिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार मात्र पति को परिवार के लिये कमाना चाहिये । उत्तरदाताओं की आयु के अनुसार 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के 80% पुरूष व 100% स्त्री उत्तरदाता ,60 से80 वर्ष की उम्र के 90% पुरूष व 100% स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार मात्र पति को परिवार के लिये कमाना चाहिये । अतः स्पष्ट है कि शिक्षित ,अशिक्षित बुजुर्ग व नव युवक सभी उत्तरदाताओं का यही दृष्टिकोण है कि स्त्रियों का परिवार के लिये धन कमाना उचित नहीं है । यह अधिकार मात्र पुरूष को है लेकिन इस क्षेत्र की जो स्त्रियां शिक्षित हैं वे अवश्य चाहती हैं कि अवसर उपलब्ध होने पर स्त्री को भी नौकरी या व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिये ।

उपरोक्त अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक संगठन व परिवार से सम्बन्धित विचारों की विवेचना की गयी । परन्तु समय की गति का इस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है । इस क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिकीकरण का विस्तार , यातायात व संचार साधनों में उन्नति, नगरों के साथ अधिक घनिष्ठ व लेन देन का सम्पर्क , कृषि का मशीनीकरण तथा राजनैतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है । वैसे वैसे ग्रामीणों के लिये परिवार का महत्व कम होता जा रहा है । क्योंकि आधुनिक सामाजिक व आर्थिक व राजनैतिक शक्तियां ग्रामीण परिवार के संयुक्त स्वरूप पर निरन्तर आघात करती रही हैं । संयुक्त परिवार के निर्बल होने का अर्थ है ग्रामीण परिवार की विशेषताओं व प्रथाओं का नाश

यह प्रक्रिया अच्छी हो या बुरी हम इसे पसंद करें अथवा नहीं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसे रोका नहीं जा सकता । त्वरित गति से परिवर्तनशील आधुनिक संसार में ग्रामीण समाज व परिवार में परिवर्तन भी एक न टाला जा सकने वाला परिणाम है ।

आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह निरन्तर परिवर्तित होता जा रहा है । इस परिवर्तन की प्रक्रिया में उन आस्थाओं, मूल्य, विचार, परम्पराओं, संस्थाओं, सामाजिक ढाँचे और संगठन में भी परिवर्तन हुआ है । जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का द्योतक है । परिणाम स्वरूप हमारा ग्रामीण समाज भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रह सका है । उसकी प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक ,धार्मिक, और सांस्कृतिक व्यवस्था में कठोर धक्के लग चुके हैं । चूँकि सम्पूर्ण ग्रामीण व्यवस्था का आधार पारिवारिकता है इसलिये इस पारिवारिकता में अनेक परिवर्तन होने लगे हैं । इस परिवर्तन के फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों में द्रुत गति से विघटन आरम्भ हो गया है । अतः अब परिवारों में न तो सुदृढ़ संगठन है , न आकार में व्यापकता , न कार्यों में एकता है, न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और न ही रीति रिवाजों व परम्पराओं में समानरूपता । जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक विघटन व उसके प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण की विवेचना निम्न तालिका व उनके विवेचना के आधार पर की गयी है ।

सारणी संख्या (24) उत्तम परिवार व्यवस्था के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

उत्तम परिवार व्यवस्था	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
संयुक्त	24.48% (44)	46.28% (56)	20% (5)	46.66% (35)
एकांकी	75.41% (135)	53.72% (69)	80% (20)	53.33% (40)

सारणी संख्या (24) उत्तम परिवार व्यवस्था के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरूष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	संयुक्त	एकाकी	संयुक्त	एकाकी
0-20	10%	90%	21.74%	78.26%
	(5)	(45)	(5)	(18)
20-40	20%	80%	34.28%	65.71%
	(20)	(80)	(12)	(23)
40-60	35%	65%	70.49%	28.57%
	(35)	(65)	(20)	(8)
60-80	100%	-	100%	-
	(50)		(14)	

संयुक्त परिवार के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण

तालिका संख्या (25) शान्ति व झगडा के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रति मत

(अ) लिंग व विवाह के आधार पर

संयुक्त परिवार में शान्ति व झगडा होता है ।	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
सहमति	39.11% (70)	57.85% (70)	40% (10)	33.33% (25)
असहमति	60.89% (109)	42.15% (51)	60% (15)	66.66% (50)

सारणी संख्या (25) शान्ति व हुआ के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रति मत

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति
0-20	20% (20)	80% (40)	13.04% (13)	86.95% (20)
20-40	25% (25)	75% (75)	28.57% (10)	71.42% (25)
40-60	60% (60)	40% (40)	71.42% (20)	28.57% (8)
60-80	90% (45)	10% (5)	85.71% (12)	14.28% (2)

वर्तमान शोध क्षेत्र में 100 उत्तरदाताओं में से 73% संयुक्त परिवार में तथा 27% एकाकी परिवार में निवास करते हैं परन्तु इनमें से अधिकांश उत्तरदाता एकाकी परिवार व्यवस्था को ही उत्तम समझते हैं। जैसा कि सारणी संख्या [24] से स्पष्ट है कि इन्हीं उत्तरदाताओं में से 83.79% शिक्षित पुरुष व 80% शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने एकाकी परिवार व्यवस्था उत्तम बताया अशिक्षित उत्तरदाताओं में भी 4.38% पुरुष व 53.33% स्त्री उत्तरदाताओं ने एकाकी परिवार व्यवस्था को उत्तम बताया। जबकि उम्र के आधार पर 0 से 20 वर्ष तक की उम्र वाले 30%, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 50%, 40से 60 वर्ष की उम्र के 20% उत्तरदाताओं ने एकाकी परिवार व्यवस्था को उत्तम बताया। परन्तु 60 से 80 वर्ष की उम्र वाले पुरुष तथा स्त्री उत्तरदाताओं में सभी ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को उचित बताया। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीणों में शिक्षित वर्ग तथा कम उम्र के उत्तरदाताओं के लिये संयुक्त परिवार व्यवस्था अनुपयुक्त होती जा रही है और संयुक्त परिवार विघटन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

संयुक्त परिवार के प्रति उत्तरदाताओं का क्या दृष्टिकोण है इसका वर्गीकरण सारणी संख्या [25] में किया गया है। सारणी के अनुसार 60.89% शिक्षित 42.15% अशिक्षित पुरुष उत्तरदाता, 60% शिक्षित तथा 66.67% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार संयुक्त परिवार में शांति व सुख का अभाव होता है। आयु के आधार पर 80 से 60 वर्ष की उम्र वाले 60% पुरुष 71.42% स्त्री व 60 से 80 वर्ष की उम्र वाले 90% पुरुष व 85.71%स्त्री उत्तरदाताओं ने संयुक्त परिवार में शांति व सुख के प्रति अपनी असहमति दर्शायी है। जबकि 20 वर्ष तक की उम्र वाले 80% पुरुष व 86.95% स्त्री उत्तरदाताओं ने तथा 20 से 40 वर्ष के 75% पुरुष व 71.42% स्त्री उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अपनी असहमति जाहिर की है। उत्तरदाताओं के मतानुसार संयुक्त परिवार में दुःख और कलह का राज्य होता है शान्ति व सुख का अभाव होता है क्योंकि संयुक्त परिवार में सदस्यों के पारस्परिक हितों में संघर्ष होता रहता है। विशेष-कर स्त्रियों में सदैव छोटी छोटी बातों में झगड़ा झाड़ा हो जाता है। इन कारणों का परिणाम है पारिवारिक अशान्ति और संयुक्त परिवार का विघटन।

सारणी संख्या (26) संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व विकास व स्वावलम्बन के प्रति मत

(3) लिंग व शिक्षा के आधार पर

व्यक्तिगत विकास व स्वावलम्बन की दृष्टि में	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
उत्तम	30.16% (54)	33.88% (41)	20% (5)	40% (30)
बाधक	69.83% (125)	66.12% (80)	80% (20)	60% (45)

सारणी संख्या (26) संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत विकास व स्वावलम्बन के प्रति मत

(ब) आयु तथा लिंग के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
0–20	20% (10)	80% (40)	21.73% (5)	78.26% (18)
20–40	25% (25)	75% (75)	28.57% (10)	71.42% (25)
40–60	55% (55)	45% (45)	53.57% (15)	46.42% (13)
60–80	70% (35)	30% (15)	64.28% (9)	35.71% (15)

एन0डी0घोष का इस सम्बन्ध में कथन " वर्तमान जनपद की पारिवारिक दशा का चित्रण करता है । एन0डी0घोष के अनुसार," जिन दीवारों में संयुक्त परिवार के बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को रहना पड़ता है यदि उनसे प्रश्न किया जाये तो बड़ा दुख कथन कहेंगे । उन दीवारों ने कितने ही प्राणियों के अश्रुप्रवाह देखे हैं कितनों की दुखा व निराशा भरी ठण्डी आहों को सुना है वे दीवारें विफल हुई अनेक संघर्षों की साक्षी हैं । धीर आत्मायें किसी के आगे घुटने टेकना नहीं चाहतीं उन दीवारों ने उन्हें अनिच्छा पूर्वक घुटने टेकते हुए देखा है । हिन्दू परिवार ने उनके हृदय में धधकने वाली ज्वाला के अनेक अंगारों को दबा डाला है । अनेक उच्च योजनाओं को कब्र में दफना दिया है । कई बार झगड़े का कारण प्रतिष्ठा सम्बन्धी छोटी सी बात होती है, कई बार धन हेतु और आज्ञा पालन व सत्ता के प्रश्न का झगड़ा उठ खड़ा हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि कई बार खुल्लमखुल्ला लड़ाई बन्द हो जाती है किन्तु परिवार की यह शांति दशा तात्कालिक तटस्थता की तरह होती है । परिवार में शान्ति उन्हीं अवस्था में होती है जब सब लोग लड़ते लड़ते थक गये हों या अपने मोर्चे की तैयारी कर रहे हों या शत्रु को बलवान समझ कर चुप हो तथा उसे नीचा कर आक्रमण करने का अनुकूल अवसर ढूंढ रहे हों । यदि पारिवारिक झगड़ों की वास्तविक झांकी देखनी हो तो संयुक्त परिवार को देखें परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी संयुक्त परिवार कलहों का केन्द्र हैं पर इतनी बात अवश्य है कि संयुक्त परिवारों में अन्य परिवारों की अपेक्षा अधिक झगड़े होते हैं और उसका रूप भी अत्याधिक कटु होता है । "

तालिका संख्या {26} में व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी तथ्यों का वर्गीकरण किया है । उक्त तथ्यों के अनुसार 69.83% शिक्षित पुरूष 80% शिक्षित स्त्रियों ने 66.12% अशिक्षित पुरूष तथा 60% अशिक्षित स्त्रियों ने संयुक्त परिवार को व्यक्तिगत विकास व स्वावलम्बन की दृष्टि से बाधक बताया है । लिंग व आयु के आधार 0-20 वर्ष की उम्र वाले 80% पुरूष , 78.26% स्त्री 20 से 40 वर्ष की उम्र वाले 75% पुरूष 71.42%स्त्री ने, 40से 60वर्ष की उम्र वाले 30% पुरूष 35.71% स्त्री उत्तरदाताओं ने संयुक्त परिवार को व्यक्तिगत विकास में बाधक बताया है । अतः आंकड़ों से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्तित्व

सारणी संख्या (27) संयुक्त परिवार में स्त्रियों के शोषण के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

स्त्रियों के शोषण के सम्बन्ध में	पुरूष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
सहमति	89.38% (160)	49.58% (60)	92% (28)	66.66% (50)
असहमति	10.62% (19)	50.42% (61)	8% (2)	33.33% (25)

सारणी संख्या (27) संयुक्त परिवार में स्त्रियों के शोषण के सम्बन्ध में मत

(ब) आयु व लिंग के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति
0-20	96% (48)	4% (2)	86.95% (20)	13.04% (3)
20-40	77% (77)	23% (23)	85.71% (30)	14.28% (5)
40-60	60% (60)	40% (40)	53.57% (15)	46.42% (13)
60-80	32% (16)	68% (34)	14.28% (12)	85.71% (12)

का विकास नहीं हो पाता । विशेषकर प्रतिभावान लड़कों का समुचित विकास नहीं हो पाता । क्योंकि यहाँ "सब धान बाईस पसेरी" के भाव से तौले जाते हैं । व्यक्ति को उसकी कुशलता/योग्यता के आधार पर विशेष सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है । साथ ही बच्चे बचपन से युवा अवस्था तक परतंत्र और दूसरों पर निर्भर होते हैं । इस कारण उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं पनप पाती है । श्री कॉटन ने उचित ही कहा है कि "यह जगन्नाथ का विशाल रथ है, असीम वैयक्तिक प्रतिभा इस रथ के भारी चक्रों से चूर-चूर हुई है । संयुक्त परिवार इसी रथ का लघु रूप है , कर्ता के अनुकूल या वश में न रहने वाले व्यक्तियों का विकास इस रथ के पहियों के नीचे कुचल गया है उनकी योग्यताओं को पददलित किया गया है उनमें विकास पाने वाले महत्वकांक्षाओं पर कुठाराघात किया गया है । उनकी आशाओं और अभिलाषाओं का मर्दन किया गया क्योंकि संयुक्त परिवार का सदस्य होने के नाते उन पर महान उत्तरदायित्व थे । उनको निबाहते हुए भी वे अपने विश्वासों और आकांक्षाओं के अनुकूल आचरण नहीं कर सकते थे । " वास्तविकता यह है कि जिनके ऊपर परिवार का भार होता है वे इतने लोगों के भरण पोषण की चिंता में व्याकुल और व्यस्त रहते हैं कि उन्हें भी अपने व्यक्तित्व के विकास से संबन्धित प्रयत्नों को तिलांजलि ही देनी पड़ती है । उसी प्रकार परिवार के अल्प व्यस्क सदस्यों को इतने कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है कि उसमें आत्मनिर्भरता पनप ही नहीं पाती है और न ही वे अपने आन्तरिक गुणों और क्षमताओं का उचित विकास कर पाते हैं ।

सारणी संख्या (27) में संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा का वर्गीकरण उत्तरदाताओं के लिंग शिक्षा व आयु के आधार पर किया गया है । सारणी के अनुसार 89.38% पुरुष शिक्षित 92% शिक्षित स्त्रियों के मतानुसार संयुक्त परिवार में स्त्रियों का शोषण होता है । 49.58% अशिक्षित पुरुषों व 66.66% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने भी इस बात का समर्थन किया है। सारणी 27(ब) में आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है । इसके अनुसार 0 से 20 वर्ष की उम्र वाले 96% पुरुष 86.95% स्त्रियों , 20से 40वर्ष की उम्र वाले 77% पुरुष 85.71% स्त्रियाँ तथा 40 से 60 वर्ष की उम्र के 60% पुरुष 14.28 % स्त्री उत्तरदाताओं ने स्त्री के शोषण का समर्थन किया है । इस

सारणी संख्या (28) संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मत लिंग व विवाहिता के आधार पर

सामाजिक सुरक्षा के प्रति	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
सहमति	94.97% (170)	100% (121)	88% (22)	100% (75)
असहमति	5.02% (9)	-	3.12% (3)	-

सारणी संख्या (29) गतिशीलता/परिवर्तनशीलता के प्रति संयुक्त परिवार की भूमिका

(अ) लिंग व विवाह के आधार पर

गतिशीलता/परिवर्तनशीलता में संयुक्त परिवार सहायक	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति
विवाहित	93.85% (168)	6.14% (11)	80% (20)	20% (5)
अविवाहित	91.73% (111)	8.26% (10)	53.33% (40)	46.66% (35)

सारणी संख्या (29) गतिशीलता/परिवर्तनशीलता के प्रति संयुक्त परिवार की भूमिका

(ब) लिंग एवं आयु के आधार पर

गतिशीलता/परिवर्तनशीलता में संयुक्त परिवार सहायक	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति
0-20	100% (50)	-	86.96% (20)	13.04% (13)
20-40	80% (80)	20% (20)	85.71% (30)	14.28% (5)
40-60	58% (58)	42% (42)	50% (14)	50% (14)
60-80	50% (25)	50% (25)	28.57% (14)	71.43% (10)

क्षेत्र में संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय है । विशेष रूप से नयी बहुओं की, क्योंकि उन पर सास और ननद राज्य एवं अत्याचार करती हैं । उन्हें एक प्रकार से दासी के समान समझा जाता है । उनको अपने आत्मविकास के लिये कोई अवसर नहीं मिल पाता है । किसी भी पारिवारिक मामलों में उनकी राय नहीं ली जाती । यहां तक कि अपने बच्चों के पालन पोषण से संबन्धित विषय में भी उनका कोई हाथ नहीं रहता । संयुक्त परिवार का कठोर अनुशासन होने के कारण स्त्रियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते और शिक्षा के अभाव के कारण उनका दृष्टिकोण न विस्तृत होता है और न ही दुनिया के प्रगतिशील विचारों के साथ कोई सम्पर्क ।

सारणी संख्या (28) से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार में रहने से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है । 94.57% शिक्षित 100% अशिक्षित पुरुषों तथा 88% शिक्षित तथा 100% अशिक्षित स्त्रियों ने संयुक्त परिवार में स्त्रियों शोषण सम्बन्धी मत का समर्थन किया है । मात्र 5% शिक्षित पुरुष व 3% शिक्षित स्त्रियों ने इस बात का विरोध किया है ।

सारणी संख्या (29) संयुक्त परिवार की गतिशीलता व परिवर्तन-शीलता का वर्गीकरण किया गया है । पुरुष उत्तरदाताओं में से 93.85% शिक्षित 91.37% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने, स्त्री उत्तरदाताओं में से 80% शिक्षित और 53.33% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने इस बात का समर्थन किया कि संयुक्त परिवार गतिशीलता व परिवर्तनशीलता में बाधक होते हैं । आयु के आधार पर 0 से 20 वर्ष की उम्र के 100% पुरुष उत्तरदाता व 86.96% स्त्री उत्तरदाता, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 80% पुरुष 85.71% स्त्री उत्तरदाता 40 से 60 वर्ष की उम्र के 58% पुरुष 50% स्त्री उत्तरदाताओं ने संयुक्त परिवार को गतिशीलता व परिवर्तनशीलता में बाधक बताया है । इससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में संयुक्त परिवार के सदस्य अपने परिवार के साथ कठोर बन्धन में बंध जाते हैं । वे परिवार से पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना करना भी छोड़ देते हैं । यहां व्यक्ति हमेशा परिवार पर ही निर्भर होता है जिससे उनमें स्वावलम्बन की भावना नहीं आ पाती । जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत

सारणी संख्या (30) परिवार में आपसी सम्बन्धों के प्रति दृष्टिकोण

(अ) लिंग व विवाह के आधार पर

संयुक्त परिवार में आपसी सम्बन्ध	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
शान्तिपूर्ण	46.93% (84)	29.75% ( )	48% (12)	80% (60)
तनावपूर्ण	39.11% ( )	66.11% ( )	40% (10)	20% (15)
सहयोगपूर्ण	13.96% ( )	4.13% ( )	12% (3)	-

तालिका संख्या (30) परिवार में आपसी सम्बन्धों के प्रति दृष्टिकोण

(ब) लिंग व आयु के आधार पर

संयुक्त परिवार में आपसी सम्बन्ध	पुरुष उत्तरदाता			स्त्री उत्तरदाता		
	शान्तिपूर्ण	तनावपूर्ण	सहयोगपूर्ण	शान्तिपूर्ण	तनावपूर्ण	सहयोगपूर्ण
0-20	40%	60%	-	21.75%	78.26%	-
	(20)	(30)		(5)	(18)	
20-40	30%	65%	5%	28.57%	71.43%	-
	(30)	(65)	(5)	(10)	(25)	-
40-60	30%	70%	-	28.57%	71.43%	-
	(30)	(70)		(18)	(20)	
60-80	50%	50:%	-	28.57%	71.45%	-
	(25)	(25)		(4)	(10)	

सारणी संख्या (31) परिवार में तनावपूर्ण सम्बन्धों के प्रति दृष्टिकोण

(अ) लिंग व शिक्षा के आधार पर

संयुक्त परिवार में तनाव पूर्ण सम्बन्ध के कारण	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
1. विचारों व दृष्टिकोण में अन्तर	52.38% (55)	14.12% (12)	33.33% (15)	27.40% (20)
2. आर्थिक कारण	14.28% (15)	17.65% (15)	6.67% (1)	17.81% (13)
3. भौतिक व आधुनिक सभ्यता का प्रभाव	9.52% (10)	29.41% (25)	20% (3)	34.25% (25)
4. अपराधी प्रवृत्ति होना	4.76% (5)	11.76% (10)	– –	5.48% (4)
5. बुरी आदतों का शिकार	–	11.76% (10)	13.33% (2)	4.11% (3)
6. स्त्रियों की दयनीय स्थिति	19.05% (20)	21.18% (18)	26.67% (4)	10.96% (8)

उन्नति के अवसर प्राप्त होने पर भी वे अपना परिवार छोड़कर दूसरे शहर में जाना पसंद नहीं करते ।

सारणी संख्या {30} में उत्तरदाताओं के परिवार में आपसी संबंधों को दर्शाया गया है । सारणी के अनुसार पुरूष उत्तरदाताओं में से 46.93% शिक्षित, 29.75% अशिक्षित, स्त्री उत्तरदाताओं में से 48% शिक्षित 80% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने परिवार के आपसी सम्बन्धों को शान्तिपूर्ण बताया । जबकि पुरूष उत्तरदाताओं में 39.11% शिक्षित 66.11% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं में 40% शिक्षित व 20% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने आपसी सम्बन्धों को तनावपूर्ण बताया । पुरूष उत्तरदाताओं में 13.96% शिक्षित, 4.13% अशिक्षित ,स्त्री उत्तरदाताओं में 12% शिक्षित उत्तरदाताओं में आपसी सम्बन्ध सहयोगपूर्ण बताये । आयु के आधार पर 0 से 20 वर्ष की उम्र के 40% पुरूष 21.74% स्त्री उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण ,60% पुरूष 78.26% स्त्री उत्तरदाताओं ने तनावपू र्णसम्बन्ध बताये । 20 से 40 वर्ष की उम्र के 30% पुरूष 28.71% स्त्री उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण तथा 65% पुरूष 71.43% स्त्री उत्तरदाताओं ने तनावपूर्ण सम्बन्ध बताये ।

सारणी संख्या {31} में परिवार में तनावपूर्ण सम्बन्धों के कारणों का वर्गीकरण उत्तरदाताओं के लिंग व शिक्षा के आधार पर किया गया है । सारणी के अनुसार पुरूष उत्तरदाताओं में 52.38% शिक्षित, 14. 12%अशिक्षित तथा 33.33% शिक्षित तथा 27.90% स्त्री अशिक्षित उत्तरदाताओं ने तनावपूर्ण सम्बन्ध का कारण विचारों व दृष्टिकोण में अन्तर बताया । आर्थिक कारण के पक्ष में 14.28% शिक्षित 17.65% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं 6.67%शिक्षित 17.81%अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने अपना मत दिया । तीसरा कारण भौतिक व आधुनिक सभ्यता के प्रभाव के पक्ष में 9.52%शिक्षित 29.71% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं 20% शिक्षित व 34.25% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने मत दिये । चौथे कारण परिवार में किसी का अपराधी प्रवृत्ति के होने के पक्ष में 4.76%शिक्षित ,11,76% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाता ने मत दिये । 11.76% अशिक्षित व 13.33% शिक्षित 4.11% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार पारिवारिक तनाव का कारण , परिवार

सारणी संख्या (32) पारिवारिक सुदृढ़ता की दृष्टि से स्त्रियों के नौकरी/व्यवसाय करने के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व विवाह के आधार पर

स्त्रियों के नौकरी/व्यवसाय करने पर	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
पारिवारिक सुदृढ़ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता	16.76% (30)	6.61% (8)	32% (8)	6.67% (5)
पारिवारिक सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है	72.62% (130)	85.12% (102)	12% (3)	86.67% (65)
पारिवारिक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है	10.61% (19)	8.26% (10)	56% (14)	6.66% (5)

तालिका संख्या (32) पारिवारिक सुदृढ़ता की दृष्टि से स्त्रियों के नौकरी /व्यवसाय करने के सम्बन्ध में मत (ब) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता			स्त्री उत्तरदाता		
	पारिवारिक सुदृढ़ता में कोई फर्क नहीं पड़ता	पारिवारिक सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है।	पारिवारिक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है।	पारिवारिक सुदृढ़ता में कोई फर्क नहीं पड़ता	पारिवारिक सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है।	पारिवारिक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है।
0-20	40% (20)	50% (25)	10% (5)	8.69% (2)	21.74% (5)	69.56% (16)
20-40	20% (20)	75% (75)	5% (5)	-	57.14% (20)	42.85% (15)
40-60	15% (15)	85% (85)	-	-	85.71% (24)	14.28% (4)
60-80	-	100% (50)	-	-	100% (14)	-

में किसी व्यक्ति का बुरी आदतों का शिकार होना है । जबकि पुरूष उत्तरदाता में से 19.05% शिक्षित, 21.18% अशिक्षित, तथा स्त्री उत्तरदाता में 26.67% व 10.96% अशिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार स्त्रियों की दयनीय स्थिति परिवार के तनावपूर्ण सम्बन्धों का कारण है ।

सारणी संख्या (32) में पारिवारिक सुदृढ़ता पर पत्नी के नौकरी या व्यवसाय करने से पड़ने वाले प्रभाव का उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया गया है । इस सम्बन्ध में पुरूष उत्तरदाताओं में से 72.62% शिक्षित, 85.12% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं में से 12% शिक्षित 86.67% अशिक्षित उत्तरदाताओं का मत है कि स्त्रियों के नौकरी या व्यवसाय करने से पारिवारिक सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है । उत्तरदाताओं की आयु के आधार पर 0 से 20 वर्ष की उम्र के 50% पुरूष 21.74% स्त्री 20 से 40 वर्ष के 75% पुरूष 57.14% स्त्री, 40 से 60 वर्ष की उम्र के 85% पुरूष 85.71% स्त्री, 60 से 80 वर्ष की उम्र के 100% पुरूष व 100% स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार स्त्रियों के नौकरी या व्यवसाय करने से पारिवारिक सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है ।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं जिनके कारण संयुक्त परिवार का विघटन अनिवार्य है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अन्य अनियमिततायें भी हैं जो पारिवारिक कलह में सहयोग करती हैं जिनके कारण परिवार विघटित हो रहे हैं ।

विश्लेषण :-

शोध प्रबन्ध के वर्तमान अध्ययन में यह प्रयास किया गया है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों के परम्परागत स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन का स्तर क्या है । उपर्युक्त वर्णित सम्पूर्ण व्याख्याओं के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तावित होता है कि इस क्षेत्र में जिन सम्बन्धों और मूल्यों से संगठन की नींव पड़ी है वे टूटने लगे हैं । पारिवारिक सम्बन्धों में अनुकूलता

तथा दृढ़ता का लोप हो गया है । परिवार के सदस्यों के भीतर तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है उनमें मिलजुल कर "एक सबके लिये और सब एक के लिये वाली कार्य करने की भावना का लोप हो गया है । वे बाहर से एक परिवार के रूप में बने रहते हैं लेकिन उनके भीतर वे मधुर सम्बन्ध कायम नहीं रहते जोकि एक परिवार के सदस्यों में होना चाहिये । अन्दर ही अन्दर कटुता पनपती रहती है। और एक प्रकार का अलगाव छाया रहता है । और जब यह चरम सीमा पर पहुँच जाती है तब परिवार के सदस्य एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं अर्थात अन्दर ही अन्दर एक दूसरे को न चाहते हुए अथवा आचार व्यवहार में एक दूसरे से सहमत न होते हुए भी पति-पत्नी ,भाई-भाई व परिवार में एक दूसरे सदस्य ऊपरी तौर पर सामाजिक लोक लाज के कारण बंधे रहते हैं । दूसरे शब्दों में पारिवारिक बन्धनों के नियंत्रण शक्तियों में कमी आ गयी है । आपसी मधुर सम्बन्ध और ममता समाप्त हो गयी है । इस क्षेत्र में संयुक्त परिवार तो अधिक संख्या में हैं लेकिन परिवार का अर्थ पूर्णतया परिवर्तित हो गया है । संयुक्त परिवार में संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की सहयोगी व्यवस्था नहीं रह गयी ।

वर्तमान शोध विवरण से यह भी स्पष्ट है कि नवयुवकों में शिक्षा वृद्धि होने के कारण व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का बोल बाला बढ़ता जा रहा है । स्वार्थमय व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण नवयुवक वर्ग बुजुर्गों के विचारों एवं मन्तव्य पर उतना ध्यान नहीं देते जितना पहले देते थे । आत्म केन्द्रित विचारों को प्रश्रय मिल रहा है तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है । पारिवारिक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का लोप होता जा रहा है । लोग अपना अलग घर बनाने की बात अधिक सोचने लगे हैं । ग्रामीण परिवार का समस्त वातावरण दूषित एवं विकारयुक्त हो रहा है । नौकरी या अन्य व्यवसाय करने के लिये गांव का व्यक्ति शहर की तरफ जाता है तो उसके परिवार का मुखिया उससे परिवार के सामूहिक कार्य में सहायता की अपेक्षा करता है । पर वह व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित धन को अपना समझता है उसको वह अपनी व्यक्तिक सम्पत्ति समझता है और उसपर वह यह भी समझता है कि गांव की

सम्पत्ति में उसका भाग निश्चित है जो उसे मिलते रहना चाहिये । इस प्रकार से परिवारों में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे तनाव की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है ।

समय के साथ कई परिवर्तन इस क्षेत्र में हुए लेकिन परिवार में स्त्रियों की दशा पहले जैसे भी वैसी आज भी है । चाहे परिवार में उनका स्थान माँ का हो या पत्नी का या लड़की का हो या बहू का । स्त्रियों के प्रति लोगों का मनोभाव बहुत ही हेय प्रकार का है । आज भी उसके साथ दासी की तरह व्यवहार किया जाता है । लड़कियाँ परिवार में भार स्वरूप समझी जाती हैं ।

अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आज के युग में जब चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं हमारे सामाजिक मूल्य और आदर्श नया रूप ले रहे हैं । तो यह स्वाभाविक है कि परिवार जैसी सामाजिक संस्था भी आधुनिक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो । कोई भी सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक, संस्था तभी तक प्राणवान रह सकती है जब वह समय के अनुकूल ढलने को तैयार हो । यद्यपि इस क्षेत्र में ग्रामीण पारिवारिक संरचना आज भी परम्परागत है और कार्यों धारणाओं आदि की दृष्टि से आज भी हमारे अधिकांश परिवार रूढ़िवादी हैं फिर भी वे आधुनिक परिवर्तन की चपेट में आते जा रहे हैं फलस्वरूप ग्रामीण पारिवारिक क्षेत्र में नयी नयी प्रवृत्तियां दिखायी देने लगी हैं यद्यपि उनका प्रचार अभी बहुत कम है । जो परिवार पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं में आधुनिक प्रवृत्तियां अधिक दिखायी देती हैं इसके विपरीत प्राचीनता के भंवर में फंसे हुए परिवार में जिनकी संख्या बहुत अधिक है में भी आधुनिक प्रवृत्तियां प्रवेश पाने लगी हैं फिर भी परम्परागत और रूढ़िगत चरित्र ही प्रबल है इसलिये इन परिवारों में प्राचीन व आधुनिकता के बीच रस्साकशी चल रही है । समय की प्रगति के साथ स्पष्ट संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि अन्ततोगत्वा इन परिवारों को भी आधुनिक प्रवृत्तियों का स्थान देना होगा जितना अधिक वे विरोध करेंगे उतना ही अधिक इनके विघटन का मार्ग प्रशस्त होगा । संयुक्त परिवार आज इसीलिये विघटित हो रहे हैं कि आधुनिक प्रवृत्तियों से वे अपना सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं ।

अध्याय ३

आर्थिक गतिशीलता

[औद्योगीकरण व यन्त्रीकरण का प्रभाव]

आर्थिक गतिशीलता- आधुनिकीकरण व यंत्रीकरण का प्रभावः-

भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व कितना अधिक है, इसे इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि यहाँ की 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा 70% जनसंख्या कृषि के द्वारा जीविका उपार्जित करती है। भारत की राष्ट्रीय आयका 50% भाग कृषि कार्यों से सम्बन्धित है जबकि सभी उद्योगों में आधे से भी अधिक उद्योग गांव में उत्पादित कच्चे माल की पूर्ति द्वारा चलते हैं। देश में कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा आधार है तथा उद्योगों की समृद्धि और ह्रास भी बहुत बड़ी सीमा तक कृषि फसलों की स्थिति से ही सम्बद्ध है। इससे भारत जैसे देश में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। भारत में परम्परा-गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप अत्याधिक सरल था। जमींदार अथवा साधन सम्पन्न व्यक्ति गांव की भूमि पर अपना अधिकार रखते थे तथा ग्रामीणों को विभिन्न शर्तों पर अपनी भूमि जोतने के लिये देते थे। इसप्रकार बिना श्रम किये हुए ही उपज का एक बहुत बड़ा भाग उन्हें प्राप्त हो जाता था। जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जातियों द्वारा अपने जजमानों को विभिन्न सेवायें प्रदान की जाती थीं। बदले में जजमान सेवा करने वाली जातियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करते थे। गांव की प्रमुख जातियां तथा साधन सम्पन्न व्यक्ति ग्रामीणों को जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण दिया करते थे और इसके बदले उन्हें अपनी भूमि पर कार्य करने तथा अन्य सेवायें देने के लिये बाध्य करते थे। इसप्रकार परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भर होने के बाद भी अव्यवस्थित और शोषण कारी थी। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि "ग्रामीण कृषि एक लाभप्रद व्यवस्था न होकर एक जीवन विधि है।" इस छोटे से कथन से स्पष्ट होता है कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार ही नहीं बल्कि इसने एक विशेष आर्थिक प्रतिमान का भी निर्माण किया है। भारत में किसानों द्वारा कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उनका अपनी भूमि

और व्यवसाय के प्रति एक भावनात्मक लगाव भी होता है यही कारण है कि कृषि किसान के जीवन का एक अंग बन गयी है । किसान गांव में रहता है ,अपने सीमित साधनों से खेती करता है तथा भूमि को अपनी आजीविका का एकमात्र साधन मानता है । इससे उसे लाभ हो या हानि वह अपनी कृषि उपज पर ही सन्तोष अनुभव करता है । वास्तविकता यह है कि किसान बिना कृषि कार्य किये अपने को सुखी और सन्तुष्ट महसूस नहीं करता । यह सच है कि वर्तमान समय में बहुत से कृषक लाभ और बचत को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने लगे हैं । वास्तव में प्रारम्भ में किसान की आवश्यकतायें बहुत ही कम थीं उसका जीवन अत्यन्त सादा व सरल था । आवश्यकतायें सीमित होने के कारण वे लाभ और बचत की तरफ ध्यान नहीं देते थे जितनी पैदावार होती थी उसी में वर्ष भर सन्तुष्ट रहते थे । सामाजिक रीति-रिवाजों ,विवाह,उत्सव आदि का आयोजन ग्रामीण उस वर्ष करते थे जब फसल अच्छी हो अथवा महाजन व बड़े-बड़े कृषकों से ऋण लेकर पूरा करते थे तथा ऋण का भुगतान पैदावार अच्छी होने पर कर दिया करते थे । फलस्वरूप भूमि उनके लिये लाभप्रद व्यवसाय न होकर पालनहारी जन्म-दात्री थी । कृषि और भूमि से किसानों के लगाव को स्पष्ट करते डा0दुबे ने लिखा है, "किसानों को अपनी भूमि और अपने पशुओं से भारी लगाव होता है। कठिनाई के समय यदि कृषक को अपना खेत , गाय व बैल बेचने पड़े तो वह दिन उस परिवार के लिये सबसे अधिक शोक का दिन होता है । किसान इस कार्य को भारी मन से करता है । कई दिनों तक परिवार में उदासी छायी रहती है । और घर की स्त्रियां ऐसे समय में सबसे अधिक दुखी दिखायी देती हैं । भारतीय कृषक भूमि को अपनी मां के समकक्ष मानते हैं और भूमि को छोड़ना उनके लिये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपनी मां से बिछुड़ना ।"[32]

उपरोक्त विवरण द्वारा भारतीय,गामों की अर्थव्यवस्था की लघु झाँकी प्रस्तुत की गयी है । वर्तमान अध्याय में जनपद फतेहपुर की अर्थव्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में हुये परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है । इसमें ग्रामीण

32. डा0श्यामाचरण दुबे,"एक भारतीय ग्राम"[अनु0योगेश अटल]

उत्तरदाताओं से उनकी कृषि प्रणाली के प्राचीन तथा आधुनिक स्वरूप की विवेचना की गयी है । इसके द्वारा यह जानने के प्रयास किया गया कि ग्रामीणों को कृषि प्रणाली पर उसके आधुनिक स्वरूप व यन्त्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है । यंत्रीकरण के फलस्वरूप क्या उनके आय स्तर में वृद्धि हुई है । यदि वह ऋणग्रस्त हैं तो उसके क्या कारण हैं । इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र में क्या-क्या सरकारी प्रयास किये गये हैं । इन प्रयासों के पश्चात भी ऐसे कौन से कारक हैं जो कि इस क्षेत्र को पिछड़े स्वरूप से मुक्ति नहीं दिलवा पा रहे हैं । सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर की अर्थ-व्यवस्था तथा उनके बीच पारस्परिक अन्तर्जातीय सम्बन्धों के परम्परागत तथा वर्तमान स्वरूप की विवेचना की गयी है ।

प्राचीन समय में प्रत्येक जाति का अपना एक शिल्प या व्यवसाय होता था जो कि परम्परागत होता था । एक जाति का जो कार्य था उसे अन्य जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता था । मृत जानवर उठाना, चमड़े आदि का कार्य मात्र चमार ही कर सकते थे । कृषि कार्य क्षत्रियों के हाथ में था । अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, नाई, कुम्हार, बुराई, धोबी, तेली, सुनार तथा चमार आदि सभी के अपने-अपने परम्परागत व्यवसाय होते थे जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता था । एस0सी0दुबे के अनुसार "परम्परा ने प्रत्येक समूह को समुदाय की संरचना में एक निश्चित स्थिति दी है और उसी स्थिति के अनुरूप ही निश्चित आर्थिक प्रकार्य दिये हैं जो कि उस समूह की जीविका का प्रमुख स्त्रोत हैं । " अतः स्पष्ट है कि एक जाति का एक ही प्रकार का पेशा करने से उसकी अन्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी इसके लिये उसे अन्य दूसरी जातियों पर निर्भर होना पड़ता था । यह आर्थिक व्यवस्था अन्तर्जातीय सम्बन्धों को पनपाती व अभिव्यक्ति करती थी । एस0सी0दुबे के अनुसार,"जाति व्यवस्था में चार प्रकार के आर्थिक लेन-देन होते थे -जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण थे§1§कृषकों को उनके कृषि कार्य से सम्बन्धित व्यवसायगत सेवायें देने का दायित्व ।
§2§ सामाजिक, धार्मिक जीवन से सम्बन्धित गतिविधियों में कृषि की व्यवसायिक सेवायें देने का दायित्व

33. श्यामाचरण दुबे ,"एक भारतीय ग्राम" §अनु0योगेश अटल§ पृ057-58

{3} अन्य व्यवसायिक जातियों को उनकी परम्परागत सेवाओं के बदले व्यवसायिक सेवायें प्रदान करने का दायित्व ।

{4} काम के बदले में पैसे मिलने की अपेक्षा में दी जाने वाली व्यवसायिक सेवायें ।

प्रथम के अनुसार किसानों के जीवन से सम्बन्धित जो अन्य आवश्यकतायें थीं उनकी पूर्ति अन्य व्यवसायिक जातियां करती थीं इसके बदले किसान अपनी पैदावार का हिस्सा उन्हें देता था । इस प्रकार की सेवाओं का मूल्य तुरन्त नहीं देना पड़ता था। उदाहरण- किसानों के हल, कुदाल, फावड़ा, पहटा आदि उपकरण बढ़ई ठीक करते थे । समयानुसार बढ़ई नये उपकरण भी देते थे । इसके बदले में वर्ष में दो बार फसलों की कटाई के समय बढ़ई को उसका हिस्सा दे दिया जाता था । सेवाओं के बदले मिलने वाले भुगतान का निर्धारण किसान की जोती बाड़ी पर निर्भर करता था । इस सन्दर्भ में एस0सी0दुबे के अनुसार, "कृषि से भिन्न अन्य क्षेत्रों में भी कुछ जातियां अपनी व्यवसायिक सेवायें प्रदान करती हैं और यह आशा करती है कि कृषक उन्हें भी फसल काटने के समय उनका हिस्सा देगा । जैसे कुम्हार कृषक को मिट्टी के घड़े और बर्तन उसकी रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये देता है इसी आधार पर नाई कृषक परिवार के सदस्यों के बाल काटते और हजामत बनाते हैं । धोबी भी समृद्ध कृषकों को अपनी सेवायें देते समय यही आधार अपनाता है । "[34]

द्वितीय के अनुसार किसानों के घरों में जो भी धार्मिक,सामाजिक, संस्कार व त्योहार होते थे उन संस्कारों को विधिवत करने के लिये अन्य कुछ विशिष्ट जातियों की सेवा ग्रहण करनी ही पड़ती थी उदाहरण नाई का कार्य जन्म संस्कार के समय घर-घर जाकर नवजात शिशु की सूचना देना ,नाईन का कार्य उबटन, तेल,मालिश,नहलाना, विवाह संस्कार के समय ~~xxxxxxxxxx~~ निमंत्रण देना ,घर के साथ व्यक्तिगत सेवक के रूप में उपस्थित रहना आदि होते हैं । ब्राहमण का कार्य जन्म संस्कार के समय बच्चे की जन्म कुण्डली बनाना पूजन हवन करना,विवाह करवाना आदि कार्य होते थे । इसी प्रकार पर्व या

34.श्यामाचरण दुबे, "एक भारतीय ग्राम{अनु0योगेश अटल}पृ058

त्योहारों पर जैसे दीपावली पर दिये ,बर्तन आदि बनाकर देना, कुम्हार का कार्य होता था । इन सेवाओं का मूल्य अन्न से अर्थात नेग के रूप में चुकाया जाता था । इस सन्दर्भ में एस0सी0दुबे ने लिखा है कि," ये सेवायें वे परम्परा के आधार पर ही प्रदान करते हैं । इन सेवाओं के लिये दिये जाने वाले मेहनताने के बारे में पहले से कोई मोलभाव नहीं होता । परम्पराओं से ही उनका न्यूनतम मेहनताना बंधा होता है और धार्मिक सेवायें देते समय विभिन्न अवसरों पर उनको अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत के हिसाब से इन सेवाओं के लिये निश्चित राशि से भी अधिक देते हैं ।

तृतीय के अनुसार व्यवसायिक जातियां अन्य व्यवसायिक जातियों को अपनी सेवायें प्रदान करतीं व उसके बदले उनकी सेवायें लेती थीं । इसके लिये धन द्वारा मूल्य चुकाने की अपेक्षा नहीं की जाती थी । उदाहरण- जुलाहे के तथा उसके परिवार के सदस्यों के बाल काटने व हजामत बनाने का कार्य यदि नाई करता है तो जुलाहा नाई के परिवार को कुछ गज कपड़ा व एक दो धोती देता था ।

चौथे प्रकार के अनुसार यदि गांव में कभी कभार बाहर से लोग आ जाते थे तो उनकी सेवायें प्रदान करने के बदले में उन्हें धन द्वारा मूल्य चुकाना पड़ता था लेकिन इस प्रकार के लेन-देन आकस्मिक होते थे ।

वर्तमान समय में ग्रामीणों के इन आर्थिक सम्बन्धों में काफी परिवर्तन हो गया है आज भी अधिकांश जातियों का अपना एक प्रमुख शिल्प या व्यवसाय होता है जो कि परम्परागत होता है लेकिन आज परम्परागत व्यवसाय के अतिरिक्त वे अपने जीवकोपार्जन के लिये अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिये स्वतंत्र हैं । ब्राह्मण गांव में पुजारी होने के साथ-साथ अपनी भूमि पर कृषि भी कर सकता था । कुम्हार ,नाई और धोबी मुख्य रूप से तो अपने-अपने परम्परागत व्यवसाय में लगे रहते हैं किन्तु वे कृषि श्रमिक के रूप में या अन्य किसी व्यवसाय को अपनाना चाहें तो उन्हें कोई भी नहीं रोकता अर्थात विभिन्न जातियों का अपने परम्परागत व्यवसाय पालन से सम्बन्धित नियमों की जो कठोरता थी उसमें कमी आयी है । व्यक्ति अपने परम्परागत व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी कर सकता है ।

लेकिन आज भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनपर विशेष जातियों का अधिकार होता है उदाहरण- ब्राह्मण का कार्य एक निम्न जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता । चमड़े आदि से सम्बन्धित कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता । मात्र कृषि कार्य ही ऐसा कार्य है जो लगभग सभी जातियों के हाथ में आ गया है । लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि व्यवसायिक जातियों के कार्य उच्च जातियों ने अपनाये हों ।

प्राचीन समय में जिस प्रकार विभिन्न जातियां आर्थिक आधार पर परस्पर सम्बन्धित थीं उस व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है लेकिन यह व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है । आज भी व्यवसायिक जातियां कृषकों को अपनी सेवायें प्रदान करती हैं और किसान परम्परागत रूप से उसका मूल्य चुकाते हैं । परन्तु यह आर्थिक सम्बन्ध मात्र एक परम्परा के रूप में ही रह गये हैं । चूंकि इस क्षेत्र के ग्रामीण अत्यन्त रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी हैं इसलिये वे अपनी प्रथाओं तथा मूल्यों का त्याग सरलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं । इसलिये आज भी इस क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच अन्र्तजातीय सम्बन्धों का परिवर्तित रूप देखने को मिलता है । उदाहरण - आज भी बढ़ई, कृषकों के औजार ठीक करता है उस बढ़ई को कृषक अपनी फसल का कुछ हिस्सा देता है । लेकिन जो कृषक उसकी सेवा का मूल्य परम्परा के अनुसार चुकाते हैं अर्थात वर्ष में दो बार अनाज देने की परम्परा के रूप में चुकाते हैं उन कृषकों के कार्य को वे अपनी सुविधानुसार साधारण रूप में करता है अर्थात जब उसे समय मिलता है तब करता है । यदि उनकी सेवा का मूल्य कृषक धन के रूप में तुरन्त चुका देता हैतोउन कृषकों का कार्य तुरन्त अथवा भली प्रकार से करता है । अर्थात जिन कार्यों के बदले उसका मूल्य तुरन्त मिल जाये ऐसे कार्यों को करने में प्राथमिकता देता है । इसी प्रकार व्यवसायिक जातियां किसानों को अपनी सेवायें दिया न दें या मात्र एक परम्परा को निभाने के लिये ही दें परन्तु कृषकों के परिवारों से उनको अपना न्यूनतम मूल्य अवश्य दिया जाता है अर्थात कृषक भी इसे एक परम्परा के रूप में निभा रहे हैं । इसका कारण है कि ग्रामीणो की परम्पराओं के प्रति गहरी आस्था है और वे इन्हें त्यागना अपने पूर्वजों का अपमान समझते हैं । इस क्षेत्र में व्यावसायिक जातियों को परजा कहा जाता है ।

जब फसल कट कर घर में आती है उस समय परजा का हिस्सा अवश्य निकाला जाता है । अतः वर्तमान समय में कृषक व व्यवसायिक जातियों के मध्य सम्बन्ध मात्र एक परम्परा को निभाने के रूप में रह गये हैं । प्राचीन समय में अन्तर्जातीय सम्बन्ध विभिन्न जातियों को कार्यात्मक आधार पर एक दूसरे का पूरक बनाती थीं लेकिन वर्तमान स्थिति में अन्तर्जातीय सम्बन्धों के इस स्वरूप से विभिन्न जातियों के बीच पृथकता की एक दृढ़ दीवार खड़ी कर दी है । "एक ओर विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों का अमानवीय शोषण होने के कारण उन्होंने ऊँची जातियों के साथ पृथकतावादी मनोवृत्तियाँ अपनाना आरम्भ कर दिया है । जबकि दूसरी ओर परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन हो जाने के कारण अन्तर्जातीय सम्बन्धों की व्यवस्था को स्थिर बनाये रखना सम्भव नहीं रह गया है । शिक्षा के विस्तार, औद्योगीकरण तथा मुद्रा चलन के अधिक महत्व के कारण विभिन्न जातियों की स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है कि सेवाओं की परम्परागत प्रणाली का विघटन होने लगा है । आज धर्म निरपेक्षता तथा जनतांत्रिक व्यवस्था के कारण एक ओर समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला है और दूसरी ओर निम्न जातियों की स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ है । इसके फलस्वरूप अनेक ऐसी मनोवृत्तियाँ तथा नवीन विशेषताओं का प्रादुर्भाव हुआ है जिससे अन्तर्जातीय सम्बन्धों का स्वरूप आज भी बहुत कुछ परम्परागत रूप में देखने को मिलता है लेकिन अब न तो इनका स्वरूप पूर्णतया विशुद्ध है और न ही इनके अन्तर्गत बाध्यता का गुण विद्यमान है ।

उपरोक्त अध्ययन से इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के मध्य आर्थिक अन्तर्जातीय सम्बन्धों में हुए परिवर्तन स्पष्ट होते हैं वर्तमान समय में इस जनपद में कृषि व्यवस्था का क्या स्वरूप है इसकी विवेचना सर्वप्रथम सरकारी आंकड़ों के अनुसार की गयी है ।

जनपद फतेहपुर के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित पुस्तिका के अनुसार, "इस जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है यहाँ कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 420887हेक्टेयर में से 298375हेक्टेयर में शुद्ध खेती की जाती है । यहाँ का सिंचित क्षेत्रफल 182657 हेक्टेयर है जिसमें से निश्चित सिंचाई के आधार पर 115393हेक्टेयर में दो

"समय की शिला पर फतेहपुर-1986", पृ० 9-10

फसलों बोती की जाती है । रबी, खरीफ, जायद में क्रमशः 221067 हेक्टेयर , 188312हेक्टेयर तथा 4375हेक्टेयर में बोती होती है । रबी में गेहूँ,जौ,चना,मटर राई,सरसों, खरीफ में धान,ज्वार,बाजरा,अरहर,उर्द, मूँग ,तिल और जायद में मूँग तथा उर्द की बोती मुख्य रूप से की जाती है जिसकी फसलवार उत्पादन गेहूँ 248155मे0टन, जौ 29996मे0टन, चना 57406मे0टन, मटर 2620मे0टन,राई सरसों 6208मे0टन , धान 136062मे0टन,ज्वार 27022मे0टन,बाजरा88839मे0टन,अरहर 39785मे0टन,मूँग 314 मे0टन,उर्द 1345मे0टन,तिल 395मे0टन,है । जनपद की मुख्य फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज गेहूँ19.98कु0, जौ 13.12 कु0 उर्द 2.26 कु0,मूँग155कु0 तिल2.47कु0 तथा जायद में उर्द 4.43 कु0 व मूँग 0.95 कु0 है । जनपद में सिंचाई के साधन अत्यन्त कम हैं । जनपद में चार पम्पसैट नहरें हैं जिनकी लम्बाई 25.4 कि0मी0 है । वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत द्वितीय मण्डल फतेहपुर सिंचाई कानपुर एवं रामगंगा निमार्ण मण्डल फतेहपुर के अधीनस्थ निचली गंगा से मुख्यतः सिंचाई कार्य किया जाता है । इसकी कुल लम्बाई 1445 कि0मी0 है । 31मार्च 1985 तक की स्थिति के आधार पर जनपद में 353 राजकीय नलकूप , 13770 निजी नलकूप, 15542 पक्के कुँए 158 रहट तथा 6203 पम्प नहरें हैं । जनपद में चल रही नहरों से 219लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बतायी जाती है । परन्तु वास्तव में इससे सिंचाई बहुत कम होती है । क्योंकि फतेहपुर जनपद इन नहरों के अन्तिम छोर पर बसा होने के कारण उतना पानी नहीं दे पाता जितना मिलना चाहिये । इन नहरों का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब इन्हें 2000 से 2200 क्यूसेक तक पानी मिले । परन्तु वास्तविक उपलब्धता आमतौर पर 1200 से 1600 क्यूसेक के बीच रहती है और कभी कभी यह घटकर 800 क्यूसेक ही रह जाती है फलस्वरूप इन नहरों से 60 से 70 हेक्टेयर तक की सिंचाई हो पाती है ।

वर्तमान अध्ययन से इस जनपद की अर्थव्यवस्था का स्वरूप तो स्पष्ट होता है लेकिन इस क्षेत्र के उत्तरदाताओं का उनकी अर्थ व्यवस्था, कृषि व्यवस्था तथा आर्थिक अर्न्तजातीय सम्बन्धों के प्रति दृष्टिकोण निम्नलिखित सारणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या [33] उत्तर दाताओं की जीविका के प्रमुख स्रोत

ग्रामीणों की जीविका का स्रोत	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1. कृषक[जो मात्र अपनी भूमि पर निर्भर हैं	130	40.91%
2. अंशतः कृषक अंशतः मजदूर	27	8.28%
3. अंशतः कृषक अंशतः पारम्परिक पेशों पर निर्भर	20	6.06%
4. अंशतः कृषक अंशतः व्यापार या अंशतः अन्य पेशों पर निर्भर	25	7.57%
5. अंशतः कृषक अंशतः नौकरी पर निर्भर	25	7.57%
6. नौकरी पेशा	20	6.06%
7. व्यापार या अन्य पेशों पर निर्भर	30	9.09%
8. पारम्परिक पेशा	8	2.42%
9. मजदूर	40	12.12%

सारणी संख्या (34) उत्तरदाताओं के भूमि स्वामित्व का प्रतिशत

भूमि (बीघे में)	उत्तरदाताओं की संख्या (227)	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
0-5	45	19.82%
5-10	55	24.23%
10-15	65	28.63%
15-20	30	13.21%
20-25	8	3.29%
25-30	5	2.20%
30-35	5	2.20%
35-40	-	-
40-45	2	0.88%
45-50	2	0.88%
50-55	-	-
55-60	4	1.76%
60-65	3	1.32%
65-70	2	0.88%
70-75	-	-
75-80	-	-
80-85	-	-
85-90	-	-
90-95	-	-
95-100	1	0.44%

उक्त सारणी में यह प्रदर्शित किया गया है कि कितने उत्तरदाता पूर्णतः कृषक हैं, कितने आंशिक रूप से कृषक, कितने खेतिहर मजदूर हैं और कितने कृषक नहीं परन्तु अन्य साधनों से अपनी जीविका कमाते हैं अर्थात् उत्तरदाताओं की जीविका के स्रोतों को प्रदर्शित किया गया है। सारणी से स्पष्ट है उत्तरदाताओं में 40.90% कृषक उत्तरदाता हैं जो कि मात्र खेती पर ही निर्भर हैं। 12.12% उत्तरदाता मजदूर हैं, 9.09% व्यापार या अन्य पेशों पर, 6.06% नौकरी (सरकारी, अर्धसरकारी तथा प्राइवेट) तथा 2.42% उत्तरदाता अपने पारम्परिक पेशों पर निर्भर हैं। कुछ उत्तरदाता ऐसे भी हैं जो आंशिक रूप से कृषि पर तथा आंशिक रूप से जीविका के अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। 8.18% उत्तरदाता अंशतः कृषक अंशतः खेतिहर मजदूर हैं, 6.06% उत्तरदाता आंशिक रूप से कृषि तथा आंशिक रूप से पारम्परिक पेशों पर निर्भर हैं। 7.57% उत्तरदाता आंशिक रूप से कृषि व आंशिक रूप से नौकरी पर निर्भर हैं। जबकि 7.57% उत्तरदाता आंशिक रूप से कृषि तथा आंशिक रूप से अन्य पेशों व धंधों द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। पारम्परिक पेशों में यहां के लोग पुरोहिताई, बढ़ईगीरी, लुहार, कुम्हार, दर्जी व नाई का कार्य करते हैं।

सारणी संख्या (34) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाताओं के पास कितने एकड़ या बीघा भूमि है। सारणी से स्पष्ट है कि 227 उत्तरदाताओं में से 45 के पास 0 से 5 बीघे तक भूमि है, 55 उत्तरदाताओं के पास 5 से 10 बीघा भूमि है, 65 उत्तरदाताओं के पास 10 से 15 बीघा तक 30 उत्तरदाताओं के पास 15 से 20 बीघा तथा 30 से 35 बीघे तक भूमि क्रमशः 55 उत्तरदाताओं के पास है, 40 से 45 बीघा तथा 45 से 50 बीघा भूमि क्रमशः दो उत्तरदाताओं के पास है व 55 से 60 बीघा तक भूमि 4 उत्तरदाताओं के पास है व 3 उत्तरदाताओं के पास 60 से 65 बीघा तक, 2 उत्तरदाताओं के पास 65 से 70 बीघा तथा एक उत्तरदाता के पास 100 बीघा भूमि है। अतः स्पष्ट है कि 25 बीघे से अधिक भूमि बहुत कम उत्तरदाताओं के पास है। 10 से 15 बीघे तक की भूमि वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। इस क्षेत्र में कुछ बड़े-बड़े भूमि पति भी हैं, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम है।

सारणी संख्या (35) उत्तरदाताओं की भूमि की श्रेणी

भूमि की श्रेणी	उत्तम	सामान्य	खराब	कुल भूमि
सिंचित	35%	50%	15%	57.28% (2093 बीघा)
असिंचित	30%	20%	50%	33.71% (1217 बीघा)
उद्यान	40%	40%	20%	11.08% (400 बीघा)

सारणी संख्या [36] उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध सिंचाई के साधन

सिंचाई के साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
नहर	13	5.72%
ट्यूब वेल	83	36.56%
तालाब	8	3.52%
नदी	8	3.52%
कुछ नहीं	115	50.66%

तालिका संख्या {37} उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध कृषि यंत्र

कृषि यंत्रों के प्रकार	यंत्रों की संख्या {227}	कृषि यंत्रों की संख्या का प्रतिशत
पारम्परिक	140	62.11%
आधुनिक	25	11.00%
पारम्परिक व आधुनिक दोनों	60	26.43%

इन बड़े भूमि-पतियों का गांव में बहुत प्रभाव होता है । हालांकि इस क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति कृषक हैं लेकिन उनके पास भूमि का प्रतिशत अत्यन्त कम है । इस कारण यहां के कृषकों का आर्थिक स्तर निम्न है ।

सारणी संख्या (35) में उत्तरदाताओं की भूमि की श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है । इसके द्वारा यह दिखाया गया है कि उत्तरदाताओं के पास कितनी भूमि सिंचित, कितनी असिंचित व कितनी उद्यान के रूप में है । तथा भूमि की श्रेणी निम्न कोटि की है या उच्च कोटि की । सारणी से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की कुल भूमि का 57.98% (2093बीघा) सिंचित, 33.71% असिंचित तथा 11.08% (400बीघा) उद्यान भूमि के रूप में है । सिंचित भूमि की 35% भूमि उत्तम, 50% सामान्य तथा 15% भूमि बेकार है । जबकि उद्यान भूमि का 40% उत्तम , 40% सामान्य तथा 20% बेकार है ।

सारणी संख्या (36) में यह दिखाया गया है कि उत्तरदाताओं को कौन-कौन से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं । 227 कृषक उत्तरदाताओं में 50.66% (115) उत्तरदाताओं के पास सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है । वे मात्र प्राकृतिक मानसून पर ही निर्भर हैं । 5.72% उत्तरदाता नहरों द्वारा, 3.52% उत्तरदाता तालाब द्वारा, 3.92% उत्तरदाता नदी द्वारा तथा 36.56% उत्तरदात ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करते हैं जो 83% उत्तरदाता नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं उनमें से 20 उत्तरदाताओं के पास अपने निजी नलकूप हैं बाकी सरकारी नलकूप हैं । उत्तरदाताओं के अनुसार ये नलकूप पिछले 2-3 वर्षों से ही उपलब्ध हैं अन्यथा वे भी प्रकृति पर ही निर्भर थे । इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन कम हैं ।

सारणी संख्या (37) में यह दिखाया गया है कि उत्तरदाता किस प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि 62.11% उत्तरदाता पारम्परिक यंत्रों (उदाहरण हल, बैल, पटा, फावड़ा, पाटा, कुदाल आदि) द्वारा खेती करते हैं जबकि मात्र 11% उत्तरदाता केवल आधुनिक यंत्रों से खेती करते हैं । 26.43% उत्तरदाता पारम्परिक व आधुनिक दोनों प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं जो उत्तरदाता पारम्परिक व आधुनिक दोनों प्रकार के यंत्रों से

सारणी [38] उत्तरदाताओं द्वारा कृषि यंत्र प्राप्त करने के स्त्रोत

यंत्र की प्राप्ति के स्त्रोत	पारम्परिक [201]	आधुनिक [26]
उत्तरदाताओं के स्वंय के	178	8
दूसरों से उधार मांग कर	23	-
यंत्र किराये पर	-	18

का उपयोग करते हैं उनका इस सम्बन्ध में कथन है कि उनको जब जैसी सुविधा होती है उन्हीं यंत्रों से खेती करते व करवाते हैं वे पूरी खेती आधुनिक यंत्रों द्वारा नहीं करवा पाते । खेती का आधा कार्य आधुनिक यंत्रों द्वारा तथा आधा कार्य पारम्परिक यंत्रों द्वारा करते या करवाते हैं । उदाहरण- खेतों की जुताई तो ट्रैक्टर से करवा लिया बाकी अन्य कार्य जैसे बीज डालना, मिट्टी बराबर करना, फसल कटाना, उनकी मढ़ाई करना आदि वे पारम्परिक यंत्रों से ही करते हैं । अर्थात जहाँ पर जो साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाता है वहाँ पर वैसे यंत्रों व साधनों का उपयोग कर लेते हैं । उनका कथन है कि उनके पास आधुनिक यंत्र निजी तो हैं नहीं । आधुनिक यंत्रों को किराये पर लेना होता है और इनके बारे में जानकारी न होने से वे इनसे स्वयं खेती नहीं कर सकते हैं बल्कि करवानी पड़ती है और इन सभी के लिये धन की आवश्यकता होती है । अतः जब उनके पास आधुनिक यंत्रों द्वारा खेती करवाने लायक धन होता है तब वे उन यंत्रों से खेती करवाते हैं अन्यथा पारम्परिक यंत्रों से ही कृषि कार्य करते हैं ।

सारणी संख्या (38) में यह प्रदर्शित किया गया है कि कृषक उत्तर-दाता पारम्परिक व आधुनिक यंत्र कहाँ से प्राप्त करते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि 88.55% (178) उत्तरदाताओं के पास पारम्परिक व 30.76% उत्तरदाताओं के पास आधुनिक यंत्र निजी हैं । 11.44% उत्तरदाता पारम्परिक यंत्र अन्य कृषकों से उधार माँग कर लाते हैं । पारम्परिक यंत्र सभी कृषकों के पास होते हैं लेकिन कुछ कृषक ऐसे होते हैं जिनके पास सभी पारम्परिक यंत्र भी नहीं होते हैं । जैसे -बैल आदि निम्न वर्गीय कृषकों के पास नहीं होते हैं ऐसे में ये यंत्र वे अन्य कृषकों से प्राप्त कर लेते हैं । आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने वाले 26 उत्तरदाताओं में से 8 के पास निजी यंत्र हैं व 18 उत्तरदाता किराये पर यंत्र लाकर खेती करवाते हैं अतः स्पष्ट है कि आज भी 80% उत्तरदाता पारम्परिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य करते हैं इस क्षेत्र में निम्न स्तरीय कृषकों के लिये पंचायत द्वारा पारम्परिक व आधुनिक किसी भी प्रकार के यंत्रों को उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस क्षेत्र में कृषि के पिछड़े पन का एक कारण यह भी है ।

तालिका संख्या (39) उत्तरदाताओं का आधुनिक यंत्र प्रयोग करने के सम्बन्ध में

आधुनिक यंत्र प्रयोग न करने के कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या का प्रतिशत
धनाभाव	55	27.36%
कम भूमि	46	22.88%
अज्ञानता	21	10.44%
बंटाई पर (अधिया)	35	17.41%
धनाभाव तथा कम भूमि दोनों	44	21.89%

सारणी संख्या (39) में ग्रामीण उत्तरदाताओं द्वारा आधुनिक यंत्रों का प्रयोग न करने के कारणों को प्रदर्शित किया गया है सारणी से स्पष्ट है कि 27.36% उत्तरदाता अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आधुनिक यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते हैं । वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे न तो आधुनिक यंत्र खरीद सकते हैं न ही किराये पर ला सकते हैं । पारम्परिक यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का कहना है कि पारम्परिक यंत्र तो न होने की स्थिति में भी अन्य कृषकों से बिना किराये पर ही मिल सकते हैं । व पारम्परिक यंत्रों का प्रयोग हम स्वंय कर सकते हैं । जबकि आधुनिक यंत्रोंका प्रयोग स्वंय करना कठिन है । 22.88% उत्तरदाताओं के पास इतनी भूमि नहीं है कि वे बड़े-बड़े यंत्रों का प्रयोग करें । उनका कहना है कि 4-6 बीघे जमीन को तो हल द्वारा ही जोतना ठीक है । यदि इतनी भूमि की वे ट्रैक्टर से जुताई करवायें तो भी उस भूमि की पैदावार द्वारा इन यंत्रों के किराये का खर्च नहीं निकल पायेगा अर्थात उनकी पैदावार इतनी नहीं है कि वे आधुनिक यंत्रों के खर्चों को वहन कर सकें । 21.89% उत्तरदाताओं के पास भूमि भी कम है और धन का भी अभाव है । जिससे वे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं । 17.41% उत्तरदाताओं का मत है कि वे खेती स्वंय नहीं करते बल्कि उन्होंने खेती बंटाई पर (अधिया से) दे रक्खी है और बंटाईपर खेती करने वाले अधिकांश खेतिहर मजदूर होते हैं । उनके पास न तो आधुनिक यंत्र होते हैं और न ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होती है कि वे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करें । अतः वे पारम्परिक यंत्रों से ही खेती करते हैं । कुछ उत्तरदाताओं की भूमि टुकड़ों में बंटी है । भूमि एक जगह पर स्थित न होने के कारण आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना मुश्किल है । 10.44% उत्तरदाताओं को तो इन यंत्रों के बारे में जानकारी ही नहीं थी । एक ट्रैक्टर को छोड़ कर कृषि के लिये अन्य कौन-कौन से आधुनिक यंत्र होते हैं, इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

सारणी संख्या (40) में उत्तरदाताओं का इस सम्बन्ध में मत प्राप्त किया गया है कि यदि उनको आधुनिक यंत्र पंचायत द्वारा या कम किराये पर

सारणी संख्या (40) आधुनिक यंत्र प्रयोग करने के सम्बन्ध में मत

आयु व विवाह के आधार पर

आयु समूह	विवाहित उत्तरदाता		अविवाहित उत्तरदाता	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
0-20	100%	-	57.14%	42.85%
	(30)		(5)	(3)
20-40	100%	-	33.33%	55.67%
	(60)		(3)	(6)
40-60	78.95%	21.05%	19.05%	80.95%
	(30)	(8)	(8)	(34)
60-80	52.63%	47.37%	18.18%	81.82%
	(10)	(9)	(4)	(18)

उपलब्ध करवाये जायें तो क्या वे उनका उपयोग करेंगे । इस सम्बन्ध में उत्तर-दाताओं के मत उनकी आयु व शैक्षिक स्तर के आधार पर लिये गये हैं । 147 शिक्षित व 80 अशिक्षित कृषक उत्तरदाता हैं । 0 से 20 वर्ष की उम्र के 38 उत्तर दाता, 20 से 40 वर्ष के 69 उत्तरदाता, 40 से 60 वर्ष तक के 80 उत्तरदाता तथा 60 से 80 वर्ष तक के 41 उत्तरदाता हैं । सारणी से स्पष्ट है कि 0 से 20 वर्ष की उम्र के 100% शिक्षित 57.14% अशिक्षित उत्तरदाता, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 100% शिक्षित व 33.33% अशिक्षित उत्तरदाता 40 से 60 वर्ष की उम्र के 78.95% शिक्षित व 19.05% अशिक्षित उत्तरदाता तथा 60 से 80 वर्ष की उम्र के 52.63% शिक्षित व 18.18 % अशिक्षित उत्तरदाताओं ने इस कथन का समर्थन किया है कि वे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं । इन उत्तरदाताओं के मन में यह धारणा है कि प्राचीन समय में उनके पूर्वज पारम्परिक यंत्रों द्वारा खेती करते थे और वे सुखी व सम्पन्न थे । अतः उन्हें भी इन्हीं यंत्रों से खेती करनी चाहिये तभी वह सुखी रह सकेंगे । उनकी यह भी धारणा है कि पारम्परिक यंत्रों का प्रयोग करना ईश्वर ने सिखाया है हमारे धार्मिक ग्रन्थों में इनका उल्लेख मिलता है (उदाहरण राजा जनक द्वारा हल चलाने से सीता का जन्म हुआ आदि) अतः यह पारम्परिक यंत्र उनके लिये मात्र यंत्र ही नहीं बल्कि ईश्वर हैं । उनका पालन पोषण करने वाले पालक हैं । अतः यह उनके लिये पूजनीय हैं । इनका त्याग करना वे अशुभ समझते हैं । इन यंत्रों के साथ उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक भावनायें जुड़ी होती हैं । इसलिये वे नई चीजों को अपनाने में हिचकते हैं । सारणी में यह भी स्पष्ट है कि इस विवरण का समर्थन सबसे अधिक बुजुर्गों तथा अशिक्षित कृषक उत्तरदाताओं ने किया है ।

सारणी संख्या (41) में कृषक उत्तरदाताओं द्वारा कृषि के लिए बीज प्राप्ति के स्रोतों को प्रदर्शित किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि 227 उत्तरदाताओं में 88 (38.76) % उत्तरदाता बीज स्वयं सुरक्षित रखते हैं अर्थात फसल कटने के बाद उसका अच्छा हिस्सा बचाकर बीज के लिये सुरक्षित करते हैं । 124 (54.62%) उत्तरदाता अन्य बड़े कृषकों से बीज उधार लाते हैं

सारणी संख्या {41} उत्तरदाताओं का कृषि के लिये बीज प्राप्त करने का स्त्रोत

बीज प्राप्त करने के स्त्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
बीज स्वंय सुरक्षित रखते हैं	88	38.76%
अन्य कृषकों से उधार लेकर	124	54.62%
खुले बाजार से खरीदकर	3	1.32%
सरकारी स्टोर से		

और फसल कटने पर उतना अनाज वापस कर देते हैं । 1.32% उत्तरदाता खुले बाजार से खरीद कर बीज लाते हैं । वह भी जब कहीं से भी बीज प्राप्त नहीं होता । मात्र 5.28% उत्तरदाता बीज सरकारी स्टोर से लाते हैं । जब उत्तरदाताओं से इस सम्बन्ध में पूछा गया कि वे सरकारी स्टोर से बीज क्यों नहीं लाते तो इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न मत दिये । प्रथम वह यह नहीं जानते कि सरकारी स्टोर क्या होते हैं और कहां पर स्थित हैं । 35% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सरकारी स्टोर का नाम तो आज वे पहलीबार सुन रहे हैं । सरकारी स्टोर के बारे में जिन उत्तरदाताओं को जानकारी है उन्होंने वहां से बीज न लाने के निम्न कारण बताये ।

§1§ उत्तरदाताओं के मतानुसार सरकारी स्टोर में बीज अत्यन्त मंहगा होता है उनके पास इतना धन नहीं है कि बीज खरीद कर सकें । उनका कथन है कि अन्य स्थानों पर तो वे बीज के बदले अनाज देकर चुकता कर देते हैं । लेकिन स्टोर में बीज के बदले बीज देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसे तो धन देकर ही प्राप्त करना पड़ता है ।

§2§ स्टोर द्वारा बीज समय पर प्राप्त नहीं होता है । जब उन्हें बीज की आवश्यकता होती है स्टोर में उपलब्ध नहीं होता है ।

§3§ स्टोर द्वारा बीज लाने में समय भी खराब होता है चूंकि सरकारी स्टोर गांव-गांव में तो होते नहीं, 7-8 कि0मी0 या उससे भी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और एक कृषक अपना सारा कार्य छोड़ कर जब वहां जाता है तो सारा दिन परेशान होने के बाद यही सुनने को मिलता है कि आज नहीं है कल आयेगा । इस तरह से ग्रामीण एक दो बार तो जाता है फिर इस झंझटबाजी को देखकर जाना छोड़ देता है ।

§4§ उत्तरदाताओं का यह मत है कि इन स्टोरों से उन्नत किस्म के बीज नहीं मिलते बल्कि जो बीज गांव में होता है वही बीज ये स्टोर वाले देते हैं । कई उत्तरदाताओं का कथन था कि सरकारी स्टोर वाले उनसे ही बीज कम कीमत पर खरीद कर ऊँची कीमत पर बेचते हैं ।

तालिका संख्या [42] उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित प्रति बीघा फसल की औसत

उत्तरदाताओं के मतानुसार

फसल	पारम्परिक तरीके से होती मात्रा [प्रति बीघा मन में]	आधुनिक तरीके से होती मात्रा [प्रति बीघा मन में]
1. गेंहूँ	6 या 7 मन	8-10 मन
2. बेर्रा [जौ]	4 मन	5-6 मन
3. चना	3 या 4 मन	5 मन
4. ज्वार	2 मन	4 मन
5. बाजरा	9 या 10 मन	10-12 मन
6. अरहर	30 किलो	35 किलो
7. मूँग	20 किलो	25 किलो
8. उरद	10 मन	10-12 मन
9. धान	2 मन	2 मन
10. लाही	35 किलो	40-45 किलो

अनाज के मूल्य का प्रतिशत

उत्तरदाताओं द्वारा बेचा गया अनाज रूपये में (प्रतिवर्ष)	उत्तरदाताओं की संख्या	संख्या का प्रतिशत
कुछ नहीं	55	24.23%
0 रु0 से 2000/- तक	65	28.63%
2000/- से 4000/- रु0 तक	55	24.23%
4000/- से 6000/- रु0 तक	32	14.09%
6000/- से 8000/- रु0 तक	6	2.64%
8000/- से 10000/-रु0 तक	6	2.64%
10000/-से 12000/-रु0 तक	4	1.76%
12000/-से 20000/-रु0 तक	2	0.88:%
20000/-से 25000/-रु0 तक	2	0.88%

(5) उत्तरदाताओं के मतानुसार इन स्टोरों में धांधले बाजी है । यहां के कर्मचारी व अधिकारी गांव के बड़े भूमिपतियों, उच्च स्थिति , तथा उच्च आर्थिक स्तर वाले कृषकों को बीज अच्छे किस्म का तथा ज्यादा मात्रा में दे देते हैं जबकि छोटे कृषकों की कोईसुनवाई नहीं है ।

उक्त सारणी में उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित प्रति बीघा फसल को प्रदर्शित किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि जो उत्तरदाता पारम्परिक तरीके से खेती करते उनकी उपज प्रति बीघा निम्नलिखित है । गेंहू 6-7 मन जौ-4 मन, चना-3-4 मन, ज्वार 3 मन, बाजरा 2 मन, अरहर 9-10 मन, मूंग30मन उरद 20 किलो ,धान 10मन, लाही 2 मन, तिली 35 किलो । जो उत्तरदाता आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं उनकी उपज का औसत प्रतिबीघा निम्नलिखित है । गेंहू 10मन, जौ 6 मन, चना 5मन, ज्वार 4 मन, बाजरा 2मन, अरहर 12मन, मूंग 35 किलो ,उरद 23 किलो, धान 12 मन लाही 2मन तथा तिली 45 किलो। इससे स्पष्ट है कि जो कृषक आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उनकी उपज पारम्परिक ढंग से खेती करने वाले कृषकों से अधिक तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये । अगर आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के बाद मात्र मन दो मन (प्रतिबीघा) ही उपज अधिक हो तो इन यंत्रों के प्रयोग का कोई फायदा नहीं है ।

सारणी संख्या (43) में यह प्रदर्शित किया गया है कि कृषक उत्तरदाता अपनी आवश्यकता के लिये अनाज रखने के पश्चात कितने रुपये का अनाज बेच लेते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि कृषक उत्तरदाताओं के अनुसार 24.23% उत्तरदाता कुछ भी नहीं बेच पाते जितना पैदा होता सभी परिवार में खर्च हो जाता है अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भोजन के लिए एकत्रित अनाज में से बेचना पड़ता है । 28.63% उत्तरदाता 2000/-रु0 तक का, 24.23% उत्तरदाता 4000/- रु0 तक का, 14.09% उत्तरदाता 4 से 6 हजार रु0 तक का ,2.64% उत्तरदाता 6-8हजार रु0 तक का, 2.64% उत्तरदाता 8-10 हजार रु0 तक का तथा 1.76% उत्तरदाता 10-12हजार रु0 तक अनाज अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बेच लेते हैं ।

तालिका संख्या {94} उत्तरदाताओं का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय रुपयों में	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
3000/- रु० से कम	67	20.30%
3000/- से 6000/-	110	33.33%
6000/- से 9000/-	72	21.81%
9000/- से 12000/-	55	16.66%
12000/-से 15000/-	14	4.24%
15000/-से 18000/-	3	0.90%
18000/-से 21000/-	2	0.60%
21000/-से 24000/-	3	0.90%
24000/-से 27000/-	2	0.60%
27000/-से 30000/-	1	0.30%
30000/-से अधिक	1	0.30%

तालिका संख्या (45) उत्तरदाताओं की कुल आय का विभिन्न आवश्यकताओं पर खर्च का प्रतिशत

खर्च की मदें	कुल आय का प्रतिशत
भोजन	53%
कृषि	20%
वस्त्र	10%
शिक्षा	5%
मकान	5%
बीमारी	2%
मादक पदार्थ	2%
मनोरंजन	1%
अन्य	2%

सारणी संख्या {46} उत्तरदाताओं का अपनी आर्थिक दशा से सन्तुष्टि के संबन्ध में मत

सन्तुष्ट	असन्तुष्ट	विचार नहीं करते हैं
20%	56%	24%
{80}	{224}	{96}

सारणी संख्या [44] उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का विवरण प्रदर्शित किया है। सारणी के अनुसार 20.30% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 3000/-रु० से भी कम है अर्थात 250 /- मासिक भी नहीं है । 33.33% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 3000/- से 6000/- तक 21.81% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 6000/-रु० से 9000/- तक, 16.66% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 9000/- से 12000/- तक तथा 4.24% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 12000/- से 15000/- तक है । जबकि 3.64% उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 15000/-रु० से भी अधिक है । अतः स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के ग्रामीण उत्तरदाताओं का आर्थिक स्तर अत्यन्त निम्न है ।

सारणी संख्या [45] द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तरदाता किन-किन वस्तुओं पर अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं । सारणी के अनुसार उत्तरदाता अपनी आय का 53% भोजन पर 20% कृषि पर [जो व्यवसायी हैं व अन्य नौकरी पेशा हैं उनके बीज खर्चे में शामिल है ।]. वस्त्रों पर 10% शिक्षा पर 5%, मकान बनवाने तथा मरम्मत करवाने पर 5%, बीमारी व मादक पदार्थों पर 2%, मनोरंजन में 1% तथा अन्य खर्चों जैसे-शादी ब्याह में व्यवहार में सामान नवाजी आदि में 2% खर्च करते हैं । सारणी से स्पष्ट है उत्तरदाताओं का मुख्य खर्च कृषि कार्य व भोजन में होता है । गांव में वस्त्रों पर ज्यादा खर्च नहीं होता । एक साधारण परिवार में एक व्यक्ति साल भर में एक जोड़ा [धोती व कुर्ता पुरूषों को तथा स्त्रियों कोएक जोड़ा धोती व उससे सम्बन्धित कपड़े मिल जाते हैं । जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे भी दो जोड़े कपड़े वर्ष भर में खरीदते हैं । गांव में शिक्षा का महत्व न होने के कारण शिक्षा पर ग्रामीण अत्यन्त कम खर्च करते हैं ।

सारणी संख्या [46] में यह दिखलाया गया है कि उत्तरदाता अपनी आर्थिक दशा में सन्तुष्ट हैं अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि 20%उत्तरदाता अपनी आर्थिक दशा से सन्तुष्ट हैं । 56% उत्तरदाता अपनी आर्थिक दशा से असन्तुष्ट हैं । इन ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी भोजन,वस्त्र सम्बन्धी जरूरी आवश्यकताओं तक को भी पूरा नहीं कर पाते हैं । जबकि 24%उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे अपनी आर्थिक दशा के सम्बन्ध में सोचते ही नहीं । उनका

तालिका संख्या (47) उत्तरदाताओं द्वारा वार्षिक बचत का प्रतिशत

(रुपयों में)

एक वर्ष में होने वाली बचत रुपयों में	आवृत्ति	प्रतिशत
कुछ नहीं	205	51.25%
1000/- रु0 तक	66	16.5%
2000/- रु0 तक	50	12.5%
3000/- रु0 तक	38	9.5%
4000/- रु0 तक	14	3.5%
5000/- रु0 तक	11	2.75%
6000/- रु0 तक	14	3.5%
10000/-रु0 तक	2	0.5%

तालिका संख्या (48) उत्तरदाताओं द्वारा बचत का धन जमा करने के स्थान

बैंक/पोस्ट आफिस में	घर में ही	गहनों के रूप में	जमीन में
43.58%	51.28%	5.13%	
(85)	(100)	(10)	

कहना है कि हम लोग तो किसान आदमी हैं हमारे लिये तो कभी सूखा है तो कभी हरियाली । जब फसल अच्छी हो गयी तो आर्थिक दशा अच्छी हो जाती है और जब फसल नष्ट हो जाती है तो आर्थिक दशा खराब हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में हम आपको क्या बतायें कि सन्तुष्ट हैं कि नहीं एक तरह से सन्तुष्ट भी हैं और नहीं भी । इसलिये इस सम्बन्ध में कोई भी सोच विचार नहीं करते हैं ।

जब उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे बचत कर पाते हैं या नहीं । इस प्रश्न के उत्तर में 51.25%उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की तथा 48.75%उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति प्रकट की । सारणी संख्या [47] से स्पष्ट है कि 205 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे कुछ भी बचत नहीं कर पाते बल्कि उन्हें तो खर्च के लिये ऋण भी लेना पड़ता है । 16.5% उत्तरदाता एक वर्ष में 1000/- तक या इससे भी कम ही बचा पाते हैं । 12.5% उत्तरदाता 2000/- तक, 9.5% उत्तरदाता 3000/- तक, 3.5% उत्तरदाता 4000/- तक 2.75% उत्तरदाता 5000/- तक तथा 3.5% उत्तरदाता 6000/- तक बचा पाते हैं । इन उत्तरदाताओं का मत था कि बचत वे तभी कर पाते हैं जब फसल अच्छी हो अन्यथा नहीं । फसल अच्छी न होने पर परिवार के भरण पोषण के लिए तो पर्याप्त अनाज उपजाता है लेकिन बचत नहीं हो पाती है ।

सारणी संख्या [48] में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता अपनी बचत का धन कहाँ जमा करते हैं उन्हें बैंक, पोस्टआफिस ,सहकारी समिति के बारे में जानकारी है अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि 43.58%उत्तरदाता तो अपनी बचत का धन बैंक या पोस्ट आफिस में रखते हैं । 51.28% उत्तरदाता घर में रखते हैं । 5.13% उत्तरदाता गहनों के रूप में जमीन में गाड़ कर रखते हैं । जब इन उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे बैंक में अपनी सम्पत्ति क्यों नहीं रखते तो उन्होंने इसके निम्नलिखित कारण बताये ।

[1] कुछ उत्तरदाताओं को बैंक, पोस्ट आफिस/सहकारी समिति आदि की जानकारी नहीं थी ।

[illegible] उत्तरदाताओं के ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में मत

ऋण ग्रस्त उत्तरदाता	ऋण ग्रस्त नहीं
51.25%	48.75%
(205)	(195)

सारणी संख्या (50) उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया ऋण (रुपयों में)

लिया गया ऋण रुपयों में	आवृत्ति	प्रतिशत
0-500रु0 तक	60	29.26%
500-1000/- रु0 तक	48	23.41%
1000/-से 1500/-रु0तक	32	15.61%
1500/-से 2000/-रु0तक	25	12.19%
2000/-से 5000/-रु0तक	26	12.68%
5000/-से 10000/-रु0तक	10	4.88%
10000/-से15000/-रु0तक	4	1.95%

सारणी संख्या (51) उत्तरदाताओं द्वारा ऋण प्राप्त करने के स्त्रोत

महाजन द्वारा	रिश्तेदारों व पड़ोस के लोगों से	बैंक द्वारा
78.05 %	12.19%	9.76%
(160)	(25)	(20)

(2) उनका कमाना खाना किये इतनी बचत नहीं कर पाते कि बैंक में जाकर जमा करें। जो थोड़ी बहुत बचत होती भी है तो उस धन की भी कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ ही जाती है। उस समय इतना वक्त नहीं होता कि बैंक या पोस्ट आफिस जाकर धन निकालें।

(3) कई ग्रामीण उत्तरदाताओं को भ्रम है कि इन सब कार्यों में लिखा पढ़ी होती है जो कि पढ़े-लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं चूंकि वे अनपढ़ गंवार हैं इसलिये वे उसके नियम कानून नहीं जान सकते और ऐसे में उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है।

सारणी संख्या (49) में यह दिखाया गया है कि कितने ग्रामीण ऋण ग्रस्त हैं और कितने नहीं। सारणी से स्पष्ट है 51.25% ग्रामीण ऋण ग्रस्त हैं तथा 48.75% उत्तरदाता ऋण ग्रस्त नहीं हैं। सारणी संख्या (50) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाताओं ने कितने रुपये तक का ऋण लिया हुआ है। सारणी से स्पष्ट है कि 29.26% उत्तरदाताओं ने 500/- रु० तक का ऋण लिया है जबकि 23.41% ने 500/- से 1000/- रु० तक का, 15.61% उत्तरदाताओं ने 1000/- से 1500/- तक का, 12.19% उत्तरदाताओं ने 1500/- से 2000/- रु० तक का ऋण लिया है। 12.68% उत्तरदाता ने 5000/- तक का ऋण लिया है, 4.88% उत्तरदाताओं ने 10,000/- रु० तक का ऋण लिया तथा 1.95% उत्तरदाताओं ने 15000/- तक का ऋण लिया है।

सारणी संख्या (51) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाताओं ने ऋण किन स्थानों से प्राप्त किया है। सारणी से स्पष्ट है कि 78.05% उत्तरदाताओं ने महाजन द्वारा, 12.19% उत्तरदाताओं ने रिश्तेदारों व नातेदारों से तथा 9.76% उत्तरदाताओं ने बैंक से ऋण लिया है।

सारणी संख्या (52) में अब उत्तरदाताओं की ऋण ग्रस्तता के कारणों को स्पष्ट किया गया है कि किन कारणों से उत्तरदाताओं को ऋण लेना पड़ता है। सारणी से स्पष्ट है कि 24.39% उत्तरदाताओं की तो घरेलू आवश्यकतायें ही नहीं पूरी हो पातीं जिसके कारण उन्हें ऋण लेना पड़ता

ऋण ग्रस्तता के कारण	आवृति	प्रतिशत
विवाह, उत्सव या आयोजन	40	19.51%
घरेलू आवश्यकता	50	24.39%
कृषि	40	19.51%
मुकदमेबाजी	40	19.51%
बीमारी	25	12.19%
विवाद	10	4.88%

यह ऋणग्रस्त उत्तरदाता अधिक ऋण नहीं लेते हैं । अपनी आवश्यकतानुसार कभी 50/-रु० कभी 100/- या 200/- तक का ही ऋण लेते हैं इससे अधिक का नहीं । इन उत्तरदाताओं की आमदनी अत्यन्त कम है व कृषक उत्तरदाताओं की खेती की पैदावार इतनी कम होती है कि वे उसमें से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं । इसलिये भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है । अधिक वर्षा, कम वर्षा, बाढ़, फसलों के रोग आदि के कारण उत्पादन कम हो जाता है और किसान ऋण लेने को बाध्य हो जाता है "। श्री पी0एस0 धामस के अनुसार," भारत में मौसम की अनिश्चितता पशुओं की मृत्यु तथा कृषि उपजों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण यहाँ कृषि कोई लाभ दायक उद्योग नहीं है । और वह लाभ के उद्देश्य से नहीं वरन इसलिये करता है कि खेती उसके जीवन का एक ढंग बन गया है । " 51% उत्तरदाताओं ने विवाह उत्सव व आयोजन के लिये ऋण लिया था । ग्रामीणों के लिए प्रथाओं व परम्पराओं का बहुत महत्व होता है । वह चाहे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही न कर पाये लेकिन सामाजिक रीति रिवाज व संस्कारों को निभाना उसके लिये अत्यन्त आवश्यक है । ग्रामीण सामाजिक दबाव से इतना जकड़ा होता है कि इन अवसरों पर वह ऋण लेकर भी व्यय करता है । इस सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों का मत है कि - भारतीय किसान तांगे या रिक्शे में जाने के लिये "चार आना किराया खर्च करने को तैयार नहीं होता और न कपड़ों पर अधिक खर्च करता है। परन्तु तीज त्योहारों, जन्म मृत्यु विवाह आदि सामाजिक व धार्मिक अवसरों पर वह अन्धा सा हो जाता है और आगा पीछा सोचे बिना आंख मींच कर अपनी शक्ति से बाहर खर्च कर देता है । इसलिये उसे ये सब खर्च उधार लेकर पूरे करने पड़ते हैं । 9.51% उत्तरदाता कृषि कार्यों के लिए ऋण लेते हैं । इन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । फलस्वरूप इन्हें कभी बीज के लिये, कभी खाद, कभी मजदूरी तथा कभी कृषि यंत्रों के लिए ऋण लेना ही पड़ता है । इन अशिक्षित, अनपढ़, गंवार ग्रामीणों के पास कृषि के अतिरिक्त आय का अन्य कोई साधन नहीं है । और उनके पास भूमि इतनी कम है कि वे बिना ऋण लिए कृषि कार्य नहीं कर सकते । सर डार्लिंग ने सच ही कहा है कि," एक छोटे से खेत

सारणी संख्या [53] ऋण भुगतान के सम्बन्ध में मत

ऋण भुगतान की श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
ब्याज सहित किश्तों पर	175	85.36%
ब्याज सहित एकबार	20	9.75%
ब्याज रहित दानराशि	10	4.88%

द्वारा बिना ऋण लिये किसी परिवार का पालन पोषण करने के लिये परिश्रम और मितव्ययता की आवश्यकता होती है जो प्रायः गर्म देशों में नहीं पायी जाती । भारतीय किसानों के जीवन की तुलना उस नौका से की जा सकती है जो अटलांटिक महासागर में तूफान का सामना करती और यदि नाव ठीक नहीं है या चालक ठीक नहीं है तो नौका को अवश्य डूब जाना चाहिये । भारत में खेती बहुत होती है और प्रकृति की भूमि को विनाश करने की शक्ति उतनी ही प्रबल होती है । जितनी कि उस महासागर की एक नाव नष्ट करने की । 19.51% उत्तरदाताओं को मुकदमें बाजी के कारण ऋण लेना पड़ता है । इस क्षेत्र में मुकदमें बाजी का इतना अधिक प्राबल्य होने के कारण गांवों की गिरी हुई आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दशा, गांव में व्यक्तिवादी भावनाओं का विकास होने से भाई भाई तक के बीच मुकदमें बाजी होती है जिसमें कि वे हजारों रुपये खर्च करते हैं । भारतीय ग्राम्य अर्थ शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान सर डार्लिंग ने लिखा है कि " भारतीय गांव में यह बात बहुत साधारण है कि एक एकड़ से भी छोटे खेत का मुकदमा हाई कोर्ट तक लड़ा जाये और फौजदारी के मुकदमें में हजारों रुपये बरबाद हो जायें । श्री कालवर्ट का अनुमान है कि पंजाब में प्रति वर्ष लगभग 25 लाख किसान न्यायालयों में जाते हैं और इस काम में तीन करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की बरबादी हो जाती है । 12.19% ग्रामीणों ने बीमारी की वजह से ऋण लिया हुआ है । 4.88% उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण लिया हुआ है ।

सारणी संख्या [55] में उत्तरदाताओं का ऋण का भुगतान करने के सम्बन्ध में मत प्रदर्शित किये गये हैं । सारणी से स्पष्ट है कि 85.36% उत्तरदाता ऋण का भुगतान ब्याज सहित एक बार में ही कर देते हैं । जबकि मात्र 4.88% उत्तरदाता बिना ब्याज का ऋण चुकाते हैं । इन उत्तरदाताओं ने अपने करीबी रिश्तेदारों से ऋण लिया है इसलिए उन्हें लिये गये ऋण पर ब्याज नहीं देना पड़ता है ।

विश्लेषण :-
* * * * * *

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था के वितरण के विश्लेषण को चार भागों में विभाजित किया गया है ।

प्रथम - ग्रामीणों की निर्धनता

द्वितीय- कृषि कार्यों का पिछड़ा पन

तृतीय- यंत्रीकरण तथा औद्योगीकरण अभाव

चतुर्थ- ग्रामीणों का आर्थिक स्थिति पर परम्परावादी दृष्टिकोण

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त निराशा जनक है । 85% ग्रामीण निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । ये निर्धन ग्रामीण अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये न्यूनतम स्तर पर भी सुविधायें प्राप्त नहीं कर पाते । अर्थात इनके पास आय के स्त्रोत अत्यन्त निम्न स्तर के हैं । जो आय के स्त्रोत हैं वे वर्तमान समय के अनुकूल नहीं हैं । श्री गोडार्ड ने यह स्पष्ट किया है कि "निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति या उसके आश्रितों के स्वास्थ और कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिये आवश्यक है । ग्रामीण निर्धनता के सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों का मत है कि भारत में ग्रामीणों की निर्धनता की समस्या केवल स्वास्थ्य और कुशलता के स्तर से सम्बद्ध नहीं है बल्कि इसे साधारणतया जीवित रहने के लिये न्यूनतम पोषक तत्वों की पूर्ति से समझा जाता है । इसका सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन तत्वों से है - न्यूनतम जीवन स्तर, व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या तथा बाजार भाव । इसका तात्पर्य है कि जब किसी समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों को इतने भी आर्थिक साधन प्राप्त नहीं हो पाते कि वे एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अपने ऊपर आश्रित सदस्यों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रख सके । अतः इस क्षेत्र के ग्रामीणों का अपनी आय द्वारा मूल आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने का परिणाम है उनका ऋण ग्रस्त होना । एक ग्रामीण को अपने परिवार के भरण पोषण के लिये ऋण लेना ही पड़ता है । चूँकि यह ऋण अनुत्पादक कार्य हेतु लिया गया है फलस्वरूप उसका ऋण समाप्त नहीं होता है बल्कि बढ़ता जाता

है । कृषि आयोग की रिपोर्ट में इस संदर्भ में कहा गया है कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है ऋण के साथ में ही जीवन व्यतीत करता है । ऋणी के रूप में ही उसकी मृत्यु होती है और उस ऋण को वह अपनी सन्तानों के लिये छोड़जाता है। अतः एक ग्रामीण की आर्थिक स्थिति इतनी निम्न स्तर की है कि जीवन में एक बार ऋण लेने के पश्चात परिस्थिति सम्बन्धी तथा प्रकृतिगत दोषों के कारण उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाता है ।

जनपद फतेहपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है इसी लिये यहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और वर्तमान अध्याय में तालिकाओं से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कृषि व्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुई है । भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि सलाहकार डा० क्लाउस्टन ने कहा है "भारत में हमारी पिछड़ी हुई जातियां तो हैं ही पर पिछड़े हुए उद्योग भी हैं । और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें से एक है । इस पिछड़ेपन का कारण है इस क्षेत्र के कृषि कार्य में वैज्ञानिक व आधुनिक प्रणाली का अभाव । आज भी इस जनपद के ग्रामीण उन्हीं यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग प्राचीन समय में किया जाता था । समय बदल गया है लेकिन इन ग्रामीणों के यंत्र व उपकरण नहीं बदले । योजना आयोग का अनुमान है कि पिछले 1000 वर्षों में भारतीय हल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है । कृषि से सम्बन्धित अन्य यंत्र भी उतने ही पुराने व परम्परागत हैं । आज भी यहां के ग्रामीण हल , पाटा, कुहाना, कस्सी, दराती, डाव आदि का प्रयोग करते हैं । प्राचीन समय में इनका प्रयोग तो ठीक था लेकिन वर्तमान समय में जब कृषि के अनेक नये यंत्रों तथा उपकरणों का अविष्कार हो चुका है उनसे शीघ्र और अधिक क्षेत्र में सरलता पूर्वक कृषि कार्य किया जा सकता है । तो उन परम्परागत औजार व यंत्रों का उपयोगव्यर्थ है ।ट्रैक्टर द्वारा चलने वाले हल, हैरो, बीज व पिन, हारवेस्टर, थ्रेसर आदि ऐसे आधुनिकतम यंत्र हैं जिनसे कृषि कार्य शीघ्र समयानुसार और कम परिश्रम में अधिक क्षेत्र में की जा सकती है परन्तु इस क्षेत्र के 75%कृषक इन यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं ।आधुनिक यंत्रों का प्रयोग इस क्षेत्र में न होने के कारण है इस जनपद के ग्रामीणों की निर्धनता। उत्तरदाताओं के मतानुसार भी 62%उत्तरदाताओं ने यही कहा है कि ये यंत्र इतने मूल्यवान हैं कि वे खरीद नहीं सकते हैं न ही उनके पास इन्हें किराये पर प्रयोग करने की

स्थिति है कृषकों का कथन है कि पारम्परिक यंत्रों का उपयोग करके कृषि करने में भी उन्हें ऋण लेना पड़ता है जो कि वे चुका नहीं पाते हैं तो इन यंत्रों का प्रयोग करने के लिये जितने धन की आवश्यकता है उतना धन भी उनको ऋण के रूप में नहीं मिलेगा । इस क्षेत्र में कृषकों के खेत बहुत छोटे तथा बिखरे हुए हैं जिसके कारण इन खेतों में वे इन यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक समाजशास्त्री का इस सम्बन्ध में मत है कि " छोटे-छोटे खेतों में ट्रैक्टर का क्या उपयोग हो सकता है फिर मूल्यवान यंत्र तो किसान खरीद ही नहीं सकता । भारतीय किसान का हल ऐसा होना चाहिये कि जिसे वह अपने कंधों पर उठाकर एक खेत से दूसरे खेत पर ले जा सके । साथ ही खेती के औजार ऐसे हों जिनको गांव का बढ़ई अथवा लोहार आसानी से बना सके और उसकी मरम्मत कर सके । ऐसा न हो कि यंत्र के खराब हो जाने पर किसान को उसको ठीक करवाने के लिये इधर-उधर भटकना पड़े ।

इस जनपद के कृषकों का खेती करने का ढंग अत्यन्त पुराना तथा अवैज्ञानिक है । उन्हें आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करने के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं है ,बीज बोने,फसल काटने,खेत जोतने आदि सभी प्रक्रियायें अति प्राचीन ढंग से होती हैं । सर मालकम डार्लिंग ने लिखा है-"भारत का किसान पुराने औजारों से खेतों में काम करता है उसका हल आधे खुले हुए चाकू के समान होता है जो भूमि की ऊपरी परत काटने के लिये पर्याप्त नहीं होता । जिस डण्डे से बने हुए हल से वह फसलों को काटता है वह मनुष्य का औजार न होकर बच्चों का खिलौना प्रतीत होता है । खलिहानों में भूसे को अलग करने की अवैध रीतियां बहुत पुरानी हैं । यहां तक कि फसलों के हेर-फेर के सिद्धान्त को भी ठीक से अपनाया नहीं जाता वरन् भूमि की उर्वरता प्राप्त करने के लिये एक दो फसलों के पश्चात परती(बिना जोते) छोड़ दिया जाता है । इस क्षेत्र में खेती के पिछड़ेपन के कारण हैं उत्तम बीजों का कम प्रयोग, खाद की कमी , दुबले पशु, सिंचाई साधनों की कमी , यंत्रीकरण के न्यूनतम प्रयोग । कृषि पिछड़ेपन के अन्य कारण सामने आये हैं । प्रथम -कृषकों के पास भूमि इतनी कम है कि ट्रैक्टर का उपयोग नहीं हो सकता । दूसरा-इस क्षेत्र के ग्रामीणों की निर्धनता ।

तीसरा-आधुनिक यंत्रों के मरम्मत की सुविधा गांव में नहीं है । चौथा-ग्रामीण का रूढ़िवादी परम्परागत दृष्टिकोण । अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में किसान को खेती से आय बहुत कम हो गयी है । ऐसी दशा में खेती का आधुनिकीकरण सम्भव नहीं है । क्योंकि छोटे खेतों में मशीनों का प्रयोग सम्भव नहीं है और न ही गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज, रासायनिकखाद तथा अन्य आधुनिक प्रविधियों के लाभ उठा पाता है । "

अध्याय ४

शैक्षणिक गतिशीलता

[शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता]

शैक्षणिक गतिशीलता:-शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता

शिक्षा वह सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया है जो ग्रामीण जीवन के विशिष्ट रूपों में प्रभावित करती रही है । शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को आगामी पीढ़ियों तक पहुँचाने तथा विभिन्न समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान ढूंढने का भी यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है । शिक्षा ने आज गांव के प्रौद्योगिक विकास ,आर्थिक संरचना, राजनैतिक जीवन और व्यक्तित्व के विकास को एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध कर दिया है कि कुछ समय पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । वास्तव में शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं होता बल्कि समाज की विभिन्न संस्थायें अपने संचित अनुभवों के आधार पर जो व्यावहारिक ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करती हैं उनका भी शिक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है । इसी आधार पर फिलिप्स का कथन है "शिक्षा वह संस्था है जिसका केन्द्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है ।[37] इस दृष्टिकोण से शिक्षा चाहे पुस्तकीय ज्ञान से सम्बद्ध हो चाहे यह ज्ञान लोक रीतियों और प्रथाओं के रूप में दिया जाता हो अथवा यह परिवार के दैनिक कार्यों या व्यवसाय के माध्यम से हो, इस सम्पूर्ण ज्ञान को शिक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है । यह वह ज्ञान है जो हमें अतीत का अनुभव देता है , वर्तमान को समझने की क्षमता प्रदान करता है तथा भावी परिस्थितियों के विश्लेषण के लिये तर्क बुद्धि देता है । इस दृष्टिकोण से ग्रामीण जीवन तथा संस्कृति की निरन्तरता में शिक्षा का निश्चय ही महत्वपूर्ण योगदान है ।

प्राचीन समय में शिक्षा का स्वरूप एक ऐसी अर्थव्यवस्था से संबन्धित था जो केवल जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सहायक थी । डा0 देसाई के अनुसार ," इस समय विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के लिये कोई विशिष्ट संस्थायें नहीं थीं । कृषि, उद्योग, तथा व्यवसाय का ज्ञान भी

37.B.S.Philips," Sociology ,social structure and change,"p-305

पाठशालाओं में नहीं दिया जाता था । परिवार के अनुभवी और वयोवृद्ध सदस्यों द्वारा ही परिवार के सदस्यों को यह ज्ञान प्रदान किया जाता था । व्यक्ति का अधिकांश जीवन परिवार और जाति तक ही सीमित होने के कारण व्यक्ति के लिये एक ऐसी शिक्षा को आवश्यक समझा जाता था जो उसे अपनी संस्कृति तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के स्वरूप से परिचित करा सके । नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा देने का कार्य पुरोहितों तथा उपदेशकों का था । परिवार जाति तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित धार्मिक समारोह, त्योहारों और उत्सवों में ग्रामीणों को लौकिक , धार्मिक एवं कलात्मक जीवन की शिक्षा प्राप्त होती थी । गांव में कृषि तथा कुटीर उद्योगों की शिक्षा व्यक्ति को पैतृक आधार पर प्राप्त होती थी । ग्रामीण जीवन की यह शिक्षा है पूर्ण रूप से धर्म प्रधान थी जिसमें व्यक्तिवादिता तथा धन संचय का कोई महत्व नहीं था । यह शिक्षा एक ओर व्यक्ति को प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करना सिखाती थी तो दूसरी ओर पौराणिक गाथाओं के आधार पर व्यवहारों का निर्धारण करने एवं समूह से अनुकूलन करने पर बल देती थी । इसका प्रमुख उद्देश्य परम्परागत संस्कृति के संदर्भ में व्यक्तित्व का विकास करना था । 38

वर्तमान समय में औद्योगीकरण , यंत्रीकरण व नगरीकरण का प्रभाव बढ़ने के कारण शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया है । परन्तु शिक्षा के परिवर्तित स्वरूप के प्रति ग्रामीणों का दृष्टिकोण ,आज भी अत्यन्त प्राचीन है । ग्रामीण, सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के पूरी तरह से शिकार बने हुए हैं । इसलिये ग्रामों में अशिक्षा का साम्राज्य स्थापित है । अशिक्षा के कारण उनकी मनोवृत्ति इतनी दूषित और गिरी हुई अवस्था में है कि उनको अपनी गिरी हालत से तनिक असन्तोष नहीं जान पड़ता है । जीवन की सारी मुसीबतें और कठिनाईयों को वे ईश्वरीय कोप का परिणाम मानते हैं और उनका किसी प्रकार अन्त भी किया जा सकता है । इस बात की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते । भाग्य और कर्म के अत्यन्त शून्य सिद्धान्तों

38.A.R.Desai," Rural sociology in India,"p-70

में दृढ़ विश्वास होने के कारण वे अपने आत्म-विश्वास को एक प्रकार से बिल्कुल खो चुके हैं। उनका जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना निराशावादी बन गया है कि उनको उनमें सुधार करने का तनिक भी उत्साह नहीं होता है। अतः इस बारे में कोई दो मत नहीं हैं कि ग्रामीणों का पुनरुत्थान तभी सम्भव है जब तक उनकी इस मनोवृत्ति में परिवर्तन न हो जाये। आज जो निराशावाद, उत्साह हीनता और उदासीनता उनमें पायी जाती है जब तक इनका नाश नहीं हो जाता है गांव की वर्तुमुखी समस्याओं का ठीक-ठीक हल ढूंढ निकालना असम्भव सा है। गांव वालों की मौजूदा मनोवृत्ति का कारण बहुत कुछ हद तक वे परिस्थितियां ही हैं जिनके बीच वह जन्म लेता है,। उनका पालन पोषण होता है और जिनकेबीच में रहते-रहते ही वह अपनी जीवन यात्रा को समाप्त भी कर देते हैं। जो कृषक बालक जन्म से ही कर्ज का बोझ लेकर इस संसार में आता है, जो अपने माता-पिता को कर्ज की चक्की में उम्र भर पिसते हुए देखता है और जिसको अपने लिये भी इस उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करने का कोई कारण नहीं दिखायी देता। वह अगर जीवन में आशा और उत्साह से सर्वथा अछूता रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसलिये गांव वालों की मौजूदा मनोवृत्ति को बदलने के लिये वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक ग्रामीणों के विचारों, मान्यताओं और सोचने के ढंग में परिवर्तनशीलता नहीं आयेगी तब तक उनकी प्रगति सम्भव नहीं है। ग्रामीणों की मनोवृत्ति में यह परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा उनमें एक विचार क्रान्ति उत्पन्न करनी होगी। उन्हें भाग्य व कर्म के प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त के असर से मुक्त करना होगा।

अतः उपरोक्त विवेचना से ग्रामों में शिक्षा का स्वरूप, उनकी आवश्यकता व उपयोगिता स्पष्ट होती है। जनपद फतेहपुर के ग्रामीण समुदायों में अशिक्षा के क्या कारण हैं। उनकी शिक्षा की प्रति कितनी रुचि है व वे शिक्षा को अपने लिये उपयोगी समझते हैं या अनुपयोगी इसकी विवेचना निम्नलिखित सारणियों में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर की गयी है।

तालिका संख्या (54) उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्तर	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
1. अशिक्षित	40.33%	(121)	75%	(75)
2. प्राइमरी	21%	(63)	8%	(8)
3. मिडिल	21.33%	(64)	4%	(4)
4. हाईस्कूल	7.33%	(22)	2%	(2)
5. इण्टरमीडिएट	5.33%	(16)	1%	(1)
6. स्नातक	2.33%	(7)	–	
7. परस्नातक	2.33%	(7)	–	

तालिका संख्या (55) शिक्षा के प्रति रुचि के सम्बन्ध में दृष्टिकोण
लिंग व शैक्षिक स्तर के आधार पर

शिक्षा के प्रति रुचि	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
सहमति	82% (147)	83.47% (101)	75% (15)	6.66% (5)
असहमति	18% (32)	16.53% (20)	25% (5)	93.33% (70)

उपरोक्त सारणी में उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति दर्शायी गयी है। तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 300 पुरुष उत्तरदाताओं में से 40.33% पुरुष पूर्णतया निरक्षर थे, 21% ने प्राईमरी तक, 21.33% ने मिडिल तक, 7.33% ने हाईस्कूल तक, 5.33% ने इन्टरमीडिएट तक, 2.33% ने स्नातक तक तथा 2.33% उत्तरदाताओं ने परास्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। 100 स्त्री उत्तरदाताओं में 75% निरक्षर थीं। 8% ने प्राइमरी तक, 4% ने मिडिलतक, 2% ने हाई स्कूल तक तथा 1% ने इन्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीणों में उच्च शिक्षा का प्रतिशत नगण्य है। स्त्रियों में तो निम्न व उच्च शिक्षा दोनों का ही अभाव है।

सारणी संख्या (55) में उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्रति रुचि को प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 18% शिक्षित, व 16.53% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने शिक्षा में अपनी अरुचि दर्शायी। स्त्री उत्तरदाताओं में भी 25% शिक्षित, , 93.33% अशिक्षित, उत्तरदाताओं ने अपनी अरुचि प्रदर्शित की। जबकि पुरुष उत्तरदाताओं में 82% शिक्षित तथा 83.47% अशिक्षित, स्त्री उत्तरदाताओं में 75% शिक्षित व 6.64% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने शिक्षा के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में शिक्षा के प्रति रुचि अधिक है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण मनोवृति ही यही होती है कि शिक्षा केवल लड़कों के लिये है लड़कियों का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं है। चूंकि लड़कियों का कार्य क्षेत्र केवल घर भीतर तक ही सीमित माना जाता है। इसलिये उनके लिये शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अशिक्षित उत्तरदाताओं की अपेक्षा शिक्षित उत्तरदाताओं ने शिक्षा के प्रति अधिक रुचि दर्शायी है।

सारणी संख्या (56) में उत्तरदाताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों की अशिक्षा के कारणों को स्पष्ट किया गया है। आंकड़ों के अनुसार 66.66% पुरुष व 98% स्त्री उत्तरदाताओं ने अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता बताया। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का कथन है कि वे इसलिये अशिक्षित

ग्राम स्कूल में शिक्षण कार्य का एक दृश्य

शिक्षा प्राप्त करते ग्रामीण बालक

तालिका संख्या (56) उत्तरदाताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों की
अशिक्षा के कारण
लिंग के आधार पर

लिंग	निर्धनता	समयाभाव	पढ़ाई से अरुचि	अज्ञानता
पुरुष उत्तरदाता	23.33% (70)	4% (12)	6% (18)	66.66% (200)
स्त्री उत्तरदाता	1% (1)	1% (1)	-	98% (98)

है क्योंकि उस समय स्कूली शिक्षा पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था । बल्कि घरों में ही जो बड़े बूढ़ों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी । उसी को ही पूर्ण समझ लिया जाता था । साथ ही परिवार से सम्बन्धित परम्परागत कार्यों की शिक्षा पर ही अधिक बल दिया जाता था । कुछ ग्रामीणों का मत है कि आज से 20 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति को गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी कृषि व अन्य लघु उद्योग धन्धों की जानकारी के लिये शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं थी । यह सभी कार्य व्यक्ति बिना शिक्षा ग्रहण किये ही सीखा जाता था । अतः उस समय शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी । इसलिये उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की । 23.33% उत्तरदाताओं का मत है कि वे अपनी निर्धनता के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाये । उनके पास इतना भी धन नहीं है कि वे अपना या अपने बच्चों को ठीक प्रकार से भोजन और वस्त्र दे सकें । ऐसे में शिक्षा तो दूर की बात है । वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी को जीविकोपार्जन के लिये लगना पड़ता है । अर्थात उनके पास धन व समय दोनों का अभाव होता है । अधिकांश उत्तरदाताओं का यह मत है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके बच्चे अपने पारम्परिक पारिवारिक कार्यों को करने में शर्म महसूस करते हैं । वह अपनी ही भूमि को जोतना नहीं चाहते हैं । जिससे वे सहारा बनने की अपेक्षा हम पर ही बोझ बन जाते हैं । इसलिये उन्होंने शिक्षा नहीं दिलायी है । स्त्रियों की अशिक्षा के कारण यह हैं कि ग्रामीण, स्त्रियों के लिये शिक्षा बिल्कुल अनावश्यक समझते हैं । उनके अनुसार स्त्रियों को तो घर तक सीमित रहना है । और घर में व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । रोटी बनाने व घर के कार्यों को करने में क, ख, ग, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही उनमें यह भी धारणा है कि लड़कियों के पढ़ने लिखाने से वह पाप की भागी बनती हैं ।

सारणी संख्या (57) में उत्तरदाताओं से उनके परिवार के अशिक्षित सदस्यों को शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में मतों का स्पष्टीकरण

तालिका संख्या (57) परिवार के अशिक्षित सदस्यों को सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में मत

(लिंग व शिक्षा के आधार पर)

शैक्षिक स्तर	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति
अशिक्षित	51.23%	48.76%	13.33%	86.66%
	(62)	(59)	(10)	(65)
मिडिल तक	59.05%	40.94%	41.66%	58.33%
	(75)	(52)	(5)	(7)
इण्टरमीडियट तक	78.94%	21.05%	33.33%	66.66%
	(30)	(8)	(1)	(2)
परास्नातक तक	88.71%	14.28%	-	-

किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि जिन स्त्री व पुरूष उत्तरदाताओं ने उच्च शिक्षा (परास्नातक तक) प्राप्त की थी । उन्होंने परिवार के अशिक्षित सदस्यों को शिक्षा दिलाने में रुचि दर्शायी । जिन पुरूष उत्तरदाताओं ने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की उनमें 78.94% ने सकारात्मक और 21.05% ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है । जिन उत्तरदाताओं ने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की है उनमें 59.05% ने सकारात्मक और 40.94% ने नकारात्मक रुख अपनाया है । जो उत्तरदाता अशिक्षित हैं उनमें 51.23% उत्तरदाताओं ने शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में सकारात्मक व 48.76% ने नकारात्मक उत्तर दिये । स्त्री उत्तरदाताओं में जिन स्त्रियों ने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की है उनमें 33.33% ने हाँ व 66.66% नहीं का समर्थन किया । अशिक्षित स्त्रियों में 86.66% ने नकारात्मक दृष्टिकोण व मात्र 13.33% ने सकारात्मक पक्ष में अपने मत दिये हैं । इससे स्पष्ट है कि जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है वे शिक्षा महत्व को समझते हैं । उनके अनुसार व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है । परन्तु इनका प्रतिशत नगण्य ही है । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली स्त्रियों ने मिडिलतक शिक्षा प्राप्त की है और अधिक से अधिक हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की है । स्नातक व परास्नातक तक शिक्षित स्त्रियाँ दो चार ही मिलेंगी। किसी किसी ग्राम में तो दो-चार भी नहीं हैं । ग्रामीणों की मनोवृत्ति यह है कि व्यक्ति अगर शिक्षित न हो और कोई काम धन्धा जानता है या अपना जीवन निर्वाह कर सकने की क्षमता रखता है तो उसका शिक्षित होना आवश्यक नहीं है । जिन उत्तरदाताओं ने शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है उनके अनुसार निम्नलिखित बातें सामने आती हैं । पहली तो यह है कि अब उनका समय बीत गया , अब पढ़ कर क्या करेंगे जब पढ़ने का समय था तब तो पढ़ा नहीं अब क्या फायदा । दूसरी बात यह है कि उनको अपने कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि शिक्षा के लिये समय दे सकें । और कृषिकार्य तो इतना कठोर परिश्रम वाला होता है कि उसके पश्चात पढ़ाई करना असंभव है । तीसरी बात यह है कि सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा, तथा स्त्री शिक्षा आदि कार्यक्रम तो जरूर चलाये हैं लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो

लड़कियों का प्राइमरी स्कूल

तालिका संख्या (58) बच्चों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में मत (शैक्षिक स्तर के आधार पर)

शैक्षिक स्तर	पुरुष उत्तरदाता				स्त्री उत्तरदाता	
	बौद्धिक विकास	स्वावलम्बी बनाना	बौद्धिक विकास व स्वावलंबी बनाना	कोई मत नहीं	स्वावलम्बी बनाना	कोई मत नहीं
अशिक्षित	3.30% (4)	23.97% (29)	6.61% (8)	66.11% (8)	-	100% (75)
शिक्षित	-	62.99% (80)	15.75% (20)	21.25% (27)	83.33% (10)	16.66% (2)
इंटरमीडिएट	5.26% (2)	52.63% (20)	31.58% (12)	10.55% (4)	100% (3)	-
परास्नातक तक	-	33.33% (4)	66.66% (8)	-	-	-

वहां रहने वाले ही बता सकते हैं । कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के नाम तो हम आपसे आपके मुख से सुन रहे हैं । वास्तव में केवल कार्यक्रमों को लागू कर देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता उनको अमल में लाया जा रहा है या किस सीमा तक अमल किये जा चुके हैं इसपर भी किसी का ध्यान नहीं जाता । शिक्षा में तो जब तक रुचि न हो जबरदस्ती नहीं दी जा सकती । किसी बच्चे को तो फिर भी डांट डपट कर पढ़ाया जा सकता है लेकिन एक युवा, प्रौढ़ और वृद्ध को शिक्षित करना सरल नहीं है । जब तक उसमें स्वयं शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी उनको शिक्षित नहीं किया जा सकेगा ।

उक्त सारणी में बच्चों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य के संबंध में आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं । आंकड़ों के अनुसार अशिक्षित उत्तरदाताओं में 3.30% ने बौद्धिक विकास , 23.97% ने स्वावलम्बी बनाना, 6.61% ने बौद्धिक विकास तथा स्वावलम्बी बनाना बताया है जबकि 66.11% पुरुष व 100% स्त्री उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई मत प्रकट नहीं किया । जिन उत्तरदाताओं ने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी उनमें 62.99% ने स्वावलम्बी बनाना, 15.75% ने बौद्धिक विकास व स्वावलम्बी बनाना, शिक्षा का उद्देश्य बताया है । जबकि मिडिल तक शिक्षित स्त्रियों में 83.33 %ने स्वावलम्बी बनाना शिक्षा का उद्देश्य बताया । 16.66% ने इस सम्बन्ध में कोई भी मत प्रकट नहीं किया है । इण्टरमीडिएट तक शिक्षित पुरुष उत्तरदाताओं में से 5.26% ने बौद्धिक विकास, 52.63% ने स्वावलम्बी बनाना, 31.58% ने बौद्धिक विकास व स्वावलम्बी बनाना दोनों के प्रति अपने मत प्रकट किए हैं जबकि इण्टरमीडिएट तक शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने सभी ने शिक्षा का उद्देश्य स्वावलम्बी बनाना बताया । जिन उत्तरदाताओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी उनमें 33.33% ने स्वावलम्बी बनाने तथा 66.66% ने बौद्धिक विकास व स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में अपने मत प्रकट किये हैं । तथ्यों से स्पष्ट है कि अशिक्षित उत्तरदाताओं में अधिकांश ने इस सम्बन्ध में कोई मत प्रकट नहीं किया जबकि कुछ का कथन था कि वे बिना किसी उद्देश्य के

शिक्षा दिला रहे हैं । गांव में जो भी प्राइमरी व मिडिलस्कूल हैं उतना ही बच्चा पढ़ ले उनके लिये यही बहुत है । उनके अनुसार शिक्षा दिलाने की अपेक्षा कृषि कार्य या कोई उद्योग धंधा सिखाना अधिक आवश्यक है । तथ्यों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा दिलाने का उद्देश्य स्वावलम्बी बनाने के सम्बन्ध में सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने मत प्रकट किये । परन्तु जिन उत्तरदाताओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की भी उन्होंने शिक्षा का दिलाने का उद्देश्य अपने बच्चों का बौद्धिक विकास करना व उन्हें स्वावलम्बी बनाना ही बताया है । जब उत्तरदाताओं से शिक्षा दिलाने के क्या लाभ है व क्या हानि है के सम्बन्ध में निम्न प्रश्नों के आधार पर उनके विचार प्राप्त किये गये ।

1. क्या आप मानते हैं कि पढ़ाई के बाद बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं ?
2. क्या पढ़े-लिखे बच्चों पर नियंत्रण नहीं रहता ?
3. क्या वे घर का पारम्परिक /खानदानी कार्य करना पसंद नहीं करते हैं ?
4. क्या उनका धर्म पर विश्वास नहीं रह जाता ?
5. क्या वे अशिक्षित की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से सोचते विचारते हैं?
6. क्या शिक्षा से उनमें स्वच्छता व संगठता आ जाती है ?
7. क्या उनको दूसरों के व्यवहार करने व उनके आचार विचार में परिवर्तन आ जाता है ?
8. क्या आप बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं ?
9. क्या आपका बच्चा स्कूल जाने से घबराता है ?

प्रश्न संख्या 1,2,3,4,9 के उत्तर में उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण तथा प्रश्न संख्या 5,6,7,8 के उत्तर में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया ।

प्रथम प्रश्न के उत्तर में 74.5% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के बाद बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं परिवार टूट या बिखर जाते । केवल 25.5% ने कहा कि शिक्षा के बाद बच्चे परिवार से अलग नहीं होते ।

द्वितीय प्रश्न में 78.75% [315] के अनुसार शिक्षा के पश्चात बच्चों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है वे कहना नहीं मानते, बड़ों की बातें नहीं सुनते अपने मन की करते हैं अर्थात उनके अनुसार शिक्षित बच्चों की अपेक्षा अशिक्षित बच्चों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। मात्र 21.25% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के बाद भी बच्चों पर नियंत्रण रहता है।

तृतीय प्रश्न के उत्तर में 83% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के पश्चात बच्चे घर का पारम्परिक कार्य करना पसंद नहीं करते। मात्र 17% उत्तरदाताओं ने इसके पक्ष में उत्तर दिया।

चौथे प्रश्न के उत्तर में 73.75% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के पश्चात धर्म पर विश्वास नहीं रह जाता और न ही वे ईश्वर को मानते हैं। 26.25% व्यक्तियों ने इसे पक्ष में उत्तर दिया।

पांचवें प्रश्न के उत्तर में 4.25% ने कहा कि व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित उसके सोचने समझने के ढंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 58.75% के अनुसार अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित अधिक अच्छे ढंग से सोचता विचारता है।

छठे प्रश्न के उत्तर में 17.5% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा से स्वच्छता व सजगता आ जाती है जबकि 82.5% ने यही कहा कि शिक्षा का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

सातवें प्रश्न के उत्तर में मात्र 23.75% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा से व्यक्ति के विचारों में परतंत्रता आती है जबकि 78.25% ने यही कहा कि इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।

आठवें प्रश्न के उत्तर में 44.25% ने कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें कृषि कार्य में सहयोग चाहिये और अपने अपने बच्चों को कृषि कार्य की शिक्षा भी देनी है। 55.75% ने कहा कि वे बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकते।

नवें प्रश्न के उत्तर में 53.75% के अनुसार उनके बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं। इसकाकारण उन्होंने पढ़ाईसे डर, अरुचि व शिक्षक से डर बताया।

तालिका संख्या (59) अपने बच्चों के लिये पेशे के चुनाव के सम्बन्ध में दृष्टिकोण शैक्षिक स्थिति के आधार पर

शैक्षिक स्तर	कृषि	नौकरी	व्यापार
शिक्षित	17.35% (21)	57.85% (70)	24.79% (30)
अशिक्षित	31.84% (57)	51.39% (92)	16.75% (30)

तालिका संख्या (60) उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान समय में शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप

वैवाहिक स्थिति के आधार पर

वैवाहिक स्तर	किताबी ज्ञान	उद्योगधन्धों की शिक्षा	किताबी शिक्षा व उद्योग धन्धे दोनों प्रकार की शिक्षा
विवाहित	14.52%	17.32%	68.16%
	(26)	(31)	(122)
अविवाहित	6.61%	24.79%	68.59%
	(8)	(30)	(83)

46.25% ने कहा कि उनके बच्चे स्कूल जाने से नहीं घबराते ।

उक्त सारणी में उत्तरदाताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों तथा बच्चों के लिये भविष्य में पेशे के चुनाव के सम्बन्ध में आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं। तथ्यों के अनुसार शिक्षित उत्तरदाताओं में 17.35% ने कृषि, 57.85% ने नौकरी तथा 24.79% उत्तरदाताओं ने व्यापार का चुनाव किया । जबकि अशिक्षित उत्तरदाताओं में से 31.84% ने कृषि, 51.30% ने नौकरी तथा 16.75% ने व्यापार का चुनाव किया । उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, वर्तमान समय को देखते हुए वे नौकरी को ही प्राथमिकता देते हैं । उत्तरदाताओं के अनुसार नौकरी में निश्चित आमदनी होती है जबकि खेती व्यापार आदि में कभी तो सूखा है तो कभी पाला पड़ा है, कभी बाढ़ है तो कभी नुकसान भी । जबकि नौकरी में इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी बात नौकरी में खेती व व्यापार की अपेक्षा परिश्रम कम करना पड़ता है । क्योंकि खेती में व्यक्ति को जाड़ों में खेत में सोना पड़ सकता है, कड़ी धूप में हल चलाना पड़ता है तथा भारी बरसात में भी खेत पर कार्य करने जाना पड़ता है, इसी लिये ग्रामीणों को नौकरी आज का समय देखते हुए अधिक आकर्षित करती है । लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं है । इसलिये शिक्षित व्यक्तियों ने तो नौकरी के पश्चात व्यापार को तथा अन्त में कृषि को चुना जबकि अशिक्षित उत्तरदाताओं ने नौकरी के बाद कृषि तत्पश्चात व्यापार को चुना ।

सारणी संख्या (60) में वर्तमान समय में शिक्षा के उपयोगी स्वरूप के विषय में उत्तरदाताओं के विचार प्राप्त किये गये हैं । सारणी के अनुसार उत्तरदाताओं ने वर्तमान समय को देखते हुए किताबी व यांत्रिक अर्थात किसी उद्योग धन्धे की व बौद्धिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपने मत प्रकट किये हैं । 68.16% शिक्षित व 68.59% अशिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार किताबी व उद्योग धन्धे दोनों प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये । उसके बाद 17.32% शिक्षित व 24.79% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने सिर्फ उद्योग धन्धे की शिक्षा को ही प्राथमिकता दी, जबकि 14.52% शिक्षित व 6.61% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने केवल किताबी शिक्षा को प्राथमिकता दी ।

विश्लेषण :-

शोध प्रबंध के वर्तमान अध्ययन में उत्तरदाताओं का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण की सूक्ष्म जानकारी के लिये इसे निम्नभागों में बांटा गया है ।

§1§ शिक्षा की आवश्यकता व उपयोगिता

§2§ शिक्षा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप

§3§ शिक्षा का आर्थिक स्वरूप

ग्रामीणों के लिये शिक्षा कितनी आवश्यक व उपयोगी है । इस प्रश्न से भी महत्वपूर्ण यह जानकारी प्राप्त करना है कि ग्रामीण शिक्षा को अपने लिए कितनी आवश्यक कितनी अनावश्यक समझते हैं क्योंकि वह जब तक स्वंय ही इस बात को नहीं समझेगा कि शिक्षा उसके लिये उपयोगी व आवश्यक है उसका ध्यान शिक्षा के प्रति कैसे सम्भव हो सकता है । जब तक उसकी शिक्षा में रुचि नहीं होगी उसे प्राप्त करने की चेष्टा कभी नहीं करेगा और वह निरक्षर व गंवार बना रहेगा । वास्तविकता में देखा जाये तो ग्रामीण व्यक्ति शिक्षा को बिल्कुल अनावश्यक समझते हैं । गांव के लोगों के मुँह से निम्नलिखित विचार, भावनायें व्यक्त करने वाली टिप्पणी आमतौर से सुनने को मिली ।" पढ़ा लिखा के कौन कलक्टर बन जाइका है और विलायत जाईका है हमका तो ऐसे मरना है जिसने जीना है ।" "पढ़ाये से हमें का फायदा ।चार बरस स्कूल में पढ़े के बाद हमार लरिका बस यही सीखत है कि हथवा में कलम पकड़ब जानत है और जौन हम चाहित हैं या हल को मजबूती से थामे ।" उपरोक्त विचारों में कहीं भी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है । सर्वेक्षण के दौरान जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप शिक्षा में रुचि रखते हैं तो 16.66% पुरूष और 75% स्त्री उत्तरदाताओं ने नकारात्मक जवाब दिया । शिक्षा के प्रति अरुचि के ग्रामीण परिस्थितियां पैदा करती हैं । जो कि अभावों से परिपूर्ण है ।

अब हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिन्होंने फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा कर दी है । प्रथम कारण है" निर्धनता । इस क्षेत्र के लोग अत्यन्त ही निर्धन हैं ऐक किसान के बेटे का जीवन अभावों के बीच बीतता है । मनोरंजन क्या है इस बात को तो वे जानते ही नहीं हैं । पूरे दिन

कठोर परिश्रम के पश्चात वे इतना धन नहीं कमा सकते कि अपना व अपने परिवार के लिये दो वक्त के लिये सामान्य भोजन व वस्त्रों की आवश्यकता को पूरा कर सकें । ऐसे में शिक्षा के लिये धन खर्च करना उनके लिये असंभव सी बात है । चूँकि एक व्यक्ति के कार्य करने से घर का कार्य नहीं चल पाता है अतः परिवार का प्रत्येक सदस्य रोटी और कपड़ों के लिये कार्य करना प्रारम्भ कर देता है । ऐसे में जब तक बच्चों को रोटी के लिये कार्य करना पड़ता है तो हम उनके शिक्षित होने की आशा कैसे कर सकते हैं । दूसरा कारण है समय अभाव । कृषि बहुत ही कठोर परिश्रम वाला कार्य है । इसमें एक किसान अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा अपने साथ हल चलाना जरूरी समझता है । एक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले की दिन चर्या क्या है । सर्व प्रथम बाहर जाकर चारा लाना व उसे मशीन से काटना, फिर घर के जानवर गाय, भैंस, बकरी बैल आदि का चारा पानी करना, तत्पश्चात पूरे घर के लिये पानी भरना । इतना सब करते करते उसे पांच से नौ बज जाते हैं । चूँकि उसका स्कूल चार-पांच किलोमीटर दूर होता है , अतः अपने घर से एक घण्टा पहले चलना पड़ता है । 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में रहने के पश्चात 5 बजे तक घर आता है । घर आकर फिर से पूरे घर का पानी भरवाना या खेत पर जाकर अपने पिता व भाई के साथ काम करना , वहां से चारा लेकर आना शाम को फिर जानवरों का चारा पानी। जिस समय बुआई गुड़ाई व कटाई का वक्त होता है उस समय तो अधिकतर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं और जो जाते हैं वे एक या डेढ़ घण्टे में लौट आते हैं क्योंकि दोपहर को खेत पर जाना, कटाई, बुआई, गुड़ाई या जानवरों को पानी पिलाना, खेत पर पानी लगाना, खेतों की देख भाल आदि कार्य करना पड़ते हैं । जिस उम्र में एक बच्चे को खेलना, पढ़ना और खाना व जिम्मेदारियों से मुक्त उसका जीवन होना चाहिये ऐसे समय में उसे अपने भोजन पानी जैसी समस्या की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है । दिन के कार्यों में थके हारे होने के पश्चात किसी बच्चे से यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह शिक्षित हो । इसी लिये गांव में बच्चे कक्षा 5-6 तक पढ़ जायें बस यही बहुत समझा जाता है । ग्रामीण बालक तो फिर भी प्राईमरी या मिडिल या हाईस्कूल तक पढ़ लेते हैं । लेकिन ग्रामीण बालिकायें तो इतना भी नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उनके लिये तो पढ़ना लिखना

से ज्यादा यह उचित समझा जाता है कि वे घर के कार्यों को ज्यादा अच्छे ढंग से करना सीखें। उनका कहना है कि लड़कियों का कौन नौकरी करें जाना है।" या रोटी बनाने, बर्तन मांजने में क ख ग पढ़ने की क्या जरूरत है।" दूसरी बात गांव में परदा प्रथा होने के कारण लड़कियों का घर से बाहर निकलना अनुचित समझा जाता है। ऐसे में उनके लिये शिक्षा कैसे सम्भव है।

इस क्षेत्र में अशिक्षा का तीसरा कारण है-अज्ञानता। 66.66% ग्रामीणों का कहना है कि पढ़ा लिखा कर हम उनके शरीर को नाजुक व कमजोर बना देते हैं फिर वे न तो कठोर परिश्रम कर पाते हैं और न ही वे स्वयं करना चाहते हैं क्योंकि बचपन से ही ऐसे कार्य करने से वह कठोर परिश्रम के लिये शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से तैयार रहता है। हर एक कहता है " अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अनपढ़ लोग तो जानवर के समान हैं शिक्षा ही उन्हें आदमी बनाती है।" पर शिक्षा से मिलता क्या है। लड़कों को पढ़ना लिखना तो आ जाता है पर वे परम्परागत तौर तरीके भूल जाते हैं। वे परिवार की भूमि को जोतना नहीं चाहते और उन्हें अपने परम्परागत व्यवसाय को करने में भी शर्म महसूस होती है। अपने पैतृक कार्यों को छोटा समझने लगते हैं। ऐसे में उनकी स्थिति अधर में लटके त्रिशंकु के समान हो जाती है। पढ़े लिखे होने की वजह से न तो वे अपने परम्परागत कार्यों को कर पाते हैं और न ही उन्हें कोई नौकरी मिल पाती है। वे अपने परिवार का सहारा बनने की अपेक्षा उनपर बोझ बन जाते हैं। ऐसे में शिक्षा को अपने लिये आवश्यक समझने की अपेक्षा अनावश्यक समझते हैं। उनके अनुसार पढ़ा लिखा कर हम स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। शिक्षा मनुष्य को कमजोर व बेकार बना देती है। शिक्षा को वे ऐसी कमजोर चीज समझते हैं कि जो कभी धूप, बारिश व ठंड नहीं सहन कर सकती। उनके अनुसार किसान का बेटा कठोर भूमि पर ठंड में नंगे बदन सोने वाला होना चाहिये न कि सोने के लिये उसे नर्म बिस्तर चाहिये।

उत्तरदाताओं की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के मनोवैज्ञानिक स्वरूप का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शिक्षा के मानसिक स्वरूप से स्वीकार नहीं कर पाये हैं। सर्वेक्षण के दौरान मैंने यह देखा कि ग्रामीण प्रचलित सामाजिक परम्पराओं को ही अधिक महत्व

देते हैं । वे अपने रीति रिवाजों व परम्पराओं का बड़ा ही आदर करते हैं । ग्रामीण जब स्वयं अपने ऊपर परिवार व समाज में देखता है कि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करली है वे उन परम्पराओं का पालन नहीं करते हैं बल्कि उनसे पीछा छुड़ाते हैं तथा जो लोग परम्पराओं का पालन करते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं । तो वह ग्रामीण उनकी शिक्षा को महत्व नहीं देता । इसीलिये वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में उत्साह नहीं दिखाते । उनके मुँह से अक्सर यह सुनने को मिलता है कि स्कूल में थोड़ी सी किताबें पढ़ाना सीखा लेने पर वे छोकरे यह समझने लगते हैं कि उनकी खोपड़ी में दुनियां भर का ज्ञान समा गया है । वे माता-पिता का उपहास करते हैं व अपनी मर्यादा तक को नहीं पहचानते ।

78.75% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बच्चों पर उनका नियंत्रण नहीं रह जाता है । वे अपनी मनमानी करते हैं । जो कुछ हम समझाते हैं व बताते हैं वे उसकी हंसी उड़ाते हैं । उनके अनुसार पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी बातें करने और डींग हांकने में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं । शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे और तरह-तरह के प्रपंच रचेंगे । इसके सिवाय वे और कुछ भी नहीं कर सकते । पढ़े-लिखे लोग समाज को क्या सेवायें देते हैं वे भोले भाले अपढ़ लोगों को लड़ने के लिये उकसाते हैं और बाद में स्थिति का लाभ उठाते हैं । हम गांव के लोग सीधे हैं, शिक्षा हमें चालाक बनाती है । संक्षेप में लोगों की अभिवृत्ति इस प्रकार बनी है शिक्षा परम्परागत तौर-तरीकों में व्यक्ति के विश्वास को डगमगा देती है और उसमें नई इच्छाओं और आकांक्षाओं की सृष्टि करती है ।

शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की धारणा इसलिये ऐसी बनी है क्योंकि शिक्षा उन्हें अपनों से अपरिचित बना देती है । अपना गांव उन्हें पराया देश लगने लगता है । 74.5% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा के बाद बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं जिससे परिवार टूट जाते हैं उनके अनुसार जो बच्चे गांव से बाहर नौकरी करने जाते हैं वे अपने बीवी-बच्चों को भी

ले जाते हैं फिर वह यह भूल जाते हैं कि उनका अपने गांव व परिवार वालों के प्रति भी कोई कर्तव्य है जिस वातावरण में वे पले बढ़े हैं उसी को वे गन्दा, पिछड़ा कहने लगते हैं व उससे नफरत करने लगते हैं और इसका कारण है शिक्षा का दोषपूर्ण पक्ष । वास्तव में शिक्षा प्राप्त करते समय ग्रामीण विद्यार्थी को दो विभिन्न वातावरण में अपनी भूमिका निभानी पड़ती है । प्रथम तो वह जिसमें वो जन्म लेता है और दूसरी वह जो शिक्षा द्वारा बनता है एक एक में शारीरिक श्रम है तो दूसरे में मानसिक श्रम । एक स्वच्छ रहने को कहती है तो दूसरी धूल मिट्टी में कार्य करने को । एक में सम्पूर्ण दिन कार्यशील रहना पड़ता है । इस तरह से उसे दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है । इन दो विपरीत भूमिकाओं में वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती अतः इनमें से उसे कोई एक भूमिका चुननी पड़ती है और वह शारीरिक श्रम वाले कार्य को अधिक महत्व देता है । क्योंकि वह उसका जाना पहचाना अपना वातावरण होता है । शिक्षा को अधिक महत्व इसलिये नहीं देता क्योंकि यदि वह शिक्षा वाली भूमिका को चुनता है तो वह अपनों से ही अपरचित बन जाता है। दोनों में सामंजस्य वाली बात आती ही नहीं है ।

उत्तरदाताओं द्वारा दी गयी ये टिप्पणी कि पढ़ लिख कर वे बड़ों का अनादर करना, मनमानी करना तथा बड़ी बड़ी बातें बनाना ही सीखते " यह सत्य है । उनका ऐसा सोचना गलत नहीं है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ग्रामीण नव युवक गंवार तो हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं वे स्वंय ही शिक्षा का गलत अर्थ लगाते हैं । शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे सोचते हैं कि अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं शिक्षित व्यक्ति को शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक तरह से निम्नश्रेणी का कार्य हो जाता है । इस सब परिणामों के लिये दोषी है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और पूर्ण शिक्षण पद्धति । शिक्षा प्रणाली इस लिये दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल किताबी ज्ञान को महत्व दिया जाता है जबकि ग्रामीण जीवन किताबों पर आधारित नहीं हो सकता । ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक

पढ़ाने की अपेक्षा बैठकर गप्पबाजी करते हैं या अपने घरेलू कार्यों को करते रहते हैं । उन्हें पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती है । उन्हें तो अपने वेतन से मतलब होता है । वे किसी एक बच्चे को कक्षा के सभी बच्चों को पढ़ाने का कार्य सौंप देते हैं इसके बाद वह बच्चा गलत पढ़ा रहा है या सही, इस बात पर भी वे ध्यान नहीं देते और बाकी बच्चे उसी गलत पाठ्क्रम को पढ़ते व सीखते रहते हैं । सर्वेक्षण के दौरान मैं कई स्कूलों में गयी , सभी स्कूलों में लगभग यही स्थिति थी । ऐसे में बच्चे जब अपने शिक्षकों को जोकि उनके आदर्श हैं अकर्मण्य व आदर्श विहीन व कर्महीन देखता है । तो उससे हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह परिश्रमी हो व कर्तव्य शील बने ।

शिक्षा से हमारा अर्थ केवल इतना ही नहीं होना चाहिये कि गांव वाले केवल लिखना पढ़ना ही सीख पायें । इसमें कोई शक नहीं कि हमारी शिक्षा योजना में लिखने पढ़ने को एक आवश्यक स्थान प्राप्त होना चाहिये । गांव का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह प्रौढ़ हो अथवा युवक,स्त्री हो अथवा पुरुष पढ़ना और लिखना आना चाहिये । पर हमारे लक्ष्य का यहीं पर अन्त नहीं हो जाता । गांव में इस प्रकार की शिक्षा का प्रचार होना चाहिये कि जो उनकी मनोवृत्ति को एकदम बदलदे । उनके जीवन संबंधी दृष्टिबिन्दु पर खास तरह का परिवर्तन होना चाहिये । आज जिस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद का असर हमारे गांव वालों में देखने को मिलता है उससे हम उनको सर्वथा मुक्त करना चाहते हैं । उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि उनका सामाजिक दृष्टिकोण अधिक उदार बने , उनमें स्वावलम्बन की भावना का उदय हो उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो अशिक्षा के कारण आज बहुत से कुसंस्कार गांव वालों में पाये जाते हैं । उनमें आपस में जो द्वेष और लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है और आपस के सहयोग की भावना का आज जितना उनके जीवन में अभाव है उसका अन्त होना चाहिये । शिक्षा के द्वारा ग्रामीण जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाना ही लक्ष्य होना चाहिये । ग्रामीण शिक्षा योजना ऐसी होनी चाहिये जो गांव

बालकों में एक मानसिक क्रान्ति पैदा कर सके और उनके सर्वांगीण उन्नति में सहायक हो । इस प्रकार शिक्षा वही होनी चाहिये जो एक शाश्वत लक्ष्य को सामने रखकर दी जाये और जिससे किसी मानव लक्ष्य को अधिक सुखी बनाने वाले जीवन आदर्श की प्रेरणा मिले । इस शिक्षा का भार ऐसे व्यक्तियों पर होना आवश्यक है जो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उठाने में सर्वथा योग्य हों । उनको स्वंय अपना उदाहरण ग्रामीण जनता के सामने पेश करना होगा । ग्रामीण जीवन से उनका प्रेम और उनकी समस्याओं को सहानुभूति-पूर्वक समझने और उनको हल करने की उनमें इच्छा होना अनिवार्य है । वे लोग जो शिक्षा के कार्य का अच्छा महत्व नहीं समझते हैं और जो उसे अपने जीविकोपार्जन के लिये एक पेशा मात्र समझते हैं उनके हाथों में ग्रामीण शिक्षा का कार्य देना गलत होगा । यह कार्य सफलता पूर्वक वह ही कर सकते हैं जो स्वंय एक आदर्श विशेष से प्रेरित हों और उसको अपने जीवन का लक्ष्य मानकर चलें । अतः शिक्षा योजना के साथ-साथ अच्छे शिक्षकों की समस्या का हल भी सोचना होगा ।

गांवों के पुनर्निमार्ण में शिक्षा की भूमिका को पर्याप्त रूप में समझने के लिये हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिये कि गांव की कौन-कौन सी मुख्य समस्यायें ऐसी हैं जिन्हें समझदारी के साथ उपयोगी ढंग से हल करना शिक्षा का कार्य है । पहली बात तो यह कि गांव एक ऐसा समाज होता है जिसमें सभी लोग काम करते हैं या कम से कम स्वस्थ सामाजिक परिस्थितियों में सभी को काम करना चाहिये और उनके इस काम का सम्बन्ध फाइलों और पुस्तकों से न होकर मनुष्यों और सांसारिक वस्तुओं तथा प्रकृति के साथ होता है-। यह व्यावहारिक, उत्पादनशील, और शारीरिक श्रम होता है जैसे जमीन जोतकर फसल उगाना, पशु पालना, ईंट बनाना, कपड़ा बुनना, झोंपड़ी बनाना और एक दूसरे को विशिष्ट प्रकार की सेवायें प्रदान करना जिनसे ग्रामीण समाज का जीवन क्रम चलता रहता है । अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा इस व्यवस्था में उपयोगी सिद्ध हो सके तो उसमें इस बात की क्षमता

होनी चाहिये कि जो भी व्यवहारिक काम उसके सामने आये उसे वह खुशी-खुशी और कुशल ढंग से पूरा कर सके ।

83% उत्तरदाताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बच्चे पारम्परिक व कृषि कार्य करना पसंद नहीं करते हैं । अतः स्कूल की शिक्षा का आधार शिल्पों और व्यावहारिक कार्य पर होना चाहिये । उत्तरदाताओं में 68.16% शिक्षित उत्तरदाताओं तथा 68.59% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने यही कहा है कि हमारे बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ किसी हस्त शिल्प या किसी उद्योग धन्धे की भी शिक्षा दी जानी चाहिये । जिससे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

किसी भी देश, समाज व गांव के अर्थतंत्र का वहां की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा शिक्षा का अर्थतंत्र पर, दोनों अन्योन्याश्रित है । यहतो सर्वविदित है कि औद्योगिक अर्थ तंत्र की अपेक्षा कृषि अवस्था में शैक्षिक मूल्य निम्न होते हैं । कृषि में कठोर परिश्रम तथा लम्बे समय तक काम करना पड़ता है जिससे बच्चे अधिक समय तक स्कूल में नहीं पढ़ सकते । कृषि अवस्था में वर्षा भी अनिश्चित होती है । प्रारम्भ में कृषि एक कला थी । तथा पुस्तकीय ज्ञान की बहुत कम आवश्यकता थी । कृषि भी विज्ञान बन गई है । तथा अधिक समय तक स्कूलों में पढ़ना भी आवश्यक हो गया है । कृषि में भी यंत्रों का प्रयोग होने लगा है । इस विज्ञान युग में रासायनिक उर्वरक आधुनिक यंत्रों, उन्नतशील किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा है अतः कृषि कार्य को सफल बनाने के लिये इसके विषय में जानकारी अति आवश्यक है । आज के समय में एक कृषक के लिये यह जानना आवश्यक है कि किस उपज में कौन सी खाद कितनी मात्रा में क्यों आवश्यक व उपयोगी है । जो भी यंत्र वह अपनी कृषि में उपयोग करते हैं उसके किस गुण का कहां-कहां महत्व है । उसका कैसे प्रयोग किया जाये, इसकी भी जानकारी आवश्यक है । इसलिये शिक्षा कृषि कार्य के लिये भी आवश्यक हो गयी है । भारत जोकि ग्राम प्रधान व कृषि प्रधान देश है के लिये अति आवश्यक है कि कृषक शिक्षित हों क्योंकि कृषक ही उसके आर्थिक आधार के स्तम्भ हैं । कृषि कार्य वैज्ञानिक,आर्थिक

उन्नतिशील बनाने के लिये यह अति आवश्यक है । कृषकों के दृष्टिकोण को भी वैज्ञानिक बनाया जाये जोकि शिक्षा द्वारा ही सम्भव है ।

वर्तमान अध्ययन की सम्पूर्ण उपलब्धियों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तावित किया जा सकता है कि जनपद फतेहपुर में शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है और लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि भी नहीं है । इस क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी सरकारी व अर्धसरकारी जो भी प्रयास किये गये हैं उनका यहां के लोगों पर नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं है ।

अध्याय ५

राजनैतिक गतिशीलता

[राजनैतिक जागरूकता]

राजनैतिक गतिशीलता:- राजनैतिक जागरूकता

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनैतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । जिसका प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पड़ा है । प्राचीन काल से ही ग्रामीण राजनैतिक जीवन का आधार ग्राम पंचायतें रही हैं । स्वशासन की एक इकाई के रूप में गांव पंचायतों का सदैव से ही विशेष महत्व रहा है । प्राचीन समय में गांव का सारा शासन ग्रामीण पंचायत ही करती थीं ।,प्रत्येक गांव में एक प्रभावशाली पंचायत होती थी उस समय की पंचायत आजकल की नाममात्र की संस्था नहीं थी । गांव का सारा शासन प्रबन्ध उसके द्वारा ही होता था । पंचायत स्थानीय रक्षा का प्रबन्ध करती थी, दीवानी और फौजदारी के मुकदमे का निपटारा करती , गांव में शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों को करती थीं । एक समाजशास्त्री के अनुसार,"प्राचीन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की पंचायत आधारशिला थी । इसका भी इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि गांव का । गांव में शासन प्रबन्ध शान्ति और सुरक्षा के लिये पंचायत ही एक मात्र उत्तरदायी संस्था थी । भारतीय सामाजिक संस्थाओं में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । "

आरम्भिक अवस्था में पंचायत का तात्पर्य पांच व्यक्तियों से समझा जाता था जिन्हें पंच कहते थे । पंच प्रायः समुदाय के वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्ति होते थे । इनकी बात आदर एवं श्रद्धा से सब लोग स्वीकार करते थे । इनकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग इन्हें "पंच परमेश्वर" कहते थे । इनकेकिसी प्रकार के निर्णय गांव वालों को मान्य होते थे । पंचायतें गांव की भलाई का प्रत्येक काम करतीं, सामुदायिक समस्याओं के लिये प्रयास करतीं एवं समुदाय के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण भी रखती थीं । पंचायत के विषय में के०एम०पणिक्कर ने लिखा है कि "पंचायत भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्तम्भ हैं जिसपर प्रत्येक राज्य पुष्पित एवं विकसित हुआ है।"[39] आल्टेकर का इस सम्बन्ध में विचार है कि "पंचायतें राज्य का कर वसूल करतीं एवं नया कर लगाती थीं । गांव के आपसी झगड़ों एवं बाह्य कारणों से रक्षा का प्रबन्ध करती थीं । ये गांव में मन्दिर पाठशाला, चिकित्सालय आदि समुदाय के हित के कार्य करती और योजना बनाती थी । सूखा, अकाल या अन्य किसी सामयिक कष्ट मुक्ति के लिये सामूहिक धन

39. K.M.Panikar, "Hindu society at cross-Roads.

एवं सहायता का प्रबन्ध करती थीं । संक्षेप में युद्ध आरम्भ करने के अतिरिक्त इनको सब अधिकार प्राप्त थे ।"[40]

दसवीं शताब्दी के ग्रन्थ "शुक्रनीतिसार" में गांव पंचायत के संगठन का विस्तृत वर्णन मिलता है । इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय ग्राम पंचायतें निर्वाचित होती थीं । गांव पंचायत का संगठन आधुनिक गणतंत्र जैसा ही था । यह संगठन पांच निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर हुआ करता था । इसी कारण इसे पंचायत कहा जाता था । ये लोग गांव के बड़े बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति होते थे । इसी कारण इनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून से भी अधिक प्रभावशाली होता था । "पंच परमेश्वर की धारणा गांव पंचायत के परम्परात्मक स्वरूप से ही स्पष्ट रूप से व्यक्त होती थी । इस गांव पंचायत का ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित क्रियाओं पर नियंत्रण तथा अधिकार होता था । दूसरे शब्दों में इनको कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे । भूमि का वितरण ,उसपर कर निर्धारण और वसूली, शान्ति, सुरक्षा,स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा आदि कार्य पंचायत ही करती थी । सब पंच मिलकर प्रत्येक की और प्रत्येक सबकी सेवा करते थे । इनको इन सेवाओं के लिये वेतन तो नहीं मिलता था पर कर मुक्त जमीन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त थीं । सर चार्ल्स मेटकाफ ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है ,"गांव पंचायतों में गणतंत्र के समस्त गुण पाये जाते हैं । जिन चीजों की रक्षा की सम्भावना नहीं रही उनकी रक्षा इन गांव पंचायतों द्वारा हुई है । गांव पंचायत के संगठन की वजह से ही प्रत्येक गांव एक छोटे राष्ट्र की भांति है। "

भारत में विदेशी आक्रमण के साथ ही गांव पंचायतों का पतन आरम्भ हुआ । परन्तु अफगान और मुगल शासकों के समय तक यह पतन विशेष स्पष्ट नहीं था । ग्यासुद्दीन तुगलक का तो इस सम्बन्ध में दरबारी हस्तक्षेप न करने का विशेष आदेश था । फिर भी मुगल शासन व्यवस्था का अत्यधिक केन्द्रीकरण होने के कारण गांव पंचायतों की शक्तियों का ह्रास होने लगा था । ब्रिटिश राज्यकाल में गांव में पंचायतों का वास्तविक पतन प्रारम्भ हुआ ।

ब्रिटिश काल में पंचायतों का विघटन होने के पश्चात सरकार को गांव में व्यवस्था करने के लिये किसी न किसी प्रकार की संस्था की आवश्यकता

40.A.S.Altekar,"Village communities in ancient India."

हुई । इसलिये सरकार ने गांव पंचायतों के स्थान पर जिला परिषदों की स्थापना की । परन्तु साइमन कमीशन तथा विकेन्द्रीकरण के शाही कमीशन ने जिला - परिषदों की असफलताओं को बताते हुए गांव पंचायत के पुर्न संगठन पर बल दिया । सन् 1915 में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया और सन् 1919 के विधान में भी इस बात पर बल दिया गया कि गांव पंचायतों को फिर से संगठित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें । इसी के अनुसार सन् 1919 में बंगाल की सरकार ने बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पास किया । इसके बाद बम्बई मध्य प्रान्त और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ग्राम पंचायत अधिनियम पास किया। परन्तु इस अधिनियम द्वारा न तो पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिये गये और न सरकार की ओर से हस्तक्षेप की नीति को त्यागा गया । इस कारण इन पंचायतों के कार्य में ग्रामीण जनता का सहयोग न प्राप्त हो सका और ये पंचायतें असफल रहीं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांव पंचायतों को पुनः संगठित करने के लिये ठोस कदम उठाये गये थे । वास्तव में भारतीय दृष्टि से ग्राम पंचायत स्वराज्य और स्वशासन की बुनियादी और सबसे छोटी इकाई है । शासन का विकेन्द्रीकरण करने के लिये देश के कई राज्यों में गांव पंचायतें स्थापित की गयी थीं और शेष जल्दी ही स्थापित होने वाली हैं । जनतंत्र के सिद्धान्त को सामने रख कर गांव के जीवन को ऊँचा उठाने के लिये तथा ~~गांव के सुधार के लिये~~ तथा गांव के सुधार के लिये जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता हुई ग्राम पंचायतों को दे दिये गये थे । गांव के लोगों के जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझाने वाले सभी अंगों की योजना पंचायतों में की गयी । डा० पट्टाभीसीतारमैया ने कहा कि, "भारतीय राज्य वह ऊँचा महल है जिसका कि वास्तविक आधार प्रायः 5 लाख पंचायतें होनी चाहिये । गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि, "जब तक प्रत्येक गांव गांव को गणराज्य के रूप में समस्त अधिकार नहीं दिया जायेगा तब तक भारत की उन्नति कदापि सम्भव नहीं है ।" इस प्रकार स्वतंत्र भारत का शासन विधान बन जाने पर गांव वालों के हाथ में व्यस्क मताधिकार सिद्धान्त को स्वीकार किये जाने के कारण अनन्त राजनैतिक शक्ति तो आ गयी है परन्तु अभी तक भारतीय ग्रामीण में उत्कृष्ट राजनैतिक चैतन्य जागृति न होने के कारण वह अपनी उस राजनैतिक शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है । अभी भी शहरी राजनैतिक कार्यकर्ता उसका राजनैतिक शोषण करते हैं । कोई जातिवाद के आधार पर कोई धर्म

और देवी देवताओं के आधार पर कोई राज्य से विशेष सुविधायें दिलाने का प्रलोभन देकर ग्रामीणों को छलते हैं और पंचायतें प्रभाव शून्य संस्थायें बन गयी हैं । अतः पिछले वर्षों में गांव पंचायतों के गठन और कार्य क्षेत्र में काफी परिवर्तन किया गया है उन्हें गांव के विकास का अधिकार सौंपा गया है । उनके साधन बढ़ाये जा रहे हैं । उन्हें कर वसूली करने तथा जनता की भलाई के काम शुरू करने के भी अधिकार दिये जा रहे हैं । सहकारी समितियों के सहयोग से पंचायतों को गांव में विकास कार्य करने के अधिकार दिये गये हैं । साथ ही पंचों, सरपंचों और पंचायत के अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गयी है अतः प्रश्न यह उठता है कि जब सरकारी तौर पर पंचायतों के पुनर्गठन में जब इतना प्रयास किया गया है तो क्या ये पंचायतें अपने अधिकार का उपयोग करके ग्राम विकास हेतु कार्य कर रही हैं अथवा नहीं । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या ग्रामीण पंचायतों ने अपने कार्यों द्वारा ग्रामीण जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया है , क्या उनका सहयोग प्राप्त किया है ।

वर्तमान अध्याय में जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक गतिशीलता के स्तर की विवेचना की गयी है । प्रस्तुत अध्याय में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति ग्रामीण कितने जागरूक हैं । इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण की स्पष्ट जानकारी के लिये इसे दो भागों में बांटा गया है । प्रथम- उत्तरदाताओं का ग्राम्य प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण । द्वितीय -उत्तरदाताओं का वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण । चूंकि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य शासन व्यवस्था पंचायतों पर आधारित है इसलिये वर्तमान अध्याय में सर्व प्रथम ग्रामीणों का पंचायत के विषय में दृष्टिकोण की विवेचना की गयी है । इसमें उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का वर्गीकरण उनके लिंग व शैक्षिक स्तर के आधार पर किया गया है ।

सारणी संख्या (61) उत्तरदाताओं का ग्राम पंचायतों की जानकारी के सम्बन्ध में मत

(लिंग व शिक्षा के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता				स्त्री उत्तरदाता			
हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
100%	-	82.64%	17.36%	20%	80%	-	100%
(179)		(100)	(21)	(5)	(20)		(75)

(लिंग व शिक्षा के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता						स्त्री उत्तरदाता					
शिक्षित			अशिक्षित			शिक्षित			अशिक्षित		
हाँ		नहीं	हाँ		नहीं	हाँ		नहीं	हाँ		नहीं
प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से	-	प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से	-	प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से	-	प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से	-
88.83%	11.17%	-	4.13%	83.47%	8.38%	-	80%	20%	-	66.66%	33.33%
(159)	(20)		(5)	(10)	(15)		(20)	(5)		(50)	(25)

सारणी संख्या (61) में ग्राम पंचायत के विषय में जानकारी के सम्बन्ध में आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं । इसमें उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पंचायत क्या होती है , उसके कार्य क्या हैं ,उसका संगठन कैसे होता है तथा गांव में जो पंचायतें हैं उसके सदस्य कौन-कौन हैं आदि के विषय में इन्हें जानकारी है अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में से 100% शिक्षित, 82.64% अशिक्षित उत्तरदाताओं को इन पंचायतों के विषय में जानकारी है । 17.36% अशिक्षित उत्तरदाताओं को पंचायतों के विषय में जानकारी नहीं थी । जिन उत्तरदाताओं ने पंचायत के बारे में जानकारी के सम्बन्ध में मत दिये हैं उनमें से भी अधिकांश को नाममात्र की ही जानकारी थी । स्त्री उत्तरदाताओं में मात्र 20% शिक्षित उत्तरदाताओं ने पंचायत के विषय में जानकारी के समर्थन में अपना मत दिया जबकि 80% शिक्षित व 100% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं को पंचायत के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी ।

सारणी संख्या (62) में उत्तरदाताओं द्वारा चुनाव में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं । सारणी के अनुसार पुरुष उत्तरदाताओं में 88.83% शिक्षित व 4.13% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने के समर्थन में अपना मत प्रकट किया जबकि पुरुष उत्तरदाताओं में 11.17% शिक्षित 83.47% अशिक्षित , स्त्री उत्तरदाताओं में 80% शिक्षित व 66.66%अशिक्षित उत्तरदाताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने के सम्बन्ध में अपना समर्थन दिया अर्थात वे मात्र वोट ही डालते हैं चुनाव की किसी अन्य प्रक्रिया में इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जबकि 8.38% अशिक्षित पुरुष उत्तरदाता 20% शिक्षित स्त्री तथा 33.33% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार उनका राजनीतिक क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है न प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से ।

सारणी संख्या (63) में ग्राम पंचायतों के कार्य करने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत प्रदर्शित किये गये हैं । उत्तरदाताओं से जब पूछा गया कि

(लिंग व विवाहता के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता						स्त्री उत्तरदाता					
विवाहित			अविवाहित			विवाहित			अविवाहित		
हाँ	नहीं	जानकारी नहीं	हाँ	नहीं	जानकारी नहीं	हाँ	नहीं	जानकारी नहीं	हाँ	नहीं	जानकारी नहीं
28.49%	54.75%	26.76%	0.09%	16.53%	73.38%	-	80%	92%	-	-	100%
(51)	(98)	(30)	(11)	(20)	(80)		(2)	(23)			(75)

तालिका संख्या (64) पंचायत की असफलता के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का मत

(लिंग व शिक्षा के आधार पर)

असफलता के कारण	शिक्षित (98)	अशिक्षित (20)
प्रशासनिक वित्तीय साधनों की कमी	20.41% (20)	10% (2)
राज्य सरकार की उदासीनता	20.41% (20)	40% (8)
समुचित नेतृत्व का अभाव	13.26% (13)	25% (5)
पंचायत में उच्च वर्ग का प्रभुत्व	-	5% (1)
दल बन्दी की समस्या	45.92% (45)	20% (4)

तालिका संख्या (65) पंचायत में सुधार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

(लिंग व विवाह के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता				स्त्री उत्तरदाता			
विवाहित		अविवाहित		विवाहित		अविवाहित	
हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
93.75%	6.25%	77.77%	33.33%	-	-	-	-
(150)	(10)	(70)	(30)				

क्या आपकी ग्राम पंचायत संतोषप्रद कार्य कर रही है तो इस सम्बन्ध में पुरूष उत्तरदाताओं में 16.76% शिक्षित 73.38% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं में 92% शिक्षित तथा 100% अशिक्षित उत्तरदाताओं को कोई भी जानकारी नहीं थी । पुरूष उत्तरदाताओं में 54.75% शिक्षित 16.53% अशिक्षित तथा 8% शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतें ग्राम विकास व कल्याण के लिये कोई भी कार्य नहीं करती हैं । मात्र 28.49% शिक्षित व 9.09% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतें संतोषप्रद कार्य कर रही हैं ।

सारणी संख्या [64] में पंचायतों की असफलता के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है । इस सम्बन्ध में मात्र पुरूष उत्तरदाताओं ने अपने मत प्रकट किये हैं स्त्री उत्तरदाताओं ने कोई भी मत नहीं दिया । सारणी से स्पष्ट है कि पंचायतों की असफलताका मुख्य कारण दलबन्दी की समस्या है । 45.92% शिक्षित व 20% अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतों के सभी सदस्य अलग अलग दलों में बटे होते हैं उनमें आपस में एकता न होने के कारण वे कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं । जो भी कार्य वे शुरु करते हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं । पुरूष उत्तरदाताओं में 20.41% शिक्षित व 40% अशिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार राज्य सरकार पंचायतों की तरफ ध्यान नहीं देती । पंचायतों के असफल होने के सम्बन्ध में 20.41% शिक्षित व 10% अशिक्षित उत्तरदाताओं का मत है कि पंचायतों के पास प्रशासनिक वित्तीय साधनों की कमी है । जबकि 13.26% शिक्षित व 25% अशिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान पंचायतों में समुचित नेतृत्व का अभाव है । 5% अशिक्षित उत्तर -दाताओं के अनुसार पंचायतों में निम्न वर्ग की कोई सुनवाई नहीं है । वहाँ उच्चवर्ग का प्रभुत्व है । इसी कारण पंचायतें असफल हैं ।

सारणी संख्या [65] में पंचायतों में सुधार होने या न होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत उनके लिंग व शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रदर्शित किये गये हैं । सारणी के अनुसार पुरूष उत्तरदाताओं में 93.75% शिक्षित व 77.77% अशिक्षित उत्तरदाता पंचायतों में सुधार चाहते हैं । जबकि 6.25% शिक्षित व 33.33% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने पंचायतों में सुधार सम्बन्धी आवश्यकता के विरोध में अपना मत प्रकट किया जबकि स्त्री उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई भी मत प्रकट नहीं किया ।

तालिका संख्या (66) उत्तरदाताओं द्वारा राजनीति में सक्रिय भाग लेने के सम्बन्ध में मत

(आयु व विवाह के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता

आयु समूह	विवाहित			अविवाहित		
	हाँ	नहीं	तटस्थ	हाँ	नहीं	तटस्थ
0-20	17.5% (27)	70% (63)	12.5% (5)	-	20% (2)	80% (8)
20-40	50% (40)	37.5% (30)	12.5% (10)	25% (5)	25% (5)	50% (10)
40-60	18.18% (6)	60.60% (20)	21.21% (7)	13.33% (8)	20% (12)	66.66% (40)
60-80	15.79% (3)	52.63% (10)	31.58% (6)	-	(18)13% (5)	83.81% (26)

उपर्युक्त सारणियों के आधार पर देश की वर्तमान राजनीति पर ग्रामीण उत्तरदाताओं के विचारों को स्पष्ट किया गया है । इनके द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या ग्रामीण अपने अधिकारों के विषय में जानता है । क्या वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है । क्या वह अधिकारों का सही उपयोग कर पाया है । इन सभी प्रश्नों से स्पष्ट हो सकेगा कि पहले का एक भोला-भाला , सीधा-सादा, सरल और मृदु प्रकृति का ग्रामीण वर्तमान समय में अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है अथवा आज भी उसकी वैसी ही स्थिति है । इस सम्बन्ध में जानकारी उत्तरदाताओं को लिंग, शिक्षा व आयु के आधार पर वर्गीकृत करके की गयी है ।

सारणी संख्या (66) में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीणों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में जानकारी बिल्कुल नगण्य थी । उनका कहना है कि राजनीति ,शासन प्रणाली आदि क्या होती हैं । देश में कैसी शासन व्यवस्था है , इस बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है । पुरुष उत्तरदाताओं में से 20 वर्ष के 12.5% शिक्षित व 80% अशिक्षित, 20 से 40 वर्ष के 12.5% शिक्षित व 50% अशिक्षित , 40 से 60 वर्ष तक के 21.2% शिक्षित 66.66% अशिक्षित 60 से 80 वर्ष तक के 31.58% शिक्षित व 83.87% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न पर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया । वे यह निर्णय लेने में असमर्थ थे कि व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये अथवा नहीं । राजनीति में भाग लेने के समर्थन में 0 से 20 वर्ष के 70% शिक्षित 20% अशिक्षित , 20 से 40 वर्ष तक के 37.5% शिक्षित 25% अशिक्षित, 40 से 60 वर्ष तक के 60.60% शिक्षित व 20% अशिक्षित , 60 से 80 वर्ष तक 52.63% शिक्षित व 16.13% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने अपना मत दिया । उनके अनुसार व्यक्ति को सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये । यह कार्य तो शहरी व्यक्तियों का है ग्रामीणों का नहीं । राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के सम्बन्ध में 0 से 20 वर्ष के 17.5% शिक्षित,20 से 40 वर्ष तक के 50%शिक्षित 25% अशिक्षित, 40 से 60 वर्ष तक के 18.18% शिक्षित, 13.33%अशिक्षित, 60 से 80 वर्ष तक की उम्र के 15.79% शिक्षित उत्तरदाताओं ने समर्थन किया ।

1283अ

अलाव के चारों ओर सामूहिक वार्तालाप
करते हुए ग्रामीण

सारणी संख्या (67) उत्तरदाताओं के मतानुसार किस विचारधारा की राजनैतिक पार्टी का शासन देश में होना चाहिये (आयु व विवाह के आधार पर)

	पुरुष उत्तरदाता					
	विवाहित			अविवाहित		
आयुसमूह	समाजवादी	सामन्तवादी	किसी का भी शासन हो	समाजवादी	सामन्तवादी	किसी का भी शासन हो
0-20	62.5%	12.5%	25%	20%	-	80%
	(25)	(5)	(10)	(2)		(8)
20-40	82.19%	4.11%	13.7%	15%	10%	75%
	(60)	(3)	(10)	(2)	(2)	(15)
40-60	65.22%	21.74%	56.52%	13.33%	-	86.67%
	(15)	(5)	(13)	(8)		(52)
60-80	21.05%	-	78.95%	16.13%	-	83.87%
	(4)		(15)	(5)		(26)

सारणी से स्पष्ट है कि अशिक्षितों की अपेक्षा शिक्षितों ने राजनीति में भाग लेने के समर्थन में अधिक मत दिया । इससे स्पष्ट है कि शिक्षा ने ग्रामीणों के विचारों में परिवर्तन किया है । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि अशिक्षित पुरुष वर्ग इस सम्बन्ध में अधिक तटस्थ रहे ।

सारणी संख्या (67) में यह प्रदर्शित किया गया है कि ग्रामीण उत्तरदाता किस विचार धारा वाली राजनैतिक पार्टी का शासन उचित समझते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि शिक्षित पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से20 वर्ष तक की उम्र के 62.5%, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 82.19%, 40 से 60वर्ष की उम्र के 65.22% तथा 60 से 80 वर्ष की उम्र के 21.05% उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान समय में समाजवादी विचारधारा वाली राजनैतिक पार्टी का शासन होना चाहिये । जबकि शिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 25% , 20 से 40 वर्ष तक के 13.7%,40 से 60 वर्ष तक के 56.52% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 78.95% उत्तरदाताओं के अनुसार देश में किसी का भी शासन हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता । क्योंकि आज भी उनकी स्थिति वही है जो जमींदारी शासन व्यवस्था के समय में थी । जमींदारी व्यवस्था के बदलने के पश्चात हमारी समस्याओं का अन्त नहीं हुआ । बल्कि वे अपने परिवर्तित रूप में आज भी हमारे सामने हैं । अशिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 20%, 20 से 40 वर्ष के 19%, 40 से 60 वर्ष की उम्र के 13.33% तथा 60 से 80 वर्ष की उम्र के 16.13% उत्तरदाताओं के अनुसार प्रजातांत्रिक विचारधारा ही वर्तमान समय के लिये उचित है । जबकि 0 से 20 वर्ष की उम्र के 80%, 20 से 40 वर्ष के 75%, 40 से 60 वर्ष के 86.67% तथा 60 से80 वर्ष की उम्र के 83.87% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में तटस्थता अपनायी । किन्हीं उत्तरदाताओं को तो यह भी ज्ञात नहीं है कि समाजवादी व सामन्तवादी व्यवस्था में क्या अन्तर है । प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनके क्या अधिकार हैं । कितनी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है । उनका कहना है कि सुबह उठकर हल लेकर खेतों की तरफ निकल जाना व सांयकाल वापस आ जाना बस यही उनकी दिनचर्या व जीवन है। बाकी समाज में क्या हो रहा है । क्या नहीं हो रहा है , इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में स्त्री उत्तरदाताओं ने कोई भी मत नहीं दिया ।

सारणी संख्या (68) वर्तमान सरकार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की विचारधारा

(आयु व शिक्षा के आधार पर)

आयु	शिक्षित			अशिक्षित		
	सन्तुष्ट	असन्तुष्ट	तटस्थ	सन्तुष्ट	असन्तुष्ट	तटस्थ
0-20	25%	37.5%	62.5%	40%	10%	50%
	(10)	(15)	(25)	(14)	(1)	(5)
20-40	43.83%	38.36%	17.81%	22.22%	22.22%	65.22%
	(32)	(28)	(13)	(6)	(6)	(15)
40-60	35.36%	39.39%	24.24%	14.92%	10.44%	74.63%
	(12)	(13)	(8)	(10)	(7)	(50)
60-80	31.58%	47.37%	15.79%	25%	-	75%
	(6)	(9)	(3)	(1)		(3)

सारणी संख्या (69) महिलाओं द्वारा राजनीति में सक्रिय भाग लेने के सम्बन्ध में मत (विवाहित व आयु के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता

आयु	विवाहित		अविवाहित	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
0-20	25%	75%	20%	80%
	(17)	(30)	(2)	(8)
20-40	31.51%	68.49%	7.41%	92.59%
	(23)	(50)	(2)	(25)
40-60	24.24%	75.76%	-	100%
	(8)	(25)		(67)
60-80	-	100%	-	100%
		(19)		(4)

सारणी संख्या {68} में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तरदाता वर्तमान सरकार व उसकी शासन प्रणाली से सन्तुष्ट हैं या असन्तुष्ट। शिक्षा व आयु के आधार पर सारणी से स्पष्ट है कि शिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 25%, 20 से 40 वर्ष तक के 43.83%, 40 से 60 वर्ष की उम्र के 36.36%, 60 से 80 वर्ष तक की उम्र के 31.58% उत्तरदाता वर्तमान सरकार से सन्तुष्ट हैं। जबकि 0 से 20 वर्ष तक के 37.5%, 20 से 40 वर्ष तक के 36.36% 40 से 60 वर्ष तक के 39.39% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 47.37% शिक्षित उत्तरदाता वर्तमान सरकार से असन्तुष्ट हैं। इस सम्बन्ध में 0 से 20 वर्ष तक के 62.5%, 20 से 40 वर्ष के 17.8%, 40 से 60 वर्ष तक के 24.24% व 60 से80 वर्ष के 15.8% उत्तरदाताओं ने तटस्थ वृत्ति अपनायी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षित पुरुष उत्तरदाताओं में नवयुवक वर्ग ने सबसे अधिक तटस्थता अपनायी। इस सम्बन्ध में अशिक्षित पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 40%, 20 से 40 वर्ष तक के 22.22%, 80 से 60 वर्ष तक के 14.92% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 25% उत्तरदाता सन्तुष्ट हैं जबकि 0 से 20 वर्ष तक के 10%, 20 से 40वर्ष तक के 22.22%, 40 से 60 वर्ष तक के 10.44% अशिक्षित उत्तरदाता वर्तमान सरकार सेअसन्तुष्ट हैं। अशिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 50%, 20 से 40 वर्ष के 65.22% 40 से 60 वर्ष की उम्र के 74.63%, 60 से 80 वर्ष की उम्र के 75% उत्तरदाताओं ने तटस्थतावादी प्रतिक्रिया अपनाई। सारणी से स्पष्ट है कि शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षितों ने इस सम्बन्ध में तटस्थतावादी वृत्ति अपनायी है। स्त्री उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं की, क्योंकि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वर्तमान समय में कौन सी सरकार है।

सारणी संख्या {69} में महिलाओं का राजनीति में सक्रिय भाग लेने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचारों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। सारणी से स्पष्ट है कि स्त्री उत्तरदाताओं में शिक्षित व अशिक्षित, नवयुवती तथा बुजुर्ग सभी का एक मत था कि स्त्रियों को राजनीति में भाग नही लेना चाहिये। पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से 80 वर्ष की उम्र के 25%, 20 से 40वर्ष की उम्र के 31.51% व 40 से 60 वर्ष के 24.24% शिक्षित उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिये। जबकि शिक्षित

तालिका संख्या (70) महिलाओं के वोट देने के अधिकार के सम्बन्ध में मत

(लिंग विवाह व आयु के आधार पर)

आयुसमूह	पुरुष उत्तरदाता				स्त्री उत्तरदाता			
	विवाहित		अविवाहित		विवाहित		अविवाहित	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
0-20	100% (40)	-	40% (4)	60% (6)	40% (4)	60% (6)	-	100%
20-40	100% (73)		7.42% (2)	92.59% (25)	16.67% (2)	83.83% (10)	-	100%
40-60	75.76% (25)	24.24%	-	100% (67)	-	-	-	100%
60-80	52.63% (10)	47.37%	-	100% (4)	-	-	-	100%

उत्तरदाताओं में 40 से 60 वर्ष तक के 75.76% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 100% उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये । अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं में तो 0 से 20 वर्ष के 20% तथा 20 से 40 वर्ष तक के मात्र 7.41% उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये । अन्यथा सभी उत्तरदाताओं का मत यही है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिये । सारणी से स्पष्ट है कि स्त्रियां राजनैतिक जीवन को अपना क्षेत्र समझती ही नहीं हैं पुरूषों में भी अधिकांशतः चाहे वह शिक्षित हों या अशिक्षित स्त्रियों का राजनैतिक जीवन में आना अनुपयुक्त समझते हैं । लेकिन ऐसा सोचने में शिक्षित पुरूषों की अपेक्षा अशिक्षित पुरूषों का प्रतिशत अधिक है । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि नवयुवक वर्ग की अपेक्षा बुजुर्ग वर्ग ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है ।

सारणी संख्या (70) में उत्तरदाताओं का महिलाओं को वोट देने के अधिकार के सम्बन्ध में मत को प्रदर्शित किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि अशिक्षित स्त्रियों में सभी आयु वर्ग की स्त्रियों ने महिलाओं के वोट देने के अधिकार के सम्बन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है जबकि शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं में से 0 से 20 वर्ष तक की 40% तथा 20 से 40 वर्ष तक की 16.67% स्त्रियों ने महिलाओं के वोट देने के अधिकार को स्वीकार किया है । पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 40 वर्ष तक के 100%, 40 से 60 वर्ष तक के 75.75% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 52.63% शिक्षित उत्तरदाता महिलाओं को वोट देने के पक्ष में थे । जबकि शिक्षित उत्तरदाताओं में 40 से 60 वर्ष के 24.24%, 60 से 80 वर्ष के 48.37% महिलाओं के वोट डालने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे । अशिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 40% तथा 20 से 40 वर्ष तक के मात्र 7.41% उत्तरदाता इसके पक्ष में थे । अशिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 60%, 20 से 40 वर्ष के 92.59%, 40 से 80 वर्ष तक के 100% उत्तरदाता महिलाओं के वोट डालने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे । अतः स्पष्ट है कि शिक्षित स्त्री व पुरूष दोनों उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण तथा अशिक्षित उत्तरदाताओं ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है । आयु के आधार पर बुजुर्ग वर्ग ने नकारात्मक तथा नवयुवक वर्ग ने सकारात्मक

सारणी संख्या (71) उत्तरदाताओं द्वारा वोट डालने के कारणों के सम्बन्ध में मत

(लिंग, आयु व विवाह के आधार पर)

वोट डालने के कारण	पुरूष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
साम्प्रदायिक	-	46.30%	-	-
		(50)		
जातिगत	9.08%	23.15%	-	-
	(15)	(25)		
उम्मीदवार की योग्यता	81.82%	7.41%	-	-
	(135)	(8)		
	9.09%	23.15%	100%	100%

सारणी संख्या (72) स्थानीय राजनीति के लिये बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व के सम्बन्ध में मत (विवाह व आयु के आधार पर)

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता			
	विवाहित		अविवाहित	
	स्वीकृति	अस्वीकृति	स्वीकृति	अस्वीकृति
0-20	12.5%	87.5%	50%	50%
	(5)	(35)	(5)	(5)
20-40	-	100%	25.93%	74.04%
	(73)	(7)	(7)	(20)
40-60	33.33%	55.67%	44.78%	55.22%
	(11)	(22)	(30)	(37)
60-80	21.05%	78.95%	50%	50%
	(4)	(15)	(2)	(2)

दृष्टिकोण अपनाया है ।

सारणी संख्या {71} में प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता चुनाव में उम्मीदवारों को किस आधार पर वोट देते हैं । इस सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त की गयी है कि उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों का सही उपयोग ज्ञात है अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि स्त्री उत्तरदाता तो उन्हीं को वोट देती हैं जिनको कि उनके परिवार वाले देने को कहते हैं । इस सम्बन्ध में उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है । पुरूष उत्तरदाताओं में भी 46.30% अशिक्षित उत्तरदाता सामुदायिक आधार पर वोट डालते हैं । अर्थात जिसको गांव के सभी लोग वोट देते हैं उसी को वे भी देते हैं । 9.09% शिक्षित व 23.15% अशिक्षित उत्तरदाता अपनी जाति वाले को ही वोट डालते हैं । 9.09% शिक्षित व 23.15% अशिक्षित उत्तरदाता राजनैतिक आधार पर वोट डालते हैं अर्थात पार्टी को वोट देते हैं उम्मीदवार को नहीं । वे यह देखते हैं कि उम्मीदवार किस पार्टी का है । शिक्षितों में 81.82% तथा अशिक्षितों में मात्र 7.41% उत्तरदाता ही उम्मीदवार की योग्यता देखकर वोट देते हैं । इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों को तथा अशिक्षित पुरूषों को अपने अधिकारों के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है । कुछ शिक्षित उत्तरदाताओं को भी अपने अधिकारों का महत्व नहीं ज्ञात है ।

सारणी संख्या {72} में स्थानीय राजनीति के लिये बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मतों को ज्ञात किया गया है । सारणी से स्पष्ट है कि स्त्री उत्तरदाताओं को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी । पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 87.5%, 20 से 40 वर्ष के 100%, 40 से 60 वर्ष के 66.67% तथा 60 से 80 वर्ष के 78.95% शिक्षित उत्तरदाताओं ने बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व को अस्वीकार किया है । अशिक्षित उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 50%, 20 से 40 वर्ष तक के 25.93%, 40से60 वर्ष के 44.78% तथा 60 से 80 वर्ष के 50% उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी है । जबकि अशिक्षित उत्तरदाताओं में भी 0 से 20 वर्ष के 50%, 20 से 40 वर्ष के 74.07 %, 40 से 60 वर्ष के 55.22% तथा 60 से 80 वर्ष के 50% उत्तरदाताओं ने बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व को अस्वीकार किया है । इससे

स्पष्ट है कि शिक्षित उत्तरदाताओं में मात्र 25% उत्तरदाताओं ने बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व को भी स्वीकार किया है जबकि अशिक्षित उत्तरदाताओं में 50% उत्तरदाताओं को स्वीकार है । अर्थात अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति स्थानीय राजनीति के लिये स्थानीय व्यक्ति को नेतृत्व के लिये उपयुक्त समझता है । आयु के आधार पर नवयुवक व बुजुर्ग दोनों स्थानीय राजनीति के लिये बाहरी व्यक्तियों को अनुपयुक्त समझते हैं । क्योंकि वह उनके क्षेत्र का न होने के कारण उस क्षेत्र को अपना समझ कर कार्य नहीं करता । तभी वह उस क्षेत्र के लिये कुछ नहीं कर पाता । जबकि स्थानीय व्यक्ति अपने क्षेत्र के विकास के लिये अधिक प्रयास करेगा क्योंकि वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है ।

विश्लेषण :-

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण स्त्रियों का राजनैतिक जीवन से कुछ सम्बन्ध नहीं है । उन्हें न तो देश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी है और न ही ग्राम व्यवस्था की । शिक्षित स्त्रियों में जिन 20% स्त्रियों को ग्रामीण राजनैतिक जीवन की जानकारी है वह नाम मात्र की है । इस सम्बन्ध में मात्र उन्हें इतनी ही जानकारी है कि ग्राम-पंचायत वह व्यवस्था है जो गांव में झगड़े आदि का निपटारा करती है । ग्रामीण पुरुषों को पंचायत के विषय में जानकारी तो है लेकिन उनकी यह जानकारी भी अधूरी है । क्योंकि न तो उन्हें ग्राम पंचायत के कार्यों के विषय में ठीक से ज्ञात है और न ही उन्हें यह ज्ञात है कि पंचायत द्वारा गांव में कौन-कौन से कार्य करवाये गये हैं । ग्राम पंचायत व्यवस्था व उसकी कार्यविधि को न समझ पाने के कारण ग्रामीण किसी भी विकास कार्यक्रम में कोई सहयोग नहीं दे पाते हैं । इसलिये इस क्षेत्र की ग्राम पंचायतें निष्क्रिय हैं । वर्तमान समय में जबकि ग्राम पंचायतों के गठन और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, उन्हें ग्राम विकास के अधिकार सौंपे गये हैं, उनके साधन बढ़ाये जा रहे हैं, फिर भी ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है अतः प्रश्न यह उठता है कि ग्राम पंचायतें निष्क्रिय क्यों हैं। उनकी असफलता के क्या कारण हैं ।

पंचायतों की असफलता का सबसे प्रभावी कारण है कि पंचायतों में मानसिक आधार पर एकमत्य नहीं है वे विभिन्न दलों में बंटी हुई होने के कारण किसी भी समस्या पर एकमत्य होकर निर्णय नहीं ले पाती है कोई सदस्य कुछ कहता है तो कोई सदस्य कुछ कहता हैं। दूसरा प्रभावी कारण है राज्य - सरकार की उदासीनता। ग्रामीणों के अनुसार राज्य सरकार इस जनपद की ग्राम पंचायतों पर ध्यान नहीं देती । इस कारण ग्राम पंचायतों के पास प्रशासनिक वित्तीय साधनों की कमी है । जब पंचायतों के पास साधन व धन का अभाव होगा तो वह ग्राम्य विकास के लिये कोई योजना को कार्य रूप में कैसे परिणित कर सकती है । इस क्षेत्र में समुचित नेतृत्व का भी अभाव है । सर्वेक्षण के समय अधिकांश गांव की पंचायतों में ग्राम प्रधान निपट गंवार थे । उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी । जो व्यक्ति स्वंय अशिक्षित हो वह गांव की मानसिकता को क्या पढ़ सकेगा । जिसे स्वंय शिक्षा का महत्व न ज्ञात हो वह गांव में शिक्षा का प्रचार किस प्रकार कर सकता है । अतः उपरोक्त कारण इस क्षेत्र की पंचायतों के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं ।

उपरोक्त अध्ययन के द्वारा जनपद फतेहपुर के ग्रामों के अन्दर की शासन व्यवस्था का रूप स्पष्ट होता है लेकिन ग्रामीणों का देश की राजनैतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी व उससे ग्रामीणों का सम्पर्क के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं । वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट है कि स्त्री की अपेक्षा पुरूष राजनैतिक जीवन के संग अधिक जुड़ा हुआ है साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि नवयुवक वर्ग व वृद्ध वर्ग की अपेक्षा मध्यम आयु (30 से 50 वर्ष की उम्र के पुरूष) वाले ग्रामीण राजनैतिक जीवन में अधिक रूचि तथा जानकारी रखते हैं । देश की शासन प्रणाली के सम्बन्ध में ग्रामीणों ने एकतंत्र की अपेक्षा प्रजातन्त्र के महत्व को स्वीकार किया है । लेकिन अशिक्षितों ने इस सम्बन्ध में तटस्थ वृत्ति अपनायी है क्योंकि उनके लिये शासन प्रणाली कोई भी क्यों न हो आज भी कमजोर पर बलवान का , निम्न वर्ग पर उच्चवर्ग का तथा निम्न आर्थिक स्तर वाले पर उच्च आर्थिक स्तर वाले का शासन है । अतः स्पष्ट है कि प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था होने के पश्चात भी ग्रामीण अपने अधिकारों का उपयोग

करने के लिये स्थान नहीं हैं ।

वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अधिकांश ग्रामीणों का कोई जानकारी न होने कारण यह था कि यदि वे सरकार के विरोध में प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो उनका अपना नुकसान होगा । अर्थात वे समर्थन तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनमें विरोध करने का साहस भी नहीं है । जिन ग्रामीणों ने वर्तमान सरकार से असन्तुष्टता जाहिर की है उनका कहना है कि उन्हें बराबर का अधिकार प्राप्त नहीं है । वर्तमान सरकार ने उन्हें वे सुविधायें प्रदान नहीं की हैं जो उन्हें मिलनी चाहिये । जो ग्रामीण वर्तमान सरकार के प्रति तटस्थता वृत्ति अपनाये हैं, उनका कहना है कि यदि सरकार बदल भी जाये तो हमारी समस्यायें नहीं बदलेंगी । भ्रष्टाचार तो उसमें भी होगा । इसलिये जो भी सरकार है ठीक है । इस प्रतिक्रिया के बाद जब मैंने उनसे यह पूछा कि आपको ज्ञात है कि इस समय किस पार्टी का शासन है तो उनमें से कई उत्तरदाता ऐसे थे जिनको यह भी ज्ञात नहीं था कि किस राजनैतिक पार्टी का शासन देश में है ।

वर्तमान अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों की महत्ता ज्ञात नहीं है । अधिकांशतः ग्रामीण उसी उम्मीदवार को अपना मत देते हैं जिसे गांव के अन्य व्यक्ति देते हैं अथवा गांव के उच्च प्रभुत्व वाले व्यक्ति डलवाते हैं । अर्थात गांव में जिसका प्रभुत्व अधिक होता है वह व्यक्ति जिस उम्मीदवार को वोट दे उसी को सभी ग्रामीण अपना वोट बिना सोचे समझे दे देते हैं । इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हैं । कुछ शिक्षित ग्रामीण अवश्य अपने मत का सही प्रयोग करते हैं अर्थात जिन उत्तरदाताओं ने शिक्षा प्राप्त की है वे थोड़ा बहुत अपने मताधिकार को समझते हैं जबकि ग्रामीण स्त्रियों को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । ग्रामीण पुरुष, स्त्रियों का राजनैतिक क्षेत्र में आना नापसंद करते हैं । यहां तक कई ग्रामीण, पुरुषों का भी इस क्षेत्र में आना नापसंद करते हैं । उनका कहना है कि इस क्षेत्र में जाने का कार्य शहरी बाबुओं का है । हम ग्रामीणों का नहीं । हमें जब अपनी खेती से फुर्सत नहीं तो

राजनीति क्या देखेंगे ।" इस क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति इतनी सबल नहीं है कि वे अपना कृषि कार्य में से समय निकाल कर अन्य किसी क्षेत्र में अपने का प्रयास करे ।

अतः वर्तमान अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना का अभाव है ।

अध्याय ६

सामाजिक विसंगतियाँ और सामाजिक गतिशीलता

सामाजिक विसंगतियां और सामाजिक गतिशीलता :-

भारतीय समाज और संस्कृति अत्यन्त प्राचीन और गौरवपूर्ण है । इसकी महत्ता सम्पूर्ण विश्व में सर्वविदित है । इस भारतीय समाज व संस्कृति का प्रतीक भारतीय ग्राम है । ग्रामों में धर्म, प्रथाओं, परम्पराओं, रीति - रिवाजों तथा धार्मिक संस्कारों आदि का बहुत महत्व है । परन्तु जिन प्रथाओं परम्पराओं ने ग्रामीण समाज को आदर्श समाज का रूप प्रदान किया था, जिसने ग्रामीण विचारों व्यवहारों को नियंत्रित किया था, जिसने विभिन्न प्रकार की विषमताओं व सम्बन्धों को कम करके ग्राम्य समाज को समानता की स्थिति प्रदान की थी जो ग्रामीण व्यक्ति के व्यवहार आचरण के निर्माण में सहायक थी, अब वही प्रथायें, परम्परायें, धर्म, विश्वास, लोक रीति रिवाज आदि ग्रामीण जीवन को भाग्यवादी, रूढ़िवादी, निराशावादी तथा अंधविश्वासी बना रहे हैं । जिस धर्म ने ग्रामीण समाज में जहाँ एकीकरण को प्रोत्साहन दिया था आज वहीं अनेक विघटनकारी तथा पृथकतावादी प्रवृत्तियों को भी उत्पन्न कर रही है । ग्रामीण धर्म आज भी ग्रामीणों को अपने व्यवहारों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं करता । जिसके फलस्वरूप गांव में तरहतरह के अंधविश्वासों तथा कुरीतियों में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीणों का वर्तमान जन-तांत्रिक व्यवस्था से समायोजन नहीं हो सका है । शिक्षा के प्रसार के कारण आज शिक्षित और जागरूक ग्रामीणों के सामने एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा अनेक धार्मिक कर्मकाण्डों और अन्धविश्वासों के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है । यह स्थिति एक ऐसे द्वन्द को जन्म देती है जिसके कारण व्यक्ति अपने को मानसिक रूप से असुरक्षित अनुभव करने लगता है । वास्तविकता तो यह है कि धर्म के आदर्शों तथा समकालीन समाज की आवश्यकताओं में सदैव सामंजस्य नहीं होता है । प्रो० डेविस ने उचित ही लिखा है कि, "जिस प्रकार अनेक औषधियां कभी कभी हमारे उस रोग को बढ़ा देती हैं जिससे छुटकारा पाने के लिये उनका उपयोग किया गया था । उसी प्रकार धर्म कभी कभी लाभ देने के स्थान पर अनेक मानसिक रोगों तथा सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है ।[41]

ग्रामीण जीवन में धर्म के प्रति कट्टरता ने व्यक्ति को मानसिक

41.Kingsley, "Human society," p-533

सारणी संख्या (73) उत्तरदाताओं द्वारा मादक या नशीले पदार्थों का सेवन करने के सम्बन्ध में मत

(आयु के आधार पर)

आयु समूह	सहमति	असहमति
0-20	60% (230)	40% (20)
20-40	95% (95)	50% (50)
40-60	90% (90)	10% (10)
60-80	30% (15)	70% (35)

सारणी संख्या (74) उत्तरदाताओं द्वारा सेवन किये जाने वाले नशीले पदार्थों की श्रेणी

साधारण नशे वाले नशीले पदार्थों का सेवन	अधिक नशे वाले नशीले पदार्थों का सेवन
बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू	शराब, गांजा, हुक्का /अन्य
17.39%	82.60%
(40)	(190)

तालिका संख्या (75) उत्तरदाताओं द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने के अवसर के सम्बन्ध में मत

बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू का सेवन करने वाले उत्तरदाता		शराब, गांजा, आदि का सेवन करने वाले उत्तरदाता	
रोज	कभी कभी	रोज	कभी कभी
87.5%	12.5%	42.1%	57.99%
(35)	(5)	(80)	(110)

प्रस्तुत अध्ययन में सारणी संख्या (73) में यह स्पष्ट किया गया है कि कितने उत्तरदाता मादक या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि मात्र 60 से 80 वर्ष के 30% उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं । 0 से 20 वर्ष की उम्र के 60%, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 95% तथा 40 से 60वर्ष की उम्र के 90% उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं । स्त्री उत्तरदाताओं में मात्र 2-4 स्त्रियां केवल तम्बाकू खाती थीं अन्य किसी प्रकार का नशा स्त्रियां नहीं करती हैं ।

सारणी संख्या (74) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता किन-किन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं । नशीले पदार्थों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है । प्रथम साधारण नशे वाले नशीले पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट ,तम्बाकू आदि । द्वितीय शराब, गांजा, हुक्का आदि । सारणी से स्पष्ट है कि 17.39% उत्तरदाता बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू का ही सेवन करते हैं ।

सारणी संख्या (75) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन किन-किन अवसरों पर करते हैं । सारणी से स्पष्ट है कि बीड़ी, सिगरेट का सेवन 87.5% उत्तरदाता प्रतिदिन और 12.5% उत्तरदाता कभी-कभी करते हैं । जबकि शराब गांजा पीने वाले उत्तरदाताओं में से 42.1% रोज पीते हैं । क्योंकि यह उनकी आदत बन गयी है । उनका कथन है कि इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते हैं । 57.99% उत्तरदाता शराब का सेवन कभी कभी अर्थात किसी शादी ब्याह, तीज त्योहार या सामाजिक उत्सवों के अवसरों पर इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं । इनमें से कुछ उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके यहां सामाजिक अवसरों पर मदिरा पान आवश्यक समझा जाता है । सर्वेक्षण के समय एक तथ्य यह भी प्राप्त हुआ कि ग्रामों में प्रत्येक परिवार में 1 या 2 व्यक्ति शराब का सेवन करने वाले अवश्य थे । ये ग्रामीण अधिकतर शराब घर में ही महुए द्वारा बनाते हैं या 4-5 व्यक्ति मिल कर घर से बाहर किसी एकान्त स्थान पर जाकर चोरी छिपे बनाते हैं । इनकी वजह से घर का वातावरण कलहपूर्ण तथा अशान्ति पूर्ण रहता है । ये व्यक्ति घर के कार्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे पाते चूंकि गांवों में संयुक्त परिवार व्यवस्था अभी भी है । इस कारण ऐसे व्यक्तियों का भी पालन पोषण भी परिवार

तालिका संख्या (76) उत्तरदाताओं का नशीले पदार्थों का सेवन करने के कारणों के सम्बन्ध में मत

आदत	स्फूर्ति	प्रतिकूल परिस्थितियों में	प्रतिष्ठा का प्रतीक
34.78%	26.08%	19.56%	19.56%
(80)	(60)	(45)	(45)

सारणी संख्या (77) उत्तरदाताओं का सामाजिक बुराइयों में संलग्न होने सम्बन्धी मत

जुआ	वेश्यावृत्ति	अन्य (चोरी)
89.83%	6.78%	3.39%
(53)	(4)	(2)

तालिका संख्या (78) उत्तरदाताओं का सामाजिक बुराईयों में संलग्न होने का कारण

घर का कलह पूर्ण वातावरण	पास-पड़ोस का बुरा वातावरण	मनोरंजन का अभाव
22.03%	25.42%	33.89%
(13)	(15)	(20)

में होता रहता है । अन्यथा ये परिवार के लिये एक अवांछित अंग के समान हैं ।

सारणी संख्या (76) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते हैं । 34.78% उत्तरदाताओं का कथन है कि वे इसका सेवन आदतन करते हैं क्योंकि इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते हैं । इन उत्तरदाताओं में मद्यपान की आदत युवावस्था से ही पड़ गयी थी । इसका मुख्य कारण इनके अभिभावकों द्वारा बच्चों पर ध्यान न देने के कारण बुरी संगत में पड़ जाना है । 26.08% उत्तरदाताओं के अनुसार नशीले पदार्थों का सेवन करने से उन्हें स्फूर्ति मिलती है । 19.56% उत्तरदाता नशीले पदार्थों का सेवन उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझते है । इसलिये वे सामाजिक उत्सव, शादी ब्याह, खुशी आदि के मौके पर इसका सेवन करते हैं । 19.56% उत्तरदाता प्रतिकूल परिस्थितियों में तथा अपना दुःख कष्ट भूलने की चेष्टा में मद्यपान या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ।

जिस प्रकार प्रत्येक परिवार में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति अधिक हैं उसी प्रकार प्रत्येक परिवार में एक दो व्यक्ति या युवा जुआ खेलने आदि जैसी बुराई में संलग्न हैं । सारणी संख्या (77) में यह प्रदर्शित किया गया है कि कितने उत्तरदाता जुआ खेलने में, कितने वेश्यावृत्ति व कितने उत्तरदाता चोरी या अन्य किसी सामाजिक बुराई में संलग्न थे । उत्तर-दाताओं ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय झिझक रहे थे । 59 उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के समर्थन में उत्तर दिये हैं परन्तु उनका कथन था कि वे इन बुराइयों में पहले संलग्न थे अब संलग्न नहीं हैं । जबकि अन्य ग्रामीणों से इस सम्बन्ध में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे अभी भी इन बुराईयों में संलग्न हैं ।

सारणी संख्या (78) में उत्तरदाताओं के उपरोक्त सामाजिक बुराइयों में संलग्न होने के कारणों को प्रदर्शित किया है । सारणी से स्पष्ट है कि 22.03% उत्तरदाता अपने घर के कलह पूर्ण वातावरण के कारण इन सामाजिक बुराइयों में संलग्न थे । 25.42% उत्तरदाताओं के अनुसार उनके पास पड़ोस का वातावरण खराब था । उनके अनुसार उन्होंने बचपन में अपने घर के बाहर जानवर बांधने के स्थानों पर जुआ होते देखा है । वहां उनके भाई, चाचा, व पड़ोस के संगी साथी छुपकर जुआ आदि खेलते थे । 33.89%

उत्तरदाताओं के अनुसार उनके पास इन सामाजिक बुराइयों के अलावा मनोरंजन का अन्य कोई साधन नहीं है । इसीलिये वे अपने मनोरंजन के लिये इन खेलों को देखते व खेलते हैं । बाद में उनको भी इसकी आदत पड़ गयी । वास्तव में इस जनपद में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सरकारी व व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के मनोरंजन की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है । गांवों और आस-पास के कस्बों में भी न तो पुस्तकालय हैं, न ही खेल का समुचित मैदान है और न ही खेल की वस्तुएँ । गांवों का जीवन नीरस होने के कारण ग्रामीण सामाजिक बुराइयों की तरफ आकर्षित हो जाता है । यही कारण है कि इस क्षेत्र में सभी परिवारों में कोई न कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला तथा किन्हीं न किन्हीं सामाजिक बुराइयों में संलग्न अवश्य है । इस सम्बंध में निम्न प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा आंकड़े प्राप्त किये गये ।

(1) क्या आप मनोरंजन को जीवन के लिये आवश्यक समझते हैं ?

(2) क्या आप मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं ?

(3) आपके मतानुसार मनोरंजन का आप पर, आपके बच्चों व आपके परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ता है ?

उपरोक्त प्रथम व द्वितीय प्रश्न के उत्तर में 70% उत्तरदाताओं ने समर्थन में तथा 20% ने असमर्थन में उत्तर दिया । जो ग्रामीण उत्तरदाता मनोरंजन को आवश्यक नहीं समझते हैं उनका कथन है कि व्यक्ति को प्रतिदिन मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है । ग्रामीण स्त्रियों के लिये मनोरंजन तो बिलकुल अनावश्यक समझा जाता है। ग्रामीण से यह पूछने पर कि वे अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं, उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत करके, गांव में छोटी मोटी राम लीला, नौटंकी करके, तीज त्योहार पर एकत्र होकर नाच गाकर तथा मेलों में जाकर अपना मनोरंजन करते हैं । स्त्रियों के लिये चूंकि घर से बाहर निकलना अनुचित समझा जाता है । इसलिये उन्हें ये साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं । स्त्रियां तो मात्र आपस में बातचीत करके, शादी ब्याह में एकत्रित होकर व तीज त्योहारों पर गांव के मन्दिरों तक जाना ही मात्र उनका मनोरंजन का सम्पूर्ण साधन है । वर्तमान समय में ग्रामीण पुरुष फिर भी कस्बों, तहसीलों में जाकर कुछ बाहर की दुनियां देखते थे । जबकि स्त्रियों को गांव में क्या हो

तालिका संख्या (79) उत्तरदाताओं का जादू-टोना व झाड़-फूँक में विश्वास के सम्बन्ध में मत

(शिक्षा व लिंग के आधार पर)

पुरुष उत्तरदाता				स्त्री उत्तरदाता			
शिक्षित		अशिक्षित		शिक्षित		अशिक्षित	
हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
16.20% (29)	83.80% (150)	97.52% (118)	2.54% (3)	80% (20)	20% (5)	100% (75)	-

तालिका संख्या (80) उत्तरदाताओं का बाल विवाह के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	उचित	अनुचित	उचित	अनुचित
0-20	60% (30)	40% (20)	73.91% (17)	26.08% (6)
20-40	50% (50)	50% (50)	85% (30)	14.28% (5)
40-60	60% (60)	40% (40)	100% (28)	-
60-80	100% (50)	-	100% (14)	-

रहा है इसकी जानकारी नहीं होती तो दुनियां की कैसे हो सकती है । अधिकांश गांव में आवागमन के न तो समुचित साधन हैं न ही बाहर से गांव में कोई समाचार पत्र या पत्रिका आती है । फलस्वरूप ए० ग्रामीण बाहरी दुनियां से एकदम अलग थलग कटा हुआ एक कोने में पड़ा हुआ है । तृतीय प्रश्न के उत्तर में 21.5% उत्तरदाताओं के अनुसार मनोरंजन का बच्चों पर व परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 28.75% उत्तरदाताओं के अनुसार मनोरंजन का सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 49.75% उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है ।

सारणी संख्या [79] में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाताओं को जादू-टोना, झाड़-फूंक आदि में विश्वास है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत उनके लिंग व शैक्षिक स्तर के आधार पर प्राप्त किये गये हैं । 83.80% शिक्षित पुरूष व 20% शिक्षित स्त्रियों ने कहा कि जादू-टोना और झाड़-फूक में विश्वास नहीं करते हैं । 16.20% शिक्षित पुरूष, 97.52% अशिक्षित पुरूष, 80% शिक्षित स्त्री तथा 100% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाता जादू टोना झाड़ फूक आदि में विश्वास करते हैं । अतः स्पष्ट है कि स्त्री उत्तरदाता तथा अशिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं में यह विश्वास है कि समाज तथा परिवार में होने वाली दुर्घटनाओं, महामारियों का कारण देवी देवता की नाराजगी है । परन्तु शिक्षा द्वारा लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है क्योंकि जो उत्तरदाता शिक्षित हैं उनमें से 83.80% पुरूष व 20% स्त्री उत्तरदाताओं ने कहा है कि ऐसा किसी भूत-प्रेत या जादू-टोना द्वारा नहीं होता बल्कि लापरवाही, व अज्ञानता व अस्वच्छता आदि का दुष्परिणाम है ।

सारणी संख्या [80] में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में बाल विवाह उचित है या अनुचित । सारणी से स्पष्ट है पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 60%, 20 से 40 वर्ष तक के 50%, 40 से 60 वर्ष तक के 50% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 100% उत्तरदाताओं ने बाल विवाह का समर्थन किया है । स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 73.91%, 20 से 40 वर्ष तक के 85.71%, 40 से 60 वर्ष तक के 100% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 100%

उत्तरदाताओं ने भी बाल विवाह को उचित बताया है । इन उत्तरदाताओं के मतानुसार लड़की का विवाह अधिक से अधिक 14 या 15 वर्ष के अन्दर और लड़के का विवाह अधिक से अधिक 16 या 17 वर्ष के अन्दर ही कर देना उचित है । जब ग्रामीण उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे बाल विवाह को उचित क्यों समझते हैं तो इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये :-

§1§ ग्रामीण चूंकि धर्म भीरू होते हैं अतः वे बाल विवाह का समर्थन मात्र धार्मिक आधार पर करते हैं । इन उत्तरदाताओं के मतानुसार लड़कियों के कन्या रूप में ही पैर पूज लेना चाहिये अर्थात कन्या के रजोदर्शन के पूर्व ही उनका विवाह करना उचित है अन्यथा वे पाप के भागी हो जायेंगे । सम्पूर्ण सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के पश्चात आज भी वे इन प्रथाओं परम्पराओं का पालन करते हैं , चाहे वह समयानुकूल हो अथवा नहीं । धर्मभीरु ग्रामीण उन सड़े गले रीतिरिवाजों का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते हैं और प्रथाओं परम्पराओं का पालन करते रहते हैं ।

§2§ कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि लड़के व लड़की की उम्र अधिक हो जाने पर समाज उनपर उंगली उठाने लगता है । समाज के लोग उनपर व्यंगबाण करने लगते हैं तरह तरह की बातें बनाते हैं इसलिये बाल विवाह उचित है ।

§3§ कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि कन्या की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । अतः कन्या भार से जितनी शीघ्रता पूर्वक मुक्ति मिल जाये उतना अच्छा होता है।

§4§ कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि उम्र अधिक हो जाने पर लड़के - लड़कियों को सभी बातों की जानकारी हो जाती है जिससे उनमें दुर्गुण आ जाते हैं । अतः बाल विवाह करने से लड़की बिना किसी गुनाह के अपने घर चली जाती है । ग्रामीणों के मतानुसार समय बहुत खराब है इसलिये वे उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं । अतः विवाह कर देने से वे उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं ।

§5§ कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि छोटी उम्र में लड़के लड़कियां अपने माता-पिता के नियंत्रण में होते हैं । उम्र अधिक हो जाने पर उनपर नियंत्रण नहीं रह जाता है । वे अपने मन की करते हैं इसलिये कम उम्र में विवाह करने से झंझट भी कम होते हैं ।

222 अ

ग्रामीण बालायें

सारणी संख्या (80) उत्तरदाताओं का बाल विवाह के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व विवाह के आधार पर

बाल विवाह के सम्बन्ध में मत	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
उचित	38.54%	90.90% (110)	40% (10)	100% (75)
अनुचित	61.45% (110)	9.09% (12)	60% (15)	-

तालिका संख्या (81) उत्तरदाताओं का परदा प्रथा के सम्बन्ध में मत

(अ) लिंग व आयु के आधार पर

	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
आयु समूह	उचित	अनुचित	उचित	अनुचित
0-20	60%	40%	56%	26%
	(30)	(20)	(13)	(10)
20-40	78%	22%	85.71%	14.28%
	(78)	(22)	(30)	(5)
40-60	100%	-	100%	-
	(100)		(28)	
60-80	100%	-	100%	-
	(50)		(14)	

(6) कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि बाल विवाह करने से वे अपने कर्तव्यों को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभाते हैं। बचपन से ही गृहस्थी का दायित्व सौंप देने से उनके कदम बहकते नहीं हैं। और वे इधर उधर की बात सोचने की अपेक्षा अपनी गृहस्थी के बारे में सोचता है। अतः बाल विवाह के पश्चात व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अधिक सफलतापूर्वक निभाता है।

(7) इस सम्बन्ध में कुछ उत्तरदाताओं ने कहा है कि उम्र अधिक हो जाने पर जाति में लड़के नहीं मिलते हैं और बाल विवाह में दहेज कम देना पड़ता है।

इस प्रकार उपरोक्त विचारों के कारण ग्रामीण कम उम्र में विवाह करना अधिक उचित समझता है लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण शिक्षित हो ता जा रहा है उसके विचारों में थोड़ा अन्तर आया है। सारणी संख्या (80-ब) से स्पष्ट है कि शिक्षित पुरूष उत्तरदाताओं में से 61.45% ने तथा शिक्षितस्त्री उत्तरदाताओं में 60% ने बाल विवाह को अनुचित बताया है। जबकि 90.90%अशिक्षित पुरूष उत्तरदाता तथा 100% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने बाल विवाह का समर्थन किया है।

सारणी संख्या (81) में परदा प्रथा के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत प्रदर्शित किये गये हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कितने उत्तरदाता परदा प्रथा को उचित समझते हैं और कितने अनुचित। सारणी से स्पष्ट है कि पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 60%, 20 से 40 वर्ष तक की उम्र के 78%, 40 से 60 वर्ष तक की उम्र के 100% और 60से 80 वर्ष की उम्र के 100% उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा को उचित समझा। स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 56.52%, 20 से 40 वर्ष की उम्र के 85.71%, 40 से 60 वर्ष तक की उम्र के 100% तथा 60 से 80 वर्ष की उम्र के 100%उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा को उचित बताया है। अतः सारणी से स्पष्ट है कि स्त्री व पुरूष दोनों उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा को उचित बताया जबकि युवा ,स्त्री व पुरूष उत्तरदाताओं में से 40% स्त्री व 26.08% पुरूष उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा को अनुचित बताया है। अतः आयु के आधार पर युवा वर्ग का कुछ प्रतिशत परदा प्रथा को अनुचित समझता है जबकि बुजुर्ग वर्ग परदा प्रथा को उचित ही समझते हैं।

सारणी संख्या (81) उत्तरदाताओं का परदा प्रथा के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व विवाह के आधार पर

परदा प्रथा के संबंध में मत	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
उचित	74.86%	91.73%	24%	100%
	(134)	(11)	(6)	(75)
अनुचित	25.13%	8.26%	76%	-
	(45)	(10)	(17)	

परदा प्रथा के सम्बन्ध में ग्रामीण उत्तरदाताओं से उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर भी मत प्राप्त किये गये हैं । सारणी संख्या[81-ब] से स्पष्ट है कि 74.86% शिक्षित पुरूष व 24% शिक्षित स्त्री तथा 91.73% अशिक्षित पुरूष व 100% अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा का समर्थन किया है । जबकि 26.13% शिक्षित पुरूष तथा 76% शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने परदा प्रथा को अनुचित बताया है । इस सारणी से स्पष्ट है कि शिक्षित पुरूषों की अपेक्षा शिक्षित स्त्रियों ने परदा प्रथा का अधिक विरोध किया है ।

इस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा अत्यन्त गिरी हुई है । स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है । उनका कार्य क्षेत्र केवल घर के अन्दर तक ही सीमित है । स्त्रियों का घर से बाहर निकलना अनुचित व असम्मानीय समझा जाता है । डा०डी०एन०मजूमदार के शब्दों में " हिन्दू परिवार का सबसे अधिक रूढ़िवादी तत्व स्त्री है और इसी लिये परम्परागत रूढ़ियों का पालन इसी के द्वारा कराया जाता है।"[43] ग्रामीण स्त्रियों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में एक समाजशास्त्री का मत है कि साधारणतः स्त्रियों के लिये घर से बाहर निकलना व काम करना पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता है । परम्परागत दृष्टि से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर तक समझा जाता है । वे माता पहले उपार्जिका बाद में होती हैं । केवल नीच जातियों में स्त्रियां अपने पति की आय को बढ़ाने के लिये घर से बाहर नौकरी करती हैं । लेकिन इतना ही नहीं गांव में परदा प्रथा का अत्याधिक प्रचलन है । जिसके कारण स्त्रियों की सामाजिक गतिशीलता मेल मिलाप, दूसरों से कुछ सीखे जाने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है । और वे मात्र कूप मण्डूक बनकर रह जाती हैं । अर्थात जिस प्रकार एक कुएं में रहने वाला एक मेंढक कुएं को ही सम्पूर्ण जगत समझता है । उसी तरह ग्रामीण स्त्रियां भी घर को ही अपना सम्पूर्ण संसार समझती हैं । और घर रूपी चहारदीवारी में कैद रहती हैं । परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्त्रियां अशिक्षित, भीरू, मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा बाहरी दुनियां के अनुभव से वंचित होती हैं । जिसका प्रमाण ग्रामीण बच्चों के व्यक्तित्व में देखने से मिलता है । और इसीलिए ग्रामीण मनोवृत्ति ही ऐसी बन जाती है कि वह नई चीजों को अपनाने में डरते हैं । जब ग्रामीण उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि वे परदा प्रथा को उचित क्यों

सारणी संख्या (82) दहेज प्रथा के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत
(3) लिंग व विवाह के आधार पर

	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
उचित	8.38%	70.25%	40%	-
	(15)	(85)	(10)	
अनुचित	91.62%	29.75%	60%	-
	(164)	(36)	(15)	

समझते हैं तो इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किये ।

{1} कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि यह हमारी अंग परम्परा है कि स्त्रियों को परदे में ही रहना चाहिये, इससे उनका सम्मान बना रहता है ।

{2} कुछ उत्तरदाताओं का कहना है कि परदा अपने बड़ों को सम्मान देने का प्रतीक है । उनके लिये परदे का अर्थ बुजुर्गों को सम्मान देना है, इसलिये परदा प्रथा उचित है ।

{3} कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि यदि परदा प्रथा न हो तो स्त्रियों में शर्म लिहाज नहीं रह जाता है । वे सभी से बोलने बतियाने लगेंगी । ग्रामीण स्त्रियों का पुरूषों से बात चीत करना अनुचित समझते हैं । उनके अनुसार पुरूष के समक्ष स्त्रियों का स्थान पैरों में है अतः उनका पुरूषों से बोलना, स्त्रियों में लज्जा,-हीनता का प्रतीक है । इसी लिये परदा प्रथा द्वारा इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

{4} कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि हमारे समाज में परदा प्रथा का प्रचलन है । इसलिये वे इसे उचित समझते हैं । यदि वे इस प्रथा का पालन नहीं करेंगे तो समाज उनका विरोध करेगा, उन पर उंगली उठायेगा, उनका बहिष्कार करेगा । अतः उनका कहना है कि यदि समाज इस प्रथा को उचित समझता तो उनके लिये भी यह प्रथा उचित होती अर्थात वे उत्तरदाता समाज के भयवश इस कुप्रथा का समर्थन करते हैं ।

सारणी संख्या {82} में यह प्रदर्शित किया गया है कि वर्तमान समय की सर्व प्रमुख समस्या दहेज प्रथा के प्रति ग्रामीण उत्तरदाताओं का क्या मत है । वे इसे उचित समझते हैं या अनुचित। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत उनके लिंग व शिक्षा के आधार पर प्राप्त किये गये हैं । सारणी से स्पष्ट है कि पुरूष उत्तरदाताओं में 8.38% शिक्षित व 70.25% अशिक्षित उत्तरदाताओं ने दहेज प्रथा को उचित बताया है । उनका कथन है कि कन्या पक्ष से वर पक्ष का स्थान ऊँचा होता है । अतः उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना तो कन्या पक्ष का कर्तव्य ही है । यह तो एक परम्परा है । कन्या को तो धार्मिक ग्रन्थों में "दुहिता" कहा जाता है अर्थात जो अपने मां बाप को दुह लेती है । कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि

दहेज प्रथा होने से एक प्रकार कन्या को अपने पिता की सम्पत्ति का हिस्सा मिल जाता है । चूँकि एक पिता के लिये उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं और उसकी सम्पत्ति पर बच्चों का समान अधिकार होता है इसीलिए लड़कियां दहेज द्वारा अपना हिस्सा ले जाती हैं । दहेज प्रथा के विरोध में पुरुष उत्तरदाताओं में 91.52% शिक्षित व 29.75% अशिक्षित तथा 60% शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने मत दिया । उनका कथन है कि दहेज प्रथा एक शोषण की कु प्रथा है जिसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों का शोषण किया जाता है । अतः इस कु प्रथा का अन्त होना उचित है । सारणी से स्पष्ट है कि अशिक्षित व शिक्षित उत्तरदाता दोनों ने दहेज प्रथा का विरोध किया है । जबकि अशिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने दहेज प्रथा के विरोध व समर्थन किसी के भी प्रति अपना मत नहीं दिया । शिक्षित स्त्री उत्तरदाताओं ने दहेज प्रथा का विरोध किया । लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें दहेज देना पड़ा तो वे भी जरूर लेंगे यदि नहीं देना पड़ा तो नहीं लेंगे । उनका कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सब कुछ अपने पास से दे पाये । यदि उन्हें दहेज देना पड़ा तो कर्ज लेना पड़ेगा अतः वे इस कर्ज के चुकाने के लिये स्वयं भी दहेज लेने में नहीं हिचकिचायेंगे ।

ग्रामीण उत्तरदाताओं से दहेज प्रथा के समाप्त करने के कारणों के सम्बन्ध में निम्न प्रश्न पूछे गये ।

(1) समाज में दहेज प्रथा का कारण क्या स्वजातीय विवाह है ?

(2) परम्परागत विवाह व्यवस्था से या उसके समाप्त होने से दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है ?

(3) दहेज की माँग करने वाले लड़के से विवाह करने जा रही लड़की की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये ?

प्रथम प्रश्न के उत्तर में 16.25% उत्तरदाताओं के अनुसार दहेज प्रथा का कारण लोगों का मात्र अपनी ही जाति में विवाह करना है अर्थात दूसरी जातियों में विवाह होने लगे तो वर का क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा । परिणामस्वरूप दहेज प्रथा कम हो सकती है जबकि 73.75% उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह चाहे अपनी जाति में हो या अन्य जाति में दहेज प्रथा समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि

सारणी संख्या (83) विधवा विवाह के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

(अ) लिंग व आयु के आधार पर

क्रम	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
आयुसमूह	उचित	अनुचित	उचित	अनुचित
0-20	60%	40%	73.91%	26.08%
	(30)	(20)	(17)	(6)
20-40	25%	75%	11.43%	88.57%
	(25)	(75)	(4)	(31)
40-60	-	100%	14.28%	85.71%
		(50)		(14)

अन्य जाति में व्यक्ति भी दहेज की मांग करेगा । द्वितीय प्रश्न के उत्तर में 87.49% उत्तरदाताओं का मत है कि परम्परागत विवाह व्यवस्था (वैदिकरीति) के समाप्त होने से दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है । जबकि 12.5%उत्तरदाताओं का मत है कि विवाह चाहे किसी भी रीति से किया जाये, दहेज प्रथा बनी रहेगी । क्योंकि यदि विवाह वैदिक रीति से न करके मन्दिर में या कोर्ट में हो तो भी वर पक्ष के व्यक्ति कन्या पक्ष के व्यक्तियों से दहेज की मांग कर सकते हैं । तृतीय प्रश्न के उत्तर में 40% उत्तरदाताओं ने कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया । 30% उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़की को इसका विरोध करना चाहिये और विवाह करने से इनकार कर देना चाहिये । 20% उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़कियां तो बंधी गाय के समान होती हैं जो एक खूंटे से दूसरे खूंटे में बांध दी जाती हैं । अतः इस सम्बन्ध में लड़की कुछ भी नहीं कर सकती । ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां तो इतने बंधन में रखी जाती हैं कि उन्हें तो यह तक पता नहीं होता है कि उनको किस तरह का जीवन साथी मिलने वाला है । वर में चाहे कितने ही अवगुण हों कन्या को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है । ऐसे में वह किसी का विरोध क्या कर सकेगी । 10% उत्तरदाताओं ने कहा कि दहेज के सम्बन्ध में लड़की को कुछ नहीं करना चाहिये । यह तो उनके माता पिता के बीच की बात होती है । इसमें छोटों को दखल नहीं देना चाहिये । दूसरी बात उनके विरोध करने से उनकी ही बदनामी होगी । जिसमें उनका दुबारा विवाह असम्भव हो जायेगा । परिणामस्वरूप वे अपने ही मां बाप पर बोझ बन जायेंगी जोकिउनके लिये इससे भी ज्यादा दुख का कारण होगा । वास्तव में समाज ही इस कुप्रथा को बढ़ावा देता है । क्योंकि जो व्यक्ति इसका विरोध करता है उसको समाज आश्रय देने की अपेक्षा उसका बहिष्कार करता है ।

उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण के अनुसार सारणी संख्या (83) में यह प्रदर्शित किया गया है कि विधवा का पुनर्विवाह उचित है या अनुचित ।सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 40%, 20 से 40 वर्ष तक के 75%, 40 से 60 वर्ष तक के 100% तथा 60 से 80 वर्ष तक के 100 % उत्तरदाता, स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के उम्र के 26.08%, 20 से 40 वर्ष तक के 88.57%, 40 से 60वर्ष तक के 85.71% 60 से 80 वर्ष तक के 100% स्त्री उत्तरदाता विधवा का विवाह अनुचित समझते हैं । जबकि पुरुष

सारणी संख्या (83) विधवा विवाह के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का मत

(ब) लिंग व शिक्षा के आधार पर

	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	शिक्षित	अशिक्षित	शिक्षित	अशिक्षित
उचित	46.92% (84)	8.26% (10)	80% (20)	33.33% (25)
अनुचित	53.30% (95)	91.73% (11)	20% (5)	66.67% (50)

उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 40%, 20 से 40 वर्ष तक के 25% उत्तरदाता तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 73.28% उत्तरदाता ही विधवा विवाह को उचित समझते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि बुजुर्ग वर्ग के स्त्री व पुरुष उत्तरदाताओं में 95% विधवा विवाह को अनुचित समझते हैं। जबकि युवा वर्ग के स्त्री व पुरुष दोनों उत्तरदाताओं में 65% विधवा विवाह को उचित समझते हैं। सारणी संख्या (83-ब) में विधवा विवाह के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत उनके लिंग व शैक्षणिक स्तर के आधार पर प्राप्त किए गये हैं। सारणी से स्पष्ट है कि 46.92% शिक्षित पुरुष उत्तरदाता, 80% शिक्षित स्त्री उत्तरदाता विधवा विवाह को उचित समझते हैं। जबकि शिक्षित उत्तरदाताओं में 53.30% पुरुष व 20% स्त्री उत्तरदाता अशिक्षित उत्तरदाताओं में 91.73% पुरुष व 66.67% स्त्री उत्तरदाता विधवा विवाह को अनुचित समझते हैं। अतः स्पष्ट है कि शिक्षित व अशिक्षित दोनों तरह के उत्तरदाता विधवा विवाह को अनुचित समझते हैं लेकिन शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है जो कि विधवा का पुनर्विवाह अनुचित समझते हैं। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग वर्ग का हो या युवा वर्ग का, शिक्षित हो या अशिक्षित, अधिकांश विधवा पुनर्विवाह को अनुचित ही समझते हैं। विधवा के पुनर्विवाह को अनुचित बताने के उन्होंने निम्न कारण प्रस्तुत किये।

(1) हिन्दू उत्तरदाताओं का मत है कि हिन्दू धर्म के अनुसार कन्या का विवाह एक बार हो सकता है उसके जीवन में एक ही पुरुष का स्थान है, पर-पुरुष की तो कल्पना ही उसको पापी बना देती है। अतः विधवा का विवाह अनुचित है।

(2) कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि उनके धर्म में विधवा का विवाह अनुचित समझा जाता है। यदि विधवा का विवाह होता है तो इसका अर्थ है परम्पराओं का टूटना। अतः वे अपने रीति रिवाजों को तोड़कर पाप का भागी नहीं बनना चाहते हैं।

(3) कुछ ग्रामीणों का मत है कि पिछले जन्मों के कर्मों से अगले जीवन का भाग्य निश्चित होता है। अतः यदि कोई स्त्री विधवा हो गयी है तो वह

सारणी संख्या (84) स्त्री-पुरुष के बराबर अधिकार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

(अ) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
0-20	50%	50%	43.47% (10)	56.52% (13)
20-40	40%	60%	11.43% (4)	88.57% (31)
40-60	20%	80%	-	100%
60-80	20%	80%	-	100%

उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जोकि उसे दण्ड स्वरूप उसे इस जन्म में प्राप्त हुआ है । यदि वह फिर से विवाह करती है तो उसके दुर्भाग्य का प्रभाव पुनः उसके नये पति को प्रभावित कर सकता है ।

(4) कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि जब भगवान ही रूठ हो तो बार-बार ब्याह से क्या फायदा । अर्थात यह तो ईश्वरोच्छा होने का संकेत है । यदि भगवान उनपर प्रसन्न होते तो उसे विधवा जीवन ही क्यों प्रदान करते । अतः विधवा का विवाह करना ईश्वर के विधान के विपरीत आचरण करना है ।

(5) कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि एक विवाह के बाद स्त्री अपवित्र हो जाती है । अतः उसके साथ दूसरा विवाह कैसे किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में एक ग्रामीण के शब्दों में " जब एक गगरी को पोतरहुी बना लिया जाता है तो क्या उसका पानी पिया जा सकता है अर्थात जिस प्रकार एक गगरी को लीपने पोतने के काम लाया जाने के बाद दुबारा उसमें स्वच्छ पानी रखा भी हो तो भी उस गगरी का पानी नहीं पीते हैं । उसी प्रकार स्त्री का एक विवाह होने के पश्चात उसका दुबारा विवाह अनुचित है । अतः ग्रामीणों की अतार्किक मनोवृत्ति से स्पष्ट है कि ग्रामीण अत्यन्त ही रूढ़िवादी तथा परम्परावादी हैं ।

सारणी संख्या (84) में यह प्रदर्शित किया गया है कि ग्रामीण उत्तरदाता स्त्री व पुरूष के बराबर अधिकार के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं । स्त्री को पुरूष के बराबर अधिकार मिलना चाहिये अथवा नहीं । सारणी से स्पष्ट है कि पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक की उम्र के 50%, 20 से40 वर्ष की उम्र के 40%, 40 से 60 वर्ष तक के 20% व 60 से 80 वर्ष तक के 20% उत्तरदाता तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक की उम्र के 43.47%, 20 से 40 वर्ष तक की उम्र के 11.43% उत्तरदाताओं ने स्त्री पुरूष के बराबर अधिकार होने के समर्थन में अपना मत दिया। जबकि पुरूष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 50%, 20 से 40 वर्ष तक के 60%, 40 से 60 वर्ष तक के 80%, व 60 से 80वर्ष की उम्र के 80% तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20वर्ष तक के 56.54%, 20 से 40 वर्ष तक के 88.58%, 40 से 60वर्ष की उम्र के 100% तथा 60 से 80 वर्ष तक की उम्र के 100% उत्तरदाताओं के अनुसार स्त्री को पुरूष के बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिये । सारणी से स्पष्ट है कि 90%उत्तर-

तालिका संख्या (84) स्त्री पुरूषों के बराबर अधिकार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

(ब) लिंग व विवाह के आधार पर

	पुरूष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
नहीं	84.91%	95.04%	48%	100%
	(152)	(115)	(12)	
हाँ	15.08%	4.96%	52%	-
	(27)	(6)	(13)	

सारणी संख्या (85) जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का मत

(अ) लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	उचित	अनुचित	उचित	अनुचित
0-20	70%	30%	73.91% (6)	26.08% (17)
20-40	85%	15%	100%	-
40-60	100%	-	100%	-
60-80	100%	-	100%	-

दाताओं ने स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार न मिलने के सम्बन्ध में मत दिये । उत्तरदाताओं की उम्र के अनुसार युवा वर्ग में भी मात्र 40% उत्तरदाताओं ने स्त्री व पुरुष के बराबर अधिकार होने के सम्बन्ध में मत दिये । सारणी संख्या - (84) से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 84.91% विवाहित व 95.04% अविवाहित तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 40% विवाहित व 100% अविवाहित उत्तरदाताओं के मतानुसार स्त्री व पुरुष को बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों का मत है कि स्त्री तो प्राचीन समय से पुरुष की दासी है। पुरुष के अधीन है, यदि उन्हें बराबर अधिकार मिल जायेगा तो वे स्वतंत्र हो जायेंगी और इस स्वतंत्रता का परिणाम यह होगा कि वे उच्छृंखल हो जायेंगी। नारी का स्थान तो पुरुष के चरणों में है अर्थात नारी का स्थान पुरुष से नीचा होता है इसलिए उसे पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक ग्रामीण उत्तरदाता ने मुझसे ही प्रश्न करते हुए कहा कि "स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिये । यदि मैं अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारूँ तो क्या वह भी मुझे एक थप्पड़ मार दे । इसपर जब मैं ने उनसे यह कहा कि यदि आप उसे बिना वजह मारते पीटते हैं, उसपर अत्याचार करते हैं तो उसे भी आपका विरोध करने का अधिकार होना चाहिये, तो उस ग्रामीण ने उत्तर दिया "स्त्री को विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिये "। यदि उसपर उसका पति अत्याचार करता है, मारता पीटता है तो उसे चुपचाप सहन करना चाहिये । पति उसके लिये पूजनीय है। अतः पुरुष का विरोध पाप है, अपराध है । " अतः इस विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण, स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार मिलने को अनुचित समझते हैं । ग्रामीण पुरुष उत्तरदाताओं ने तो बराबर अधिकार न होने का समर्थन किया है, लेकिन स्त्री उत्तरदाताओं में भी 85% स्त्री उत्तरदाताओं ने स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार न मिलने का समर्थन किया है ।

सारणी संख्या (85) में यह प्रदर्शित किया गया है कि उत्तरदाता जाति व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, जाति व्यवस्था उचित है या अनुचित । सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 70%, 20 से 40 वर्ष तक के 85%, 40 से 60 वर्ष तक के 100% 60 से 80 वर्ष तक के 100% उत्तरदाताओं ने जाति व्यवस्था को उचित बताया है । उनके मतानुसार जाति व्यवस्था

तालिका संख्या (85) जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के मत

(ब) लिंग व विवाह के आधार पर

जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में दृष्टिकोण	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
उचित	67.04% (120)	89.26% (108)	88% (12)	100% (75)
अनुचित	32.96% (52)	10.74% (13)	12% (22)	-

बनी रहनी चाहिये । जाति व्यवस्था समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में पुरुष
उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष तक के 30% 20 से 40 वर्ष तक के 15%
उत्तरदाता तथा स्त्री उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष के 26.08% उत्तरदाताओं
ने इसके समर्थन में अपना मत प्रकट किया । सारणी संख्या (85-ब) के अनुसार
शिक्षित उत्तरदाताओं में 67.04% पुरुष व 88% स्त्री उत्तरदाता तथा
अशिक्षित उत्तरदाताओं में 89.26% पुरुष व 100% स्त्री उत्तरदाताओं ने
जाति व्यवस्था के बने रहने के समर्थन में अपना मत दिया जबकि शिक्षित
उत्तरदाताओं में 32.96% पुरुष व 12% स्त्री तथा अशिक्षित उत्तरदाताओं में
10.74% स्त्री उत्तरदाताओं ने जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजन को
अनुचित बताया है । अतः सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामवासी जाति व्यवस्था
की उत्पत्ति धर्म के आधार पर मानते हैं । एक समाजशास्त्री ने ग्रामीण क्षेत्रों
में जाति और धर्म के सम्बन्ध को जोड़ते हुए कहा है कि "ग्रामवासियों का
कहना है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धर्म से हुई है, इसलिये इसे अवश्य
स्वीकार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त इनके यहां धार्मिक जीवन में व्यक्ति
का स्थान जाति के अनुसार ही निश्चित होता है । पुजारी व पुरोहित वे ही
व्यक्ति होंगे जो हिन्दू सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं ।
ऐसे व्यक्तियों में ब्राह्मण जाति के ही लोग आते हैं अन्य निम्न जातियां ये पद
प्राप्त नहीं कर सकतीं । इसप्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण व्यक्तियों की जाति का
निर्धारण उनके जन्म के आधार पर ही मानते हैं, कर्म के आधार पर नहीं ।
अर्थात जो निम्न जाति में पैदा हुआ है वह उसी जाति का होता है । जातीय
संस्तरण में इस क्षेत्र में ब्राह्मण जाति को सर्वोच्च स्थान, उसके बाद क्षत्रीय
फिर वैश्य और सबसे निम्न स्थान शूद्र जाति को प्राप्त है । जातियों के आधार
पर ग्रामीणों के निवास स्थान भी अलग अलग होते हैं अर्थात ब्राह्मण एक स्थान
पर क्षत्रीय दूसरे स्थान पर बनिये अलग स्थान पर व निम्न जातियां ज्यादातर
एक साथ गांव के बाहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं । ग्रामीणों में जाति के आधार
पर अस्पृश्यता की भावना बहुत अधिक पायी जाती है । उच्च जाति के व्यक्ति
निम्न जाति के ग्रामीणों के यहां भोजन नहीं करते, उनका छुआ पानी नहीं पीते।
साथ निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के बराबर में बैठ नहीं सकते हैं । अगर

तालिका संख्या {86} अन्य जातियों में सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में मत

{अ} लिंग व आयु के आधार पर

आयु समूह	पुरुष उत्तरदाता			स्त्री उत्तरदाता		
	मात्र खान पान द्वारा	वैवाहिक संबंधों द्वारा	किसी भी प्रकार नहीं	मात्र खान पान द्वारा	वैवाहिक संबंधों द्वारा	किसी भी प्रकार नहीं
0-20	50%	15%	45%	15%	5%	80%
20-40	20%	10%	76%	10%	-	90%
40-60	10%	-	90%	-	-	100%
60-80	10%	-	90%	-	-	100%

तालिका संख्या (86) अन्य जातियों में सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में मत

(ब) लिंग व विवाह के आधार पर

अन्य जातियों में सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में मत	पुरुष उत्तरदाता		स्त्री उत्तरदाता	
	विवाहित	अविवाहित	विवाहित	अविवाहित
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं	6.70% (72)	61.98% (75)	60% (15)	86.66% (65)
मात्र खान पान द्वारा नहीं	73.74% (15)	38.02% (46)	20% (5)	13.33% (10)
वैवाहिक संबन्धों के आधार पर	19.55% (35)		20% (5)	

उच्च जाति का व्यक्ति चारपाई पर बैठा है तो निम्न जाति का भूमि पर ही बैठेगा । चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित । श्री एम०आर०देसाई ने ग्रामीण क्षेत्रों की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि" जाति विभिन्नतायें यहां तक कि घरेलू और सामाजिक जीवन के तरीकों में विभिन्नताओं को निश्चित करती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के गृह निवास और सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निश्चित करती है । भू स्वामित्व भी जाति पर आधारित है । अनेक कारणवश प्रशासकीय कार्यों को बहुधा जाति के अनुसार बांटा गया है । आगे जाति ने जटिल धार्मिक और लौकिक संस्कृति प्रतिमानों को भी निश्चित किया है । इसने विभिन्न समूहों के मनोविज्ञान को स्थापित किया और सामाजिक दूरी के निम्न और उच्च सम्बन्धों ने इतने सूक्ष्म वर्गीकृत स्तरों को विकसित किया है कि सम्पूर्ण सामाजिक ढांचा शुण्डाकार स्तम्भ के समान दिखायी पड़ता है । जिसका आधार असंख्य अछूत और शिखर कुछ ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है ।"[44]

सारणी संख्या {86} में उत्तरदाताओं का अन्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में आधार पर मत प्राप्त किये गये हैं । सारणी से स्पष्ट है कि पुरुष उत्तरदाताओं में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 45%, 20 से 40 वर्ष के 79%, 40 से 60 वर्ष की उम्र के 90% तथा 60 से 80 वर्ष की उम्र के 90% उत्तरदाता तथा स्त्री उत्तरदाता में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 80%, 20 से 40 वर्ष तक के 90%, 40 से 60 वर्ष तक के 100% व 60 से 80 वर्ष तक के 100% उत्तरदाता अन्य जातियों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं । जबकि 0 से 20 वर्ष तक की उम्र के 50% पुरुष व 15% स्त्री उत्तरदाता 20 से 40 वर्ष के 20% पुरुष व 10% स्त्री , 40 से 60 वर्ष के 10% पुरुष व 60 से 80 वर्ष के 10% पुरुष उत्तरदाता मात्र खान पान द्वारा अन्य जातियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । विभिन्न जातियों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में 0 से 20 वर्ष की उम्र के 15% पुरुष व 5% स्त्री उत्तरदाता तथा 20 से 40 वर्ष तक के 10% पुरुष उत्तरदाता हैं ।

सारणी संख्या {86-ब} के अनुसार शिक्षित उत्तरदाताओं में 6.70% पुरुष व 60% स्त्री उत्तरदाता तथा अशिक्षित उत्तरदाताओं में 61.98% पुरुष व 86.66% स्त्री उत्तरदाता किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने के मत

में नहीं थे । शिक्षित उत्तरदाताओं में 73.74% पुरुष व 20% स्त्री उत्तरदाता तथा अशिक्षित उत्तरदाताओं में 38.02% पुरुष व 13.33% स्त्री उत्तरदाता मात्र खान पान द्वारा सम्बन्ध स्थापित कर सकने के पक्ष में हैं तथा शिक्षित उत्तरदाताओं में 19.55% पुरुष व 20% स्त्री उत्तरदाता वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में हैं । जबकि अशिक्षित उत्तरदाता वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हैं । ग्रामीणों का मत है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे ईश्वर उच्च जाति में पैदा करता है । (जन्म देता है) । जो निम्न कर्म करता है वह निम्न जाति में जन्म लेता है । अतः जब ईश्वर ने अच्छाइयों व बुराइयों के आधार पर मनुष्य की जाति को स्थिति प्रदान की है तो वह निम्न जातियों से सम्बन्ध स्थापित करके अपना परलोक नहीं बिगाड़ सकता है । ग्रामीणों का यह भी मत है कि अन्य जातियों में खान पान रहन-सहन व सम्बन्ध जोड़ने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जायेगा । धर्म भ्रष्ट हो जाने पर वे पाप के भागी बन जायेंगे । इसीलिए वे जाति व्यवस्था व उनके बीच की दूरी को बना रहना उचित समझते हैं ।

विश्लेषण :-

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परा और धर्म का अत्याधिक महत्व है । इस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है । सामाजिक सम्बन्धों का क्षेत्र सीमित होने के कारण गांव के लोगों का सम्पर्क बाहरी दुनियां से न के बराबर है । इसलिये ग्रामीणों का दृष्टि कोण अत्यन्त संकुचित है । वे परिवर्तनों के साथ नहीं चलते हैं । नई चीजों से दूर भागते हैं । नये विचार तथा प्रणालियों को शीघ्र स्वीकार नहीं करते हैं । और अपनी परम्पराओं को ही आदर्श मान लेते हैं । इस क्षेत्र में ग्रामीण अनेकों अन्ध-विश्वासों और कुसंस्कारों में जकड़े हुए हैं । वे भाग्य पर अधिक भरोसा करते हैं । वह जन्त्र मंत्र, झाड़ फूंक , जादू टोना और दैवी शक्तियों में बहुत विश्वास करते हैं । वे धर्म का खण्डन सुनने को भी/नहीं तैयार होते हैं । उनके अनुसार सब कुछ ईश्वर करता है । उसी की आज्ञा से संसार चला है । इन चीजों में वे आवश्यकता से अधिक विश्वास करते हैं जिसके फलस्वरूप वे धर्म भीरु , अन्ध विश्वासी एवं भाग्यवादी अधिक हैं । पुरानी प्रथाओं

अ ग्रामीणों की धार्मिक आस्था का प्रतीक "यज्ञ कुण्ड"

ब भूमि पर घिसट-घिसट कर परिक्रमा करते ग्रामीण बालक

ग

प्रवचन देते हुए साधु सन्त

द प्रवचन सुनते हुए ग्रामीण

ग्राम में फैली अस्वच्छता का दृश्य

परम्पराओं, रीति रिवाजों में अधिक विश्वास है । वर्तमान व भविष्य की अपेक्षा अपने के भूतकाल में अधिक सुरक्षित समझते हैं । इसलिये वे नये परिवर्तन स्वीकार करने में हिचकते हैं । तथा पुरानी लकीर पीटना पसन्द करते हैं । कभी कभी तो उनकी इस अज्ञानता के कारण महाअनर्थ हो जाता है । परन्तु उन्हें अपनी दुरावस्था के लिये कोई शिकायत नहीं होती है । और नही उस दुरावस्था को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न करते हैं । भाग्य और कर्मफल पर आधारित ग्रामीण जीवन ने व्यक्ति को एक निष्क्रिय प्राणी बना दिया है । धार्मिक विश्वासों के कारण व्यक्ति श्रम को उतना महत्व नहीं दे पाता जो उसकी सफलता के लिये आवश्यक है । ग्रामीण जीवन में जो व्यक्ति जितना साधनहीन है वह उतना ही अधिक धार्मिक और धर्म भीरु है । इसका तात्पर्य है कि ग्रामीण धर्म सम्पन्न व्यक्ति के जीवन व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाता लेकिन उन व्यक्तियों का सबसे अधिक शोषण करने का प्रयत्न करता है जो सबसे अधिक निर्बल और साधन हीन है । यही कारण है कि कुछ विचारक धर्म को भारतीय ग्रामीण जनता के लिये एक अफीम मान लेते हैं ।

तृतीय खण्ड

उपसंहार

उपसंहार :-

वर्तमान शोध कार्य में सामाजिकगतिशीलता के विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया है । किसी भी समाज की संरचना तभी स्पष्ट हो सकती है जब उस समाज की निर्माणक इकाईयों के मध्य एक निश्चित प्रतिमानित सम्बद्धता हो । यह निश्चित प्रतिमानित सम्बद्धता उन इकाईयों के मध्य प्रकार्यात्मक सम्बंधों के आधार पर आती है । जोकि उन्हें क्रियाशील व गतिशील करती हैं । सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए इसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रखी गयी है । इसमें ग्रामीण संरचना के उन समस्त बिन्दुओं को लिया गया है जोकि ग्राम्य जीवन की गतिशीलता में सहायक व बाधक हैं । ग्रामीण समाज या ग्रामीण सामाजिक संगठन तीन प्रकारका होता है । सैद्धान्तिक, आर्थिक और राजनैतिक । इन तीनों में परस्पर सम्बन्धों, प्रभाव, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से ग्राम्य जीवन में गति उत्पन्न होती है अर्थात इन्हें समझना उसकी गत्यात्मकता को समझना है । अतः वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण ,सामाजिक,आर्थिक, जीवन तथा राजनैतिक संगठन के महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करते हुए उनकी सामाजिक संरचना के आधारभूत तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । उक्त शोध अध्ययन की स्पष्टता के लिए "वैज्ञानिक पद्धति" का प्रयोग किया गया है । इसके अन्तर्गत साक्षात्कार, अनुसूची अवलोकन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया है । शोध से सम्बन्धित तथ्यों के एकत्रीकरण के सम्बन्ध में ऐतिहासिक, क्षेत्रीय व सरकारी स्त्रोतों से सूचनायें एकत्र की गयी हैं । सूचनाओं के स्पष्टीकरण के लिये तथ्यों को तालिकाओं ,ग्राफ व चित्रों में प्रदर्शित किया गया है । इस प्रकार एकत्र सम्पूर्ण विवरण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है तथा प्रतिशत प्रणाली द्वारा तथ्यों को स्पष्ट प्रस्तुत किया गया है ।

वर्तमान शोध कार्य के अध्याय दो में जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण परिवारों की गतिशीलता का अध्ययन किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि इस पारिवारिक गतिशीलता का ग्रामीणों के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है । वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट है कि इस

क्षेत्र के ग्रामीण परिवार का स्वरूप अत्यन्त ही परम्परात्मक है । अधिकांशतः परिवारों का स्वरूप संयुक्त है, परिवार में पुरूषों का ही आधिपत्य है । सम्पत्ति पर पुरूषों का अधिकार होता है । पुरूष ही परिवार का मुखिया होता है । जोकि परिवार का शासक, धनोपार्जक, पुरोहित, गुरू, शिक्षक तथा व्यवस्थापक होता है । इन परिवारों में परम्पराओं की प्रधानता होती है । अर्थात वैयक्तिक क्रियाओं तथा सामाजिक नियंत्रण का सर्व प्रमुख आधार परम्परायें हैं । यहाँ राज्य के विधानों को भी उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि जनरीतियों, प्रथाओं तथा विश्वासों के रूप में परिवार की परम्पराओं को । डा० देसाई के अनुसार " ग्रामीण समाज में यदि परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से परम्पराओं की अवहेलना अथवा निन्दा जनक कार्य करता है तो इससे सम्पूर्ण परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाती है । इसी प्रकार एक व्यक्ति के व्यवहारों से यदि उसका यश बढ़ता है तो इसका लाभ उसके परिवार को ही प्राप्त होता है ।[45] इस क्षेत्र में परिवारों का अनुशासन परिवार के सदस्य के लिये अत्यन्त ही कठोर होता है । परिवार के हित में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। इस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा अत्यन्त निम्न कोटि की है ।

वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रभाव से जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों की परम्परागत संरचना तथा इनके कार्यों में हुए परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिले । वर्तमान ग्रामीण परिवार संक्रमण की एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसमें एक ही परिवार के सदस्यों के बीच इसकी संरचना सम्बन्धी आस्था में परिवर्तन व मतभेद उत्पन्न हो गया है । दूसरी ओर संयुक्त परिवार व्यक्ति की परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण अपनी उपयोगिता बनाये रखने में असफल होने लगे हैं । वास्तविकता तो यह है कि आज संयुक्त परिवार के आकार सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों, कार्य की अधिकार व्यवस्था, परम्परागत कार्यों तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है ।

45. A.R. Desai, "Indian Rural Sociology (Ed) p-135

वर्तमान अध्ययन में जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों में संरचनात्मक परिवर्तन के अन्तर्गत, परिवारों के आकार, सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों, कर्ता की स्थिति, सदस्यों के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, स्त्रियों की परिस्थिति तथा सम्पत्तिअधिकार से सम्बन्धित परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में संयुक्त परिवारों के अन्तर्गत व्यापक परिवर्तन हुआ है। बाह्य रूप से ग्रामीण परिवार का रूप आज भी संयुक्त ही है। परन्तु इसका आन्तरिक स्वरूप नया परिवेश ग्रहण कर रहा है। वर्तमान अध्ययन में प्रस्तुत आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अधिकांश ग्रामीण अब संयुक्त परिवार को अपने लिये असुविधाजनक समझने लगे हैं। वर्तमान अध्याय से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में 73% उत्तरदाता संयुक्त परिवार में निवास करते हैं। परन्तु मात्र 35% उत्तरदाता ही संयुक्त परिवार व्यवस्था को उत्तम समझते हैं। जबकि 65% उत्तरदाता एकांकी परिवार व्यवस्था को अच्छा समझते हैं। संयुक्त परिवार के आकार में इस सीमा तक ह्रास हो गया है कि गांव में भी व्यक्ति अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पृथक रूप से रह कर अपने परिश्रम का स्वयं ही पूर्ण उपभोग करने के पक्ष में होता जा रहा है। इसलिये इन परिवारों में वृद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों को जो परम्परागत प्रस्थिति प्राप्त थी उसमें स्पष्ट रूप से परिवर्तन उत्पन्न हो गये हैं। परिवार के अन्दर सदस्यों के शक्ति संस्तरण तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही गांव में परिवार नियंत्रण स्थापित करने वाली सर्व प्रमुख संस्था नहीं रह गयी है। संयुक्त परिवार की संरचना बहुत बड़ी सीमा तक कर्ता के एकाधिकार से सम्बद्ध होती है। परन्तु वर्तमान समय में जिन ग्रामीण परिवार के सदस्य शिक्षित हैं उन परिवारों में कर्ता का एकाधिकार समाप्त हो गया है। शिक्षा ने उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न किया है। अब वे सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्र में कर्ता के आदेशों का शब्दशः पालन करना उचित नहीं समझते। इस प्रकार पारिवारिक निर्णय में कर्ता के बाध्यता मूलक निर्णय के स्थान पर अब जनतांत्रिक निर्णय को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। ग्रामीण संयुक्त परिवार अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप

परिवार के अनेक सदस्य अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय को तथा गांव को छोड़कर कस्बों व नगरों की ओर प्रवास करने लगे हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन होने लगा है । इस प्रकार जब वे स्वतंत्रता के वातावरण का अनुभव कर लेते हैं तो फिर वह अपने संयुक्त परिवार के नियंत्रण में रहना पसन्द नहीं करते हैं ।

वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट है कि इस जनपद के ग्रामीण परिवारों की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि युवा सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि होती जा रही है । अधिकांश परिवारों में आजीविका उपार्जित करने का कार्य युवा सदस्यों के हाथ में आ गया है जिसके फलस्वरूप विवाह, सम्पत्ति , और पारिवारिक नियंत्रण सम्बन्धी क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है । बच्चों के सामाजीकरण , शिक्षा एवं विवाह से सम्बन्धित निर्णयों में परिवार के बड़े बूढ़े सदस्यों का दबाव कम होता जा रहा है और इसके स्थान पर युवा सदस्यों के प्रभाव में वृद्धि हुई है । इसी स्थिति से परिवार में नई व पुरानी पीढ़ियों के बीच संघर्ष ने भी जन्म ले लिया है । नवीन सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों के परम्परागत संस्तरण में परिवर्तन हो गया है । परम्परागत ग्रामीण परिवार में प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ और त्यागपूर्ण रूप से असीमित दायित्वों को पूरा करने के लिये तैयार रहता था लेकिन आज नई पीढ़ी के व्यक्ति परिवार के असीमित दायित्वों को ग्रहण करना अपने लिये अनिवार्य नहीं समझते । आज अधिकांश परिवारों के सदस्य सामान्य हितों के लिये अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करने के लिये तैयार नहीं होते । इस प्रकार ग्रामीण परिवारों में व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप गांव में अब परिवारात्मक जैसी विशेषता समाप्त होती जा रही है । अर्थात अब अधिकांश व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास का समर्पण करने के लिये तैयार नहीं हैं । ग्रामीण परिवारों में सामूहिकता का परम्परागत रूप भी तेजी से बदल रहा है औरइसके स्थान पर लघु इकाइयों के प्रति व्यक्तियों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है । जिसके परिणामस्वरूप

इस क्षेत्र में पुरानी व नई पीढ़ियों के बीच विरोध और तनाव की दशायें उत्पन्न होने लगी हैं ।

वर्तमान अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण पारिवारिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों की स्थिति को भी एक०logue की निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

परिवार	
तब	अब
1. परिवार की अखण्डता और संतति पर बल	व्यक्तिवाद में वृद्धि
2. भूमि और गांव से अटूट लगाव	प्रव्रजन में वृद्धि
3. परिवार के भीतर के सम्बन्ध आयु और संबन्धित स्थिति से शासित	इन परम्परागत सिद्धान्तों में आस्था का क[illegible] होना ।

परिवार के संगठन में परिवर्तित परिस्थितियों और परिवर्तनशील अभिवृत्तियों ने कुछ महत्वपूर्ण अन्तर ला दिये हैं । उन्हें सांख्यकीय रूप में रखना तो कठिन होगा किन्तु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में परिवार की संगठित व्यक्तिवाद की भावना के बढ़ने से कुछ कम हुई है । इसी कारण परिवार की एकता पर उल्टा असर पड़ा है । लोगों को अपने गांव की मिट्टी से उतना लगाव नहीं रहा और उसके फलस्वरूप उनकी गतिशीलता बढ़ गयी है । युवा व्यक्तियों में विशेष रूप से उनमें जिन्होंने कुछ शिक्षा पाई है या जिनका शहर से सम्पर्क है, शहर जाने की इच्छा की अभिव्यक्ति अत्याधिक होने लगी है । लोगों की सामान्य अभिवृत्तियां एवं उनकी जीवनियों को लिपिबद्ध करते समय दो प्रकार के समूह के लोगों की अभिवृत्तियों में अन्तर स्पष्ट दिखाई

पड़ा । यद्यपि बूढ़े और मध्यम आयु के अधिकांश निरक्षर लोगों ने ग्राम जीवन की असुविधाओं की शिकायत की फिर भी वे यही मानते रहे कि उनके लिये जीवन जीने का यही ढंग सम्भव है । दूसरी ओर युवा व्यक्ति शहर और उसके अनगिनत आकर्षणों को आदर्शीकृत करते हैं और ग्रामीण लोगों के गंवार जीवन के प्रति अपनी तिरस्कार की भावना को छिपाने का कोई यत्न नहीं करते । अभिवृत्तियों और पसंद में आये इस परिवर्तन ने जहाँ एक ओर युवा लोगों को शहर में छोटी नौकरियों के लिये जाने को प्रोत्साहित किया है तो दूसरी ओर इसने परिवार के भीतर असामंजस्य और विसम्मतियों को बढ़ावा दिया है । जिससे कि वे स्थापित सिद्धान्तों से विचलित हो गये हैं जिनमें कि प्राथमिकतायें और सुविधायें आयु और संबन्धित स्थिति के आधार पर दी जाती थी । सेना में नौकरी या शहर के रेस्तरां में काम एवं व्यक्तियों के प्रभाव ने इन सब में वृद्धि की है पर अभी भी ऐसी मनोवृत्ति वाले युवा लोग अपने समूह के दस से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हैं ।"[46]

उपरोक्त परिवर्तनशील परिस्थितियां मात्र उन्हीं परिवारों में दिखाई दीं जिन परिवारों में शिक्षा का प्रवेश हो गया है तथा जो परिवार औद्योगीकरण, नगरीकरण व आधुनिकीकरण की नयी नयी प्रवृत्तियों से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके हैं । जो स्वच्छन्द प्रवृत्ति का काफी विकास कर चुके हैं । जबकि इस जनपद के अधिकांश ग्रामीण परिवार आज भी परम्परागत हैं और कार्यों धारणाओं आदि की दृष्टि से आज भी अधिकांश ग्रामीण परिवार रूढ़िवादी हैं परन्तु प्राचीनता के भंवर में फंसे हुए इन परिवारों में जिनकी संख्या बहुत अधिक है में आधुनिक प्रवृत्तियाँ प्रवेश पाने लगी हैं । फिर भी इनमें परम्परागत और रूढ़िगत चरित्र ही प्रबल हैं । इसीलिए इन परिवारों में प्राचीनता और आधुनिकता के बीच रस्साकशी चल रही है । परिणाम स्वरूप इन ग्रामीण परिवारों में संघर्ष व तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी है । ये परिवार रूढ़िगत परम्पराओं से होने वाली असुविधाओं को तो स्वीकारते हैं फिर भी वे यही मानते हैं कि उनके लिए जीवन जीने का यही ढंग है । इससे यह स्पष्ट होता है कि ये ग्रामीण वर्तमान युग में परिवार के परम्परागत स्वरूप के असामंजस्य पूर्ण प्रकृति के बारे में अनुभव करते व सोचते हैं परन्तु उन परम्परागत

46.S.C.Dubey,"Indian Village," p-223

परंपराओं को छोड़ना इनके लिये दुष्कर कार्य है। इसलिये यह ग्रामीण परिवार व्यक्ति की, परिवार की तथा समाज की गतिशीलता में बाधक होते हैं। संयुक्त परिवारों के विषय में कहा गया श्री पणिक्कर का यह कथन – जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों की वास्तविकता को स्पष्ट करता है।
श्री पाणिक्कर के अनुसार, "यह उस प्राथमिक समुदाय की कैंचुल है जिसने मनुष्य के मस्तिष्क में समाज की धारणा का उदय होने से पहले ही अपने चारों ओर रक्त सम्बन्धों और आर्थिक अनुरूपता की दीवार खड़ी कर ली।"[47] इससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र के ग्रामीण रूढ़िवादी नियमों को धर्म का अंग मानकर व्यक्ति को अपनी स्थिति में किसी प्रकार की सुधार की अनुमति प्रदान नहीं करता है।

अतः वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस जनपद के कुछ ग्रामीण परिवारों में गतिशीलता की प्रवृत्ति है। लेकिन अधिकांश परिवार, गतिशीलता में बाधक ही हैं।

वर्तमान अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण परिवारों में समस्त गतिशीलता का स्वरूप दिखायी दिया अर्थात इन परिवारों की न तो सामाजिक, न आर्थिक और न ही सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ बल्कि मात्र परिवार के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों, व धारणाओं में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है।

प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन तीन में सामाजिक गतिशीलता के परिवेश में जनपद फतेहपुर की आर्थिक, गतिशीलता को लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था पर औद्योगीकरण व यंत्रीकरण के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के 80% व्यक्ति मात्र कृषि के द्वारा जीविका उपार्जित करते हैं। शेष कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगे हैं। कृषि करने वाली जनसंख्या में अधिकांश व्यक्ति स्वयं भूमि के स्वामी हैं। जबकि कुछ कृषक साझेदार अथवा श्रमिक के रूप में एक निश्चित समझौते के आधार पर कृषि करते हैं। जनसंख्या का विस्तृत भाग प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर होने के बाद भी खेती की दशा अत्यन्त शोचनीय है। प्रस्तुत आँकड़ों से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र की प्रति बीघा

47. के0एम0पणिक्कर, "हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर, पृ0-18-19

उपज अत्यन्त ही कम है । चूँकि कृषि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत है इसलिए इससे उत्पादित अन्न से ही वे अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । परन्तु वर्तमान समय में इससे उनकी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही हैं । इसका सर्व प्रधान कारण यह है कि यहां के कृषकों के पास भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं । भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण अधिकांश कृषकों के पास आर्थिक जोत नहीं है अर्थात् एक कृषक के पास इतनी भूमि नहीं है कि उसका पूरा परिवार तथा एक जोड़ी बैल पूरा काम पा सके और उनसे इतनी आय हो सके कि जिससे एक परिवार साधारण रहन सहन के दर्जे में अपना निर्वाह कर सके । कृषि के पिछड़े पन का दूसरा कारण यहां खेती करने का ढंग अत्यन्त पुराना तथा अवैज्ञानिक है । बीज बोने से लेकर फसल बेचने तक का सम्पूर्ण कार्य इतनी पुरानी और पिछड़ी हुई प्रविधियों के द्वारा किया जाता है कि गांव में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत निम्न रहजाता है । तीसरा कारण कृषि में सुधार हेतु इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी प्रयास किये गये हैं वे कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं उसका कारण यह है कि खेती से सम्बन्धित जितने भी कृषि बीज भण्डार, सहकारी समितियां तथा ग्राम सुधार समितियां हैं उन सभी में इतनी अव्यवस्था है कि कृषक उन्हें अपने लिये अनुपयुक्त समझता है । अतः कृषि कार्य के पिछड़े पन के कारण अधिकांश व्यक्ति गांव छोड़कर नगरों की ओर आकर्षित होने लगे हैं । वे अपनी भूमि या तो बंटाई पर दे रहे हैं अथवा उसे बेच रहे हैं । इस क्षेत्र में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं द्वारा भुगतान की परम्परा आज भी प्रचलित है । ग्रामीण अपने जीवन से सम्बन्धित आवश्यक वस्तुएँ जैसे -साग, सब्जी, फल, बिस्कुट, नमकीन, सुई-धागा, कलम-दवात, झाड़िया, छोटी-मोटी बीमारियों की दवाइयों आदि का क्रय गेंहू, जौ, चना व अन्य अनाजों के बदले में करता है । गांव के भू स्वामी एक निश्चित अवधि के लिये भूमिहीन कृषकों को अपनी भूमि का कुछ हिस्सा कृषि के लिए दे देते हैं लेकिन जब उनकी सेवा की अवधि समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनसे भूमि वापस ले ली जाती है । गांव के श्रमिकों को मजदूरी के रूप में अनाज देने का प्रचलन है । जजमानी व्यवस्था के आधार पर गांवों में आज भी विभिन्न जातियां अपनी सेवायें प्रदान करती हैं । कुम्हार ,लोहार और सुनार

गांव में सभी जातियों को अपनी सेवायें प्रदान करते हैं।

ग्रामीणों के परम्परागत व्यवसायों में गतिशीलता इस क्षेत्र के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने का सर्व प्रमुख कारण है। गांव में अधिकांश व्यक्ति अपने परम्परागत कार्य व व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसायों को करने लगे हैं। उनकी सेवायें केवल उनके गांव तक सीमित न रहकर अन्य गांवों में भी फैली हुई हैं। चूंकि परम्परागत ग्रामीण संरचना आत्मनिर्भर थी इसीलिए एक आत्म निर्भर इकाई के रूप में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम के अन्दर ही कर लेता था। विभिन्न लेखों, आंकड़ों व बुजुर्गों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता से पूर्व इस जनपद के ग्राम पूर्णतः आत्म निर्भर थे तथा गांवों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। यह सभी वस्तुयें जनपद में उपलब्ध कृषि, वन,बाग, पशु और खानियों से प्राप्त कच्ची सामग्री पर आधारित थी। परन्तु आज वही ग्राम निर्भरता विपन्न हो गये हैं। इसी कारण ग्रामीणों के परम्परागत व्यवसायों का दायरा ग्रामों से निकल कर बाहरी क्षेत्र में भी फैलता जा रहा है। परम्परागत रूप से इस ग्रामीण समुदाय में पैतृक व्यवसाय को आवश्यक समझा जाता था। लेकिन आज इस सम्बन्ध में ग्रामीणों की धारणायें बदलने लगी हैं। वास्तविकता तो यह है कि गांवों में आज वे ही व्यक्ति परम्परागत व्यवसाय को कर रहे हैं जिन्हें अन्य व्यवसाय करने का अवसर नहीं मिल सका है। व्यवसाय तथा मनोवृत्तियों से सम्बन्धित परिवर्तनों के प्रभाव से प्रत्येक गांव के लोग अपने गांव की सीमा से बाहर अनेक गांवों और क्षेत्रों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर उनके साधनों में वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी ओर उनके सामुदायिक और मानसिक तनाव पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गये हैं। फलस्वरूप ग्रामीणों के पारस्परिक एवं घनिष्ठ सम्बन्धों में शिथिलता व कृत्रिमता आती जा रही है।

औद्योगीकरण व यंत्रीकरण के प्रभाव से जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। वर्तमान समय में औद्योगीकरण व यंत्रीकरण ने ग्रामवासियों की सामाजिक ,राजनैतिक और

आर्थिक पहलुओं पर विशेष प्रभाव डाला है । यंत्रीकरण का मानव जीवन पर प्रभाव को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि "यंत्रीकरण प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने एवं उत्पादन करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके द्वारा वे अपने जीवन को पालते हैं । इसके द्वारा वे अपने सामाजिक सम्बन्धों के प्रकारों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली मानसिक धारणाओं को व्यक्त करते हैं । इसी प्रकार प्रसिद्ध समाज शास्त्री ग्रीन ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्ध में लिखा है कि "यांत्रिक परिवर्तन सामाजिक मूल्यों और आचार सम्बन्धी नियमों को प्रभावित करता है ।"[48]

वर्तमान युग में औद्योगीकरण व यंत्रीकरण से नयी नयी मशीनों का प्रादुर्भाव हुआ । जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि के नये नये तरीके एवं यंत्रों का प्रयोग शुरू हो गया है । चूंकि इसका प्रतिशत अभी बहुत कम है। लेकिन इसके प्रभाव से ग्रामीणों की मानसिकता व उनके दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आया है । ग्रामीणों के मध्य श्रम की महत्ता कम होती जा रही है । उत्पादन की घरेलू पद्धतियों का विनाश हुआ है । परम्परागत ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कुटीर उद्योगों पर निर्भर था परन्तु बड़ी मात्रा में उत्पादन से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण ग्रामीण उद्योग धन्धे नष्ट हो गये हैं जिसके फलस्वरूप गांव में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी है । परिणाम स्वरूप गांव से बाहरी क्षेत्र में जाकर कल कारखानों में ग्रामीण कार्य करने लगे हैं जिससे उनकी स्थिति व अर्जन शक्ति में भेद उत्पन्न हुआ है । औद्योगीकरण व यंत्रीकरण ने लोगों के विश्वास दृष्टिकोण एवं परम्पराओं को प्रभावित किया है । इसके परिणाम स्वरूप उनके पारिवारिक सम्बन्धों में भी परिवर्तन हुआ है । कार्यों में परिवर्तन व सामाजिक क्षेत्रों के विस्तृत होने से ग्रामीणों में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है । जिससे ग्रामीणों के सामुदायिक जीवन की स्थिरता तथा अनौपचारिक सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । औद्योगीकरण के कारण श्रम विशेषीकरण का बढ़ना, कार्य की निश्चित अवधि, जीवन की गति में वृद्धि

प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि , प्राचीन हस्तकला का ह्रास ,तकनीकी लोगों एवं कारीगरों का उदय, मानव के स्थान पर मशीनों द्वारा कार्य आदि ने सामाजिक परिवर्तन की गति को बढ़ाने में बहुत मदद की है । इसके परिणामस्वरूप वर्ग संरचना एवं वर्ग स्तर में विभिन्नता का जन्म हुआ है, स्थानीय लोकरीतियोंका ह्रास हुआ, पट्टीदारी एवं पुराने परिवारों की स्थितियों परिवर्तन हुआ है औद्योगीकरण व यंत्रीकरण ने जहां ग्रामीणों के अन्धविश्वास को कम करने में ग्रामीण की सहायता की है वहीं इसने सांस्कृतिक अस्थिरता की समस्या को भी जन्म दिया है । सांस्कृतिक सीमा की अनुपस्थिति में ग्रामीणों में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं । इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि गांव में साम्प्रदायिकता जातिगतदूरी, क्षेत्रवाद तथा परम्परागत व्यवहारों का अधिक महत्व नहीं रहा है । गांवों में धर्म,प्रथा, और परम्परा का प्रभाव घट जाने के कारण अब कोई ऐसा आधार नहीं बचा है जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाये रखा जा सके । इन सभी असुरक्षाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ी असुरक्षा है जिसने सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन को विक्षिप्त कर दिया है । यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ता हुआ आर्थिक अन्तर भी ग्रामीण जीवन की आर्थिक आत्म निर्भरता को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है । अतः स्पष्ट है कि औद्योगीकरण व यंत्रीकरण ने जनपद फतेहपुर के परम्परागत ग्रामीण संरचना अर्थ व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं तथा व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है । यह प्रभाव जहां अनेक क्षेत्रों में रचनात्मक है वहीं इसके फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है । उक्त शोध कार्य से यह भी स्पष्ट है कि इस जनपद की आर्थिक गतिशीलता इसकी सामाजिक गतिशीलता का सबसे बड़ा कारक है ।

वर्तमान शोध कार्य के अध्याय चार में जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक गतिशीलता को स्पष्ट किया गया है । इस जनपद में अभी कुछ समय पूर्व तक शिक्षा के लिये कोई संस्था नहीं थी । शिक्षा का स्वरूप एक ऐसी अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित था जो केवल जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सहायक था । विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिये कोई विशिष्ट संस्थायें नहीं थीं । कृषि उद्योग तथा व्यवसायों

का ज्ञान भी पाठशालाओं में नहीं दिया जाता था । परिवार के वयोवृद्ध तथा अनुभवी सदस्यों द्वारा ही परिवार के सदस्यों को यह ज्ञान प्रदान किया जाता था । व्यक्ति का अधिकांश जीवन परिवार और जाति तक ही सीमित होने के कारण व्यक्ति के लिए ऐक ऐसी शिक्षा को आवश्यक समझा जाता था जो उसे अपनी संस्कृति तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के स्वरूप से परिचित करवा सके । नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा देने का कार्य पुरोहितों एवं उपदेशकों का था । परिवार, जाति तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित धार्मिक,समारोहों, त्योहारों और उत्सवों में ग्रामीणों को लौकिक , धार्मिक एवं कलात्मक जीवन की शिक्षा पैतृक आधार पर प्राप्त होती थी । ग्रामीण जीवन की यह सम्पूर्ण शिक्षा धर्म प्रधान थी जिसमें व्यक्तिवादिता एवं धन संचय का कोई महत्व नहीं था । यह शिक्षा एक ओर व्यक्ति को प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करना सिखाती थी तो दूसरी ओर पौराणिक गाथाओं के आधार पर व्यवहारों का निर्धारण करने एवं समूह के अनुकूलन करने पर बल देती थी । इसका प्रमुख उद्देश्य परम्परागत संस्कृति के सन्दर्भ में व्यक्ति का विकास करना था ।

वर्तमान जीवन में भी इस जनपद में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं हो सका है । सम्पूर्ण जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण की पर्याप्त संस्थायें नहीं हैं । तथा शिक्षा का जो स्वरूप है वह आज भी परम्परागत है । शिक्षा का जो स्वरूप है वह वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुपयोगी है । फलस्वरूप ग्रामों में अशिक्षा का साम्राज्य है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली गांव के मध्य वर्ग के और संभ्रान्त परिवारों के बच्चों तक ही सीमित है । क्योंकि अधिकांश ग्रामीण परिवार , निर्धनता, सामाजिक रूढ़ियों और अंध - विश्वासों के कारण अशिक्षित हैं । इस क्षेत्र के ग्रामीण आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वे शिक्षा के कार्य को वहन नहीं कर सकते हैं । वे निर्धनता की सीमा रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । इस कारण शिक्षा के लिए धन व्यय करना उनके लिए असंभव है । साथ ही निर्धन होने के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य कृषि कार्य में व किसी न किसी उद्योग धन्धे में

लगा होता है । ऐसे में यदि वह अपना कार्य छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने में लग जाता है तो एक तरह से उस परिवार में एक अर्जन करने वाले सदस्य की कमी हो जाती है । ऐसे में शिक्षा की अपेक्षा उन्हें काम करके रोटी कमाना अधिक उपयोगी लगता है । ग्रामीण मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा उन्हें देती ही क्या है । ग्रामीण जीवन से घृणा, शारीरिक परिश्रम से अरुचि और बेकारी ।

वर्तमान शिक्षा का धर्म-निरपेक्ष और उदारता वादी दृष्टिकोण ग्रामीणों को अपने धर्म, मूल्यों व मान्यताओं का विरोधी प्रतीत होता है । उनके मन में यह धारणा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति धर्म विरोधी हो जाता है , अपनी प्रथाओं परम्पराओं का आलोचक हो जाता है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना भूल जाता है, इस कारण वे शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक नहीं समझते । इस क्षेत्र की ग्रामीण स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत नगण्य है । स्त्रियों का कार्य क्षेत्र मात्र घर की चहार दीवारी तक ही सीमित है । इस कारण शिक्षा उनके लिए आवश्यक नहीं समझी जाती । इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीणों के लिए शिक्षा का स्वरूप सैद्धान्तिक न होकर कृषि परम्परागत व्यवसाय तथा सांस्कृतिक लोका से सम्बन्धित ही है । व्यक्ति को आरम्भिक जीवन से ही अपने परिवार,नातेदारी, समूह तथा जाति पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं तथा सामाजिक व्यवहारों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है । त्योहारों, उत्सवों तथा कर्मकाण्डों के समय व्यक्ति को वह सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिसका ग्रामीण जीवन में विशेष महत्व है । ग्रामीण जीवन में आज भी सैद्धान्तिक शिक्षा अधिक आवश्यक इसलिए नहीं समझी जाती कि ऐसी शिक्षा का कृषि व्यवसाय में कोई उपयोग नहीं है । वास्तव में एक ग्रामीण अपने लड़कों को अधिक से अधिक हाई स्कूल या इन्टर तक पढ़ा पाता है । लेकिन जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उस शिक्षा का उसके लिए कोई उपयोग नहीं रह जाता है । और बाहरी क्षेत्र के प्रभाव से वह अपने परम्परागत कार्यों को करना पसन्द नहीं करता है । इसीलिए ग्रामीणों के मन में शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है तथा अधिकांश ग्रामीण निरक्षर हैं । परन्तु ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों के मन में शिक्षा के

प्रति पूर्णतः अरुचि हो । शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों की मनोवृत्ति में थोड़ा परिवर्तन आया है जिससे पहले की अपेक्षा निरक्षरता का प्रतिशत थोड़ा बहुत गिर गया है । फलस्वरूप शिक्षा के प्रति ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होते दिखायी दे रहे हैं । पहले तो लगभग सभी ग्रामीण यही कहते थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ा कर क्या करेंगे । "पढ़ने से व्यय होता है, आर्थिक कार्यों में हानि होती है, लड़कों के दिमाग आसमान पर चढ़ जाते हैं , लड़के फिजूलखर्ची बन जाते हैं । परन्तु अब अधिकांश ग्रामीण इस बात को महसूस करने लगे हैं कि शिक्षा उनके व उनके बच्चों के लिए आवश्यक है । ग्रामीणों में इस बात की चेतना आने लगी है कि यदि उसे अपने पांव पर दूसरों के मुकाबले खड़ा होना है , अपना जीवन सुख सुविधा युक्त बनाना है तो उसे शिक्षित होना पड़ेगा । अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा ।

वर्तमान युग में अनेक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा, सिलाई, बुनाई, मातृत्व तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है लेकिन ग्रामीण जीवन की परम्परावादिता के कारण इसके प्रति ग्रामीणों की रुचि में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है । इसके पश्चात यह भी सच है कि ग्रामीण शिक्षा का स्वरूप अब धीरे धीरे बदलने लगा है । कुछ गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विद्यालय स्थापित हो जाने के फलस्वरूप नई पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था में रुचि लेने लगी है लेकिन यह औपचारिक शिक्षा उनके जीवन प्रतिमानों में अधिक परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकी है ।

वर्तमान शोध कार्य के अध्याय पांच में फतेहपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक गतिशीलता के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। ग्रामों के राजनैतिक जीवन की मूल इकाई ग्राम पंचायतें होती हैं । इस जनपद में ग्रामपंचायतों का स्वरूप परम्परागत ही है । गांव की सम्पूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व पंचायतों के ऊपर ही होता है । पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, न्याय तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों को करती हैं । परन्तु आज इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के प्राचीन स्वरूप व वर्तमान स्वरूप में बहुत अन्तर हो गया है । पहले पंचायतें गांव की

भलाई के लिये कार्य करती थीं , सामुदायिक समस्याओं के लिए प्रयास करती थीं एवं समुदाय के सदस्य के व्यवहार पर नियंत्रण रखती थीं लेकिन वर्तमान समय में इस क्षेत्र में पंचायतें नाम मात्र को एक संस्था के रूप में रह गयी हैं । सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायतों के प्रति राज्य सरकार उदासीन है जिससे उसके पास प्रशासनिक वित्तीय साधनों की कमी है । पंचायतों के पास साधनों की कमी होने के कारण वे ग्रामों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं । इस क्षेत्र में पंचायतों में शिक्षित, योग्य व कुशल व्यक्तियों का अभाव है । चूँकि इस क्षेत्र के व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं । इस कारण योग्य व कुशल व्यक्ति पंचायतों में व उसके कार्यों में भाग न लेकर अपने व्यवसाय में लगे होते हैं । और इसे बेकार का समय बरबाद करने वाला कार्य समझते हैं । आर्थिक दुर्बलता के कारण ग्रामीण रोटी की चिन्ता में लगा रहता है और न तो पंचायतों को कोई सहयोग देता है और न ही पंचायतों में भाग लेता है । वर्तमान समय में पंचायतों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक है जिसके फलस्वरूप पंचायतों में दलबन्दी की समस्या ने जन्म लिया है । परिणाम स्वरूप पंचायतों के सदस्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते हैं । पंचायतों के प्राचीन व वर्तमान स्वरूप में हुए परिवर्तन को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायतें

तब	अब
1. अनुवांशिक सिद्धान्तों पर गठित	अर्जित स्थिति वाले व्यक्ति को भी प्रवेश देती हैं ।
2. बाहर का हस्तक्षेप कोई नहीं	बाहरी दबाव बहुत अधिक
3. निर्णय आमतौर पर स्वीकृत	उनकी अवज्ञा करना व टालना सम्भव नहीं[49]

49. S.C. Dubey, " Indian Village, " p-222

जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से राजनैतिक जागरूकता भी आई है । ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगे हैं । वे अपने मताधिकारी के महत्व को समझने लगे हैं । अब अक्सर गांव की चौपालों पर देश की राजनीति पर बहस करते हुए ग्रामीण मिल जाते हैं । राजनैतिक दलों द्वारा गांव में अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ाने के परिणाम स्वरूप उनमें राजनैतिक जागरूकता व अधिकारों के प्रति चेतना तो अवश्य बढ़ी लेकिन गुटवाद में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । ग्रामीण इस बात को समझने लगा है कि कौन सी व्यवस्था ठीक है , कौन सी नहीं । लेकिन यह चेतना मात्र उन्हीं ग्रामीणों में आयी है जोकि आर्थिक रूप से सबल व उच्च वर्ग के हैं । इन्हीं का गांव पर प्रभावशाली प्रभुत्व होता है और अन्य ग्रामवासी इन्हीं से प्रभावित हैं । अन्य ग्रामवासी आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण इनका विरोध नहीं कर पाते हैं । फिर भी ग्रामीणों में राजनैतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है । परन्तु ग्रामीण स्त्रियों में राजनीति के प्रति जानकारी शून्य है । उन्हें राजनीति , शासन व्यवस्था आदि क्या चीज है इसकी भी जानकारी नहीं है । स्त्रियों में राजनैतिक जागरूकता नाम मात्र को भी नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि इस क्षेत्र की सम्पूर्ण ग्रामीण संरचना का राजनैतीकरण हो चुका है । वर्तमान युग में सामूहिक निर्णयों तथा नीति निर्धारण के क्षेत्र में जाति तथा धर्म का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि बहुमत का । नई मतदान प्रणाली के प्रभाव से गांव में गुटबन्दी, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सत्ता से सम्बन्धित समस्याओं में वृद्धि हुई है । इसका तात्पर्य गांव का गुट समाज अब गुटबन्दी में परिवर्तित हो रहा है । अन्त में जनपद फतेहपुर की राजनैतिक गतिशीलता के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र की राजनैतिक गतिशीलता अस्पष्ट व अस्थायी है इसीलिये यह इस क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता का कारक नहीं बन सकी है ।

वर्तमान अध्ययनके छठें अध्याय में जनपद फतेहपुर की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिये सामाजिक विसंगतियों का अध्ययन किया गया है तथा उन विसंगतियों को जानने का प्रयास किया गया है जो इस क्षेत्र

की गतिशीलता में बाधक है । जनपद फतेहपुर के ग्रामों में वर्तमान समय में भी धर्म, परम्परा और रूढ़िवादिता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह लोग परम्परा को ही आदर्श मानते हैं । समाज के अन्दर परिवर्तन और नवीनता इन्हें प्रिय नहीं है । इसका कारण इनमें शिक्षा का नितान्त अभाव है । स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होना, अन्तर्जातीय विवाहों की आज्ञा मिलना, विधवा विवाहों की आज्ञा मिलना इत्यादि नये कानून व परिवर्तन इन्हें बिल्कुल पसन्द नहीं हैं क्योंकि ये लोग रूढ़िवादी व परम्परावादी हैं । अशिक्षा के कारण यह लोग अन्धविश्वासों और कुसंस्कारों के पंक में दबे रहते हैं । इसीलिए ये लोग भाग्यवादी होते हैं । कोई दुख इनके ऊपर आता है तो यह कहकर चुप हो जाते हैं कि" अरे ये तो अपना भाग्य है भाई" इनको अपनी दुरावस्था से कोई शिकायत नहीं रहती और न ही ये इसको सुधारने का कोई प्रयत्न करते हैं । कूप मंडूक की भांति जहां ये पड़े हैं आज भी वहीं पड़े हैं । साथ ही साथ आय व शिक्षा कम होने के कारण उनका जीवन स्तर भी नीचा है ।

फतेहपुर के ग्रामीण समुदाय में जो नवयुवक हैं उनमें धार्मिक क्रिया-कलापों व कर्मकाण्डों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है । गांव में जो पुरोहित वर्ग धर्म के कर्मकाण्डीय स्वरूप को स्थायी बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। उसी वर्ग के परिवारों के शिक्षित युवक उन परम्परागत धार्मिक विश्वासों को अपने लिये अनुपयोगी समझने लगे हैं । इससे न केवल धार्मिक विश्वास का प्रभाव कम हुआ है बल्कि धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला है । अब वे जादू टोना, प्राकृतिक प्रकोप व अंधविश्वासों से सम्बन्धित गाथाओं पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते बल्कि अपनी सफलता और असफलता का मूल्यांकन तर्क के आधार पर करने लगे हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गांवों में नव युवक वर्ग व शिक्षित वर्ग पर से धार्मिक रूढ़ियों व कर्मकाण्डों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है अथवा वे पूर्णतया आधुनिक हो गये हैं । वास्तविकता तो यह है कि धर्म का कर्मकाण्डीय स्वरूप शिथिल पड़ गया है । आज भी गांव

में उत्सव एवं देवी देवताओं के पर्वों को अत्याधिक उत्साह से मनाया जाता है लेकिन ऐसे आयोजनों से सम्बद्ध विधि विधानों, विश्वासों एवं मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन हुए हैं ।

उपरोक्त सम्पूर्ण अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता की गति अत्यन्त धीमी है । ग्रामीणों की पारिवारिक गतिशीलता, आर्थिक गतिशीलता, शैक्षणिक गतिशीलता तथा राजनैतिक गतिशीलता इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है । लेकिन आर्थिक गतिशीलता सबसे अधिक प्रभावी कारक है । क्योंकि जिन ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है उनकी सामाजिक स्थिति भी उच्च हुई है । जिसके कारण उनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आया है । उन्होंने समाज में हुए परिवर्तनों को स्वीकारा है जिससे इस क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है । चूंकि इस क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर हैं । इस कारण उनमें परिवर्तन की गति धीमी है । इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में समतल गतिशीलता का स्वरूप देखने को मिला है । जबकि शैक्षणिक गतिशीलता में उर्ध्व गतिशीलता का रूप दृष्टिगोचर होता है । इस क्षेत्र में गतिशीलता तो आई है लेकिन इसकी गति अत्यन्त धीमी है । इस जनपद में ग्रामीणों की निर्धनता, अशिक्षा, परम्परावादी दृष्टिकोण तथा धार्मिक कर्मकाण्डता आदि कारक इसकी सामाजिक गतिशीलता में बाधक तत्व हैं ।

सुझाव :-

वर्तमान शोध अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण समुदाय परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं परन्तु ग्रामीण समुदाय पर परिवर्तनों का तथा परिवर्तित हुए समुदायों पर रीतियों, प्रथाओं व परम्पराओं का जो प्रभाव पड़ा है उससे इस क्षेत्र में अनेक ऐसी धारायें उत्पन्न होने लगी हैं जो लक्ष्यों की पूर्ति होने के साथ व्यक्ति और समूह के लिये सामाजिक समायोजन में गम्भीर बाधायें उत्पन्न करने लगी हैं । ग्रामीण जीवन अनेक क्षेत्रों में गतिशील होने के साथ

अनेक नवीन समस्याओं से ग्रसित हो गया है । गांव का सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन विभिन्न समस्याओं का शिकार बन गया है । वर्तमान परिस्थितियों में रूढ़िवादिता, पारस्परिक संघर्ष, बेकारी, ऋणग्रस्तता, अस्पृश्यता तथा जातीय गुटबन्दी आदि वे समस्यायें हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक व्यापक असन्तोष को जन्म दिया है । इस क्षेत्र की 90% समस्याओं को जन्म देने वाली प्रमुख समस्या है अशिक्षा तथा निर्धनता । शोध सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है ।

(1) अशिक्षा के कारण जो आज बहुत से कुसंस्कार गांव वालों में पाये जाते हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिये उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा । अतः ग्रामीण शिक्षा योजना इस प्रकार की होनी चाहिये जो ग्रामीणों में मानसिक क्रान्ति उत्पन्न कर दे और जो उनकी सर्वांगीण उन्नति में सहायक हो । इसके लिये शिक्षा पद्धति के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा । शिक्षा को ग्रामीणों के लिये उपयोगी तथा उद्देश्य युक्त बनाना होगा । इस प्रकार ग्रामीणों के लिये वही शिक्षा उपयोगी हो सकती है जो किसी खास लक्ष्य को सामने रख कर दी जा सके ।

(2) शिक्षण कार्य उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये जो कि शिक्षा के महत्व तथा उसकी आवश्यकता को समझते हों । इस क्षेत्र में शिक्षण कार्यको शिक्षक जीविकोपार्जन के लिये पेशामात्र ही समझते हैं ।

(3) शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये जो ग्रामीण जीवन तथा परिस्थिति के अनुकूल हो ताकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ग्रामीण, अपने ग्रामीण वातावरण तथा शारीरिक परिश्रम से घृणा न कर सके ।

(4) ग्रामीण जीवन में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिये यह आवश्यक है कि गांव वालों को पढ़ने लिखने के लिये आवश्यक सामग्री निरन्तर मिलती रहे । इसके लिये गांव की ग्राम पंचायतों

में पुस्तकालयों तथा वाचनालय अवश्य होना चाहिये जिनका कि इस क्षेत्र में सर्वथा अभाव है । वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब ग्रामीण गांव में रहता है तो शिक्षा से उसका सम्पर्क बिल्कुल समाप्त हो जाता है और फिर वह अशिक्षितों की श्रेणी में आ मिलता है । अतः ऐसी व्यवस्था होना चाहिये कि गांव में कुछ दैनिक,साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकायें मंगवायी जा सकें जिससे ग्रामीणों के विचारों में प्रगति के साथ साथ वह अपने गांव के अलावा देश व समाज के अन्य स्थानों से भी जुड़ सके ।

(5) जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी प्रमुख तथा गम्भीर समस्या निर्धनता है । यह क्षेत्र कृषि प्रधान है परन्तु यहां की कृषि प्रणाली अत्यन्त पिछड़ी व असन्तोषजनक है जोकि इस क्षेत्र की निर्धनता की जनक है । इस निर्धनता को दूर करने के लिये कृषि की दशा में सुधार करना सबसे अधिक आवश्यक है । अतः इस क्षेत्र की भूमि व्यवस्था में सुधार, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार ,वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रोत्साहन तथा समुचित प्रशिक्षण ,कृषि की नवीन प्रविधियों की सुविधाओं ,सहकारीकरण व्यवस्था तथा कृषि उत्पादन से समुचित विक्रय की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

(6) इस क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं परिणाम स्वरूप अधिकतर ग्रामीणों के पास आर्थिक स्रोत भी उपलब्ध नहीं है प्रत्येक कृषक के पास आर्थिक स्रोत से कम भूमि होने के कारण वह खेती में उन्नति नहीं कर सकता । इसके लिये आवश्यक है कि भूमि पर से जनसंख्या के भार को कम किया जाये । इस समस्या के निदान के लिये कुटीर उद्योग धन्धों तथा ग्रामीण उद्योग धन्धों को विकसित करना होगा । इस क्षेत्र में कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग धन्धों का अभाव है । अतः ग्रामीणों के आर्थिक जीवन स्तर को उच्च करने के

लिये आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा देकर ग्रामों में कुटीर उद्योग धन्धों को पनपाना होगा ।

§7§ इस क्षेत्र के अधिकांश ग्राम ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े नहीं हैं , गांव में जो सड़कें उपलब्ध हैं उनमें भी अधिकांश वर्षाऋतु में बेकार हो जाती हैं इन ग्रामों में आवागमन के साधनों में सुधार करके इनकी संचार शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

§8§ वर्तमान समय में गांव का नवीनीकरण होना चाहिये । प्रत्येक गांव में बिजली , पानी व गन्दे पानी के निकास के लिये पक्के नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । जिससे एक स्वस्थ वातावरण विकसित हो सके । जिसमें ग्रामीण सफाई व स्वच्छता के प्रति सजग हो सकें ।

§9§ ग्रामों में स्वस्थ तथा सुरुचि पूर्ण मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे स्वस्थ मनोवृत्ति का जन्म हो सके ।

§10§ ग्रामीण जीवन में गतिशीलता लाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित तथा गृह कार्यों में कुशल बनाया जाये । स्त्रियां तो परिवार की मूल केन्द्र बिन्दु होती हैं । उनके लिये विशेष प्रकार की शिक्षण संस्थायें भी ग्राम में स्थापित करना आवश्यक है जो उन्हें रूढ़ियों व कुरीतियों से मुक्त शिक्षित सुसंस्कृत व सफल बना सके ।

अतः अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि उपरोक्त सुझावों के आधार पर ग्रामों में सुविधायें प्रदान की जायें तो जनपद फतेहपुर के ग्रामों में हम आदर्श ग्राम की झलक देख सकेंगे ।

= = = = = = = = =

परिशिष्ट 'क'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

1. Abdul Aziz "The Rural Poor-Problems and Prospects As his publishing House 8/BRanjabi Bagh New Delhi.

2. Alvin L.Berteran-"An Analysis of contemporary Rural life" M.C.Grew Will Book , New York Toronto London1858

3. Andersen K.M.- "Mobilization of Rural youth for Development voluntary Action 9:5(Sep-Oct 1967)Page 18-20

4. Barnes R.M.- "Work Method Mannual "John wiley and sons New York ,1944

5. Baden Powell- "The origen and Growth of village communication in Indian,"London,Swah Seunenschein & Co. 1908

6. Barth Fredrik- On the study of Social change"American Anthro pologist 69 (Dec.) 661-669, 1967

7. Bertrand A.L.- "Rural Sociology -An Analysis of contemporary 1958 rary Rural life New York M.C.Grew Hill.

8. Beals A.R.- "Change in Leadership of a Mysore Village Economic weekly Vol.No.17 March,17,1983.

9. Bhargava B.S.- "Politico-Administrative Dynamics in Panchayati Raj System ." New Delhi Ashish 1978.

10.Bhati Anil- "Politics and social mobility in India contribution to India Sociology New series 1971.

11.Brayne F.L.- "The Remaking of village India"London 1929

12.Brand Donald D.Quiroga-"A Mexican village washing for D.C.1946

13. "Bhil villages of western Udaipur " Economic Weekly Vol.IV No.9 March 1,1952

14. Carstairs G.Morris-"A village in Rajasthan "Economic weekly Vol.No. 3 and 4 Jan 26,1952.

15. Chitamber J.B.-"Introductory of Rural sociology ,"Wiley Eastern limited New Delhi.

16. Chowdhry D.Paul-"New Partnership in Rural Development NewDelhi M.N.Publishers 1978.

17. Darling,M.L. -"Wisdom and waste in the Punjab village. London 1934

18.Davis,Allison,Burleigh B.Gardener and Mary R.Gardner Deep South Chicago, 1941.

19. Desai,I.P. -"Untouchability in Rural of Gujrat "Bombay Popular Prakashan,1976.

20. Desai,I.P. -"History of Rural Development in Modern India, Sanwarilal choudhry,Sita Ram Goel Impex India, 2/18 Ansari Road New Delhi 11002, 1977

21. Deb,P.C. -"Social stratification and Mobility in Rural Setting," Delhi Pesearehcce Publication 1975

22. Desai N. -"Social change,"Gujrat Bombay Vora and Co. Publishers pvt. Ltd.

23. Dixon,R.B. -"Rural women at work strategies for Develop ment in South Asia ,"Baltimore and London Johns Hopkins university press 1978.

24. Dube S.C. -"Indian village."National Publishing House New Delhi.

25. Dube,S.C. -"Indian changing villages,London Routledge House New Delhi. Kegah Paul 1958.

26. Ensminger,D. -"Democratic Decentralization-A new Administrative Challenge"Indian Jurhal of Public Administratio (July-Sept. 1961)

27. Eubank E.E. -"The Concepts of sociology ,"D.C.Heath and Co. Boston 1937.

28. George.A.Lundberg,"Social Research,Longman Green and Co. New York 1951.

29.George P.Murdock-"The cross cultural survey"American Sociology Review June 1940

30.Gough,Kathleen, "The social structure of a Tanjore village Economic weekly Vol.IV No.21 May 24,1952.

31.Groves E and Ogburn W."American Marriage and Family Relationship Henry Holt. and Co. New York 1928.

32.Gurumurthy.K.G.-"Kallapara-A south Indian village,"Dharwar Karnataka University 1976.

33.Gupta,S.D. -Village Studies in third world "Delhi Hindustan Publishing corporation.

34.Gupta S.D. &Madan G.R.-"Community and Agriculture in two Indian village" Culcutta Editish Indian Village." Calcutta Edition India.

35.Gupta S.D. -"History of rural Development in Modern India Vol.I Varanasi Gandhian Institute of Studies New Delhi.

36. Methodological Problems in the Study of Modern Cultures" Americal Anthropologis Vol II No.2 July Sept.1949

37. Halpern J.M. -"The changing village community "New Delhi Printice Hall 1969.

38. Heredero J.M. - "Rural Development and Social change."New Delhi Manahar Books Service

39. Henry Maddick -"Democracy Decentralization and Development ,Asia Publishing House Bombay 1963.

40. Hutton J.H. -"Caste in India," Cambridge 1946

41. Inkless.A. -"Social stratification and mobility in the Soviet Union" 1942-50",American Sociology -cal Review XV 1950

42. Irwin T.Sunders-"Rural society ,"Prentice Hall Foundation of Modern Sociology Serwice.

43. Jagannadham,V.-"Administration and Social change New Delhi Uppal 1978

44. Jathar,R.V. -"Evolution of Panchayat" Raj in India Institute of Economic Research Dharwar,1964.

45.Ketkar -"History of Caste in India ,"Newyork 1909

46.Kimball young & Raymond W.Mark-"Sociology and Social life "Americanbook company New York 1959

47.Kolb,J.H. -"Rural Primary Groups,"University of Wisconsin A.E.S.Research Bullatin 51

48.Lipset Seymour and Reinhard bendix-"Social mobility in Industrial society ,"Berkeley university of California press 1960.

49. "Life in a Mexican village,Tepoztlan Restudied" Champaigh 1951

50. Madan, G.R. -""Indian's Developmxxx ing village"Print House (India)Lucknow

51.Maciver and page-"Sociology "Macmillion & Co.London 1957

52.Maine H.S. - Village communities in the east and west London,1876

53.Marriot McKin -"Social structure in North Kerala"Economic weekly Vol.IV No.6 Feb9,1952

54.Mactan G.R. -"Changing Pattern of India villages with special reference to community Development)Delhi'S.Chand. 1964

55. Majumdar R.S.-"Rural Migrants in anUrban setting"Delhi Hindustam Publishing Corporation 1978

56. Majumdar,D.N.-"Rural life and communication Eastern Antropologist 1958 XI

57. Masumdar.V. -"Role of woman in Developing Report of an International Seminar,Delhi Allied Publishers.

58. Madan,G.R. and Gupta S.D.-"Community and agriculture in Two Indian villagess,"Calcutta Edition Indian 1978.

59. Mayer,K.B. -"Class and Society ,"New York Doubledy 1961.

60. Mathews,C.M.E."Health and cultural in a South Indian village ,"New Delhi Sterling Publishers1979.

61. Maheshwari,B.-"Studies in Panchayti Raj,"Metropolien Book Book co.Private Ltd. Delhi 1963.

62.Merobie ,George-"Paths of rural change,"New prospects for India's villages,"Asian Review 1.2(Jan.1968)

63.Miller,Eric J.- "Village sturcture in North Kerala,"Economic weekly VolIV No.6 Feb 9,1952.

64.Moore,W.F. -"A Reconsideration of theories of Social change"-American sociological Review , 25Dec. 1900

65.Mukherjee,R. -"Economic structure of Rural Bengal ,A Survey of six villages,"American sociological Review Vol XIV No.3, 1949

66. "The Economic structure and social life in six villages of Bengal,"American Sociologycal Review Vol.XII No. 3,1949.

67. Ogborn,W.F.- "Social change"New York ,Viking 1922

68. Opler,Morris E. and Rudra Datta Singh-"The division of labour in an Indian village "A Reader in General Anthropology edited by carleton S.Coon New York 1948.

69. Oscar lewis,-"Village life in North India"Illienis university of Illinois Press 1958.

70. "Two villages of eastern Uttar Pradesh (U.P. An Analysis of Similarities and Differences" American Anthropologist Vol.LIV No.2 April June 1952.

89.Sorokin,P.A. -"Social and cultural Dynamics,NewYork Harper 1947.

90. ,, -"Social and cultural mobility "London The free press of Glenecce 1964

91.Srinivas M.N. -"Social structure of Mysore village." Economic weekly Vol.III Nos. 42-43 Oct. 30,1951

92.Sorokin P.A. and Zimmerman C.C."Principles of Rural urban sociology New York Halt and Co.1929

93.Srinivas M.N.- "Caste in Modern India and other Essays A note on Sa Kritization and westernization 1962, p-42

94.Srinivas M.N.(Ed.)"Indian's Village 1955 Introduction p-9 Bombay Asia Publishing House 1960

95. Social structure in Punjab village"Economic Weekly,Vol III nos.42-43 Oct.30,1951

96. "A joint family Dispute in a Mysore village The journal of the M.S.University of Baroda Vol.I 1952.

97.T.Lynn Smith -"Rural Sociology -A trend report and Bibliography current sociology vol.VI No.1 Pareis UNESCO 1957.

98.Warner W.L. andPaul S.Lunt-"The social life of a Modern community.New Haven 1941.

99.Wayne G.BrechlJR.-"The village entreprenewu change Agents in India's .Rural Development,Cambridge Mass achustis Harvard university Press 1978

100.Young P.V. -"Scientific social surveys and Research, Printice Hall New Delhi 1977

101.Encyclopedia of Social Science Vol.

102.श्री आनन्दशंकर शर्मा-"सामुदायिक विकास पर नये प्रयोग,"किताब महल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ।

103.श्री तैयदन, शिक्षा सचिव भारत सरकार ,"शिक्षा की पुर्नरचना राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली 1960 पृ134

104.डा०जमुना लाल बायती-"शिक्षा के नये उभरते क्षितिज"राजस्थान प्रकाशन जयपुर 1981

105. श्री शम्भुरत्न त्रिपाठी-"समाजशास्त्रीय विश्वकोश"

106. डा0गिरजागोपाल सिंह,दयाशंकर मिश्र"दर्द"तथा श्री चन्द्र पाल सिंह,
1857 तथा दरयाव सिंह ,प्रताप मुद्रणालय 7 बेली रोड इलाहाबाद1974

107.डा0 ओउम प्रकाश अवस्थी-"अनुवाक" अक्षय साहित्य का केन्द्र असोथर फतेहपुर

108.श्री दीप नारायण सिंह -"फतेहपुर के स्वतंत्रता सेनानी" दीपक प्रकाशन फतेहपुर

109. औद्योगिक अभियान 1965-66 जनपद फतेहपुर

110. फतेहपुर 1980 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फतेहपुर (उ0प्र0)

111. फतेहपुर 1985 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फतेहपुर (उ0प्र0)

112. समय की शिला पर फतेहपुर 1986 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फतेहपुर (उ0प्र0)

113. सांख्यकीय डायरी 1971 अर्थ एवं संख्या निदेशालय (उ0प्र0)

114. सांख्यकीय डायरी 1984 अर्थ एवं सांख्यकीय निदेशालय उ0प्र0

115. सांख्यकीय पत्रिका ,1986 अर्थ एवं सांख्यकीय निदेशालय उ0प्र0

= = = = = = = = = =

परिशिष्ट 'ख'

साक्षात्कार -अनुसूची
-:= = = = = = = = :-

सामाजिक गतिशीलता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में)

1. सामान्य सूचना

दिनांक -

शोधकर्ता-कु0ज्योति सिंह

1. क्रम संख्या-
2. नाम -
3. साक्षात्कार गांव-
4. आयु-
5. जाति-
6. धर्म-
7. वैवाहिक स्थिति-विवाहित/अविवाहित/विधवा/विधुर/तलाक,पृथक ।

2. पारिवारिक स्थिति

1. आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है ?

18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक
लड़के	पुरुष
लड़कियां	स्त्री

2. आप किस तरह के परिवार में रहते हैं ? संयुक्त/एकांकी ।
3. आप निम्न में से किस परिवार व्यवस्था को उत्तम समझते हैं ?

(क) संयुक्त (विस्तृत) परिवार (ख) एकांकी या मूल परिवार

4. संयुक्त परिवार के प्रति आपका क्या मत है -

(क) शांति व सुख की दृष्टि से संयुक्त परिवार अच्छा है ? हां/नहीं

(ख) व्यक्तित्व विकास व स्वालम्बन की दृष्टि से संयुक्त परिवार के बारे में आपकी क्या राय है ? उत्तम/बाधक ।

(ग) संयुक्त परिवार में स्त्रियों का शोषण होता है? हां/नहीं

(घ) यह कम खर्चीली आर्थिक व्यवस्था है ? हां/नहीं ।

(ङ) संयुक्त परिवार में रहने से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है? हां/नहीं

(च) संयुक्त परिवार गतिशीलता या परिवर्तनशीलता में बाधक है ? हां/नहीं

5. आपके परिवार का मुखिया कौन है ? बुजुर्ग पुरुष/बुजुर्ग स्त्री/धनोपार्जन करने वाला पुरुष/धनोपार्जन करने वाली स्त्री/ अन्य

6. आपके परिवार में सबसे अधिक किसकी बात मानी जाती है ? बुजुर्ग पुरुष / बुजुर्ग स्त्री/घर का मुखिया/अन्य वयस्क सदस्यों का ।

7. आपके परिवार में पुरुषों के क्या कार्य हैं ? घरेलू कार्य/धन कमाना/परिवार पर ध्यान व समस्याओं का निवारण /आरामतलब होना/अन्य

8. आपके परिवार में स्त्री के क्या कार्य हैं ? घरेलू कार्य/धन कमाना/परिवार व बच्चों पर ध्यान व समस्याओं का निवारण /आरामतलब होना/अन्य ।

9. आपके परिवार में आपसी सम्बन्ध कैसे हैं ? शान्तिपूर्ण/सहयोगपूर्ण/तनावपूर्ण ।

10. परिवार में तनावपूर्ण सम्बन्धों के क्या कारण हैं ? विचारों व दृष्टिकोणों में अन्तर/आर्थिक कारण/भौतिक सभ्यता व आधुनिकीकरण/ का प्रभाव/स्वार्थी प्रवृत्ति का होना/बुरी आदतों का शिकार/ निवास समस्या/स्त्रियों की दयनीय स्थिति /अन्य ।

11. आपके परिवार में बच्चों के पालन पोषण व उनके व्यक्तित्व का विकास व उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखना किसका कर्तव्य है ? पिता का/माता का/दोनों का/परिवार के मुखिया का ।

12. आपके मतानुसार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिये उनपर अलग से विशेष ध्यान देना आवश्यक है या/परिवार में रहते हुए अपने आप व्यक्तित्व का विकास हो जाता है ।

13. आज के परिवेश में परिवार में आर्थिक स्तर ठीक रखने के लिये कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है ?

(क) यदि अवसर मिले तो पति पत्नी दोनों को नौकरी या व्यवसाय करना चाहिये/ मात्र पति को परिवार के लिये कमाना चाहिये ।

14. पारिवारिक सुदृढ़ता की दृष्टि से पत्नी के नौकरी या व्यवसाय के बारे में आपकी क्या राय है ?

पारिवारिक सुदृढ़ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता/सुदृढ़ता समाप्त हो जाती है / पारिवारिक सुदृढ़ता में वृद्धि होती है ।

3. आर्थिक स्थिति

1. आप कौनसा व्यवसाय करते हैं ? खेती/मजदूरी/पारम्परिक पेशा/अर्द्ध-सरकारी नौकरी /सरकारी नौकरी/व्यक्तिगत (प्राइवेट) नौकरी ।
2. यदि पारम्परिक पेशा /नौकरी है तो नाम बताइये -
3. परम्परागत पेशा व नौकरी के अलावा अन्य आमदनी के स्रोत कौन से हैं ?
4. आपकी प्रतिवर्ष कितनी आमदनी है ?

   (क) मुख्य व्यवसाय से (ख) अन्य सहायक आय से -
5. यदि आपका व्यवसाय कृषि है तो आपके पास कितने एकड़ /बीघा जमीन है ?

   (क) सिंचित भूमि

   (ख) असिंचित भूमि

   (ग) उद्यान भूमि
6. आपकी जमीन किस प्रकार की है? मोटी/महीन/बलुई/दोमट ।
7. आपके पास सिंचाई के कौन से साधन हैं ? नहर/कुआं/तालाब/ट्यूब वेल/नदी ।
8. आप कौन से कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं ? पारम्परिक यंत्र/आधुनिक यंत्र/दोनों
9. आप यंत्र किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? स्वयं के यंत्र/दूसरों से मांग कर/किराये पर/ पंचायत द्वारा ।

10. आपके पास कौन-कौन से यंत्र हैं ?
11. आप आधुनिक यंत्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं ?
    धनाभाव/कम भूमि/अज्ञानता/ अन्य ।
12. यदि आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराये जायें तो प्रयोग करेंगे ? हां/नहीं ।
13. आप कौनसी खाद का प्रयोग करते हैं ? गोबर की/कम्पोस्ट/रासायनिक खाद ।
14. आप कृषि के लिये बीज कहां से प्राप्त करते हैं ? स्वयं सुरक्षित करते हैं / बनिया से उधार/खुले बाजार से/सरकारी स्टोर से ।
15. आप सरकारी स्टोर से बीज क्यों नहीं लेते ।
16. आप कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं ? रबी/खरीफ/जायद ।

रबी	मात्रा	खरीफ	मात्रा	जायद	मात्रा

17. क्या यह आपके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है ? हां /नहीं
18. भरण पोषण के बाद जो अनाज बच जाता है उसका क्या करते हैं ?
19. आप कितना अनाज बेच लेते हैं ?
20. आप पर परिवार के कितने सदस्य निर्भर हैं ?
21. आपके पास कौन से पशु हैं ? गाय/भैंस/बकरी/बैल/मुर्गी/घोड़ा/सुअर ।
22. पशु संख्या का विवरण -
    दुधारू-   कृषि योग्य -   अन्य -
23. दुग्ध उत्पादन से आय कितनी है ?
24. प्रतिवर्ष निम्न वस्तुओं पर कितना रुपया व्यय करते हैं ?

वस्तुयें	व्यय	वस्तुयें	व्यय	वस्तुयें	व्यय
वस्त्र		बीमारी		कृषि	
भोजन		शिक्षा		मादक पदार्थ	
मकान				मनोरंजन	

25. आप अपनी आर्थिक दशा से संतुष्ट हैं ? हां/नहीं/विचार नहीं करते ।
26. क्या आप ऋण ग्रस्त हैं ? हां /नहीं
27. यदि हां तो कितना -
28. आप किस रूप में ऋण ग्रस्त हैं ? मकान/जेवर/रुपया/अन्य ।
29. आप ऋण कहां से प्राप्त करते हैं ? महाजन से/रिश्तेदारों से/बैंक से ।

30. आपकी ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं ? विवाह,उत्सवों का आयोजन/ घरेलू आवश्यकता/बीमारी/सूखा/मुकदमेबाजी/शिक्षा ।

31. आप ऋण का भुगतान किस प्रकार करते हैं ? ब्याज सहित किश्तों पर/ ब्याज सहित एकमुश्त में /ब्याज रहित धनराशि ।

32. आप बचत करते हैं ? हां/नहीं

33. यदि हां तो वर्ष भर में कितनी बचत कर लेते हैं ?

34. आप अपनी बचत का धन कहां पर जमा करते हैं ? बैंकों में /पोस्ट आफिस/जमीन में गाड़कर/गहनों के रूप में /अन्य ।

35. आपकी समझ में वर्तमान मंहगाई का दोष किस पर है ? व्यावसायिक वर्ग/सरकार पर/उत्पादन की कमी/जनसंख्या वृद्धि ।

4. वैवाहिक स्थिति

1. आपके परिवार में विवाह किस आयु में होता है ?
   लड़के - लड़की -
2. जीवन साथी चुनाव के मामले में लड़के/लड़की के निर्णय को माना जाता है ? हां/नहीं ।
3. लड़का/लड़की देख कर विवाह तय किया जाता है? हां/नहीं ।
4. यदि हां तो देखने का कार्य कौन करता है ? बड़े बूढ़े/भाई,बहन,भाभी/ स्वयं लड़का व लड़की/कोई मित्र या सखी ।
5. आपके मतानुसार लड़का व लड़की देखने दिखाने का कार्य उचित है हां/नहीं
   (क) यदि उचित है तो क्यों ?
   (ख) यदि अनुचित है तो क्यों ?
6. विवाह के समय किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये ?
   परिवार या खानदान पर/लड़के व लड़की के गुण व योग्यता पर/सौन्दर्य/ आर्थिक स्थिति/ अन्य ।
7. लड़की के विवाह में सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिये ?
   माता-पिता या अभिभावक की इच्छा को /लड़की की इच्छा को ।
8. आप किस विवाह पद्धति को अधिक मानते हैं ?
   परम्परागत विवाह(वैदिक रीति)/कोर्ट मैरिज/आर्य समाजी विधि ।
9. परम्परागत विवाह पद्धति में आपकी दृष्टि में कौन सा तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
   (क) इसमें पति व ससुराल वालों पर जाति के नाते रिश्तेदारों का दबाव बना रहता है इसलिये पत्नी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है ?
   (ख) परम्परागत समाज की जाति व्यवस्था के अन्दर विवाह करने से जाति की पवित्रता बनी रहती है ।
10. आपके मतानुसार अन्तर्जातीय विवाह उचित है? हां/नहीं
    (क) यदि उचित है तो क्यों -
    (ख) यदि अनुचित है तो क्यों-
11. विवाह के बाद पति के साथ लड़की का व्यवहार प्रतिमान क्या होना चाहिये? पति की इच्छानुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिये/पति के साथ सामंजस्य रखते हुए स्वतः के व्यक्तित्व का विकास बनाये रखना चाहिये/केवल अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना चाहिये ।
12. विवाह के तरीकों में आप कौन-कौन से परिवर्तन चाहते हैं ?

5. शैक्षिक स्थिति

1. आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है ? प्राइमरी/मिडिल/हाईस्कूल/इन्टर/स्नातक
   परास्नातक/अशिक्षित/अन्य
2. आपके परिवार में कितने शिक्षित सदस्य हैं ?
   स्त्री- पुरुष-

   प्राइमरी
   मिडिल
   हाईस्कूल
   इन्टर
   उच्च
3. क्या आप शिक्षा में रुचि रखते हैं ? हां/नहीं
4. यदि आपके परिवार में सदस्य शिक्षित हैं तो उसका क्या कारण है ?
   निर्धनता/समयाभाव/अज्ञानता/अन्य
5. क्या आप परिवार के अशिक्षित सदस्यों को सरकार द्वारा चलाये कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा दिलाना चाहेंगे । हां/नहीं
6. यदि नहीं तो क्यों -
7. क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं ? हां/नहीं
8. बच्चों की संख्या -
9. पढ़ रहे बच्चों की संख्या
10. जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है -
11. क्या आप बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं -
12. यदि हां तो कारण बताइये -घर के कार्यों में सहयोग/कृषि कार्य में सहयोग ।
13. क्या आपके बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं ? हां/नहीं
14. यदि हां तो कारण बताइये -पढ़ाई से डर/शिक्षक से डर/पढ़ाई में अरुचि/अन्य
15. आपके कुछ बच्चों ने पढ़ाई बीच में (अधूरी) छोड़ दी ऐसा क्यों ।
16. बच्चों को पढ़ाने से आपको क्या लाभ होगा । आर्थिक लाभ/वृद्धावस्था में सहारा/ अन्य ।
17. शिक्षा के कारण आपके बच्चों में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है ?
    बौद्धिक,नैतिक व शारीरिक विकास/दूसरों से व्यवहार में परिवर्तन/स्वच्छता/सजगता/आचार विचार में परिवर्तन/कोई परिवर्तन नहीं ।
18. स्कूल से आपके बच्चों को क्या सहायता मिलती है ?
    पुस्तक व अन्य लेखन सामग्री/शुल्क मुक्ति /छात्रवृत्ति/नाश्ता व [illegible]/अन्य ।
19. आप अपने बच्चों के बड़ा होने पर कौन सा कार्य करवाना चाहेंगे ।
    कृषि /नौकरी/व्यापार/अन्य
20. आप नौकरी करवाना क्यों पसन्द करेंगे ।
21. यदि नौकरी न मिली तो क्या करवायेंगे -

22. यदि खेती बाड़ी करवाते हैं तो आपके पास पर्याप्त खेती बाड़ी है हाँ/नहीं
23. यदि हाँ तो कितनी ?
24. यदि नहीं तो किस प्रकार खेती कर सकेगा -
25. आपकी दृष्टि में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये ?
    किताबी/किसी उद्योग धन्धों की/दोनों /अन्य
26. क्या आप मानते हैं कि पढ़ाई के बाद बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं ?
    हाँ /नहीं ।
27. बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं रहता । हाँ/नहीं ।
28. घर का खानदानी काम करना पसन्द नहीं करते । हाँ/नहीं ।
29. धर्म पर विश्वास नहीं रहता । हाँ/नहीं ।
30. अशिक्षित की अपेक्षा , किसी चीज के बारे में अधिक अच्छे ढंग से सोचता विचारता है । हाँ/नहीं ।
31. बच्चों को शिक्षा दिलाने का आपका उद्देश्य क्या है ? नौकरी/स्वावलम्बी/ बनाना /उद्योग धन्धों का ज्ञान/जनहित या देश सेवा/मानसिक स्तर के विकास के लिये ।

6. राजनैतिक स्थिति

1. क्या आप ग्राम पंचायत के विषय में जानते हैं ? हाँ/नहीं
2. क्या आप पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं ? हाँ/नहीं
3. क्या ग्राम पंचायत सन्तोषप्रद कार्य कर रही है ? हाँ/नहीं
4. पंचायत ने निम्न में से कौन से कार्य किये हैं ? शिक्षा प्रचार/बंधुआ मजदूर सहायता/समाज सुधार/स्वास्थ्य व सफाई/मनोरंजन सुविधा/कृषि या मजदूर सुविधा/अन्य
5. पंचायत की असफलता के क्या कारण हैं ?
   प्रशासनिक वित्तीय साधनों की कमी/राज्य सरकार की उदासीनता/समुचित नेतृत्व का अभाव/वरिष्ठ नेताओं का हस्तक्षेप/पंचायत में उच्च वर्ग का प्रभुत्व/ दलबन्दी की समस्या ।
6. क्या आप पंचायत में सुधार चाहते हैं ? हाँ/नहीं ।
7. यदि हाँ तो क्यों -
8. यदि हाँ तो क्या-क्या सुधार चाहते हैं ?
9. क्या आप सोचते हैं कि राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिये ? हाँ/नहीं
10. यदि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हो तो नाम बताइये ?
11. वर्तमान परिस्थितियों में किस विचारधारा की राजनैतिक पार्टी का शासन देश में होना चाहिये ?
    समाजवादी(प्रजातांत्रिक)/साम्यवादी/सामन्तवादी ।
12. वर्तमान सरकार से आप सन्तुष्ट हैं ? हाँ/नहीं
13. यदि नहीं तो कारण बताइये -
14. आपके विचारों में महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिये ?
    हाँ /नहीं
    (क) यदि हाँ तो क्यों -
    (ख) यदि नहीं तो क्यों -

15. क्या आप महिलाओं के वोट देने के पक्ष में हैं हां/नहीं
16. आप किस कारण पर वोट देते हैं ? साम्प्रदायिक/जातिगत/उम्मीदवार की योग्यता /राजनैतिक
17. स्थानीय राजनीति के लिये क्या आपको बाहरी व्यक्तियों का नेतृत्व स्वीकार्य है । हां/नहीं ।
18. यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिये -

7. सामाजिक बुराइयां

1. क्या आप मादक/नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ? हां/नहीं
2. यदि हां तो किनका-शराब/गांजा/हुक्का/बीड़ी/सिगरेट/तम्बाकू।
3. आप नशीले पदार्थों का सेवन कब करते हैं ? रोज/कभी कभी /किसी का साथ देने के लिये/शादी-त्यौहार-उत्सवों पर ।
4. आप नशीले पदार्थों का सेवन किस लिये करते हैं ? आदत/स्फूर्ति/कठोर परिश्रम/दुख दर्द भुलाने/प्रतिकूल परिस्थितियों में ।
5. क्या आप जुआ/वेश्यावृत्ति या अन्य किसी सामाजिक बुराई में संलग्न हैं? हां/नहीं ।
6. सामाजिक बुराईयों में संलग्न होने का कारण -अकेलापन/घर का कलहपूर्ण वातावरण/पास पड़ोस का बुरा वातावरण /मनोरंजन का अभाव/ अत्याधिक दुख दर्द ।
7. क्या आप जादू टोना या झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं ? हां/नहीं
8. समाज या परिवार में घटित होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं महामारी कठिनाइयों के क्या कारण हो सकते हैं ? जादू टोना/देवी देवता की नाराजगी/भूतप्रेत बाधा/लापरवाही/अज्ञानता/स्वच्छता/का अभाव
9. क्या आप दहेज लेना या देना उचित समझते हैं ? हां/नहीं ।
10. यदि हां तो किस रूप में नकद/वस्तुओं के रूप में /आभूषण ।
11. समाज में दहेज प्रथा का कारण स्वजातीय विवाह है हां/नहीं ।
12. परम्परागत विवाह व्यवस्था से या उसके समाप्त होने से दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है ? हां/नहीं ।
13. दहेज की मांग करने वाले लड़के से विवाह करने जा रही लड़की की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये ।
14. क्या आप बाल विवाह को उचित समझते हैं ? उचित/अनुचित
    (क) यदि उचित है क्यों -
    (ख) यदि अनुचित है तो क्यों -
15. विधवाविवाह के बारे में क्या विचार है ? उचित/अनुचित
    (क) यदि उचित है तो क्यों -
    (ख) यदि अनुचित है तो क्यों -
16. क्या स्त्री को पुरुष के बराबर का अधिकार मिलना चाहिये ? हां/नहीं ।
    (क) यदि हां तो क्यों ?

17. जाति व्यवस्था को आप किस आधार पर मानते हैं ? जन्म/कर्म
18. जाति व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं उचित/अनुचित
19. क्या आप अपनी जाति के अलावा अन्य दूसरी जातियों से खान पान रहन सहन व सम्बन्ध जोड़ना पसन्द करेंगे ? हां/ नहीं ।
    (क) यदि हां तो क्यों
    (ख) यदि नहीं तो क्यों
20. आप बीमारियों का इलाज कहां करवाते हैं ? चिकित्सक द्वारा/झाड़-फूंक/ ग्रामीण वैद्य से /अन्य ।

8. मनोरंजन

1. आप मनोरंजन को जीवन के लिये आवश्यक समझते हैं ? हां/नहीं
2. आप मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं ? हां/नहीं
3. आप मनोरंजन के किन साधनों का प्रयोग करते हैं ?
   बातचीत करना /समाचार पत्र /रेडियो/सिनेमा/टी0वी0/खेल-कूद
4. आपके मतानुसार मनोरंजन का आप पर व आपके बच्चों पर व परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ता है ?
   अच्छा/खराब/सामान्य ।
5. आपको तथा बच्चों को मनोरंजन की क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?
   खेल-कूद की वस्तुऐं /मैदान की/पुस्तकालय की/संगीत /सिनेमा/अन्य